राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक-2 दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पैंतालीसवां दिवस संख्या-28

शुक्रवार,

8 अप्रैल, 1994

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री कमल।

हिण्डौन क्षेत्र की चौकी से रायल्टी वसूली में अनियमिततायें

851. **श्री कमल (हिण्डौन)** : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में फैली के पुरा व तिबारे के बालाजी पर लगी रायल्टी चौकी से पिछले 2 वर्षों में कितनी रायल्टी वसूल की गयी है ?

(2) क्या यह सही है कि उन नाकों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा रायल्टी वसूली में गड़बड़ी की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में फैली के पुरा व तिबारे के बालाजी पर लगी चौकियों से पिछले दो वर्षों में निम्न प्रकार रायल्टी वसूल की गयी है-

चौकी का नाम	1992-93	1993-94 (फरवरी 94 तक)
1. फैली के पुरा	1,67,970·00	11,41,894·00
2. तिबारे के बालाजी	1,24,494·00	1,43,786·00

(2) विभाग की ओर से पुख्ता निगरानी रखी जाती है जिससे कोई गड़बड़ नहीं हो।

श्री कमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा खण्ड 2 में यह प्रश्न था कि क्या यह सही है कि इन नाकों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा रायल्टी वसूली में गड़बड़ी की जाती है, तो इसका जवाब है विभाग की ओर से कि कोई पुख्ता निगरानी रखी जाती है। वह पुख्ता निगरानी क्या रखते हैं, इसके अन्तर्गत क्या-क्या काम करते हैं, कृपया बताएँ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन नाकों व चैक पोस्ट पर समय-समय पर विभाग के जो अधिकारी हैं वे निरीक्षण करते हैं और उनके निरीक्षण में अगर कोई बात आ जाए तो उस पर कार्यवाही की जाती है। इस प्रकरण में छह बार 1992 और 1994 तक सहायक खनिज अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता और अभियन्ता, खनिज अभियन्ता, ये लोग समय समय पर गये हैं। 19.7.92 को भी गये हैं, 23.10.92 को भी गये हैं, 23.10.92 को भी गये हैं, 10.2.93 को भी गये हैं, 10.2.94 को भी गये हैं, 13.2.94 को भी गये हैं। इस तरह इनकी निगरानी रखी जाती है। मौके पर जो अनियमितता पायी गयी उसके बारे में कार्यवाही की गयी और किसी कर्मचारी के खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आयी इसलिये उसमें कोई अभी तक कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भरतसिंह।

स्थगित-प्रश्न

(दिनांक 5 अप्रेल, 1994)

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन

778. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के नगर पालिका तथा नगर परिषद् क्षेत्रों में गत पांच वर्षों में कितने विद्युत कनेक्शन कृषि हेतु दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों में नये कृषि कनेक्शन देने पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन के इन्तजार में कहीं-कहीं पांच साल से भी अधिक किसानों को इन्तजार करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार की इस भेदभाव भरी नीति के पीछे क्या सोच है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न विधान सभा से आया था उसमें 'गत वर्षों' लिखा था तो एक ही वर्ष की संख्या के हम इकट्ठे कर पाये। अभी जब पुस्तक छपी उसमें पांच वर्ष थे। चार सौ खण्डों से यह सूचना मंगाना सम्भव नहीं हो सका। मैंने सूचना मंगायी है, मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। अभी एक वर्ष का मैं बता रहा हूं।

(1) राज्य में नगर पालिका तथा नगर परिषद क्षेत्र में गत वर्ष में कुल 879 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। शहरी क्षेत्र में कृषि कनेक्शनों हेतु कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किये जाते। शहरी क्षेत्र में कृषि कनेक्शन व अन्य कनेक्शन यथा घरेलू, औद्योगिक व घरेलू की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

भांति ही मण्डल के स्वयं के साधनों से बजट प्रावधान के अनुरूप ही दिये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन प्रति वर्ष योजना मद में आबंटित राशि व लक्ष्यों के आधार पर दिये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के तुलनात्मक बहुत अधिक कृषि आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। वर्ष 1993-94 में 25000 कुओं के लक्ष्य के सापेक्ष 25051 कुओं का ऊर्जीकरण किया गया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के ऊर्जीकरण को सर्वाधिक प्राथमिकता देती है।

श्री भरत सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बिजली विभाग की नीति से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : नीति सम्बन्धी प्रश्न नहीं हो सकते।

श्री भरत सिंह : अच्छा, इस सम्बन्ध में माफ करिये। प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्र जहां पर 10 साल से अधिक समय तक किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते वहीं शहरी क्षेत्र के अन्दर अगर कोई व्यक्ति कुआं खुदवाता है या बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो उसे तत्काल, उसी वर्ष या कुछ ही महीनों के अन्दर कनेक्शन दे दिये जाते हैं। मैं मंत्रीजी से यह प्रश्न करता हूं, क्या शहरी क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन में किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं होने का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि इस विभाग के बड़े अधिकारियों तथा राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों, उद्योगपतियों, प्रभावशाली लोगों तथा नेताओं के फार्म हाऊस शहरी क्षेत्र में हैं व उन्होंने अपनी सुविधाओं को देखते हुए यह व्यवस्था लागू करा रखी है। इसी के परिणामस्वरूप आज जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घण्टे बिजली देने के सरकार के आश्वासन के बाद भी किसानों को नहीं मिली वहां शहरी क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन प्राप्त लोगों को 24 घण्टे बिजली मिलती रही।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भरत सिंह : क्या सरकार भविष्य में....

श्री अध्यक्ष : दूसरा पूछने का मौका मिलेगा न आपको।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में कृषि कनेक्शन बहुत कम मात्रा में होते हैं और वे भी वही कनेक्शंस हैं जो शहरों का क्षेत्र विस्तार हुआ है और जिनमें ग्रामीणों की एप्लीकेशन पहले लगी हुई थी ज्यादातर, लेकिन वैसे यह बात सही है, माननीय सदस्य ने जो कहा कि यहां कृषि कनेक्शन के तुरन्त लगाने के लिये कोई पाबन्दी नहीं है। अब इनकी संख्या मैं आपको बताऊं कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 25 हजार एग्रीकल्चर कनेक्शन हुए हैं वहां सारे नगरपालिका क्षेत्र में जो कस्बे कहलाते हैं उनमें 889 हुए हैं। औसत 3 या 4 एक कस्बे का आया है इसलिये इस पर पाबन्दी नहीं रखी है और वहां की संख्या ज्यादा है इसलिये प्रायोरिटी है और उनको इन्तजार भी करना पड़ता है। यहां संख्या बहुत कम है इसलिये 3 या 4 की एवरेज में शहरों पर यह पाबन्दी नहीं है।

श्री भरत सिंह : इसमें नगर निगम भी

(श्री भरत सिंह)

शामिल हैं क्या ? आप नगर पालिका के बता रहे हैं, नगर निगम भी, जयपुर शहर भी शामिल है, कोटा शहर भी शामिल है, जोधपुर भी शामिल है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हां, इसमें सभी शामिल हैं।

श्री भरत सिंह : क्या सरकार भविष्य में कृषि कनेक्शन तथा बिजली वितरण व्यवस्था में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में एक ही नीति अपनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था कब से लागू होगी ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, आपने कहा कि क्षेत्रों में तो बोर्ड के स्वयं के साधनों से, जितने साधन होते हैं उतने ही कनेक्शन कर दिये जाते है, उनके लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता और ग्रामीण क्षेत्रों में आप सिर्फ वही कनेक्शन करते हैं जितना आपको आर. ई. सी से लोन मिल जाए, तो क्या बोर्ड के स्वयं के साधनों में ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है ? जितना हिस्सा आप शहरों में खर्च करें विद्युत कनेक्शन देने में, उतने हिसाब से क्या आप गांव में खर्च करेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा यह है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा…

श्री अध्यक्ष : अब एक ही करिये। और भी पूछेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, एक इससे सम्बन्धित है। दूसरा मेरा यह है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने कहा कि हम 8 घण्टे बिजली देंगे कृषि कुओं को, क्या शहरी क्षेत्रों में जो कुएँ आते हैं उनको भी 8 घण्टे देंगे या उनको बिजली ज्यादा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, नगर पालिका, नगर निगम के क्षेत्र के अन्दर उन्होंने बताया अभी कि जो कनेक्शन किये गये हैं, क्योंकि रूरल फीडर और नगर की जो विद्युत सप्लाई है उसमें कई लोगों ने नगर से बाहर रहते हुए भी उन रूरल फीडर्स से कनेक्शन ले रखे हैं सप्लाई के लिये। इस तरह की व्यवस्था कई जगह अधिकारियों की मिली-भगत से हुई हैं, चाहे कितने भी बड़े शहर है जिनमें फार्म हाऊस हैं। मैं यह चाहूंगा कि इसकी जांच करवाकर क्या इसका संबंध विच्छेद करवाने का सरकार इरादा रखती है।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आज 5-5 साल से और 4-4 साल से कृषि कनेक्शन नहीं दिये गये हैं और लोग उसकी इन्तजार में बैठे हैं, उसके बारे में आपने क्या तय किया ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों, इन तीनों के आस-पास जितनी भी ग्रीन बेल्ट है वह सर रहे सब्ज हरी रहे यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। अगर सरकार इनको आउट आफ टर्न कनेक्शन देती है तो मेरी समझ में कोई गलती नहीं करती है लेकिन लघु और सीमान्त कृषकों को प्रायोरिटी दी जाए न कि फार्म हाउस वालों को प्रायोरिटी दी जाए। इसके बावत सरकार कोई नियम बनाने का विचार रखती है ?

श्री घासीराम यादव (मुण्डावर) : अभी माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था, मेरी भी जानकारी में है कि बहरोड़ कस्बे में जहां 24 घण्टे बिजली मिलती हैं उसके नाम से माननीय सुजानसिंह जी ने दूसरे गांव में ले रखा है।

श्री अध्यक्ष : आज है ही नहीं आप उनके ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं ?

श्री घासीराम यादव : नहीं हैं तो मैं क्या करूँ ? सवाल तो उठा दिया।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 15-15 सालों से जिन गांवों में कृषि कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र पेंडिंग हैं उनको डिस्पोज आफ करने के लिये मंत्री महोदय क्या कार्यक्रम बनाने की सोच रहे हैं ? 15-15 साल से मेरे गांव दिलाई में 1979 से अब 1994 चल रहा है कृषि कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र पेंडिंग हैं ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि कृषि कनेक्शन चाहे शहरी क्षेत्र में आते हों या ग्रामीण में आते हों डिमाण्ड नोटिस 31 मार्च से पहले जमा हो जाना चाहिये लेकिन बहुत-सी जगह, यह मंत्री महोदय की भी जानकारी में होगा कि लोगों को डिमाण्ड नोटिस अधिकारी लोग ऐसे समय पर भेजते हैं कि वे 31 मार्च तक नहीं पहुंच पाते हैं और अगर जमा भी हो जाता है डिमाण्ड नोट तो उनको कनेक्शन नहीं दिये जाएंगे जो कि स्पिल ओवर में अगली साल चला जाता जाता है। क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध या बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ मंत्री महोदय कोई कार्यवाही करेंगे कि जिन लोगों की लापरवाही से किसानों को समय पर जो कृषि कनेक्शन मिल जाने चाहिये थे वे नहीं मिल पा रहे हैं ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, यदि जानबूझकर लापरवाही का कोई प्रकरण सामने आया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी और माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि कार्यवाही तुरन्त होती है। दोनों तरह के विचार यहां पर आये। एक हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और एक प्रायोरिटी का यह रखा कि शहरों और गांवों में क्यों भेद किया जाता है। यह बरसों से चला आ रहा है और दोनों व्यूज अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। मैंने कई माननीय सदस्यों को पत्र लिखे हैं अपने सुझाव देने के लिये और मैं एक दो दिन में स्वयं उनके पास जाकर सुझाव लेने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

भी बातचीत की है और यदि यह मुद्दा ऐसा हुआ तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे वाले मुद्दे का क्या हुआ ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्य, आपका मुद्दा पेंडिंग के बारे में है। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, सरकार में काफी रहे हैं कि बोर्ड के साधन सीमित हैं योजना आयोग से जितना लक्ष्य हमें एग्रीकल्चर कनेक्शन के लिये मिलता है उससे ज्यादा कनेक्शन हम करते हैं। इसके लिये पैसा आर. ई. सी. से मिलता है और इच्छा होते हुए भी वित्तीय साधनों की कमी के कारण ज्यादा कनेक्शन नहीं दिये जा सकते। यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामेश्वर लाल भाटी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, एक से महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। माननीय सदस्य, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : एक-एक कुएं के लिये तीन-तीन कनेक्शन मांग रखे हैं उसी कारण से दूसरों के नम्बर नहीं आते हैं। (व्यवधान)........

श्री अध्यक्ष : एक सवाल पर 15 मिनट हो गये, 6 सवाल और लेने हैं। नैक्स्ट। इनका नोट नहीं करें। आप बैठिये, नेक्स्ट।

श्री रामेश्वरलाल भाटी।

राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ में पी. जी. कक्षाएं

852. **श्री रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या उच्चा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कन्या महाविद्यालय (सहायता प्राप्त) सुजानगढ़ में एम. ए. की कक्षाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं ? क्या इन कक्षाओं में सिर्फ हिस्ट्री विषय ही है ?

(2) क्या सरकार का इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर में अन्य विषय शुरू करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार का राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ में एल. एल. बी. विषय प्रारम्भ करने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ में अन्य विषयों की भी पी. जी. कक्षाएं प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No.7

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां, सोनी देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़ में राज्य सरकार ने सन् 1990-91 में एम. ए. इतिहास प्रारम्भ करने की अनुमति दी थी, तब से ये कक्षाएं चल रही हैं।

(2) नवीन नियमों के अनुसार विधिवत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अन्य इसी प्रकार के आवेदन पत्रों के सन्दर्भ में इस महाविद्यालय के प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं, बार कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा प्रस्तावित व्यवस्थानुसार जिला एवं सत्र न्यायालय या उक्त न्यायालय का सर्किट कोर्ट होने पर खोले जाने के दिशा निर्देश हैं। इसके अतिरिक्त विधि संकाय के रूप में न होकर महाविद्यालय स्वतन्त्र रूप से खोला जाए, यह भी अभिशंसा है।

(4) वर्ष 1994–95 के बजट में 10 नये विषय प्रारम्भ करने का प्रावधान है इनमें से 8 नये विषय स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों में एवं 2 नये विषय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में खोले जाने हैं। महिला महाविद्यालयों को वरीयता दिये जाने के क्रम में उक्त दोनों नये विषय महिला महाविद्यालयों में खोले जाने के फलस्वरूप राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ मे स्नातकोत्तर स्तर पर कोई नया विषय खोलना सम्भव नहीं होगा।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि इस परिक्षेत्र में कन्या महाविद्यालय जिसके अन्दर पी. जी. की केवल इतिहास की अनुमति है और छात्र महाविद्यालय जो ऐसे बिन्दु पर स्थित हैं जहां नागौर और चूरू जिले की सीमाएं मिलती हैं। इन दोनों महाविद्यालयों में कुल मिलाकर करीब 700 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं और पी. जी. का अध्ययन करने में केवल विद्यालय नहीं होने के कारण के से नहीं आ रहे। क्या निकट भविष्य में इस पर पुनर्विचार का सरकार विचार रखती है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो दोनों का मिलाजुला पूरक सवाल किया है। बालकों के विषय में तो मैंने कह दिया। दूसरे मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने स्टेटिस्टिकस ली तब जो गर्ल्स कॉलेज है उसमें 1991–92 में 13 विद्यार्थी लड़कियां थीं, 1992–93 में 6 विद्यार्थी केवल रह गये और 1993–94 में केवल 3 विद्यार्थी रह गये। इतिहास के विषय की यह स्थिति है और इसलिये मुझे लगता है कि एक बार माननीय सदस्य विचार करें कि वहां महाविद्यालय कन्याओं का कैसे खोला जाए।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इतिहास में में यह स्थिति है। अभी आवेदन हिन्दी के लिये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गर्ल्स कालेज में दिया है जिसमें 4 विद्यार्थी हैं। राज्य सरकार क्योंकि इस वर्ष को महिला वर्ष मनाना चाहती है तो हम गम्भीरता से

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

विचार करेंगे, हिन्दी के विषय में अगर विद्यार्थी जो हमारा 10 है उससे ज्यादा आए तो इस पर विचार निश्चित रूप से करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रमाकांत शर्मा।

थानागाजी क्षेत्र के ग्राम नारायणपुरा में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

853. **श्री रमाकांत शर्मा** (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नारायणपुर ग्राम में चारागाह के एक बड़े रकबे खसरा नम्बर 3848, 16 बीघा, सात बिस्वा पर अनधिकृत कब्जा है ?

(2) क्या यह सही है कि थानागाजी के राजस्व प्रशासन को इसकी जानकारी है ? यदि हां, तो उन्होंने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी की चारागाह खसरा नं. 3848 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अनाधिकृत कब्जा था।

(2) अतिक्रमों के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर न्यायालय द्वारा अतिक्रमियों को शास्ति से दण्डित किया गया है एवं मौके पर बेदखल भी किया जा चुका है।

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि यह कब्जा कितने वर्ष से था और कब इसको खाली कराया गया ? दूसरी बात, शास्ति कितनी लगी ? 16 बीघा पर एक हजार रुपया प्रति बीघा के हिसाब से भी हो तो करीबन 1 लाख 60 हजार उसने कमा लिये होंगे और शास्ति जो इन्होंने लगायी होगी वह शायद हजार रुपये लगायी होगी। इससे लोगों में कब्जे करने की भावना कितनी प्रबल होती है, इस बारे में मंत्री जी बताएं।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार इस वर्ष यानी 1993 में ही यह नाजायज कब्जा किया गया है। 15-9-1993 को तहसीलदार ने फैसला देकर बेदखली के आदेश दिये और 23-9-1993 को मौके पर जाकर बाकायदा इन्हें बेदखल कर दिया गया। शास्ति कितनी लगायी गयी, इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी। मैंने बुलवाया भी था अफसर को, लेकिन अभी पहुंचा नहीं। माननीय सदस्य को इसमें और कोई आपत्ति हो या कोई जानकारी हो तो मुझे कर दें, उस हिसाब से कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री रमाकांत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को बहुत गलत जानकारी

(श्री रमाकांत शर्मा)

दी गयी है। यह तो 10 वर्ष से ऊपर कब्जा है। हमने जब कहा कि उस कब्जे को हटाइये तब एक सिलसिला चला 1993 में और तब जाकर तहसीलदार साहब जागरुक हुए और उन्होंने जाकर फर्जी कब्जा हटाया है। कब्जा अब भी उसका मौजूद है।

मेरा नेक्स्ट प्रश्न यह है, माननीय मंत्री जी ने कौनसा इन्तजाम किया है कि अगली बार दुबारा उस पर कब्जा नहीं हो? दूसरा निवेदन यह है कि उस गांव के पास एक गांव है जिसमें एक अत्यन्त गरीब व्यक्ति ने जिसके पास रहने को घर नहीं, 6 × 4 भूमि पर कब्जा किया था। उसको तो एक महीने की सजा दी गयी है और उसके पास में दूसरे व्यक्ति को, जिसने 10 बीघा पर कब्जा करके एक लाख रुपये का चारों तरफ डण्डा लगा रखा है, अभी तक एक साल से टच नहीं किया है। यह राजस्व विभाग अपने आप कब्जे करवा रहा है, अपने आप इस तरह की चीजें कर रहा है।

एक छोटा-सा प्रश्न और है कि जब भी तहसीलदार से बात की जाती है तो वह कहता है कि कब्जा हटाने के लिये, इतनी बड़ी दीवार तोड़ने के लिये, जो एक लाख में बनायी गयी है, 10 हजार रुपए तो चाहिये। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। इस प्रकार स्वयं कब्जे कराकर फिर बाद में कहकर कि साधन नहीं हैं, कब्जे नहीं हटाये जाते हैं। जितनी जमीनें हैं करीब-करीब सब पर इस प्रकार से कब्जे हो रहे हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी जवाब दें। मैंने मंत्री जी को निवेदन किया है, इतने अहम प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर कृपया जवाब देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : आपने जो कहा कह दिया, अब गुनाह बेलज्जत क्यों कर रहे हैं? हो गया, हो गया।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी में यह पहली बार कब्जा किया हैं। अगर इससे पहले भी कब्जा था तो उसकी जांच करा ली जाएगी। नियमों में जो प्रावधान है उसके अन्तर्गत कार्यवाही कर ली गयी। पहली बार कब्जा होने पर सजा का प्रावधान नहीं होने की वजह से सजा नहीं दी गयी है केवल पैनल्टी इम्पोज की गयी है। इसकी पूर्ण व्यवस्था करा दी जाएगी कि आइन्दा से कब्जा करेगा तो उस हिसाब से कानून में सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जरा-सी बात थी····

श्री अध्यक्ष : आपके दो सवाल हो गये। नैक्स्ट, श्री उगम राज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जगह-जगह राजस्थान के अन्दर चरागाहों को लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। चरागाह की जमीन बहुत कम रही है। इस बारे में कुछ आप स्ट्रिक्ट हों या कोई नीति सम्बन्धी जानकारी दें। या कम से कम डिपार्टमैण्ट को यह आदेश तो दें कि जितने भी चरागाह

(श्री खेतसिंह राठौड़)

हैं और उन पर अनधिकृत कब्जे किये हुए लोग बैठे हैं उनको तुरन्त हटवाया जाए।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य को शायद जानकारी होगी कि राजस्थान सरकार ने धारा 91 की उपधारा (6) में संशोधन करके एक प्रावधान जोड़ा है जिसमें चरागाह और सार्वजनिक भूमियों पर कब्जा किये जाने पर तीन साल की सजा का प्रावधान रखा है और 20 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा है। उसमें यह भी प्रावधान रखा है कि अगर कोई राजकीय कर्मचारी किसी को शह देगा तो कलक्टर की इजाजत से उसका भी चालान होगा और उसको भी एक महीने तक की सजा का प्रावधान रखा है। पिछली बार यह हिदायत दी गयी थी। मैं समझता हूं कि अब चरागाह के ऊपर कब्जे तो बहुत कम रह गये होंगे।

अनेक माननीय सदस्य : बहुत हैं.... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो गरीब और छोटे लोग हैं उनके आबादी की भूमि बहुत कम है, उन्होंने अपने रहने के लिए मकान बनाये हैं गोचर भूमि पर। उनको आप तीन साल की सजा देंगे तो बड़ा अन्याय होगा। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : हिदायतें फाइलों में हैं, मौके पर चरागाहों पर बहुत कब्जे हो रहे हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों और पंचायत की मिलीभगत से चरागाहों की समस्या गांवों में गम्भीर है। कई बार झगड़े होते हैं गांव-गांव में इस मामले को लेकर।....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इनके अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी गांव के लोगों से मिले हुए हैं।..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप। सभी मामले गम्भीर हैं। अब मन्त्रीजी को पता चल गया कि कितने कब्जे हो रहे हैं। यह पता चल गया, अब सवाल क्या पूछना है?

श्री घासीराम यादव : एक सवाल मुझे करना है।

श्री अध्यक्ष : कितने माननीय सदस्य खड़े हुए, पता चल गया उनको कि कब्जे बहुत हो रहे हैं।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मन्त्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं।

श्री अमराराम चौधरी : कब्जे मजबूरन करने पड़ रहे हैं, आबादी बढ़ गयी है। लोगों के रहने के लिये सिर ढकने के लिये जमीन नहीं है। उन लोगों को आप तीन साल की सजा दे रहे हैं, घोर अन्याय हो रहा है यह।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। आपकी सूचना के लिये बता दूं कि विधान सभा पर भी कब्जा हो चुका है एक क्षेत्र में। कई बरसों से महानुभाव विराजे हुए हैं, उनके खिलाफ भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट से स्टे ले आये हैं। विधान सभा पर कब्जा है, अब आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री घासीराम यादव : एक सवाल करने दीजिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आश्वासन आ जाए ।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा के प्रेमिसेज पर कब्जा हुआ है ।

श्री घासीराम यादव : आधे मिनट का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : आपकी भावनाएं मंत्रीजी के सामने प्रकट हो गयीं । उस प्रश्न से कोई मतलब नहीं, अब आप चलने दीजिये और लोगों के प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं, माननीय यादव जी ।

ब्यावर क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

854. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के कितने ग्राम विद्युतीकृत हैं और कितने बाकी हैं तथा इन बाकी रहे ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करने की योजना है ?

(2) इसी क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कितने विद्युत कनेक्शन दिये जाने बाकी हैं ? जिनकी फाइलें जमा हैं अथवा जिनको डिमाण्ड नोटिस जारी किये जा चुके हैं ?

(3) क्या ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत सम्बन्धी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अलग से सहायक अभियन्ता कार्यालय जवाजा, अजमेर में खोलने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो इसे अब तक नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में सहायक अभियन्ता, विद्युत, ब्यावर के पास ही ब्यावर शहर ग्रामीण के साथ-साथ पाली जिले के भी कई ग्राम हैं ? यदि हां, तो क्या मात्र एक सहायक अभियन्ता द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से सारा कार्य संचालित हो पाता है ।

(5) क्या हर ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति/जनजाति के केवल दो कुओं पर विद्युत कनेक्शन देने का सरकार का प्रावधान था ? यदि हां, तो क्या यह योजना लागू हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस योजना को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीरसिंह कौशल) : (1) ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्यावर शहर और पंचायत समिति जवाजा के 124 गांव हैं । इनमें से दिनांक 31-3-1994 तक 101 ग्राम विद्युतीकृत हैं और शेष 23 ग्रामों का विद्युतीकरण होना बाकी है । ये 101 विद्युतीकृत ग्राम व ब्यावर शहर सहायक अभियन्ता (वि.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, ब्यावर के अधीन हैं । मण्डल द्वारा आवंटित लक्ष्यों के आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है । बचे हुए 24 ग्रामों को विद्युतीकृत करने के लिए मण्डल द्वारा प्रसारित वर्षवार लक्ष्यों के आधार पर विद्युतीकृत करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की दि. 31-3-1994

Page No.12

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

तक कुल 1665 फाइलें विभिन्न श्रेणियों की विद्युत कनेक्शन हेतु जमा है, जिनमें से 314 फाइलों (कनेक्शनों) के डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(3) सहायक अभियन्ता कार्यालय, जवाजा (अजमेर) में खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। लेकिन ब्यावर परि. एवं संधा. उप खण्ड के कार्यभार को देखते हुए दो नये उपखण्ड सृजित करने के प्रस्ताव सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त हुए हैं, जिसके अन्तर्गत ब्यावर ग्रामीण के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता, जवाजा कार्यालय सृजित करने के प्रस्ताव हैं। प्रस्तावों को तकनीकी एवं प्रशासनिक दृष्टि से जांचा जा रहा है। कार्यालय सृजित होना प्रस्तावों के साध्य पाये जाने पर निर्भर करेगा।

(4) जी हां, ब्यावर शहर ग्रामीण उपखण्ड के अन्तर्गत पाली जिले के 7 ग्राम आते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रखने हेतु यदि आवश्यकता होगी तो इन्हें पाली जिले के अधीन स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) वर्ष 1993-94 की घोषित नीति के अनुसार ग्राम पंचायत के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केवल दो कुओं पर विद्युत कनेक्शन देने का कोई प्रस्ताव नहीं था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को कृषि कनेक्शन लक्ष्यों के अनुरूप एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार दिए जाते हैं।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, 101 गांवों का विद्युतीकरण का आपने कहा है और 24 ग्राम शेष हैं और गांव हैं 123 ये 101 ग्राम विद्युतीकृत कब किए हैं ? आपके पास आपने फाइल जमा बताई हैं 1665, मैं पूछना चाहता हूं कि कनेक्शन कितने बाकी हैं ? 1665 फाइलें तो अभी बकाया हैं, कनेक्शन चार हजार बाकी हैं या पांच हजार कनेक्शन देने बाकी हैं ग्रामीण क्षेत्र में, यह बताने की कृपा करें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कुल फाइलें जिसमें सभी श्रेणी के कनेक्शन आ जाते हैं, 1665 फाइलें पेण्डिग हैं हमारे पास जिनमें 314 फाइलों के डिमाण्ड नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

श्री उगमराज मेहता : कब से कनेक्शन बाकी है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह आपने नहीं पूछा है, यह तो प्रायोरिटी के हिसाब से....

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, 4 हजार कनेक्शन देने बाकी हैं ग्रामीण क्षेत्र में और सबसे ज्यादा अजमेर जिले में ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकरण हुए आज 5-6 साल हो गये हैं, कनेक्शन ही नहीं दिये जा रहे हैं। जे.ई.एन. ने पैसे इकट्ठे किये दूसरे के मार्फत, 35 हजार रुपये पिछली बार इकट्ठे किये, कलक्टर बीच में पड़ा है, 24 हजार रुपये वापस लौटाये और आपने 295 के

Page No.13

(श्री उगमराज मेहता)

अन्तर्गत मुझे यह जवाब दिया कि किसी के ऊपर चार्ज नहीं है और वहां रिपोर्टिंग में है। जेईएन, ब्यावर को 8 हजार रुपये मैंने वहां मेरे सामने वापस लौटाये कि ये कैसे लिये ग्रामीण क्षेत्र वालों से, जो अभी खण्डेलवाल बैठा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वहां कनेक्शन क्यों नहीं दिये जा रहे हैं? वहां पोल भी खड़े हैं, पोल लाकर के ग्रामीण क्षेत्र में रखे पड़े हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र मसूदा एडजाइनिंग है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह प्रश्न एक क्षेत्र का है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : एक मिनट सुनिये। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र का नहीं पूछ रहा हूं लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह की यह प्रोब्लम वहां है, अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के साथ वही व्यवहार कर रहे हैं और करीब 2 हजार फाइलें ब्यावर के चारों तरफ पेण्डिग हैं। इनका और हमारा ग्रामीण क्षेत्र साथ-साथ लगता है, बार-बार ये चक्कर काटते हैं लेकिन वे ऐसा जवाब देते हैं गरीब लोगों को और न उनका व्यवहार ठीक है। अगर उनकी पूर्ति कर दी जाए या उनको जो जैसा वातावरण है वह दे दिया जाए तो वे कनेक्शन करते हैं। मंत्री महोदय, आप स्वयं जाकर देखिये, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों को देखिये, आधा गांव तो कर दिया और आधा गांव क्योंकि इनकी सेवा नहीं की इसलिये रह गया। पायला गांव ऐसा गांव है उसकी ग्रामीण क्षेत्र में····

श्री अध्यक्ष : आपने उनका भाषण सुन लिया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल ; माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा हैं कि चार हजार फाइलें पेण्डिग हैं। उनके क्षेत्र में कुल मिलाकर सभी प्रकार की फाइलें 1665 ही हैं। जहां तक बताया गया— भ्रष्टाचार की बात, वह उनका 295 में आया था पर एक वेग आरोप से कुछ मामला बनता नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप एक केस पर्टिकुलर भ्रष्टाचार का बताइये, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। अभी तक चार लोग सस्पेण्ड किये जा चुके हैं और चार की शिकायत है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि आप एक केस दीजिये, जांच होगी और जांच में दोषी पाया गया तो निश्चित रूप से सस्पेण्ड किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप एक केस ऐसा बता दीजिये जिसमें बिना पैसे लिये कनेक्शन हो रहा हो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : और मैं दूसरी बात कहता हूं, आप एक केस ऐसा बता दें जिसमें पैसा लिया गया है। वह सस्पेण्ड होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने जांच नहीं करवायी, आप जांच करवाएं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये। ऐसा लगता है कि बिजली आते ही करेण्ट लगता है। बिजली पर जब भी चर्चा होती है तो चाहे आप दिन भर एक सवाल पर करवाते जाइये और चाहे कितनी करवा दीजिये। मेरा निवेदन है कि बार-बार ये बातें आप कह चुके हैं इसलिये उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मंत्रीजी भी इस बात को समझ रहे हैं, अब वे आपको खुल्लम-खुला यह कह रहे हैं कि मेरे को कोई विशेष शिकायतें हों तो लाकर दीजिये, एक्शन लूंगा। तो बेहतर है यहां कहने के कि जिनकी भी इस तरह की व्यक्तिगत शिकायतें हैं वे मंत्रीजी को दें और उनकी परीक्षा ले कि वे एक्शन लेते हैं या नहीं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके सामने सदन में····

श्री अध्यक्ष : इसीलिये मैं कह रहा हूं, मैंने मंत्रीजी से यही कहा है इसलिये कि उनका सवाल नहीं है उन्होंने शिकायतें की हैं, एक्शन लेकर उनको इन्फार्म कर दीजिये। नैक्स्ट श्री हरजीराम। (व्यवधान)

श्री उगम राज मेहता : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) आप इनको लिखकर दे दीजिये। शिकायतें लिखकर दे दें आप····(व्यवधान) आप माफ करिये, आपको मौका दिया था प्रश्न पूछने का, आप तो भाषण दे रहे हैं। इतना टाइम नहीं है हाउस का कि आपको भाषण देने की इजाजत दें। आपने सवाल तो एक भी नहीं पूछा है। आप इन्फार्मेशन ले नहीं रहे हैं, आप तो दे रहे हैं। तो जो इन्फार्मेशन आप बाहर दे सकते हैं यहां देने की जरूरत क्या है? अब आप छोड़िये, हो गया, इसी लिये मना कर दिया। (व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : वह काम नहीं हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में····

श्री अध्यक्ष : उन्होंने मना कर दिया है, विचाराधीन नहीं है। जेईएन. का है वह बता दीजिये। नेक्स्ट श्री हरजीराम।

जयपुर शहर की हाउसिंग सोसायटीज की सदस्यता

855. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कितनी हाउसिंग सोसाइटियां बनी हुई हैं और उनका कार्य क्षेत्र कौन-कौनसा है? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समितियों में उनके कार्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति ही सदस्य हैं या कार्य क्षेत्र के बाहर के भी सदस्य हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी समिति में कौन-कौन कार्य क्षेत्र से बाहर के सदस्य हैं?

(3) क्या कार्य क्षेत्र के बाहर के व्यक्ति समिति के सदस्य नहीं बन सकते? यदि हां,

Page No.15

(श्री हरजीराम बुरडक)

तो जो बन गये हैं उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से (1) जयपुर शहर में 217 गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत है। समितिवार कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जयपुर शहर की 217 गृह निर्माण सहकारी समितियों में दो लाख से अधिक सदस्य है, जिनके बारे में चाही गयी जानकारी विभाग नहीं रखता बल्कि प्रत्येक समिति के पास ही ऐसी सूचना हो सकती है जो अल्प समय में एकत्रित करना सम्भव नहीं है।

(3) सहकारी समितियों में सदस्यता का मामला प्रत्येक समिति के उप नियमों के अनुसार निर्धारित होता है। कार्य क्षेत्र से बाहर का इच्छुक व्यक्ति भी, यदि समिति के उपनियमों में ऐसा प्रावधान है, तो सदस्य बन सकता है। प्रावधानों के विपरीत सदस्यता का मामला जानकारी में आने पर सहकारी अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है, कार्य क्षेत्र के इस प्रश्न के उत्तर के साथ सूची संलग्न है। तो क्या आपको यह जानकारी है कि एक ही वर्ग की सहकारी समिति, सहकारी समितियों के अलग-अलग वर्ग हैं, जैसे ग्रामसेवा है, औद्योगिक है, यह आपकी हाऊसिंग है ? जो समिति जिस क्षेत्र के लिये रजिस्टर हो जाती है उस क्षेत्र में दूसरी उसी वर्ग की समिति रजिस्टर नहीं हो सकती। आपने यह सूची दी है उसमें अधिकांश समितियों का कार्य क्षेत्र जयपुर नगरपालिका क्षेत्र है। पहले ही जब इस क्षेत्र की समिति रजिस्टर हो गयी, उसी संवर्ग की या दूसरी समिति रजिस्टर कैसे हुई ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गृह निर्माण सहकारी समितियां, इनका सामान्यत: कोई क्षेत्र होता नहीं है जब तक कि वह कालोनी पूरी नहीं हो जाए। कई बार गृह निर्माण सहकारी समिति रजिस्टर कराने के पहले भी उनको यह सूचना देनी होती है कि यह जमीन हम एक्वायर कर रहे हैं, इस जमीन पर हमारे सदस्यों का गृह निर्माण करने का विचार है। कई बार निश्चित भूखण्ड जब उनके पास होता है तो गृह निर्माण सहकारी समितियों को मिलने वाली जो रियायतें हैं उनके आधार पर गृह निर्माण सहकारी समिति रजिस्टर होती है। सहकारी समितियों की सदस्यता के मूल अधिनियम और नियमों में जो प्रावधान है वे भी स्पष्ट हैं और उसके बाद में ये गृह निर्माण सहकारी समितियां अपने उपनियमों में प्रावधान करती हैं कि हमारी सदस्यता किस-किस की रहेगी। कई बार ये खुली सदस्यता रखते हैं। कोई सहकारी समिति है, अब मान लीजिये किसी विशेष वर्ग के

(श्री कैलाश मेघवाल)

काम करने वाले लोग हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, तो वे जयपुर में कहीं के भी रहने वाले हों लेकिन जहां बिजली विभाग के कर्मचारियों की सहकारी समिति बनेगी उस सहकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं। इसी तरह से सचिवालय के कर्मचारियों ने सहकारी समिति बनायी। तो गृह निर्माण सहकारी समितियों का ऐसा कोई कार्य क्षेत्र निर्धारित नहीं है और उसके कारण उनके उपनियमों में जो प्रावधान हैं वे कई तरीके से हैं। कई बार भूखण्ड के आधार पर, कई बार एरिये के आधार पर, कई बार खुले रूप से। यह कुछ सहकारी समितियों की मैंने जानकारी प्राप्त की है, उनकी जानकारी चाहें आप तो मैं दे सकता हूं।

श्री हरजीराम बुरडक : नहीं, मेरा सीधा सवाल था कि कोआपरेटिव एक्ट में और नियमों में यह व्यवस्था है कि एक वर्ग की सहकारी समिति जिस कार्य क्षेत्र के लिये रजिस्टर हो गई उस कार्य क्षेत्र में दूसरी समिति रजिस्टर नहीं हो सकती एक बात।

दूसरी बात, आपने कहा कि उपनियमों में व्यवस्था कर सकती है। उपनियम तो रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर होते हैं, उनके बनाये उप नियम चलते नहीं आपका विभाग उपनियम बनाता है। अगर संशोधन होता है तो वह भी आपके यहां रजिस्टर होता है। तो आप सीधा उत्तर दे दीजिये कि हाउसिंग सोसायटीज के लिये रजिस्ट्रेशन में कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। आप यह कह दीजिये कानून में नहीं है। आप यह कह दीजिये कानून में नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित माननीय सदस्य की इस बात को समझता हूं लेकिन वे सहकारी समितियां अलग-अलग कार्य क्षेत्र की अलग-अलग सहकारी समितियां होती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, समिति के कार्य क्षेत्र में एक सहकारी समिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, हसनपुरा। इसमें समिति के कार्य क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकेगा, कार्य-क्षेत्र उस दृष्टि से, उनका भू-खण्ड उसका आधार है। दूसरी है न्यू पिंक सिटी, समिति के कार्य क्षेत्र में रहने के इच्छुक और कारोबार करने के इच्छुक व्यक्ति समिति के सदस्य बन सकेंगे। इस तरह से ये सहकारी समितियां........(व्यवधान)........

श्री हरजीराम बुरडक : यह सवाल नहीं है सदस्य बनने का सवाल नहीं है, सवाल है समिति का कार्य क्षेत्र इसमें भी आपने दे रखा है–कई अलग-अलग बस्तियों तक उनका कार्य क्षेत्र है। लेकिन जयपुर नगरपालिका सीमा तक तो एक समिति जब पहले रजिस्टर हो गई उस कार्य क्षेत्र में दूसरी समिति रजिस्टर हो सकती है? आप सीधा कह दीजिये कि हो सकती हैं तो बात खतम है।

श्री कैलाश मेघवाल : गृह निर्माण सहकारी समितियों का इस तरह से, क्योंकि उनका कोई विशेष कार्य क्षेत्र नहीं होता है, गृह निर्माण सहकारी समिति का बाहर का भी सदस्य बन सकता है अगर वह चाहता है तो दूसरी जगह का रहने वाला है वह बन सकता है।

श्री हरजीराम बुरडक : मेरा सवाल सदस्य बनने का नहीं है, मेरा सवाल यह है कि एक समिति जिस कार्य क्षेत्र के लिये रजिस्टर हो गयी उसी वर्ग की दूसरी समिति उस क्षेत्र में रजिस्टर हो सकती है क्या ? आप कह दीजिये, हां हो सकती है तो ठीक है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह निर्माण सहकारी समितियां तो इस तरह से रजिस्टर हो सकती हैं, ये नियम जो आप कहते हैं वे ऋणदात्री सहकारी समितियों और क्रय-विक्रय समिति पर लागू हैं, यहां पर लागू नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । प्रश्न संख्या 856 । श्री जगतारसिंह ।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी है।

श्री अध्यक्ष : आपका भी नाम है ?

एक माननीय सदस्य : इसमें कौशल है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : कौशल तो मिस प्रिन्ट है, अध्यक्ष महोदय, 125 संख्या मेरी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ राज्य मंत्री (चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य) : प्रश्नकर्ता माननीय मंत्रीजी हैं मैं इनके कक्ष में जाकर इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : मेरी विभाजन संख्या 125 है, माननीय मंत्रीजी की विभाजन संख्या 125 थोड़े ही है ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, तब पूछिये । जवाब दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कह रहे हैं कि चैम्बर में जाकर जवाब दे दूंगा, यह उन्होंने कैसे कह दिया ?

श्री अध्यक्ष : वे दूसरे मंत्रीजी को कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि दूसरे मंत्रीजी ने प्रश्न पूछा है, श्री रघुवीरसिंह कौशल, मंत्री पूछ रहे हैं और मंत्री का जवाब मंत्री को दे दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके सामने कैसे नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, उन्होंने यह सवाल जब वे मंत्री नहीं थे तब पूछा होगा, अब तो है।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : यह मैंने पूछा हैं। (व्यवधान) 125 विभाजन संख्या मेरी है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : (ऊर्जा मंत्री) : मेरी विभाजन संख्या 126 है और उनकी 125 है (व्यवधान)

नर्सिंग स्टाफ के लिए बी. एस. सी. ट्रेनिंग (इन सर्विस) कोर्स

856. **श्री जगतारसिंह** (श्री करणपुर) व **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या चिकित्सा एव स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में बी. एस. सी. ट्रेनिंग (इन सर्विस) का कोर्स बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री जगतारसिंह)

(2) क्या इस निर्णय से नर्सिंग स्टाफ की दक्षता में गत्यावरोध आने से शिथिलता पैदा हो गयी है ?

(3) क्या नर्सेज एसोसिएशन ने अपने मांग पत्र अक्टूबर, 1993 में यह मांग रखी थी ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की तथा सरकार कब तक नर्सेज एसोसिएशन की उक्त मांग की पूर्ति करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी नहीं, लेकिन 1992-93 एवं 1993-94 में प्रवेश नहीं दिये जा सके।

(2) जी हां, समुचित शैक्षणिक अवसर नहीं मिलने से दक्षता में शिथिलता आना स्वाभाविक है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ट्रेनिंग बन्द कर दी एक तरह से। फिर भी मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि 1992-93 एवं 1993-94 में जब यह ट्रेनिंग बन्द कर दी गई तो इसके पीछे क्या कारण थे ? दूसरा, आपने उत्तर दिया कि समुचित शैक्षणिक अवसर नहीं मिलने से दक्षता में शिथिलता आना स्वाभाविक है, एक तरफ यह भी मान रहे हैं तो फिर 1992-93 एवं 1993-94 में बन्द क्यों की ? अगर बन्द कर दी है तो अब भविष्य में क्या विचार है आपका ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991-92 में नर्सिंग कालेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य ने प्रवेश के लिये एक विज्ञप्ति जारी की। वह विज्ञप्ति विश्वविद्यालय के अध्यादेश व विश्वविद्यालय के सिलेबस के प्रतिकूल थी। विज्ञप्ति के अनुसार 29 छात्रों का चयन हुआ जिनमें से 19 छात्रों ने प्रवेश ले लिया। उसके बाद लगभग 42 रिट याचिकाएं राजस्थान उच्च न्यायालय में अलग-अलग छात्रों ने की। उसके अन्दर राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच के फैसले के अनुसार, जो 26 मार्च, 1992 को दिया गया, 26 स्थान हैं, उसके अन्दर दुबारा से चयन सूची मैरिट के अनुसार, सिलेबस के अनुसार बनाई जाए। दूसरा, विज्ञप्ति जो गलत जारी की गई थी उसके अनुसार जिन 18 छात्रों को प्रवेश दे दिया उनके प्रवेश को निरस्त नहीं किया और यह सारी चयन सूची 7 दिन में जारी करने के लिये न्यायालय ने आदेश दिया। इस पर विभाग अलग-अलग रिट याचिकाओं में डबल बैंच में गया और डबल बैंच ने भी फैसला किया कि 18 छात्र, जिनको डबल बैंच के अन्दर पार्टी नहीं बनाया गया था, जिनको पूर्व में प्रवेश दे दिया गया था उनका प्रवेश निरस्त नहीं किया जाए। जो न्यायालय के आदेश थे कि जिन छात्रों का मैरिट में नम्बर नहीं आ रहा था और जिनको न्यायालय की सिंगल बैंच के आदेश से प्रवेश दे दिया उनके प्रवेश को मैरिट के अनुसार किया जाए और प्रवेश को निरस्त कर दिया जाए। इस पर विभाग ने एक जांच समिति बनाई। विभाग ने यह पाया कि उस समय जो प्रधानाचार्य थे, उन्होंने इसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भयंकर अनियमितताएं बरती हैं । यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बैंच तथा डबल बैंच से होता हुआ उच्चतम न्यायालय में चला गया । उच्चतम न्यायालय में जब यह मामला गया उस समय तक तत्कालीन प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो चुके थे और जो जांच समिति थी। उसने यह कहा कि चूंकि तत्कालीन प्रधानाचार्य गोविन्दजी शर्मा सेवानिवृत्त हो गये हैं इसलिये इनके खिलाफ कोई जांच हो नहीं सकती है । किन्तु उसके बाद जब यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां जो तत्कालीन प्रधानाचार्य थे, उन्होंने यह एफीडेविट दे दिया कि हमारे पास 6 स्थान रिक्त हैं, क्योंकि 6 छात्र ही सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका के खिलाफ एस एल पी में गये थे ।

वास्तविक स्थिति यह थी, अध्यक्ष महोदय, कि कुल 26 स्थान थे और न्यायालय के इस फैसले के अनुसार 26 की जगह 45 छात्रों को प्रवेश दे दिया गया । इसके अन्दर तत्कालीन प्रधानाचार्य ने गलत एफीडेविट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया । इसके अलावा 1993-94 में जबकि नर्सिंग कौंसिल आफ इण्डिया के अनुसार सिलेबस भी बना लिया गया था और सिलेबस के अनुसार प्रवेश दिया जाना चाहिये था वे प्रवेश नहीं दिये गये । इस सारे प्रकरण में मैंने जांच के आदेश दिये हैं और जांच का जो भी नतीजा आएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ।

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि भविष्य में क्या आप इसको चालू करने की मंशा रखते हैं; यदि हां, तो कब तक करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : भविष्य का पूछ रहे हैं, भविष्य के लिये पूछ रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 दोनों के सम्मिलित रिक्त पदों की भर्ती के लिये विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है । इसके अलावा मैं खुद यह मानता हूं कि इस पूरे प्रकरण में 2 साल तक नर्सिंग कालेज में प्रवेश इसलिये नहीं हो पाये कि जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने अनियमितताएं बरतीं । मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा । श्री रामपाल उपाध्याय–नेक्स्ट । (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : मंत्री महोदय खुद बता रहे हैं कि प्रधानाचार्य ने भारी अनियमितताएं बरती हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य के खिलाफ तुरन्त कार्रवाई की जाए । अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट आ गई है और जिन्होंने अनियमितताएं की हैं वे साबित हो गई हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई की जाए ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर): प्रधानाचार्य अभी भी बैठे हुए हैं उनको सस्पैण्ड किया जाए । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिये, मंत्रीजी को बोलने दीजिये । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए और प्रधानाचार्य द्वारा उच्चतम न्यायालय में गलत ऐफीडेविट दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह घोषणा करता हूं कि जो अब प्रधानाचार्य हैं जिन्होंने यह अनियमितता बरती उनको निलंम्बित कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : चलिये, ठीक है । नैक्स्ट । श्री रामपाल उपाध्याय ।

सहाड़ा रायपुर तहसील में पशु चिकित्सालय

857. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सहाड़ा, रायपुर, तहसीलों में पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं ? यदि हां, तो किस श्रेणी के कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन सभी पशु चिकित्सालयों में अपेक्षित व पर्याप्त स्टाफ है ?

(3) क्या वर्ष 1994-95 में नये पशु औषधालय/चिकित्सालय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इनके खोलने का मानदंड क्या है ?

(4) क्या उन्नत पशु नस्ल व पशु संवर्द्धन हेतु विभाग की कोई सघन योजना है ? यदि हां, तो क्या तथा इस क्षेत्र को इससे क्या लाभ मिलेगा ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा) : (1) सहाड़ा तहसील में 4 पशु चिकित्सालय, 2 पशु औषधालय एवं रायपुर तहसील में एक पशु चिकित्सालय, 2 पशु औषधालय कार्यरत हैं । स्थानों की सूची संलग्न है ।

(2) विभाग में पशु चिकित्सालयों/औषधालयों में स्वीकृत पदों के अनुरूप पर्याप्त है । वर्तमान में एक डाक्टर एवं 6 पशुधन सहायक के पद रिक्त चल रहे हैं ।

(3) वर्ष 1994-95 में नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें ।)

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया वह अधूरा है, इसका खण्ड (4) बिल्कुल विस्मृत हो गया है । मेरा आपसे यह अनुरोध है कि सारे प्रश्न की आत्मा ही खण्ड (4) में निहित है और मंत्री महोदय ने आत्मा को विस्मृत करके केवल शरीर-शरीर की बात कही है । मेरा आप से यह अनुरोध है कि इस प्रश्न को कल रखा जाए और यह जो मेरा खण्ड (4) है उसका जवाब भी कल हो जाए ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : माननीय सदस्य यह बताएं कि इसमें क्या कमी रही है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, मैंने 4 खण्डों में प्रश्न पूछा है और आपने केवल 3 खण्डों के जवाब दिये हैं ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में तीन ही खण्ड आये हैं तीन के मैंने उत्तर दिये हैं । चौथा खण्ड……

श्री रामपाल उपाध्याय : आप इस प्रश्न सूची को देख लीजिये आपके पास जो प्रश्न सूची है उसमें आप चौथा खण्ड देख लीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। ऐसा है चौथा खण्ड, विषय से पृथक् मानकर इसको हमारे यहां से ही हटा दिया गया था।

श्री रामपाल उपाध्याय : नहीं, आपके यहां से प्रश्न सूची में लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं. यह प्रिन्ट होने के बाद में है।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो मेरा क्या दोष है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, उनके आफिस से नहीं आफिस से हटाया गया है।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन तीनों के बारे में पूछ लीजिये। चौथे के बारे में आप जो भी पूछेंगे, उसका जवाब भी दे दूंगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : तो आप इसका कल जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : आप इसका अलग से जवाब दे देना।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : दे देंगे आपको।

श्री रामपाल उपाध्याय : नहीं, कल जवाब दे दें।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : हां, कल दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो अभी अपनी सप्लीमेन्ट्री कर लीजिये। आपको लिखित में जवाब भेज देंगे चौथे खण्ड का।

श्री रामपाल उपाध्याय : आत्मा को लिखित में कैसे भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हैं जी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मेरा जो चौथा खण्ड है वह सारे प्रश्न की आत्मा है इस आत्मा को शरीर से अलग करके कल कैसे प्रश्न का जवाब भेजेंगे ? यह आपको निवेदन करना है। (व्यवधान) शरीर और आत्मा को समझने के लिये बहुत बुद्धि चाहिये, जिसको माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बताइये, आत्मा को किस प्रकार से कन्विंस किया जाए।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि.......

श्री अध्यक्ष : आत्मा की भाषा को आत्मा ही समझती है। मंत्रीजी की आत्मा आपकी आत्मा से कन्विंस कर देंगे, उसमें कोई लिखित की जरूरत नहीं है।

श्री रामपाल उपाध्याय : लेकिन दोनों आत्मा समझ जाएं तो भी मेरे क्षेत्र के लोगों की आत्मा में कैसे बात जाए ?

श्री अध्यक्ष : आप इस सम्बन्ध में जो कहना चाहें कह दीजिये, आपको लिखित

(श्री अध्यक्ष)

में दे देंगे। इसका जवाब आपको लिखित में मिल जाएगा क्योंकि यह.........

श्री रामपाल उपाध्याय : पहले तो मैं निवेदन कर रहा हू कि क्या यह अच्छी परम्परा है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, यह ठीक नहीं है और यह हुआ है। नहीं, यह इनकी गलती नहीं है, यह हमारे आफिस से गलती हुई है। यह गलती यहां से हुई है और यह कैसे हुई है, इसकी मैं जांच करूंगा। (व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से बहुत संक्षेप में एक-दो बातें पूछना चाहता हूं। पहला यह है कि.........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सुनिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : पशु चिकित्सालय, और पशु औषधालय में मूलभूत क्या अन्तर है ? (व्यवधान) दूसरा, इसमें आपने फरमाया कि कुछ रिक्त पद हैं, वे कब तक भर दिये जायेंगे ? और साथ ही यह निवेदन है कि मूक पशु उपचार के लिये कोई प्रावधान नहीं होना किस संवेदनशीलता का द्योतक है ?

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय में फर्क पूछा है, चिकित्सालय में एक डाक्टर कार्यरत रहता है और औषधालय में एक वेटरिनरी असिस्टेंट रहता है, यह इसमें मूल फर्क है।

दूसरा, आपने पूछा है कि आपके यहां कम पशु औषधालय खोले गये, रिक्त पदों के बारे में, तो मैं निवेदन करूंगा कि औषधालय और चिकित्सालय में पशुधन सहायक की जगह रिक्त है, उनको जून तक, राजस्थान में सभी जगहों को भरने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह बैच पास आउट होकर आने वाला है और राजस्थान में 260 पद रिक्त हैं तो आशा है कि ये पद भर दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि भीलवाड़ा में राजस्थान में दूसरे नम्बर का पशु चिकित्सालय और औषधालय उप केन्द्र है करीब-करीब.........

श्री रामपाल उपाध्याय : नहीं-नहीं, मेरा भीलवाड़ा से कोई लेना-देना नहीं है, मेरा तो केवल सहाड़ा-रायपुर तहसील से.........

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : मैं जिले की बात कह रहा हूं कि पूरे राजस्थान में यह दूसरे नम्बर का है। सबसे ज्यादा इनके क्षेत्र में खोले गये हैं और 141 इकाइयां कार्यरत हैं। जयपुर के बाद में दूसरा नम्बर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सुनिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : मेरे प्रश्न का जो तीसरा चरण है, वह मैंने पूछा है कि

(श्री रामपाल उपाध्याय)

मूक पशु उपचार हेतु सरकार का कोई प्रावधान नहीं होना किस संवेदनशीलता का द्योतक है ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, पशु तो सभी मूक होते हैं और कोई बोलता तो है नहीं और सभी के इलाज के लिये सरकार जहां भी उपलब्ध होता है, पशु चिकित्सालय भी खोलती है ।

श्री रामपाल उपाध्याय : नहीं, इस साल कितने पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय खोल रहे हैं ? मैं समझता हूं यह ताली बजाने की बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से··· (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब आप मंत्री थे और हम यह के यह ही प्रश्न करते थे तो उस समय भी हमारे सामने यही जवाब दिया जाता था लेकिन हम तो यह कह रहे हैं कि हम इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो पहले खाली जगह है उसको भरने के बाद में खोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : भर देंगे । अल्प सूचना प्रश्न । श्री परसराम मोरदिया । (व्यवधान) इनका अल्प सूचना प्रश्न है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं । आपने आपने जैसाकि अभी फरमाया कि + + + चौथा खण्ड इसमें लिखा नहीं और इसके आगे का जो प्रश्न है उसमें माननीय सदस्य का नाम भी नहीं है । लगता यह है कि अब + + + ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, + + + यह आपकी गवर्नमेंट प्रेस सो रही है । वह सो रही हैं ।

श्री सुन्दर लाल : पहले वाली गलती थी, यह गलता है । यह तो गलता जी कर दिया । नाम भी नहीं है उसमें ।

अल्प सूचना प्रश्न

विभागीय विद्युत खण्ड व विद्युत वृत्त कार्यालय

26. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में विभाग के कितने विद्युत खण्ड व वृत्त कार्यालय कब-कब से कार्यरत है तथा उनके कार्यक्षेत्र कौन-कौनसे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या विगत कुछ माह पूर्व सरकार द्वारा एक विद्युत वृत्त का सृजन किया गया है तथा एक अधीक्षण अभियन्ता

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

Page No.24

(श्री परसराम मोरदिया)

की नियुक्ति दी गई है ? यदि हां, तो किस दिनांक से ?

(3) उक्त अधीक्षण अभियन्ता के कार्य-क्षेत्र के अधीन कितने विद्युत खण्ड हैं ?

(4) नोर्म्स के अनुसार एक विद्युत वृत्त के अधीन विद्युत कितने खण्ड होने चाहिये तथा इसकी क्या कार्य प्रणाली है ?

(5) सरकार की विषम आर्थिक स्थिति होने के पश्चात् भी क्या सरकार एक अन्य विद्युत वृत्त सृजन करने जा रही है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में 5 विद्युत खण्ड कार्यरत हैं तथा एक वृत्त कार्यरत है। इसके कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार हैं :–

	कार्य क्षेत्र	कब से कार्यरत है
(अ) विद्युत वृत्त कार्यालय	जयपुर एवं नेशनल हाइवेजोन	नवम्बर, 1993 से
(ब) विद्युत खण्ड, जयपुर	उपरोक्त	फरवरी, 1978 से
(स) विद्युत खण्ड, जोधपुर	जोधपुर	जनवरी, 1979 से
(द) विद्युत खण्ड, उदयपुर	उदयपुर जोन	जनवरी, 1979 से
(य) विद्युत खण्ड, अजमेर	कोटा व अजमेर जोन	सितम्बर, 1989 से
(र) विद्युत खण्ड, बीकानेर	बीकानेर जोन	सितम्बर, 1989 से

(2) हां, दिनांक 20–11–1993 से विद्युत वृत्त का सृजन किया गया है।

(3) उक्त अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वृत्त के अधीन विद्युत खण्ड, जयपुर कार्यरत है।

(4) वर्तमान में विद्युत वृत्त के अधीन विद्युत खण्ड के लिए कोई नार्म्स निर्धारित नहीं हैं।

(5) विद्युत कार्य के भार को दृष्टिगत रखते हुए सरकार एक और विद्युत वृत्त स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि विद्युत कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए सरकार एक विद्युत वृत्त स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या यह कार्यालय जयपुर में ही स्थापित कर रही है या राजस्थान में और कहीं कर रही है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जोधपुर में करेंगे इसको।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सचिवालय स्तरीय कर्मियों को राजकीय आवासों के आवंटन का मानदण्ड

1295. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरी-सिंहपुर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास आवंटित किये जाने के क्या नियम है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने शासन सचिवालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को आवास आवंटन करने हेतु अलग से कोटा निर्धारित कर रखा है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शासन सचिवालय की भांति राजस्थान विधान सभा सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये अलग से कोटा निर्धारित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) फरवरी, 1994 में उक्त दोनों सचिवालयों के कितने अधिकारी/कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को राजकीय आवासों का आवंटन राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के अन्तर्गत किया जाता है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) जी, नहीं। केवल जयपुर में कर्मचारियों हेतु राजकीय आवास की चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के लिये विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों तथा शासन सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य क्रमशः 3 : 1 तथा 1 : 1 के अनुपात में आवंटन किया जाता है। इस सम्बन्ध में केवल प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।

(3) जी, नहीं। क्योंकि ऐसा कोटा रखने का कोई औचित्य नहीं है।

(4) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

दरगाह अमानी शाह, जयपुर का भूमि प्रकरण

1296. **श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दरगाह अमानी शाह, जयपुर के तहत कितनी भूमि राजस्व रेकार्ड में है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वक्फ बोर्ड की राय से दरगाह के मुतवल्ली एवं कुछ व्यक्तियों द्वारा जमीन का बेचान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह नियमानुसार है ?

[redacted]

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

(3) क्या सरकार इस बेचान को रोक कर, प्लान बनाकर इस भूमि को वक्फ बोर्ड के द्वारा ही प्रक्रिया निर्धारित कर बेचान करने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार मुतवल्ली द्वारा अब तक बेची गई भूमि की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह भी सही है कि दरगाह की आय-व्यय का कोई रेकार्ड नहीं रखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दरगाह अमानतीशाह, जयपुर के तहत ग्राम किशनबाग, तहसील जयपुर की जमाबन्द के अनुसार खसरा नं. 112 की 3 बीघा भूमि गैर मुमकिन दरगाह दर्ज है, जो सिवायचक है ।

(2) जी नहीं । वक्फ बोर्ड की राय से दरगाह के मुतवल्ली और अन्य व्यक्ति द्वारा जमीन का बेचान नहीं किया जा रहा है ।

(3) जी नहीं । सरकार का दरगाह की भूमि को बेचने का कोई विचार नहीं है ।

(4) बेचान नहीं किया है तो जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) जी नहीं । दरगाह की आय-व्यय का रेकार्ड रखा जाता है ।

वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व रेकार्ड में अंकन

1297. **श्री तैय्यब हुसैन** (कामां) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वक्फ नियमों में ऐसा प्रावधान है कि राजस्थान में जो वक्फ सम्पत्तियां राजस्व रिकार्ड/वक्फ रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकती, उनका अब रिकार्ड में अंकन किया जावे ।

(2) यदि हां, तो पिछले दो सालों में ऐसी किस-किस एवं कहां-कहां वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व एवं वक्फ अधिकारियों द्वारा सर्वे कर रिकार्ड्स में अंकन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 27 एवम् 25 के अन्तर्गत वक्फ रेकार्ड में अंकन होने से रह गयी सम्पत्तियों के अंकन किये जाने का प्रावधान है । जहां तक राजस्व रेकार्ड में अंकन का प्रश्न है वक्फ नियमों अथवा अधिनियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) राजस्थान में वक्फ जायदादों के सर्वे की प्रक्रिया, 1965 में सम्पन्न हो चुकी है । वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत नये तौर पर सर्वे किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । तथापि वक्फ अधिनियम की धारा 25 एवम् 27 के अन्तर्गत पिछले दो वर्ष में वक्फ रेकार्ड में अंकित की गयी वक्फ

(वक्फ मंत्री)

सम्पतियों का जिलेवार विवरण सलग्न परिशिष्ट–"क" में दर्ज है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मत्स्य कर्मियों का स्थायीकरण/वरिष्ठता सूची

1298. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) :** क्या मत्स्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मत्स्य विभाग में कितने वर्षों से कर्मचारियों का स्थायीकरण नहीं किया गया है ? कर्मचारियों की सूची मय कार्यारम्भ तिथि से सदन की मेज पर रखें।

(2) कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची विभाग द्वारा किस वर्ष में जारी की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यो ? तथा सरकार अब कब तक वरिष्ठता सूची जारी करने का विचार रखती है ?

(3) जिन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, क्या वे पद सरकार द्वारा स्थायी किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कर्मचारियों को स्थायी नहीं करने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या सरकार कर्मचारियों के स्थायीकरण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मत्स्य विभाग के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों, जिनके स्थायीकरण जिस वर्ष से नहीं किये गये हैं का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या छः में दर्शाया गया है। स्थाई नहीं हुए कर्मचारियों की सूची मय कार्यग्रहण करने की तिथि से परिशिष्ट "स" में दर्शाई गई है।

(2) कर्मचारियों की वरिष्ठता जारी होने के वर्ष से सम्बन्धित सूचना संलग्न परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या छः में दर्शाई गई है। जारी नहीं होने का कारण परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या आठ में दर्शाया गया है। अब वरिष्ठता सूची जारी करने का विवरण परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या नौ में दर्शाया जा चुका है।

(3) जी नहीं। कर्मचारियों को नियुक्त किए समस्त पदों को स्थाई नहीं किया गया है। जिन पदों को स्थाई किया गया है उन पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण न करने का कारण परिशिष्ट "अ" के कालम आठ में दर्शाया गया है।

(4) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या नौ में दर्शाया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

साप्ताहिक एवं पाक्षिक समाचार पत्रों को विज्ञापन

1299. **श्री जगतार सिंह (श्री करणपुर) :** क्या सूचना एवं जन-सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान के साप्ताहिक व पाक्षिक समाचार पत्रों के विज्ञापन बन्द करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्यों ? इसे सरकार कब तक लागू करने का विचार रखती है ?

Page No.28

(श्री जगतारसिंह)

(2) राज्य के बड़े, मध्यम व छोटे स्तर के समाचार पत्रों को किस अनुपात में विज्ञापन देने के नियम है और क्या उनकी अनुपालना हो रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सन् 1993 में अधिकतम व न्यूनतम विज्ञापन (सेमी. में) किस-किस अखबार को मिला ?

(3) क्या विज्ञापन शाखा की नियमित ऑडिट होती हैं ? यदि हां, तो सन् 1991-92 व 1992-93 में क्या ऑडिट आक्षेप है? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि ऑडिट नहीं होता, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) समाचार पत्रों को विज्ञापन नियम 1962 के नियमानुसार विज्ञापन दिये जाते हैं। सन् 1993 में सबसे अधिक 45,515 से. मी. विज्ञापन जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवभारत टाइम्स, जयपुर को दिया गया है एवं सबसे कम पाक्षिक कलम मास्टर, जयपुर को 36 से. मी. विज्ञापन दिया गया है।

(3) विज्ञापन शाखा की ऑडिट वर्ष 10/92 से 12/93 तक की अवधि की महालेखाकार द्वारा की गई है ऑडिट आक्षेप का प्रतिवेदन अभी तक महालेखाकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

जन सम्पर्क अधिकार, धौलपुर कार्यालय का वाहन

1300. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन-सम्पर्क अधिकारी, धौलपुर के कार्यालय का वाहन काफी समय से खराब पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि वाहन खराब होने के कारण ग्रामों में विकास कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त वाहन को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। धौलपुर का वाहन टेम्पो ट्रेक्स है। अनुभव किया गया है कि इस वाहन की सेवायें ठीक नहीं है और बार-बार मरम्मत के बावजूद यह खराब होता रहता है।

(2) जी नहीं। प्रचार-प्रसार का कार्य यथावत जारी है।

(3) जी हां। लेकिन समयावधि निश्चित किया जाना सम्भव नहीं है।

विज्ञापन नीति

1301. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सूचना एवं जन-सम्पर्क निदेशालय में कोई विज्ञापन नीति निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें। इसमें लघु व मध्यम समाचार पत्रों को विज्ञापन देने के क्या नियम हैं ?

उत्तर

(1) सभी समाचार पत्रों को राजकीय विज्ञापन नियम, 1962 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत विज्ञापन दिये जाते हैं। (विज्ञापन नियम, 1962 की प्रति संलग्न है)

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

मार्बल खानों का सर्वे

1302, **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मकराना क्षेत्र में सर्वे कराकर मार्बल की नई खानों का पता लगाया गया है? यदि हां, तो किस-किस खसरान की भूमि में, कौन-कौन से गांवों में ऐसी संभावना हैं? सर्वे रिपोर्ट व नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खान नम्बर, 83 उलोड़ी रेन्ज मकराना के उत्तरी हिस्से में खुला रास्ता है, उसमें 150 × 35 का एक्सटेन्शन दिनांक 2-5-1980 को किया गया है? यदि हां, तो क्या यह रास्ते की भूमि है, तथा इससे खान नम्बर 75 पर पूर्व पश्चिम 11.6 + 8/2 व उत्तर-दक्षिण 50 हिस्से पर ओवर लेप हो गया?

(3) क्या इस गलत एक्सटेंशन के विरुद्ध कभी तेजा पुत्र लादूराम बावरी ने सिविल जज न्यायालय में केस कर स्टे प्राप्त किया, जिसके अनुसार यहां यथा स्थिति रहनी चाहिये? यदि हां, तो स्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या खनन विभाग ने भी इस एक्सटेन्शन के हिस्से पर काम नहीं करने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो दिये गये निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि न्यायालय द्वारा दिये गये स्टे आदेश व खनन विभाग के निर्देशों के बावजूद यहां से पत्थर निकाला जा रहा है? यदि हां, तो खनन विभाग ने इसकी रोकथाम के लिये क्या उपाय किये हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत 10-12 वर्षों में मकराना में खनिज मार्बल के लिये किसी नये क्षेत्र का सर्वे नहीं कराया गया। लेकिन वर्ष 1975 से 1981 तक की अवधि में विभाग ने मकराना को चालू खानों के पास भू-गर्भ के लिये मार्बल का पता लगाया है, जिसका नक्शा व विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है। विभाग क्षेत्रों का सर्वे कार्य खसरा मेप के आधार पर न कर जी. टी. शीट के आधार पर करता है, इसलिये खसरा नम्बर की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं। उलोड़ी रेन्ज मकराना को खान संख्या-83 के उत्तरी हिस्से में तथा खान संख्या-75 के पूर्व हिस्से में आम रास्ता नहीं होकर गेप-क्षेत्र था। आम रास्ता गेप-क्षेत्र एवं खान संख्या-75 के उत्तर में स्थित है, जो वर्तमान में भी मौजूद है। यह सही है कि खान सं. 83 का गेप-क्षेत्र में 150 × 35 फीट का विस्तार (एक्सटेंशन) किया गया था यह विस्तार दिनांक 2-5-88 को नहीं कर

Page No.30

(खनिज मन्त्री)

दिनांक 5-2-1980 को किया गया था। खान संख्या-83 का विस्तार किया गया क्षेत्र (150 × 35 फीट) आम रास्ते की भूमि में नहीं है। खान संख्या-75 व खान संख्या-83 का सीमांकन स्थाई बिन्दू-नीम के पेड़ से किया गया था जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से दोनों पट्टाधारियों की सहमति से आस-पड़ौस की खानों के सीमा-सन्दर्भ से क्षेत्रों का पुनः सर्वेक्षण करने पर ध्यान में आया कि खान संख्या-75 के पूर्व में एक छोटी सी स्ट्रिप जिसकी चौड़ाई एक ओर से 11 फिट 6 इन्च व दूसरी ओर से 8 फिट है, का ओवर-लेप पाया गया। इस छोटी स्ट्रिप की लम्बाई 150 फीट न होकर 140 फीट है।

(3) जी नहीं। क्षेत्र का एक्सटेंशन नियमानुसार किया गया। जिसके विरूद्ध श्री तेजा पुत्र लादू राम बाबरी ने सिविल जज न्यायलय में केस दायर कर दिनांक 27.5.1993 को अपना कब्जा बरकरार रखने के लिये अस्थाई स्थगन आदेश प्राप्त किया। न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिये दोनो पक्षकार बाध्य हैं। इस आज्ञा की प्रतिलिपि विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) जी नहीं। न्यायालय के आदेश के उपरान्त खनन विभाग अलग से आदेश देने को आवश्कता नहीं हैं।

(5) जी नहीं। विभागीय जानकारी के अनुसार मामले में न्यायालय के आदेश की पालना की जा रही है।

(नक्शा/विवरण विधानसभा पुस्तकालय में रखे गये।)

कोटा खुला विश्वविद्यालय में अनियमितताओं की जांच

1303. **श्री राम किशन वर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कोटा खुला विश्वविद्यालय में अनियमितताओं की जांच के लिये नियुक्त किये गये वर्मा जांच आयोग तथा डी. के. जैन, विशेष अंकेक्षा की रिपोर्टों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है, तो भविष्य में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के विरूद्ध अनियमितताओं की प्राथमिक जांच करने के लिये कुलपति महोदय द्वारा श्री विजय वर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में प्राथमिक जांच नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है। अतः इस सम्बन्ध में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी।

शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 13.8.1993 द्वारा श्री डी. के. जैन के नेतृत्व में विशेष अंकेक्षण दल का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट इस विभाग को अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

Page No.31

छोटी सादड़ी-नीमच अन्तर्राज्यीय मार्ग

1304 **श्री उदयलाल आंजना** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छोटी सादड़ी-नीमच अन्तर्राजीय मार्ग पर वर्ष 1981 व वर्ष 1991 में कितना-कितना ट्रैफिक था, और वर्ष 1993-94 की समाप्ति पर कितना है ?

(2) क्या सरकार ट्रैफिक के अन्तर को देखते हुए इस मार्ग को चौड़ा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) छोटी सादड़ी-नीमच अन्तर्राजीय सड़क पर 1991 में 6588 पी. सी. यू. ज. ट्रैफिक था एवं 93-94 की समाप्ति तक 8700 पी. सी. यू. ज. हो गया है ।

(2) प्राथमिकता में नहीं आने से वर्तमान में इस सड़क को चौड़ा करने का कोई विचार नहीं है ।

पंचायत समिति टोडारायसिंह के ग्रामों हेतु सम्पर्क सड़कें

1305. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवरायपाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत बरवास, पंचायत समिति टोडारायसिंह को सम्पर्क सड़क से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत इन्दोकिया, पंचायत समिति टोडारायसिंह को सम्पर्क सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बरवास 920 (1971) को पंचायत समिति टोडारायसिंह से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं में नहीं आने से संभव नहीं है ।

(2) जी नहीं । ग्राम पंचायत इन्दोकिया 406 (1971) योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं में नहीं आने से वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालय टोडारायसिंह से जोड़ना विचाराधीन नहीं है ।

जयपुर-बांसवाड़ा राज मार्ग

1306. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है राष्ट्रीय राज मार्ग जयपुर-बांसवाड़ा पर खमेरा से मुगसेल के बीच आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दुर्घटनाग्रस्त रोड़ को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि खमेरा से घाटोल के बीच इस रोड़ पर डामरीकरण का ठेका हुआ है ? यदि हां, तो कब से तथा आज तक कार्य चालू नहीं करवाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ने ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इस रोड पर वर्ष

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

1993-94 में रख-रखाव का कार्य किया गया ? यदि हां, तो उस पर लागत कितनी आयी ? क्या सरकार यह राशि सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि अमरथून से पड़ोली राठोड़ तक वर्ष 1993-94 में गिट्टी व डामरीकरण का कार्य किया गया ? यदि हां, तो इस रोड पर कितने सेन्टीमीटर साइज की गिट्टी डाली गई, कितनी लहरी गिट्टी डाली गई व इस रोड पर कितना मिलीमीटर डामर किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि यह कार्य अमरथुन तक स्वीकृत किया था किन्तु अमरथून गांव को छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । उक्त राज्य मार्ग की दशा यातायात के अनुकूल है ।

(2) जी हां । यह सही है खमैरा से घाटोल में डामरीकरण का ठेका हुआ था, इसमें से ठेकेदार द्वारा 3 कि.मी. (कि. मी. 33, 34 व 35) का पुनः डामरीकरण करने हेतु मेटेरियल कार्य स्थल पर इकट्ठा कर लिया गया है एवं डामर का कार्य शीघ्र ही चालू करवाया जा रहा है । ठेकेदार को कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा नियमानुसार नोटिस दिये गये हैं । वर्ष 93-94 में इस मार्ग पर रखरखाव में पेच निकाले गये हैं जिस पर लगभग रुपये 3000/- खर्च हुये हैं । यह पेच का कार्य ठेकेदार से नहीं करवाया जाना था, अतः ठेकेदार से वसूली योग्य नहीं है ।

(3) जी नहीं । अमरथुन से पडोली गोवर्धन तक वर्ष 92-93 में कोई गिट्टी व डामरीकरण का कार्य नहीं किया गया है। यह कार्य वर्ष 93-94 में किया गया है । इस सड़क पर 17·5 से. मी. मोटाई में गिट्टी कुटकर उस पर 20 मी. मी. का डामरीकरण का कार्य किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. एक तह 90 से 45 एम एम. गिट्टी 13 से. मी. लूज को कूटकर 10 से.मी. किया गया है ।

2. दूसरी तह 63 से 45 एम एम. गिट्टी 10 से. मी. लूज को कूटकर 7·5 से.मी. किया गया है ।

4. वर्णित कार्य वर्ष 93-94 में अमरथुन गांव तक (गांव के भीतरी भाग को छोड़कर) पूरा कर दिया गया है ।

प्रश्न संख्या 1307 स्थगित

ग्राम सिरोंज (किशनगढ़) मार्ग पर पुल निर्माण

1308 श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सिरोंज से किशनगढ़ जाने वाली सड़क पर ग्राम सिरोंज के पास एक पुल का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इस

(श्री जगदीप धनखड़)

सम्बन्ध में कोई शिकायत आयी है ? यदि हां तो शिकायत का विवरण देते हुए उस पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुल जवाहर सागर सिरोंज की मोरी नम्बर 2 पर बन रहा है और पुल के पाइप मोरी (नहर के पेंदे ऊँचे रखे होने से पानी के आगे जाने में अवरोध पैदा हो रहा है और मोरी (नहर) में टूटत आ जाती है ? यदि हां तो इस समस्या से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या उक्त पुल की पाइपों को मोरी (नहर) के पेंदे से करीब दो फुट नीचे किये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सिरोंज से किशनगढ़ जाने वाली सड़क के किमी. 21 में सिरोंज गांव के पास तालाब की मोरी पर एक पाइप कलवर्ट बनाया गया है। इस संबंध में कोई शिकायत लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है कुछ गांव वालों की तरफ से पाइपों की मोरी के पेंदे से नीचे रखने हेतु प्रस्ताव आया था। तद्नुसार पाइपों को पेंदे से नीचे ही रखा गया है।

(2) जी हां। यह कलवर्ट जवाहर सागर सिरोंज तालाब की मोरी पर ही बनाया गया है। पाइपों की मोरी (नहर) के पेंदे से एक फुट नीचे रखा गया है व पानी जाने में कोई अवरोध नहीं होगा।

(3) जी नहीं।

माण्डल (भीलवाड़ा) में डाक बंगले का निर्माण

1309. **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या माण्डल ग्राम में सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई डाक बंगला या अन्य स्थान बना हुआ है, जहां पर सरकारी अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार माण्डल में डाक बंगला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) प्रदेश में डाक बंगले और सर्किट हाऊस बनाने के सम्बन्ध में क्या-क्या नियम और मानदण्ड बने हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार का माण्डल में डाक बंगला बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माण्डल तहसील मुख्यालय है व जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से केवल 13 कि. मी. की दूरी पर है। जिला मुख्यालय पर ठहरने की समुचित व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मेजा बांध पर जो माण्डल से 5 कि.मी. से कम दूरी पर है दो डाक बंगले हैं, जिनमें एक सिंचाई विभाग

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

का है, उपयोग हेतु उपलब्ध रहते हैं। अतः समुचित व्यवस्था के परिपेक्ष्य में माण्डल में डाक बंगला बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) सामान्यतया एक जिला मुख्यालय पर एक सर्किट हाउस स्थापित करने की राज्य सरकार की नीति है। डाक बंगला आवश्यकतानुसार ही स्थापित किया जाता है।

बुहाना-सतनाली सड़क की डूब में आई भूमि

1310. **श्री सुन्दर लाल** (सूरतगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

बुहाना-सतनाली सड़क के बीच जिन काश्तकारों की जमीन सड़क के काम आ गई है, क्या उनको जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

झुंझुनू जिले के बुहाना-सतनाली सड़क के बीच जिन काश्तकारों की जमीन सड़क के काम आई है उस जमीन का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है।

बुहाना से सतनाली सड़क की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही दो चरण में की गई है। प्रथम चरण मे ग्राम बुहाना, हसास झाझा, ढाकामण्डी, बासडी, नानवास, कुहाडावास, रायली, भाडोदा व भूरीवास के काश्तकारों की जमीन अवाप्ति में आई है जिसका मुआवजा राशि 15,05,280=62 पैसा का अवार्ड दिनांक 17.8.93 को घोषित कर दिया गया है किन्तु बजट प्रावधान न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका है। दूसरे चरण में ग्राम भूरीवास, काजला, ढाणी सम्पतसिंह, काजला का वास की भूमि अवाप्त की जा रही है जिसके लिये धारा 4 (1) की अधिसूचना राजस्थान राजपत्र अंक 18 दिनांक 29.7.93 में प्रकाशन हो चुकी है यथा शीघ्र नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जाकर अवार्ड घोषित किया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्रामों हेतु सम्पर्क सड़कें

1311. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) परबतसर क्षेत्र में कितने गांव ऐसे हैं जो सड़क सुविधा से नहीं जुड़े हैं ?

(2) क्या समस्त ग्राम पंचायतों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) वित्तीय वर्ष 1994-95 में परबतसर क्षेत्र हेतु सरकार की सड़क निर्माण की क्या योजना है ? इस वित्तीय वर्ष में कुल कितनी किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जावेगा एवं कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परबतसर क्षेत्र में सड़क से नहीं जुड़े हुए गांवों की संख्या 42 है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों की आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक है उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1994-95 में एक सड़क का निर्माण कराया जायेगा। इस सड़क का नाम कंकरी से बुराड़ा जिसकी लम्बाई 9.5 कि.मी. है। परबतसर क्षेत्र में 31 कि.मी. की लम्बाई में तीन सड़कों की स्वीकृति 1994-95 में विचाराधीन है जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

1. बाड़ीघाटी से पीह लम्बाई 14 किमी.
2. शंकरी से गूलर लम्बाई 12 किमी.
3. गूलर से हुटनावडे लम्बाई 5 किमी.

ग्राम रीजवास (हिण्डौन) हेतु सम्पर्क सड़क

1312. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर के हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में किन-किन गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? क्या उन गांवों को सड़कों से जोड़ने की मन्जूरी दे दी गई है? यदि हां, तो सूची मय ग्राम व कहां से कहां तक जोड़ा जायेगा, सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तहसील हिण्डौन के ग्राम रीजवास को सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त गांव को सरकार किस योजना के द्वारा कहां से कहां तक व कब तक जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर के विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं में पांच गांवों को सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है। तीन गांव खेड़ी-हैवत, नगलामीणा, लहचोड़ा को विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत एवं दो गांव गुडला व पालनपुर को एम. एन. पी. के अन्तर्गत जोड़ना प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों में नहीं आने के कारण यह सड़क लिया जाना सम्भव नहीं है।

जिला धौलपुर के पंचायत हैडक्वाटर्स हेतु सम्पर्क सड़क

1313. **श्री दलजीत सिंह** (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी जिला धौलपुर के कितने पंचायत हैडक्वाटर्स को सड़क से जोड़ दिया गया है? तथा कितने पंचायत हैडक्वाटर्स को सड़क से जोड़ा जाना शेष है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब कब तक शेष रहे पंचायत हैडक्वाटर्स को सड़क से जोड़ दिया जावेगा तथा तत्सम्बन्धी सरकार की क्या नीति है?

उत्तर

(1) बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में 21 पंचायत हैडक्वार्टरों को सड़क से जोड़ा जा चुका है। 24 पंचायत हैडक्वार्टरों को सड़क से जोड़ा जाना शेष है। सूची संलग्न है।

(2) शेष रहे पंचायत मुख्यालयों में जिन पंचायत मुख्यालयों की आबादी 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक है उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

जिला नागौर में अतिरिक्त कलक्टर के पद का सृजन

1314. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिला बड़ा होने के कारण अतिरिक्त कलक्टर के पास अपीलों की सुनवाई का कार्य भार अधिक होने के कारण अपीलों की सुनवाई लम्बे समय तक विचाराधीन रहती है यदि हां, तो क्या नागौर में एक और अतिरिक्त कलक्टर का पद सृजित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार किसी स्तर तक इस मामले पर भी विचार कर रही है कि जिले के दो सब डिविजन परबतसर और डीडवाना के लिये एक अतिरिक्त कलक्टर का पद डीडवाना में सृजित किया जाये ताकि इस क्षेत्र के लोगों को अपीलों की सुनवाई के लिये इतनी दूर नागौर नहीं जाना पड़े और नागौर के अतिरिक्त कलक्टर का कार्य भार भी कम हो सके ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के न्यायालय में कुल 1246 मामले विचाराधीन हैं। जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर का अन्य पद सृजित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) डीडवाना में अतिरिक्त जिला कलक्टर का पद सृजित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

ग्राम दयालपुरा (बस्सी) की खसरा नं. 38 की भूमि का प्रकरण

1315. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) एवं **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या : 911(87/रा. मं./राजस्व/अता.) दिनांक 24 जुलाई, 1990 के भाग (2), (3) एवं (4) के उत्तर में जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम दयालपुरा से खसरा नम्बर 38 में अनुसूचित जाति

Page No.37

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

की खातेदारी पर सवर्ण जाति के लोगों द्वारा बलपूर्वक खेत जोतने नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में सारे प्रकरण की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1953 के अनुसार जांच कराने के आदेश दिये गये और उस पर नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त अधिनियम में सक्षम अधिकारी सहायक कलक्टर के स्थान पर तहसीलदार कार्यवाही करने को सक्षम है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) उक्त प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन को मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कानून के अनुसार न्याय दिलवाकर, सवर्ण जाति के लोगों से उक्त कब्जा दिलवाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। वर्ष 1990 में प्रश्न सं 911/87/राम/राज/अता. के उत्तर में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था जिसके तहत आश्वासन संख्या 29/90 प्रदत्त हुआ। उक्त आश्वासन की क्रियान्विति के क्रय में ग्राम दयालपुरा के ख. सं. 38 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा पर अनुसूचित जाति के खातेदार श्री भंवरिया काल्या मांग्या पि. मन्ना कोली को दि. 28-5-92 को समस्या समाधान शिविर के दौरान मौके पर ही कब्जा दिलाया गया था लेकिन पुनः उक्त आराजी पर स्वर्ण जाति के श्री नारायण, लक्ष्मीनारायण वगैरह ब्राह्मण द्वारा कब्जा कर लिये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही कर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को बेदखल कर दिनांक 24-2-94 को पुनः उक्त वर्णित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भौतिक कब्जा दिलाया गया।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार सक्षम हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के क्रम संख्या 68 (सी) के अनुसार यह प्रकरण आवेदन पत्रों की श्रेणी में आता है जिसमें निर्णय लिये जाने के अन्तर्गत प्रक्रिया का निर्वाहन करने के कारण समय लगा है।

(3) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) दिनांक 24-2-94 को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कब्जा संम्भलवाया जा चुका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम हिण्डोली 'चित्तौड़गढ़' के पटवार घर की भूमि पर अतिक्रमण

1316. **श्री अर्जुनलाल जीनगर** (गंगरार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम हिण्डोली, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ में पटवार घर की भूमि पर पूर्व जिला प्रमुख द्वारा अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि पटवारी व तहसीलदार (स्थानीय) राशमी ने अवैध कब्जे को जांच करने पर सही पाया ? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और अब कितनी अवधि में पटवार घर की भूमि से अतिक्रमण हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। पटवारघर की 330 वर्गफीट भूमि पर भूतपूर्व जिला प्रमुख द्वारा अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर रखा है।

(2) जी हां। अतिक्रमी का अतिक्रमण दर्ज कर बेदखल करने हेतु नोटिस दिया गया एवं जवाब में उपखण्ड कार्यालय से नकलें पेश करने का अवसर चाहा गया। तत्परता से विधिवत बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

ग्राम गुंजोल (नाथद्वारा) में भू-आवण्टन प्रकरण

1317. **श्री जगदीश चन्द दरक** (भीलवाड़ा) एवम् **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 6 ग्राम गुंजोल तहसील नाथद्वारा की 13 बीघा भूमि दिनांक 14-2-1959 को श्रीकृष्ण कुमार पुत्र श्री फतेहलाल, ब्राह्मण (तत्कालीन नाबालिग) को नियम विरुद्ध आवंटित की गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्धी समस्त दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवैधानिक रूप से आवंटित भूमि को सरकार द्वारा निरस्त कर दी गई थी ? यदि हां, तो कब व किन कारणों से ? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि को सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर ने मिसल नम्बर 601/70 दिनांक 4-5-1970 को सरकार द्वारा निरस्त कर दिये जाने के बावजूद भी पुनः उक्त व्यक्ति के नाम अभिलेखों में दर्ज कर दी थी ? यदि हां, तो किन कारणों एवं आधारों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त आवंटित व्यक्ति राज्य सेवा में सेवारत है ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य कर्मचारी को भूमि का आवंटन कर सकती है ? यदि हां, तो किन आदेशों/नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) जी हां।

(राजस्व मन्त्री)

नियम विरुद्ध 13-2-59 को भूमि आवंटित की गई थी। आवंटी श्रीकृष्ण कुमार उस वक्त नाबालिग थे।

(2) जी हां। आदेश से सम्बन्धी दस्तावेज भू-प्रबन्ध से पूर्व के होने से तत्काल ही उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। प्राप्त होने पर कारणों की सूचना एवं आदेश की प्रतियां प्रस्तुत की जा सकेंगी।

(3) जी हां। मामले में सम्बन्धित अभिलेख तत्काल ही उपलब्ध नहीं हो पाया है। तलाश कर कारणों की जानकारी प्रस्तुत की जा सकेगी।

(4) आवंटन तिथि को आवंटी श्रीकृष्ण कुमार राज्य सेवा में नहीं थे। वर्तमान में आवंटी राज्य सेवा में कार्यरत है।

तहसील माण्डल के पंचायत क्षेत्रों में डूब की जमीनों के मुआवजे

1318. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माण्डलगढ़ तहसील की सलावटिया, तिलस्वा, मकरेडी, गोपालपुरा, छोटी बिजौलिया पंचायत क्षेत्र पटवार हल्कों में सन् 1990 से आज तक (मार्च 94) डूब की जमीन के बदले क्या कोई जमीन दी गई है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितने-कितने बीघा किन-किन व्यक्तियों को व किन-किन बांधों व तालाबों की डूब की जमीन के बदले जमीन दी गई है? पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन जमीनों को देने की अनुशंसा किन-किन अधिकारियों ने की व अब कितने प्रकरण इस प्रकार के विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) संलग्न सूची में अंकित 6 प्रकरण विचाराधीन हैं अनुशंसा करने वाले अधिकारियों के नाम सूची में अंकित कर दिये गये हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

जिला मुख्यालय, पाली में उपखण्ड अधिकारी (भू-रूपान्तरण) का रिक्त पद

1319. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या कार्मिक व प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला मुख्यालय पाली में उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) का पद सृजित है? यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त पड़ा है तथा रिक्त पद पर कब तक सक्षम अधिकारी का पदस्थापन करने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

जी हां, दिनांक 23-8-93 से रिक्त है। इस पद को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम हुम्हेड़ा (किशनगढ़बास) की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

1320. **श्री एमादुद्दीन अहमद खाँ** (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.40

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कोटकासिम तहसील किशनगढ़बास, जिला-अलवर के ग्राम डुम्हेड़ा, पंचायत-लाडपुरा में खसरा नम्बर 168 की भूमि गोचर किस्म की है और उस पर अतिक्रमण है ? यदि हां, तो सरकार अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है, तथा कब तक अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमियों एवं अतिक्रमण के लिए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर ली जायेगी ?

(2) उक्त भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण न हो तथा किसानों की फसलों की सुरक्षा हेतु इसकी बन्दोबस्ती के लिए क्या सरकार इसकी तारबन्दी करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम डूपेडा तहसील किशनगढ़ के ख. नं. 168 की भूमि गोचर किस्म की भूमि है । वर्तमान में उक्त भूमि पर अतिक्रमण है । अतिक्रमियों के विरुद्ध राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा विचाराधीन है तथा तारीख पेशी 16-4-94 नियत है । सं. 2048 में भी अतिक्रमियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर तीन माह की सजा न्यायालय तहसीलदार से दी गई जिसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकरण, अलवर के न्यायालय में विचाराधीन है । न्यायालय से मामला निर्णित हो जाने पर अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही की जावेगी । किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई हैं ।

(2) तारबन्दी की आवश्यकता नहीं हैं । नियमानुसार अतिक्रमण रोकने की कार्यवाही की जावेगी ।

ग्राम रिडमलसर पुरोहितान (बीकानेर) की खसरा नम्बर 99/19 की भूमि का प्रकरण

1321. **श्री नन्दलाल व्यास** (बीकानेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 99/19 ग्राम रिडमलसर पुरोहितान तहसील बीकानेर में पायतन की भूमि है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) वर्ष 1991 से 1993 के मध्य उक्त क्रमांक 1 पर अंकित खसरा नम्बर की कितनी भूमि पर पायतन/केचमेंट एरिया सुरक्षा के लिए तारबन्दी करवाई गयी एवं इस पर कितना धन किस मद से खर्च किया गया ?

(3) क्या राज्य सरकार इस भूमि पर पायतन सुरक्षा हेतु एवं सौन्दर्यकरण हेतु और धन राशि खर्च करने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कितनी, एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । कुल 382.02 बीघा भूमि है ।

(2 उक्त 382.02 बीघा भूमि की सुरक्षा हेतु तारबन्दी की गई है जिस पर लगभग 62,735/- रुपये डी. डी. पी. मद से व्यय किया गया है ।

(राजस्व मन्त्री)

(3) जी, हां । आगामी 5 वर्षों में 16,96,300/- रुपये वृक्षारोपण हेतु व्यय होने का अनुमान है ।

उच्च प्राथमिक विद्यालय फौजावाली बासड़ी (कोटपूतली) को आवंटित भूमि

1322. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फौजावाली बासड़ी (कोटपूतली) जिला–जयपुर के खेल मैदान हेतु दिनांक 21-2-1991 में 6 बीघा 19 बिसवा भूमि आवंटित की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस आवंटितभूमि पर कई बार अतिक्रमण हुए हैं एवं अभी भी अतिक्रमण हो रहे हैं।

(3) क्या यह सही है कि खेल मैदान की न तो कच्ची एवं न ही पक्की बाउण्ड्री-वाल बनाई गई है, जिसके अभाव में बार-बार अतिक्रमण हो रहा है ? यदि हाँ, तो अतिक्रमण रोकने हेतु अब तक क्या व्यवस्था की गई है ?

(4) इस खेल के मैदान से अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा ? एवं अतिक्रमियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) दिनांक 21-8-91 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फौजावाली बासड़ी के खेल मैदान हेतु 1.58 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया था ।

(2) जी हां । यह सही है कि पूर्व में इस भूमि पर अतिक्रमण हुये थे । जिन्हें नियमानुसार हटाया जाकर दिनांक 9-6-92 को प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, फौजावाली को सम्पूर्ण आवंटित खाली भूमि का कब्जा संभलाया जा चुका है । यह सही है कि वर्तमान में भी अति-क्रमण हो रहे हैं ।

(3) जी हां, यह सही है कि खेल मैदान पर बाउण्ड्रीवाल नहीं है । अतिक्रमण नियमानुसार हटाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है ।

(4) प्रश्न के भाग 2–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

तहसील लूणकरणसर के किसानों को भूमि के पट्टे

1323. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूण-करणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्व तहसील लूणकरणसर उप-निवेशन तहसील छत्तरगढ़, खाजूवाला एवं पूगल में कितने-कितने सामान्य श्रेणी विशेष श्रेणी के किसानों द्वारा किश्तें जमा करवाने के बावजूद भी पट्टे जारी नहीं किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें । अब कब तक सरकार पट्टे जारी करने का विचार रखती है ?

Page No.42

उत्तर

राजस्व तहसील लूणकरणसर तथा उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ नं. 1,2 और पूगल में सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी के किसानों द्वारा किश्तें जमा करवाने के बावजूद भी पट्टे जारी नहीं किये जाने का विवरण निम्नानुसार है—

नाम तहसील	सा. श्रेणी	वि. श्रेणी	योग
छतरगढ़–1	111	10	121
छतरगढ़–2	698	19	717
पूगल	140	—	140
लूनकरणसर	207	3	210
	1156	32	1188

इन सभी प्रकरणों में नियमान्तर्गत जांच के बाद खातेदारी देने की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सूंथला (जोधपुर) की भूमि रूपान्तरण का लम्बित प्रकरण

1321. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि खसरा नम्बर 92 व 92/2 ग्राम सूंथला, जोधपुर की भूमि से सम्बन्धित आवासीय रूपान्तरण हेतु प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर भूमि रूपान्तरण के न्यायालय में काफी अर्से से विचाराधीन पड़े हैं यदि हां तो उनके निस्तारण में क्या कठिनाई हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि ग्राम सूंथला जोधपुर के खसरा नम्बर 92 व 92/2 की भूमि से सम्बन्धित 21 मामले अतिरिक्त कलक्टर, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं। विचाराधीन रहने के सम्बन्ध में प्रकरण वार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

ग्राम खटवा (लालसोट) के विस्थापित

1325. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले की लालसोट तहसील का ग्राम खटवा सन् 1952-53 (सम्वत् 2008) में बांध मोरेल की चपेट में आने के कारण अन्यत्र जगह पर आकर बसा है ? यदि हां, तो यह ग्राम किस-किस खसरा नम्बरों के रकबे में बसा है ? पूर्ण विवरण मय खसरा नम्बरों के नक्शे की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2 उक्त गांव नई जगह पर आकर किन-किन काश्तकारों की खातेदारी की कितनी-कितनी बीघा जमीन, किस-किस खसरा नम्बरों की भूमि में बसा है, तथा भूमि की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(3) उक्त गांव के बस जाने पर इन काश्तकारों की प्रत्येक की अलग-अलग

Page No.43

(श्री परसादी लाल मीणा)

कितनी-कितनी भूमि रुकी है तथा गांव के बसने से पूर्व इनके पास अलग-अलग कितना रकबा था ?

(4) क्या सरकार उन काश्तकारों को जिनकी खातेदारी की भूमि में गांव बसा है उसके ऐवज में मुआवजा या जमीन के बदले जमीन देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है । नक्शे की प्रति एवं खसरा नम्बरों का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है ।

(2) काश्तकारों के खातेदारी के जिन खसरा नम्बरों में जितने क्षेत्रफल पर बसा है उसका विवरण भाग सं. 1 के प्रत्युत्तर के साथ सलग्न परिशिष्ट के अनुसार है । वर्तमान में भूमि गै. मु. आबादी सिवायचक दर्ज है ।

(3) उक्त गांव के बस जाने पर निम्न काश्तकारों की भूमि रुकी है—

	कुल भूमि	आबादी में रुकी भूमि
1. श्रवणगोविन्दा श्योबक्स मीना	47 बीघा 15 बिस्वा	18 बीघा 4 बिस्वा
2. कालिया मण्डा पि. जयनारायण मीना सा. देह	29 बीघा 01 बिस्वा	2 बीघा 15 बिस्वा
3. सोनिया हरसुख मीना केशरसिंह पुत्र रामनाथ सिंह राजपूत	49 बीघा 3 बिस्वा	21 बीघा 17 बिस्वा

(4) जी नहीं । ग्राम खटवा जागीर में था एवं 52-53 में काश्तकार उपभोक्ता एवं मालिक के अधिकार जागीरदार को थे काश्तकार उपभोक्ता दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 लागू होने पर ये काश्तकार खातेदार दर्ज हुए । एवं इन्होंने स्वेच्छा से पूर्व में आबादी के उपयोग में आई भूमि को आबादी हेतु समर्पित कर दिया जिसके कारण मुआवजा या भूमि के बदले भूमि देय नहीं है । 1952-53 में भूमि का स्वामित्व जागीरदार का था अतः खातेदारों को कोई क्लेम देय नहीं है ।

(नक्शे की प्रति एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के आदिवासियों की भूमि का बेनामी पंजीयन

1326. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज विधान सभा क्षेत्र जिला बारां में आदिवासी सहरियों की भूमि बेनामी रजिस्ट्री हो रही है ? यदि हां, तो किशनगंज तहसील तथा शाहाबाद तहसील में अब तक कितने बीघा जमीन आदिवासी सहरियों की बेनामी रजिस्ट्री हो चुकी है ? उनके नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हें रजिस्ट्री के मुताबिक जितनी रकम मिलनी चाहिये उससे कम का भुगतान किया गया है ?

(3) सहरिया आदिवासी की भूमि की उचित मूल्य दिलाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

(4) सहरिया की भूमि को केवल सहरिया के लिए पाबन्द करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है ?

(5) अब तक जो बेनामी रजिस्ट्री की गई है उन्हें खारिज क्यों नहीं किया गया तथा सरकार अब कब तक इन्हें खारिज करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज तहसील शाहाबाद किशनगंज पूर्ण व तहसील मांगरोल के आंशिक ग्राम आते हैं। इस विधान सभा क्षेत्र में सहरिया लोगों की भूमि की कोई बेनामी रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं।

(2) जब भूमि की रजिस्ट्रियां ही नहीं हुई तो भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) राज्य सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है।

(4) इस संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुये हैं।

(5) जब भूमि की बेनामी रजिस्ट्रियां ही नहीं हुई तो उन्हें खारिज करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जिला पाली में भू-राजस्व नियमों के अन्तर्गत आराजी भूमि में संपरिवर्तन हेतु विचाराधीन मामले

1327. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली में राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन (नियमों) की पालना राजस्व अधिकारी नहीं कर रहे हैं ?

(2) माह अक्टूबर, 1993 में पाली जिले में किस-किस तहसील में किस-किस तारीख को किस-किस ने कितनी-कितनी

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

आराजी के संपरिवर्तन हेतु आवेदन पेश किये ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रश्न के भाग 2 में बताये आवेदन क्या नियम 8 (2) की समयावधि में फैसल किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? उक्त आवेदन कब फैसल किये गये ?

(4) प्रश्न के भाग (3) में बताये आवेदन पत्र तहसील से कब आगे भेजे गये व इतने समय तक आवेदन रोके रखने का क्या कारण है ?

(5) क्या सरकार इस गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति को रोकने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पाली जिले में राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में) कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियमों की क्रियान्विति राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

(2) माह अक्टूबर 93 में पाली जिले में विभिन्न तहसीलों में संपरिवर्तन हेतु 19 आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनकी सूची संलग्न है।

(3) प्रश्न के भाग (2) में वर्णित 19 प्रकरणों में से 18 प्रकरणों का निस्तारण समयावधि में कर दिया गया था। शेष एक प्रकरण में निस्तारण नहीं हो सका। क्योंकि प्रकरण में प्रार्थना पत्र दिनांक 6-10-93 को प्रार्थी श्री गुमाना राम की ओर से वकील श्री तेजाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था लेकिन प्रार्थना-पत्र के साथ वकालतनामा पेश नहीं था। वकालतनामा पेश करने हेतु कई बार कहने पर दिनांक 7-1-94 को वकालतनामा पेश किया गया।

(4) विलम्ब का कारण भाग (3) में अंकित किया गया है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 7-1-94 को भेजा गया।

(5) राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रकरण में कोई विलम्ब किया जाना प्रतीत नहीं होता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित बाउण्ड्री वाल

1328. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में ग्राम ठीकरिया (मोजा ठीकरिया) पाड़ा उरीया पाण, टोड़ा पाड़ा, हगरी पाड़ा टाड़ी मऊबड़ी इन पाड़ों के ग्रामीण सेन्टपाल स्कूल व कृषि उपज मण्डी होकर आया जाया करते थे मगर कृषि उपज मण्डी की बाउण्ड्री वाल बन जाने से रास्ता रुक गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीणों के जिलाधीश महोदय से मिलने के बाद

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

सर्वे नम्बर 1315, 1316 व 1317 से रास्ता खुला रखने के आदेश दिये गये, जिसकी पालना न होने के कारण ग्रामीण जनता उक्त रास्ते से आने-जाने की सुविधा से वंचित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सर्वे नम्बर 1241, 674 व 1242 में पुराने वर्षों से चले आ रहे रास्ते पर भी कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गरीब जनता को आने-जाने की सुविधा का हक दिलाने व उपरोक्त सर्वे नम्बरों के कब्जे को बेदखल कर हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) ख. न. 1241/674 जो कि श्री पास्कल बारीया के गैर खातेदारी में था दि. 9-3-94 को सिवाय चक घोषित किया जा चुका है। आ. ख. नं. 1242 रकबा 18 बिस्वा श्री शमशेर सिंह पिता उदयसिंह सरदार के नाम दर्ज है। उक्त आराजियात में रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है परन्तु लोग रास्ते का उपयोग करते हैं। यदि अवैध कब्जों के कारण आवागमन में कोई बाधा है तो शीघ्र नियमानुसार इसे दूर करने हेतु आदेश दिये जा रहे हैं।

पशु चिकित्सालय, बिडयारी (बयाना) में चिकित्सक का रिक्त पद

1329. **श्री मोतीलाल** (रूपवास) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजकीय पशु चिकित्सालय बिडयारी (बयाना) में चिकित्सक के पद कब से रिक्त हैं, एवं सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) उक्त चिकित्सालय को गत वर्ष कितना बजट आवंटित किया गया था, एवं इस वर्ष कितनाबजट आवंटन करने का सरकार विचार रखती है ? आवंटित बजट, उपकरणों एवं दवाइयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में दवाइयों एवं उपकरणों का अभाव बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अभाव की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त चिकित्सालय में पदस्थापित कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशु चिकित्सालय विडयारी (बयाना) में चिकित्सक का पद 3/92 से रिक्त चला आ रहा है। डिग्रीधारी डॉक्टर उपलब्ध होते ही रिक्त पद को भर दिया जावेगा।

(2) बजट का आवंटन चिकित्सालय को नहीं किया जाता है। सम्बन्धित जिला पशु पालन अधिकारी को बजट का आवंटन इक जाई रूप से किया जाता है। चिकित्सालय की मांग के अनुरूप इस वर्ष 3000/– रुपये की दवाईयां एवं 500/– रुपये के उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

(पशुपालन राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। चिकित्सालयों की मांग पर उपलब्ध बजट के अनुसार दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।

(4) वर्तमान में पशु चिकित्सक का पद रिक्त चल रहा है। एक पशुधन सहायक एवं तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं, उन पर कर्मचारियों की नियुक्ति की हुई है। सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

ग्राम अजेता (बूंदी) की भूमि

1330. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) वर्तमान खसरा संख्या 549 ग्राम अजेता, तहसील बून्दी का स्टेट का समय खसरा नम्बर क्या था तथा यह भूमि किस-किस खसरा नम्बरों से बनी है ?

(2) वर्तमान एवं पिछली बन्दोबस्त के खसरा मिलान क्षेत्रफल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम अजेता तहसील बून्दी में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर स्टेट समय का खसरा नम्बर 289/4 था। वर्तमान खसरा नम्बर 649 उक्त स्टेट समय के खसरा न. से बना है।

(2) मिलान क्षेत्रफल की प्रति संलग्न है इसमें पिछले बन्दोबस्त का मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजस्व ग्राम

1331. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ में कितने गांव राजस्व ग्राम घोषित हैं, तथा कितने मजरे ढाणी हैं, जो राजस्व गांव घोषित नहीं हैं ? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अघोषित मजरों ढाणियों को राजस्व गांव घोषित कर दिया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में धारा 91 के अन्तर्गत लम्बित मामलों का ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में 143 राजस्व ग्राम घोषित हैं तथा दो मजरे ढाणियां हैं, जो राजस्व ग्राम घोषित नहीं हैं। सूची संलग्न है।

(2) जिन अघोषित मजेरे/ढाणियों की आबादी 250 या इससे अधिक होगी तथा मूल ग्राम से दूर बसें होंगे उन्हें नये राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकेगा।

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,

Page No.48

(राजस्व मंत्री)

1956 की धारा 91 के अन्तर्गत तहसील किशनगढ़ के 23 ग्रामों के 225 मामले लम्बित हैं । ग्रामवार लम्बित मामलों की सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें ।)

नावां के तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार का प्रकरण

1332. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नावां के तत्कालीन तहसीलदार श्री पोकरमल के खिलाफ राजस्व भूमि कानूनों में अनियमितता कर लाखों रुपये के भ्रष्टाचार की शिकायत जिला कलक्टर, नागौर को की जाने पर उक्त शिकायतों की जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर तथा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, नावां द्वारा अब तक जांच पूर्ण नहीं करने के क्या कारण हैं, तथा अब जांच कब तक पूर्ण करवाली जावेगी ?

उत्तर

नावां के तत्कालीन तहसीलदार श्री पोकरमल के ख़िलाफ राजस्व भूमि कानूनों में शिकायतें प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, परबतसर एवं सहायक कलक्टर, नावां से जाँच कराई गई । जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । इस सम्बन्ध में अतिरिक्त कलक्टर नागौर जांच अधिकारी नहीं है । श्री पोकरमल तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत जिला कलक्टर, नागौर के द्वारा प्रस्ताव राजस्व मण्डल को भिजवाने पर राजस्व मण्डल स्तर से सी. सी. ए. नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही शुरु की गई है । श्री पोकरमल से जवाब प्राप्त हो गया है तथा दिनांक 6-4-94 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है ।

सहायक जिला कलक्टर, गंगापुरसिटी, कार्यालय में विचाराधीन मामले

1333. **श्री रंगजी** (सपोटरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री अजीतसिंह, सहायक जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी (कैम्प सपोटरा) जिला सवाई माधोपुर के पदस्थापन के समय सपोटरा में कुल कितने रेवेन्यू मुकदमे दर्ज थे ? उनके पद भार सम्भालने से अब तक और कितने मुकदमे दर्ज हुए ?

(2) इनके द्वारा कितने मुकदमे निर्णित हुए ? कितने निर्णय अपील में गये ? कितने शेष है ?

उत्तर

(1) श्री अजीतसिंह सहायक कलक्टर, सपोटरा के पदस्थापन से पूर्व न्यायालय में 338 प्रकरण शेष थे । उनके कार्यकाल अर्थात् 3-3-92 से अब तक 409 प्रकरण और दर्ज हुए ।

(2) श्री अजीतसिंह द्वारा 295 प्रकरण का निर्णय किया गया । 34 मामलों में अपील हुई, 452 प्रकरण शेष हैं ।

ग्राम गालद (बौंली) की भूमि का प्रकरण

1334. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.49

(श्री हीरालाल)

(1) क्या यह सही है कि तहसील बौंली के ग्राम गालद कलां में कुछ रकबा जमीन ग्रामवार पशुओं को पानी पीने हेतु खेल के नाम से ईनाम की थी, जिसमें ग्रामवासियों द्वारा खेल भरा जाता था? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि अब भी उक्त प्रयोजन हेतु सुरक्षित है? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उक्त भूमि को किसी व्यक्ति विशेष द्वारा विभागीय अधिकारियों से मिलकर अपने नाम करवा ली गई है? यदि हां, तो कब व किस आधार पर?

(2) क्या सरकार ईनाम की भूमि की जांच करवा कर खेल के नाम पर पुनः खातेदारी करवा कर धर्म के कार्य को चालू करवाने का कार्य करेगा?

उत्तर

(1) ग्राम गालद कलां के ख. नं. 651 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व 886 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2023 के कालम नं. 3 में माफी खेल भराई एवं कालम सं. 4 नाम खातेदार के नीचे गेंदा वल्द राधा मीना हिस्सा 1/2 व नाथ्या वल्द अमरा कौम पठान हिस्सा 1/2 सा. देह मु. 2 साल गैर खातेदार दर्ज थी। सेटलमेन्ट के पश्चात् जमाबन्दी 2018–21 में उक्त आराजी माफी खेल भराई कृषक अमीदा वल्द अमरा नाथ्या वल्द अमरा, कौम पठान अंकित हुआ। सम्वत् 2043 से 2046 की जमाबन्दी में जरिये नामान्तकरण सं. 178 दिनांक 9-6-91 ग्राम पंचायत गालद कलां द्वारा अमीदा, नाथ्या लाओलाद फौत हो जाने के कारण उनके स्थान पर लल्लू, रज़ाक, रईस पि. मुक्खा कोम पठान के नाम स्वीकार किये गये जो वर्तमान में भी चल रहे हैं।

(2) मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के भूमिहीन किसानों को भू-आवंटन

1335. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या उप-निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम एवं द्वितीय चरण में राज्य के गरीब व भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन बन्द कर बड़े-बड़े जमीदारों व बड़े व्यापारियों को विशेष आवंटन के नाम पर सरकारी भूमि का आवंटन शुरु कर दिया है? यदि हां, तो इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, तथा कितने बीघा भूमि अब तक प्रथम व द्वितीय चरण में आवंटित की गई?

(2) विशेष आवंटन द्वारा आवंटित भूमि में से अब तक कितनी भूमि पर खेती हो रही है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन बन्द कर बड़े-बड़े जमींदार और व्यापारियों को आवंटन नहीं किया गया है। अब तक इन्दिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में 7,10,098 हेक्टेयर व द्वितीय चरण में 2,50,555 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

Page No.50

(उपनिवेशन मन्त्री)

(2) विशेष आबंटन द्वारा आवंटित भूमि में से 14291.208 हेक्टेयर पर काश्त की गई है। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट—'क'—'ख' रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

सूर्य नगर कालोनी, टोंक रोड, जयपुर में विद्युत ट्रान्सफार्मर

1336. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार टोंक रोड, जयपुर स्थित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के निवासियों की कालोनी सूर्य नगर (तारों की कूंट) के वर्तमान विद्युत संकट के हल हेतु पृथक से ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त समस्त कॉलोनी के सुचारू प्रशासनिक नियन्त्रण हेतु एक ही विद्युत उपखण्ड रामबाग सर्किल के अन्तर्गत लाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) टोंक रोड, जयपुर स्थित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के निवासियों की कोलोनी, सूर्य नगर (तारों की कूंट) में वर्तमान में विद्युत संकट नहीं है। यहां वर्तमान में दो ट्रांसफार्मर लगे हुये हैं, दोनों ट्रासफार्मरों में से कोई भी ट्रांसफार्मर ओवर लोड नहीं है। भविष्य में लोड बढ़ने पर अलग से ट्रांसफार्मर लगाने के बारे में विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। उक्त समस्त कालोनी को विद्युत आपूर्ति दुर्गापुरा सब-स्टेशन से सुचारु रूप से की जा रही है, इसलिये वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

मार्बल/ग्रेनाइट माइन्स हेतु विद्युत कनेक्शन

1337. **श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) एवं **श्री जगदीशचन्द्र दरक** (भीलबाड़ा) : **क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—**

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्रेनाइट एवं मार्बल माइन्स को वैज्ञानिक रीति से निकालने पर विद्युत कनेक्शन में कृषि कनेक्शन की भांति कोई नीति/नियम/आदेश आदि तय कर रखे हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मार्बल/ग्रेनाइट माइन्स के विद्युत कनेक्शन में कृषि कनेक्शन की ही तरह खम्भों में कोई छूट दे रखी है? यदि हां, तो प्रत्येक खम्भों पर कुल कितनी लागत आती है और कुल कितनी छूट दी जाती है?

उत्तर

(1) जी हां। मार्बल/ग्रेनाइट माइन्स को औद्योगिक श्रेणी में कनेक्शन दिये जाते हैं एवं कृषि कनेक्शनों की भांति एच. टी./एल.टी. के विस्तार के लिये होने वाले व्यय में लघु औद्योगिक उपभोक्ता को रुपये 2000/- प्रति पोल तथा मध्यम श्रेणी के औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता को रु. 1000/- प्रति पोल की दर से अनुदान दिया जाता है। अनुदान राशि की अधिकतम सीमा रुपये 15000/- है। वृहत

(ऊर्जा मन्त्री)

औद्योगिक उपभोक्ताओं से सर्विस लाइन की राशि ब्याज मुक्त अग्रिम जमा के रूप में ली जाकर मासिक बिल के 33% के हिसाब से सम्पूर्ण राशि मासिक बिलों में समायोजित कर लौटा दी जाती है।

(2) जी हाँ। प्रत्येक खम्भे पर लागत लगभग 7000/- रुपये अनुमानित है तथा उपरोक्तानुसार खम्भों पर छूट दी जाती है।

जिला जालौर के ट्रान्सफार्मर्स

1338. **श्री भगराज चौधरी** (आहोर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले में पिछले दो वर्षों में कितने-कितने ट्रांसफार्मर्स जले और उनकी मरम्मत हेतु कितना-कितना खर्चा हुआ ? वर्षवार जले ट्रांसफार्मर्स एवं उनकी मरम्मत पर हुए खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इनके जलने की कोई जाँच की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार भविष्य में ट्रांसफार्मर्स के जलने के बारे में जाँच करवाकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) जालौर जिले में पिछले दो वर्ष में जले ट्रान्सफार्मर एवं उनकी मरम्मत हेतु हुआ खर्च का वर्षवार विवरण निम्नांकित हैं :—

जिले का नाम	जले ट्रान्सफार्मर की क्षमता						योग	मरम्मत हेतु खर्च राशि (लाख रुपये) में लगभग
	100	63	50	40	25	16		
जालौर								
वर्ष 1991-92	104	104	1	—	220	14	443	25 लाख
वर्ष 1992-93	133	193	6	1	302	31	666	40 लाख

(2) सम्बन्धित सहायक अभियन्ता ट्रान्सफार्मर जलने की सूचना के साथ में जाँच कर जलने का कारण भी हर रिपोर्ट में अंकित करते हैं व अलग से कोई जाँच नहीं कराई जाती।

(3) अधिकतर ट्रान्सफार्मर प्राकृतिक फाल्ट एवं उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार काम में लिये जाने के कारण जलते हैं पर यदि किसी की लापरवाही से जलने का मामला प्रकाश में आता है तो अवश्य जाँच की जाकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है।

जिला नागौर में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी

1339. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1978 के पश्चात् नागौर में कितने 33/11 के. वी., जी. एस. एस.

Page No.52

(श्री रिछपाल सिंह)

बनाये गये ? सूची मय नाम, स्थान, तहसील-वार सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1978 के पश्चात् कितने तकनीकी कर्मचारी नई भर्ती द्वारा उपरोक्त जिले में नियुक्त किये गये ? सूची तहसील-वार सदन की मेज पर रखें।

(3) नागौर जिले में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों में से कितने 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, तथा कितने किसी दुर्घटना या अन्य कारणों से पूर्ण रूप से कार्य करने में असमर्थ हैं ? सूची सहायक अभियन्तावार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1978 के पश्चात् नागौर वृत्त के अधीन निम्नलिखित 33/11 के.वी. सबस्टेशन बनाये गये जिनके नाम तहसील-वार निम्न प्रकार से हैं :—

1. नागौर तहसील

1. गोगेलाव 2. खींवसर 3. खण्डाला 3. मेड़ 5. जोधियासी 6. मुण्डवा 7. संखवास 8. लालाप 9. गाजू 10. खजवाना।

2. डीडवाना तहसील

1. नीमोद 2. लादड़िया 3. धनकोली 4. नुआ

3. जायल तहसील

1. रोल 2. जायल 3. अड़वड़

4. मेड़ता तहसील

1. लाम्पोलाई 2. रोहिसा 3. कात्यासनी 4. जसनगर 5. सातलास 6. इन्दावड़ 7. लूंणियास 8. बासनी सेजा 9. सिरसिला 10. गागुड़ा

5. डेगाना तहसील

1. धाँवला 2. बुटाटी 3. दुगोरदासा 4. सांजू

6. परबतसर तहसील

1. पीह 2. पीलवा 3. हरनावा 4. बिदियाद

7. नाँवा तहसील

1. चितावा 2. खोरण्डी 3. माँवता 3. पाँचता 5. जिलिया 6 मीठड़ी 7. मिण्डा

8. मकराना तहसील

1. बोरावड़ 2. बुड़सू

(2) वर्ष 1978 के पश्चात् निम्नलिखित दर्शाई गई संख्या में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई :—

क्र.सं.	तहसील का नाम	नियुक्ति तकनीकी कर्मचारियों की संख्या
1.	नागौर	33
2.	जायल	3
3.	डीडवाना	34
4	मेड़ता	37
5.	डेगाना	41
6.	परबतसर	43
7.	नाँवा (कुचामन उपखण्ड सहित)	106
8.	मकराना सिटी	50
	योग	347

Page No.53

(ऊर्जा मन्त्री)

(3) नागौर वृत्त में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों में से 50 वर्ष की आयु पार करने वाले कर्मचारिमों की उपखण्डवार संख्या व किसी दुर्घटना अथवा अन्य कारण से पूर्ण रूप से कार्य करने में असमर्थ होने वाले कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	50 वर्ष की आय पार करने वाले कर्मचारियों की संख्या	दुर्घटना या अन्य कारण से असमर्थ कर्मचारियों की संख्या
1.	नागौर	10	—
2.	डीडवाना	23	—
3.	मुण्डवा	4	—
4.	मेड़तासिटी (पवर्स)	17	5
5.	मेड़तासिटी (ग्राविनि)	4	2 (मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त नहीं)
6.	डेगाना (पवर्स)	3	—
7.	मकराना (सीटी)	6	—
8.	मकराना (रूरल)	3	—
9.	नॉवा शहर (पवर्स)	10	—
10.	कुचामन शहर (पवर्स)	9	—
11.	परबतसर	3	—
	योग	92	7

ग्राम कोटड़ी (किशनगढ़) के पावर हाउस भवन हेतु भूमि

1340. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कोटड़ी ग्राम में बिजली विभाग ने पावर हाऊस के लिए भूमि मांगी थी ? यदि हां, तो उसका कब्जा कब लिया है और अब तक कितना विकास हुआ ? मय खर्चे के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जमीन पर पॉवर हाउस स्थापित करने की योजना थी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा ?

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से गांव व ढ़ाणियों से आबादी क्षेत्र के ऊपर से एच. टी. वायर जा रहे हैं ? क्या इन लाइनों को आबादी क्षेत्र से हटाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जावेगा ?

(श्री जगदीप धनखड़)

(4) क्या यह भी सही है कि पाल ग्राम में पावर हाऊस स्थापित करने की सरकार की योजना थी ? यदि हां तो उसका प्रगति विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कोटड़ी ग्राम में 33/11 के. वी. सब-स्टेशन के लिये जमीन मांगी गई थी । जिसका कब्जा ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1993 में दे दिया गया है । वर्ष 1993-94 के 33 के. वी. कार्यक्रम में यह कार्य सम्मिलित नहीं होने की वजह से यह कार्य शुरू नहीं किया जा सका ।

(2) जी हां । इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (पी. पी. एण्ड एम.) से फरवरी, 1994 में प्राप्त हो गई है । इस कार्य को 33 के. वी. कार्यक्रम में सम्मिलित करने की कार्यवाही के पश्चात् इसे सम्पन्न किया जा सकेगा ।

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव व ढाणियों से आबादी क्षेत्र के ऊपर से एच. टी. वायर जा रहे हैं ।

1. अमरपुरा 2. पडासोली 3. कांसिया की ढाणी (रूपनगढ़) 4. रामनेर की ढाणी 5. रूपनगढ़ 6. कुचील 7. बर्बाईचा 8. ब्रजपुरा 9. तित्यारी 10. ढेर की ढाणी 11. ढाणी पुरोहितान 12. सिलोरा 13. उदयपुर कलां, 14. जोदियाना, 15. नुण्डोलाव, 16. बीती 17. नलू. 18. हरमाड़ा, 19. बान्दारा सिन्दरी ।

उपरोक्त गांव व ढाणियां की आबादी से पहले यहां एच. टी. लाइन डाली हुई है । यहां आबादी बाद में हुई है । अतः उक्त गांव व ढाणियों के उपभोक्ताओं द्वारा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन पत्र एव शिफटिंग चार्जेज जमा कराने के पश्चात् लाईन के उक्त तारों को आबादी क्षेत्र से हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी ।

(4) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पाल नाम से कोई ग्राम नहीं है । ना ही ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ।

छीपाबड़ोद व छबड़ा क्षेत्र के ग्रामों में पशु चिकित्सालय

1341. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा), **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिडावा) एवं **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

छीपाबडोद व छबड़ा पंचायत समिति के कौन-कौन से ग्रामों में विभाग द्वारा पशु चिकित्सालय खोले हुए हैं क्या खोले हुए चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ कार्यरत है ? सूची ग्राम के नाम, पद व कर्मचारी के नाम सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

छीपाबड़ौद पंचायत समिति में पशु चिकित्सालय सारथल, हरनावदाशाहजी एवं नगर पालिका छीपाबड़ौद में छीपाबड़ौद तथा छबड़ा नगर पालिका में छबड़ा पशु चिकित्सालय कार्यरत है । चिकित्सालयों हेतु चिकित्सालयों में निर्धारित मापदण्ड

(पशुपालन राज्य मंत्री)

के अनुसार स्टाफ पर्याप्त है। चिकित्सालयों के नाम तथा उनमें कार्यरत स्टाफ की सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

तहसील श्री डूंगरगढ़ (चूरू) के श्री केसूराम मेघवाल का विद्युत प्रकरण

1342. **श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला चूरू तहसील श्री डूंगरगढ़ के श्री केसूराम मेघवाल पुत्र श्री नत्थूराम मेघवाल के घर के अन्दर एक विद्युत पोल लगा हुआ। तथा आंधी तूफान के समय कई बार तार टूटने से जल चुके हैं और अप्रिय घटना घट चुकी हैं? क्या विभाग के अधिकारियों से निवेदन करने के बाद भी आज तक उस खम्भे को घर की चाहर दिवारी से बाहर नहीं लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि, "प्रशासन गांव की ओर" लगाये गये केम्प में भी सम्बन्धित अधिकारियों, व पंचायत समिति श्री डूंगरपुर के सम्बन्धित अधिकारियों, उप खण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार आदि के सम्मुख भी उक्त समस्या प्रस्तुत की गई, किन्तु उसका कोई समाधान नहीं किया गया? क्या सरकार इस समस्या का समाधान करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला चूरू तहसील श्री डूंगरगढ़ के श्री केसूराम मेघवाल पुत्र श्री नत्थूराम मेघवाल के घर के अन्दर पोल लगा हुआ होने के बाबत प्रश्न में उल्लेख किया गया है। प्रश्न में ग्राम का नाम अंकित नहीं होने के कारण इस बारे में निश्चित तौर पर बता पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(2) सम्बन्धित क्षेत्र के कार्यालय रिकार्ड के अनुसार "प्रशासन गांवों की ओर" शिविर में उक्त समस्या प्रस्तुत होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बारे में माननीय विधायक महोदय से सम्पर्क कर नियमों के अन्तर्गत खम्भा हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

बाड़ी (धौलपुर) सब डिवीजन हेतु विद्युत परियोजनाएं

1343. **श्री दलजीत सिंह** (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सब डिवीजन बाड़ी जिला धौलपुर में कुल कितनी विद्युत योजनाएं चालू हैं एवं कब-कब से? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त योजनाओं से कितने उपभोक्ता किस-किस श्रेणी के लाभान्वित हो रहे हैं?

(2) क्या उक्त सब डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण हो चुका है एवं कहां-कहां होना शेष हैं?

Page No.56

(श्री दलजीत सिंह)

(3) कितने उपभोक्ता ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के हैं ? जिनके आवेदन विभिन्न श्रेणियों में विद्युत कनेक्शन हेतु विभाग के पास कब से विचाराधीन हैं, तथा इनका निपटारा कब तक कर दिया जावेगा, एवं विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सब डिवीजन में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसमीशन, लाइनें काफी लम्बे अरसे तक खराब पड़ी रहती हैं, जिससे किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार इनके रख रखाव हेतु कोई समुचित व्यवस्था करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) निर्माण उप खण्ड बाड़ी, जिला धौलपुर की विद्यमान योजनाओं से विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ता लाभान्वित है वे निम्न प्रकार से है :—

(ऊर्जा मंत्री)

क्र. सं.	योजना का नाम	अवधि से प्रारम्भ	लाभान्वित उपभोक्ता					
			घरेलू	व्यावसायिक	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	कृषि	मिक्सड लोड
1.	एस. पी. ए. स्कीम बाड़ी	3/90 से लगातार	400	20	17	5	15	–
2.	एस. यू. स्कीम बाड़ी	3/89 ,,	–	1	–	–	–	–
3.	आर. एम. एन. पी. ,,	3/92 ,,	–	–	–	–	–	–
4.	ओ. बी. ,, ,,	3/81 से 3/89 तक	1096	216	72	6	85	3
5.	एस. पी.ए.स्कीम बसेड़ी	3/90 से लगातार	513	10	42	13	4	–
6.	एस. यू. स्कीम ,,	3/90 से ,,	–	–	–	–	–	–
7.	आर. एम. एन. पी. ,,	3/92 से ,,	–	–	–	–	–	–
8.	ओ. बी. स्कीम ,,	3/81 से 3/89 तक	996	208	51	21	36	1
9.	नगर पालिका ,, अरबन		1837	852	139	54	41	–
	कुल उपभोक्ता		4842	1307	321	99	181	4

(2) निर्माण उपखण्ड बाड़ी क्षेत्र के विद्युतिकृत एवं शेष रहे अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची प्रपत्र "अ" व "ब" में संलग्न है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) उपरोक्त उपखण्ड में 99 उपभोक्ता शहरी एवं 4646 उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्र के हैं। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के विचाराधीन आवेदनों का विवरण मय अवधि के निम्नानुसार हैं :—

	कृषि	घरेलू	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	व्यावसायिक	योग
शहरी	16	44	37	2	—	99
प्रथम पेंडिंग आवेदन पत्र की अवधि	13--3--92 से	12--4--93 से	15--11--92 से	22--12--92 से		
ग्रामीण	108	4415	69	3	51	4646
प्रथम पेंडिंग आवेदन पत्र की अवधि	26--9--84 से	4--9--84 से	13--6--88 से	3--5--89 से	18--10--84 से	

लम्बित आवेदन पत्रों पर विद्युत कनेक्शन आवंटित लक्ष्यों व वरीयता के अनुसार दिये जा रहे हैं।

(4) उपलब्ध साधनों के अनुरूप सभी क्षेत्रों में लाइनों का रख-रखाव किया जाता है लेकिन बाड़ी उपखण्ड में कुछ क्षेत्र विशेष से असामाजिक तत्वों द्वारा विद्युत लाइनों के तार आदि बार-बार काट दिये जाने के कारण विद्युत व्यवस्था में व्यवधान आ जाता है जिससे उपभोक्ताओं को कभी-कभी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्रामों के ट्रांसफार्मर्स की क्षमता बढ़ाने हेतु विचाराधीन प्रस्ताव

1344. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में वर्तमान में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार लाने एव ट्रांसफार्मर्स की क्षमता को बढ़ाने के लिये कहां-कहां से कब-कब प्रस्ताव विद्युत मण्डल को प्राप्त हुये एवं इनकी स्वीकृतियां कब तक जारी हो सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बिलाड़ा दीवानजी की प्याऊ (बिलाड़ा) खारिया मीठापुर, हरियाढाबा में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव विद्युत मण्डल को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां तो कब-कब एवं इनकी स्वीकृतियां कब तक जारी हो सकेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में वर्तमान में विद्युत वितरण व्यवस्था में कुछ सुधार लाने एवं ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के लिये सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मण्डल की पी. पी. एण्ड एम. विंग व प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भेजे गये हैं। उनमें से जिन प्रस्तावों की स्वीकृति वर्ष 1993-94 में प्राप्त हो चुकी हैं वह संलग्न प्रपत्र "अ" में वर्णित हैं तथा जिन प्रस्तावों की स्वीकृति अभी अपेक्षित है व जिनकी जांच कार्य प्रक्रिया में हैं संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शाये गये हैं।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बिलाड़ा दीवानजी की प्याऊ एवं हरियाढाणा में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने हेतु पी. पी. एण्ड एम. विंग को प्रस्ताव क्रमशः 6-11-1993 व 8-11-1993 को भेजे गये हैं जो जांच पड़ताल की प्रक्रिया में हैं व इनकी तकनीकी स्वीकृति अपेक्षित हैं। हरियाढाणा में वर्तमान विद्युत भार को देखते हुये सब स्टेशन की क्षमता 1.6 एम. वी. ए. से बढ़ाकर 3.15 एम. वी. ए. कर दी गई है। खारीया मीठापुर में सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता कार्यालय के पत्र दिनांक 9-12-1993 द्वारा पी. पी. एण्ड एम. विंग को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया परन्तु प्रस्ताव की विस्तृत जांच करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा यह तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं लाये जाने के कारण इसे स्वीकृति नहीं किया गया।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

जिला बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर्स

1345. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में के. वी. के ट्रांसफार्मर्स कुल कितनी जगहों पर लगे हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहनलाल बारूपाल)

(2) क्या सरकार इस वर्ष ग्राम कक्कू व गूढ़सर व मेवसर, बादनू औद्योगिक क्षेत्र बीकासर में ट्रांसफार्मर्स लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) इस वर्ष जिले में कहां-कहां ट्रांसफार्मर्स लगाने का सरकार विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में जिन-जिन स्थानों ट्रांसफार्मर लगे हुये हैं, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

स्थान का नाम	33 के. वी. सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता
शहर खण्ड	
1. करमीसर (लक्ष्मीनाथ जी मन्दीर)	1 × 3.15,
2. औद्योगिक क्षेत्र रानी बाजार, बीकानेर	1 × 5.0 1 × 3.15,
3. मीनासर	1 × 3.15
4. जेल वेल, बीकानेर	1 × 5.0
5. गऊशाला, बीकानेर	1 × 5.0, 1 × 3.15
6. मेन सब स्टेशन, बीकानेर	1 × 5.0
7. उरमूल डेयरी, बीकानेर	1 × 5.0, 1 × 3.15
8. बीछवाल	1 × 0.5, 1 × 1.0
9. उदासर	1 × .63
जिला खण्ड	
1. जामसर	1 × .5
2. रुनिया बड़ावास	1 × .5
3. पलाना	1 × 1.0
4. नापासर	1 × 3.15
5. नाल	1 × 1.6
6. आर. डी. 710	1 × 1.6
7. आर. डी. 750	1 × 0.5
8. छतरगढ़	1 × 1.63
9 लांबेरी	1 × 0.5
10. बामनवासी	1 × 0.5
11. शेखसर	1 × 0.5
12. लूनकरनसर	1 × 1.6 1 × 3.15
13. मडाजन	1 × 0.5
14. हीरवासर	1 × 0.5
15. मामटसर	1 × 1.6
16. पाचू	1 × 1.00
17. नोखा	2 × 3.15, 1 × 0.5
18. कावडा	1 × 1.5
19. जसरासर	1 × 1.6
20. बज्जू	1 × 1.0
21. बीकमपुर	1 × 1.0
22. आर. डी. 860	1 × 1.0
23. कोलायत	1 × 1.0
24. आखूसर	1 × 1.6

(2) ग्राम कक्कू व गुढ़सर एवं मेवसर तथा बादनू औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं

(ऊर्जा मन्त्री)

हैं। इन ग्रामों की मांग को देखते हुये अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिसकी सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा 33 के. वी. कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् इनका कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।। फिलहाल इस बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(3) बीकानेर जिले के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 में 33 के. वी. कार्यक्रम में निम्न ग्रामों में 33 के. वी. ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत है :—

1. आखूसर	1 × 1.6 एम. वी. ए.
2. पूगल	1 × 1.6 एम. वी. ए.
3. खाजूवाला	1 × 1.6 एम. वी. ए.

कृषि कनेक्शन्स में सैनिकों को प्राथमिकता

1346. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि कनेक्शन देने के सम्बन्ध में फौजियों को प्राथमिकता दी जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री बेरीसालसिंह शेखावत मुकाम पोस्ट बलोदा तहसील चिड़ावा, जिला झूंझनूं द्वारा दिनांक 10.8.1992 को कृषि कुएं पर बिजली कनेक्शन, हेतु कार्यालय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सूरजगढ़ में पत्रावली जमा करायी गई थी ? यदि हां, तो प्रार्थी की फौजी वरीयता में प्रथम स्थान होते हुए भी उसे प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देने से वंचित रखने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और निर्धारित नीति के अनुसार प्रार्थी को कृषि कनेक्शन दिलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 की कृषि नीति अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को कृषि कनेक्शन देने में प्राथमिकता का प्रावधान था।

(2) जी हां, यह सही है कि श्री बेरीसाल सिंह शेखावत पुत्र श्री भगवान सिंह शेखावत मु. पो. बलोदा, तहसील चिड़ावा, जिला झूंझूनू ने दिनांक 10.8.1992 को कृषि कुये पर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु उपखण्ड कार्यालय सूरजगढ़ में अपनी पत्रावली जमा करवाई थी। पंचायत समिति सूरजगढ़ में दिनांक 31.3.1993 तक 98 प्रार्थना पत्र भूतपूर्व सैनिकों के लम्बित थे, जिनके सापेक्ष इस पंचायत समिति में 20 कृषि कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया।

प्रत्येक ग्राम में 4 आवेदनों पर एक कनेक्शन देने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। ग्राम बलौदा में निम्नलिखित भूतपूर्व सैनिकों के 3 प्रार्थना पत्र वरीयतानुसार दिनांक 31.3 1993 को लम्बित थे।

1. श्री भागीरथ पुत्र बैगराज, बलौदा— 27.9.91

2. श्री बेरिसाल सिंह शेखावत बलौदा— 10.8.92

Page No.62

(ऊर्जा मन्त्री)

3. श्री ईश्वरसिंह/मंगलाराम, 29.12.92 बलोदा–

उक्त ग्राम बलोदा में कोई लक्ष्य प्रस्तावित नहीं किया गया। तथापि इस ग्राम के श्री भागीरथ/बेगराज को एक पोल योजना के अन्तर्गत दिनांक 25.3.1994 को कृषि विद्युत कनेक्शन देने हेतु सहायक अभियन्ता सूरजगढ़ ने मांग पत्र जारी कर दिया है। श्री भागीरथ/बेगराज ने जारी मांग पत्र की राशि रुपये 10,195/- दिनांक 25.3.94 को उपखण्ड कार्यालय, सूरजगढ़ में जमा करादी है। इन्हें विद्युत कनेक्शन देने की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। श्री बेरीसाल सिंह शेखावत भूतपूर्व सैनिकों की प्राथमिकता में अब वरीयता में प्रथम स्थान पर है। इस प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं हैं। वर्ष 1994-95 की कृषि नीति अनुसार श्री बेरीसाल सिंह शेखावत के आवेदन पत्र पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

टोड़ाभीम (सवाई माधोपुर) में 132 के. वी. का ट्रान्सफार्मर्स

1347 **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) :–क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार टोडाभीम (जिला-सवाई माधोपुर) में 132 के. वी. का ट्रान्सफार्मर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(2) कृषि औद्योगिक एवं घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है? वर्ष 1990 से अब तक टोडाभीम क्षेत्र में दिए गए उक्त कनेक्शनों का नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, जिला सवाई माधोपुर टोडाभीम क्षेत्र में 132 केवी. जी. एस. एस. स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) कृषि कनेक्शन ग्रामवार आवंटित लक्ष्यों के अनुसार दिये जाते हैं व घरेलू एवं औद्योगिक कनेक्शन ग्रामवार वरियतानुसार नियमों के अन्तर्गत दिये जाते हैं। वर्ष 1990 से टोडाभीम क्षेत्र में दिये गये कनेक्शनों का विवरण नामवार सूची "अ" में संलग्न है (निम्नानुसार)

श्रेणी	दिये गये कनेक्शनों की संख्या
कृषि	422
औद्योगिक	81
घरेलू	339
कुल :	842

(सूची विस्तत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ज्ञानगढ़ (भीलवाड़ा) वन क्षेत्र में अतिक्रमण प्रकरण

1348. **श्री कालूलाल गूर्जर** (मांडल): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ज्ञानगढ़, जिला भीलवाड़ा में वन विभाग का वन क्षेत्र है?

Page No.63

(श्री कालूलाल गूर्जर)

(2) क्या उक्त क्षेत्र में लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने पिछले 4 वर्षों से उन अतिक्रमियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की ? विवरण नाम, पते, सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने उक्त वन क्षेत्र से अतिक्रमियों के कब्जे हटा दिये है ? यदि नहीं, तो कब तक हटा दिये जायेंगे ?

(4) क्या सरकार इस जगंल के चारों ओर पत्थरों की दीवार बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर दिया जावेगा, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम ज्ञानगढ़ तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा की वर्ष 1989 में सिलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त भूमि के खसरा नं0 169 से 177, 181, 189, 521, 1435, 1436, 1530, 2364/181 तथा 1447/155 वन विभाग के नाम स्थानान्तरिक की गई है ।

(2) जी हां । स्थानान्तरित क्षेत्र के कुछ हिस्से पर स्थानान्तरण से पूर्व से ही नाजायज कब्जा है । वर्ष 1990 एवं 1991 में अतिक्रमियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कैसेज बनाये गये एवं सहायक वन संरक्षक द्वारा शास्ति आरोपित कर बेदखल के आदेश दिये गये तथा अतिक्रमियों से शास्ति वसूल की गई । विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) वर्तमान में सिलिंग में अवाप्त उक्त भूमि में अतिक्रमियों द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश दिनांक 1.2.92 के प्रभावी रहने से कब्जा नहीं हटाया जा सका है । राजस्व मंडल के निर्णय उपरान्त कब्जा हटाने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

(4) उपरोक्त सिलिंग के स्थानान्तरित भूमि की सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा अकाल राहत के तहत पत्थर की दीवार बनाने के प्रस्ताव जिला कलक्टर कार्यालय में भिजवाये हुये हैं चूंकि उक्त क्षेत्र में आंशिक भाग में अतिक्रमी काबिज है जिससे सम्पूर्ण भूमि पर वन विकास कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है । राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें ।)

सुभाषनगर गृह निर्माण सहकारी समिति, सिरोही की भूमि के स्वामित्व का प्रकरण

1349. श्री जुबेरखान (रामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही की विवादास्पद सुभाष नगर गृह निर्माण सहकारी समिति में ऐसे कितने सदस्य वर्तमान में हैं जिसके पास पहले से आबादी का भू-खण्ड या मकान है? क्या इन सदस्यों को सदस्यता देते समय भूमिहीन का शपथ पत्र लिया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

(श्री कुबेरखान)

(2) सरकार द्वारा इस सोसायटी की धारा 70 में कराई गई जांच में पाये गये अयोग्य सदस्यों की अब तक सदस्यता समाप्त क्यों नहीं की गई, अब कब तक इन सदस्यों की सदस्यता समाप्त करदी जावेगी ?

(3) क्या सरकार ऐसी निष्क्रिय व कागजी सोसायटी को भंग करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सोसयाटी के पास जो भूमि है उसके स्वामित्व का कोई विवाद है ? यदि हां, तो विवाद किस न्यायालय में कब से चल रहा है ?

(5) क्या सोसायटी पर धारा 32 का कोई वाद संयुक्त/अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी विभाग, जोधपुर में चल रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा अभी तक उसका निर्णय न होने का क्या कारण रहा ?

उत्तर

(1) सुभाषनगर गृह निर्माण सहकारी समिति के कार्यकलापों की धारा 70 के अन्तर्गत कराई गई जाँच के आधार पर 35 सदस्यों के पास पहले से आबादी भूखण्ड या मकान थे। सदस्यता आवेदन पत्र में सदस्यों द्वारा यह घोषणा की गई है कि उनके पास मकान या भूखण्ड नहीं हैं। समिति के उपनियमों में शपथ पत्र लेने का प्रावधान नहीं था।

(2) धारा 70 की जाँच में अयोग्य पाये गये सदस्यों में से नाबालिग दो सदस्यों की सदस्यता समिती द्वारा समाप्त कर दी गई है। अन्य अयोग्य बताये गये सदस्यों को सदस्यता से पृथक करने के निर्देश विभाग द्वारा दिये गये हैं। संस्था के पंजीकृत उपनियम संख्या 13 एवं राजस्थान सहकारी संस्था नियम 1966 के नियम 18 के अन्तर्गत वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया में समितिकी आम सभा दिनांक 15-11-86 में लिये गये निर्णयानुसार सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को अपखण्डित करने बाबत धारा 32 के अन्तर्गत दिये गये नोटिस पर अपील में पहले स्थगन आदेश दिये गये बाद में अपील खारिज हो गई। धारा 32 की कार्यवाही पर शीघ्र निर्णय लेने के सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सिरोही को निर्देश दे दिये गये हैं।

(3) जी नहीं। समिति की सदस्य संख्या 469 होने, निर्वाचित प्रबंधकारिणी कार्यरत रहने, भूखण्डों में से लगभग एक तिहाई का नियमन हो जाने आदि को देखते हुए इस समिति को कागजी एवं निष्क्रिय मानकर भंग करने की कार्यवाही करना उचित नहीं होगा।

(4) स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद जानकारी में नहीं हैं।

(5) जी नहीं।

उपभोक्ता संघ में कर्मचारी के निलम्बन का प्रकरण

1350. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री समर्थलाल)

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर ने सहकारी अधिनियम की धारा 41(1) के आधार पर श्री देवेन्द्र डागर, कर्मचारी उपभोक्ता संघ, जयपुर को निलम्बित किया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तीन दिन के बाद उक्त कर्मचारी को बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो बहाल आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर से पत्र दिनांक 8-6-92 प्राप्त होने पर श्री डागर को प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर द्वारा निलम्बित किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। उक्त कर्मचारी को 6 दिन बाद लम्बित जांच निलम्बन से बहाल किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

भूमि विकास बैंक लसाड़िया (उदयपुर) द्वारा ऋण वितरण

1351. **श्री नारायणलाल** (लसाड़िया): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र लसाडिया, जिला उदयपुर के भूमि विकास बैंक द्वारा वर्ष 1980 से 1994 (अब तक) तक कितने काश्तकारों को ऋण दिया गया ? तथा कितने काश्तकारों का कर्जा माफ किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उदयपुर जिले के लसाड़िया विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1980-81 से वर्ष 1993-94 तक 2224 कृषकों को उदयपुर जिला भूमि विकास बैंक लि. उदयपुर द्वारा ऋण वितरित किये गये हैं। राजस्थान ऋण राहत योजना के अन्तर्गत जिन ऋणियों के कर्जे माफ हुए हैं उनकी सूची तैयार की जा रही है। जिसमें अभी समय लगेगा। तैयार होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

राजस्थान राज्य सहकारी संघ कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

1352. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य सहकारी संघ व्यवस्थापकों आदि के प्रशिक्षण हेतु क्या-क्या कार्यक्रम हाथ में लिये हुए हैं, और कहां-कहां इसके ट्रेनिंग सेण्टर चलाये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारिता के क्षेत्र में नीचे के स्तर के कर्मचारियों, व्यवस्थापकों आदि के प्रशिक्षण की बहुत

Page No.66

(श्री शिवनाथ सिंह)

आवश्यकता है और इसको ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम संघ के माध्यम से चलाने की व्यवस्था की गई थी ?

(3) क्या सरकार इस व्यवस्था को अब बदलना चाहती है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी संघ द्वारा विभिन्न सहकारी संस्थाओं यथा केन्द्रीय सहकारी बैंक्स/उपभोक्ता भण्डार एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के कनिष्ट कर्मचारियों/ऋण पर्यवेक्षक तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों/सहायक व्यवस्थापकों के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। संघ द्वारा चार ट्रेनिंग सेन्टर चलाये जा रहे हैं जो जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं भरतपुर में अवस्थित है। हाल ही में जयपुर स्थित प्रशिक्षण केन्द्र "राईसेम" को हस्तान्तरित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

1. केन्द्रीय सहकारी बैंक के ऋण पर्यवेक्षकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों/सहायक व्यवस्थापकों के लिए प्रशिक्षण सत्र
—24 सप्ताहिक

2. केन्द्रीय सहकारी बैंकों, मार्केटिंग सहकारी संस्थाओं, उपभोक्ता भंडारों के कनिष्ठ कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सत्र
—8 सप्ताहिक

3. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रशिक्षित व्यवस्थापकों के लिये प्रत्यास्मरण कोर्स (सहकारी क्षेत्र में हो रही नवीनतम जानकारी कराने की दृष्टि से)
—15 दिवसीय

4. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रशिक्षित व्यवस्थापकों के लिये सहकारी कानून, सहकारी बैंकिंग, सहकारी लेखा एवं अंकेक्षण पर प्रशिक्षण सत्र
—15 दिवसीय

5. व्यवसायिक विकास योजना पर (बी.डी.पी.) प्रशिक्षण सत्र ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों के लिये—
–9 दिवसीय

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धकारिणी के सदस्यों के लिए समय-समय पर अल्पकालीन प्रशिक्षण सत्र भी चलाए जाते हैं तथा डेयरी, तिलम संघ आदि के चाहने पर उनके कर्मचारियों के लिए भी विशिष्ठ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

(2) जी, हां।

(3) राजस्थान राज्य सहकारी संघ द्वारा जयपुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करवाया जा रहा है जिसके उपरांत उचित निर्णय लिया जावेगा।

ठिकाना खेतड़ी हाउस, जयपुर द्वारा विक्रय भूमि

1353. **श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा):** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री दयाराम परमार)

(1) क्या यह सही है कि खेतड़ी हाऊस, जयपुर की सीलिंग में अवाप्त भूमि को विक्रय करने हेतु कोई इकरारनामा खेतड़ी हाउस ठिकाने के द्वारा किसी हाऊसिंग सोसाइटी के साथ किया गया था ? यदि हां तो कितनी भूमि का व किस सोसायटी के साथ ? क्या उक्त सोसायटी पंजीकृत हैं ?

(2) क्या उक्त इकरारनामा की रजिस्ट्रियां करवाई गई है ? यदि हां, तो पंजीकृत इकरारनामों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि खेतड़ी हाउस ठिकाने से इकरारनामें के आधार पर क्रय की गई भूमि को हाउसिंग सोसायटी द्वारा कुछ व्यक्तियों से पैसे लेकर रसीद देने के पश्चात् भी पट्टे जारी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? विभाग द्वारा क्या उक्त सोसायटी के विरूद्ध नियम विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो कब व क्या ? यदि नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा भवन बना लिये गये हैं, जिन्हें समिति द्वारा अभी तक पट्टे जारी नहीं किए गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या उक्त सहकारी समिति द्वारा जारी किये गये पट्टेधारियों के नाम की सूची विभाग को प्रस्तुत की गई ? यदि हां, तो कब ? समिति द्वारा प्रस्तुत सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । सही स्थिति के अनुसार इकरारनामा सीलिंग कानून प्रभावित होने के पूर्व खेतड़ी ठिकाने (राजा बहादुर सरदार सिंह खेतड़ी पुत्र श्री अमरसिंह खेतड़ी) एवं अपोलोनगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर के मध्य हुआ था । इकरारनामें में लगभग 25,000/- वर्गगज भूमि उस पर निर्मित ढांचों सहित विक्रय करने का उल्लेख है । अपोलोनगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि. जयपुर पंजीकृत हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । समिति के अनुसार सम्पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् आवंटन पत्र नहीं देने का कोई प्रकरण समिति में विचाराधीन नहीं है । वर्ष 1990 में सदस्यों की समस्याओं के समाधान हेतु लगाये गये अपोलोनगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर के शिविर में इस भूमि पर सृजित योजना के सम्बन्ध में एक शिकायतकर्त्ता से 1986 में दो प्लाटों के पेटे अंशतः राशि जमा कराने पर भी एक ही प्लाट समिति द्वारा दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी । परन्तु शिकायतकर्त्ता की एक भूखण्ड के पेटे ही समिति में राशि जमा होने के कारण उन्हें दूसरा भूखण्ड आवंटित नहीं किये जाने के तथ्य में शिविर में ही अवगत करा दिया गया था । इसके अतिरिक्त इस योजना से सम्बन्धित कोई वाद भी सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की

(सहकारिता मंत्री)

धारा 75 के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

(4) समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार खेतड़ी हाउस की भूमि पर समिति के उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सृजित योजना विवेकानन्द कालोनी में किसी भी व्यक्ति ने समिति से पट्टा प्राप्त किये बिना भवन निर्माण नहीं कराया है।

(5) जी हां। इस भूमि पर सृजित योजना विवेकानन्द कालोनी के आवंटियों की माह नवम्बर, 1992 में समिति द्वारा सूची प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा प्रस्तुत सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

केशवराय पाटन (बूंदी) की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जन प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण

1354. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (केशवराय पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केशवराय पाटन (बूंदी) तहसील की कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कितने एवं किन-किन जन-प्रतिनिधियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के मामले सरकार के सामने आये हैं ? राशि एवं प्रकरण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में मुकदमें दर्ज करवाकर भविष्य में चुनावों के अयोग्य घोषित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) केशवरायपाटन (बूंदी) तहसील की 37 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से गत पांच वर्षों में 14 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जो गबन, दुरूपयोग व अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आये हैं, उनमें से 41 कर्मचारियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध 5.57 लाख रु. के मामले चिह्नित किये जाकर सहकारी अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। विवरण परिशिष्ट-1 में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अधिकांश मामले छोटी राशि के होने के कारण तथा समिति को अनावश्यक परेशानी ना हो, इस दृष्टि से पुलिस में मुकदमें दर्ज कराना उचित नहीं माना गया। जनप्रतिनिधियों के चुनाव हेतु निर्योग्यता के सम्बन्ध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 में पूर्व से ही प्रावधान मौजूद है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

दी जयपुर बाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति, लिमिटेड के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

1355. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामनारायण चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के गठन, कार्य तथा वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा (14)(1) के अन्तर्गत वर्ष 1990 में आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गृह निर्माण सरकारी समितियों की समस्याओं से पीड़ित सदस्यों की सुविधार्थ स्थान-स्थान पर समस्या निवारण शिविर लगाये गये थे ?

(3) दी जयपुर बाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर के विरुद्ध इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों के शिकायत-कर्ता के नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा कितनी शेष बची हैं ? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति के पदाधिकारियों ने जनता से बगैर भूमि आवंटन के ही रूपान्तरण शुल्क के नाम लाखों रुपये एकत्रित कर लिये हैं ? यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे ? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "अ" में रख दी गई है।

(2) जी हां। इन शिविरों के दौरान 5826 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों में से 2695 शिकायतों का निस्तारण शिविरों के दौरान हो गया था। पुलिस में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्टों के संदर्भ में 1037 शिकायतें पुलिस को दी गई। 907 शिकायतें राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत नियुक्त जांच अधिकारियों को परीक्षण हेतु दी गई एवं शेष 1167 शिकायतें जो साधारण प्रकृति की थी समिति को निस्तारण हेतु पठाते हुए शिकायतकर्ता सदस्य को समिति से सम्पर्क करने हेतु लिख दिया गया। इस तरह विभाग के पास कोई बकाया प्रकरण लम्बित नहीं रहा है अतः कारण देने का कोई प्रश्न नहीं हैं।

(3) दी जयपुर बाल्मिकी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर के विरूद्ध शिविर में प्राप्त शिकायतों के शिकायत-कर्ताओं के नाम व उपलब्ध पतों सहित सूची परिशिष्ट "ब" पर सदन की मेज पर रख दी है।

(4) उपरोक्त शिकायतों में से 6 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। एक शिकायत पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 75 के अन्तर्गत पंच निर्णय हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। शेष शिकायतों का कारण सहित विवरण

(सहकारिता मंत्री)

परिशिष्ट "स" पर सदन की मेज पर रख दिया है।

(5) समिति का रेकार्ड वर्ष 1985 में आयकर विभाग द्वारा जब्त किया गया है। अतः बगैर भूमि आवंटन के ही रूपान्तरण शुल्क के नाम लाखों रुपये एकत्रित करने के सम्बन्ध में सूचना देना संभव नहीं है। आयकर विभाग से रेकार्ड प्राप्त होने पर समिति द्वारा लेखे तैयार करने पर यदि कोई अनियमितता पाई गई तो सहकारी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

गंगानगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार द्वारा "गार्डीनल" औषधि का वितरण

1356. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर शहर में गंगानगर उपभोक्ता सहकारी भण्डार को "गार्डीनल" नामक औषधि के विक्रय का लाइसेन्स दिया हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गंगानगर सहकारी उपभोक्ता भण्डार ने पिछले तीन वर्ष में "गार्डीनल" औषधि की राजस्थान में रिकार्ड बिक्री की है ? यदि हां, तो कुल कितनी औषधि की बिक्री की गई ?

(3) गंगानगर शहर तथा जिले में मिर्गी रोग के कितने मरीज वर्तमान में पंजीकृत हैं, तथा क्या इसकी कोई वैकल्पिक औषधि नहीं है ? यदि हां, तो इन मरीजों के लिये इस औषधि की कुल कितनी आवश्यकता होती है ?

(4) क्या उक्त औषधि का कोई खरीद बिक्री रिकार्ड रखा जाता है तथा क्या उपभोक्ता भण्डार इसका पालन करता है ? यदि नहीं, तो इस विषय में इस भण्डार द्वारा संचालित फर्मों की कब-कब जांच की गई व इसमें क्या-क्या अनियमिततायें बताई गई ?

(5) सहकारी उपभोक्ता भण्डार की आडिट में उक्त औषधि विभाग में कितने लाख रुपयों का घोटाला पाया गया ? विभाग ने इस घोटाले में दोषी लोगों के खिलाफ क्या कोई पुलिस कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्थान में गार्डीनल की तीन वर्षों की बिक्री सम्बन्धी सूचना सहकारी विभाग अथवा गंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के पास उपलब्ध नहीं है। भण्डार द्वारा इस औषधि की खरीद एवं बिक्री निम्नानुसार की गई है :—

(सहकारिता मंत्री)

वर्ष	टेबलेट मात्रा 30 एम.जी.	60 एम.जी.	निर्माता से प्राप्त दवा की राशि	वर्ष में बिक्री
90–91	165000	185000	45028.80	49400.00
91–92	210000	209000	52594.87	57040.00
92–93	240000	240000	67840.00	79440.00
93–94	140000	140000	68772.80	76100.00

(3) चूंकि मिर्गी के रोगियों का पंजीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं हैं। अतः गंगानगर शहर व जिले में मिर्गी के रोगियों की संख्या बताना संभव नहीं है। मिर्गी रोग की वैकल्पिक दवा ल्यूमीनोल तथा फीनो बर्बिटोन के नाम से भी उपलब्ध है। मिर्गी का निदान होने के उपरान्त व्यस्क रोगी को 60 से 90 मिलीग्राम दवा प्रतिदिन लगभग 5 वर्ष तक दी जा सकती है। बच्चों के लिए यह मात्रा 30 से 60 मिलीग्राम प्रतिदिन है।

(4) जी हां। विधिवत रेकार्ड नहीं रखने के लिए उपभोक्ता भण्डार के विभिन्न अनुज्ञा पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा क्रमशः दिनांक 3-1-92, 3-5-93, 30-5-93 व 30-6-93 को 2,2, 5 एवं 3 दिनों के लिए निलम्बित किये गये।

(5) भण्डार के औषधि विभाग में वर्ष 1990-91 तक के आडिट के अनुसार धन दुरुपयोग के प्रकरणों व कार्यवाही बाबत ब्यौरा परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, शिम्भूपुरा (नावां) के व्यवस्थापक द्वारा गबन

1357. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, शिम्भुपुरा तहसील नावां, जिला नागौर के व्यवस्थापक, श्री भीवाराम पुत्र श्री सूण्डाराम जाट निवासी श्यामगढ़ द्वारा सन् 1985 में उक्त सोसाइटी में व्यवस्थापक रहते हुए सदस्यों को उनके नाम दिया गया लोन (ऋण) जमा करते समय जारी रसीद बुक के अलावा ऋण जमा करने की गलत रसीदों से राशि लेकर सोसाइटी के खाते में दर्ज नहीं कर 21 सदस्यों की राशि रोकड़ बही में दर्ज नहीं कर 1,96,705/- रुपये (एक लाख छियानवे हजार सात सौ पांच रुपये) का गबन आडिट आक्षेप से जाहिर है और विभाग द्वारा व्यवस्थापक को दिनांक 30-3-1988 को निलम्बित भी किया गया ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्थापक को

Page No.72

(श्रीमती तारा भण्डारी)

किस आधार पर बहाल कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, शिम्भुपुरा, तहसील नावां (नागौर) के अध्यक्ष द्वारा पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर में अपराध सी.आर. 42/92 अन्तर्गत धारा 407, 420, 465, 467, 471 ता. हि. दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो मुकदमें का क्या हुआ ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति शिम्भुपुरा की समिति का रिकार्ड जैसे खाता व रोकड़ बही भी गायब कर दी गई थी ? यदि हां, तो इतने गम्भीर मुकदमें में विभाग द्वारा कोई सख्त कार्यवाही व्यवस्थापक के विरूद्ध नहीं कर उसे बहाल किस आधार पर किया गया ? सम्पूर्ण मामले का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । सही स्थिति यह है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., शम्भुपुरा तहसील नावां, जिला नागौर के व्यवस्थापक श्री भीवाराम पुत्र श्री मुण्डाराम जाट द्वारा वर्ष 1984-85 में इस सोसायटी में सदस्यों को किये गये ऋण वितरण के रोकड़ बही एवं खातों की प्रविष्ठियों में अन्तर करके समिति द्वारा दी जाने वाली 21 सदस्यों की ऋण राशि का गबन किया । यह राशि रु. 196705/- न होकर रु. 35412/- थी । इस राशि की व्यवस्थापक श्री भीवाराम से वसूली की जा चुकी है ।

यह सही है कि इस व्यवस्थापक को दिनांक 30-3-88 को निलम्बित किया गया था, किन्तु निलम्बन का आधार आई. आर.डी.पी. कार्यक्रम में उसके विरूद्ध प्राप्त शिकायतें थी । व्यवस्थापक द्वारा निलम्बन आदेश के विरूद्ध न्यायालय एम. जे. एम., नावां से यथास्थिति का आदेश दिनांक 6-4-88 को प्राप्त किये जाने पर तथा उसकी इस प्रार्थना पर कि यदि उसे बहाल कर दिया जावे तो वह अपना दावा वापिस ले लेगा । श्री भीवाराम को पेन्डिग जांच दिनांक 10-1-89 को बहाल किया गया ।

(2) जी हां । इस मामले में पुलिस द्वारा एफ.आर. दिनांक 16-10-92 को न्यायालय में पेश की जा चुकी है, जो अभी तक विचाराधीन है ।

(3) जी हां । व्यवस्थापक के निलम्बन व बहाली की स्थिति प्रश्न के भाग (1) में दर्शाई जा चुकी है । व्यवस्थापक द्वारा गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिये गये हैं तथा इस मामले में ढिलाई बरतने के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा रही है ।

भूमि विकास बैंक द्वारा जिला चूरू में ऋण वितरण

1358. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.73

(श्री रामेश्वरलाल भाटी)

(1) भूमि विकास बैंक के द्वारा चूरू जिले में तहसीलवार वर्ष 1990 से अब तक प्रतिवर्ष कितने-कितने ऋण दिये गये है ? सर्वाधिक ऋण किस तहसील में दिये गये है ? तहसीलवार वर्ष 1990 से अब तक वसूली कितनी-कितनी रही तथा सर्वाधिक वसूली किस तहसील की रही ? चूरू जिले की इस बैंक की शाखाओं का वर्ष 1989-90 से अब तक आय-व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सुजानगढ़ तहसील में किन-किन को ऋण दिये गये ? ऋण देने के क्या-क्या मानदण्ड/नियम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंक, सुजानगढ़ को चूरू स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

(4) क्या सरकार इस शाखा को वापस सुजानगढ़ स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चूरू जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा चूरू जिले में तहसीलवार वर्ष 1989-90 से 26-3-94 तक प्रतिवर्ष दिये गये ऋणों का ब्यौरा परिशिष्ट "एक" में संलग्न है। सर्वाधिक ऋण राजगढ़ तहसील में दिया गया है। तहसीलवार वर्ष 1989-90 से वर्षवार मांग के विरूद्ध हुई वसूली प्रतिशत का ब्यौरा परिशिष्ट "एक" में संलग्न है। सर्वाधिक वसूली वर्ष 89-90, 90-91 व 91-92 में तहसील सुजानगढ़ की रही है, वर्ष 92-93 की सर्वाधिक वसूली तहसील राजगढ़ की रही है तथा चालू वर्ष 93-94 में 26-3-94 तक सर्वाधिक वसूली तहसील रतनगढ़ की है। विवरण परिशिष्ट "एक" में सदन की मेज पर रख दिया है। इस बैंक की शाखाओं का वर्ष 89-90 से वर्ष 92-93 तक का आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट "दो" में सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) चूरू जिले में भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण भूमि के खातेदारी स्वामियों को राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा निर्धारित एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ऋण नीति एवं नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजना विशेष की शर्तों के अनुसार दिये जाते है। सुजानगढ़ तहसील में वर्ष 1989-90 से अब तक (26.3.97 तक) दिये गये ऋणों की वर्षवार सूची संलग्न परिशिष्ट-तीन में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। बैंक की सुजानगढ़ शाखा को दिनांक 8.2.92 को बन्द कर उस क्षेत्र का कार्य चूरू शाखा के माध्यम से होने लगा है। उक्त शाखा को खर्चों में कमी करने एवं बैंक की आर्थिक सक्षमता में सुधार लाने हेतु बन्द किया गया है।

(4) जी नहीं। बैंक के आर्थिक सक्षमता प्राप्त कर लेने के उपरान्त विचार किया जाना संभव होगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समिति नीमका थाना के शिक्षा केन्द्र

1359. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीमका थाना) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नीमकाथाना में सरकार द्वारा पूर्व में शिक्षा केन्द्र खोले गये थे ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार बन्द किये गये शिक्षा केन्द्रों की जगह पुनः प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । पंचायत समिति नीमकाथाना में वर्ष 1988-89 में 10 तथा 1989-90 में 25 कुल 35 शिक्षा केन्द्र खोले गये थे । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिन ग्रामों की आबादी निर्धारित मापदण्ड से कम है वहां प्राथमिक विद्यालय खोलना संभव नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें ।)

जिला परिषद, जोधपुर में अनुसूचित जाति/जन जाति शिक्षकों का बैकलॉग

1360. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जोधपुर जिला परिषद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के पदों का बैक लॉग है ? यदि हा, तो कितना-कितना तथा सरकार उन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जिला परिषद, जोधपुर में अनुसूचित जाति के 47 एवं अनुसूचित जनजाति के 38 महिला शिक्षकों का बैकलॉग शेष है जिन्हें शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला परिषदों में अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षकों का बैकलॉग

1361. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर एवं सीकर जिला परिषदों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों का बैक लॉग कितना-कितना है ?

(2) राजस्थान के सम्पूर्ण जिला परिषदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का बैक लॉग कितना है ?

(3) सरकार उक्त बैक लॉग कब तक भरने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) जोधपुर जिला परिषद में अनुसूचित जाति का 47 एवं अनुसूचित जनजाति का 38 पदों का बैकलॉग बकाया है । जिला

(राज्य मंत्री पंचायती राज)

परिषद सीकर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का बैकलॉग शून्य है ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) उक्त बैक लॉग को तीव्र गति से भरा जा रहा है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–20 देखें ।)

निर्वाचन क्षेत्र बागीदौरा के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय

1362. **श्री पूंजालाल (बागीदौरा) :** क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा की पंचायत समिति गढी बागीदौरा एवं आनन्दपुरी के किस-किस गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है तथा विद्यालयवार व कक्षावार कितने-कितने छात्र है एवं कितने-कितने अध्यापक कार्यरत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि दूर दराज ग्रामीण इलाकों में किसी विद्यालय में एक ही अध्यापक है व छात्र अधिक हैं ? छोटे कस्बे एवं आवागमन के साधनों से जुड़े बड़े गांवों में छात्रों के अनुपात से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(3) क्या सरकार छात्र संख्या के अनुपात में उक्त विद्यालयों में अध्यापक रखने एवं प्रत्येक विद्यालय में दो बड़े कमरे अनिवार्यतः बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा की पंचायत समिति गढी में 73, पचायत समिति बागीदौरा में 76, एवं आनन्दपुरी में 95 कुल 244 प्राथमिक विद्यालय है। तथा विद्यालयवार व कक्षावार जितने छात्र हैं एवं जितने अध्यापक कार्यरत है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, छात्र संख्या के अनुपात से अधिक व कम अध्यापक बहुत कम विद्यालयों में हैं । इसका कारण यह है कि चालू सत्र के दौरान अध्यापकों के त्याग पत्र आने के कारण एवं महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति दूर दराज में होने के कारण और वहां पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से यह स्थिति है । इस कारण सड़क के किनारे वाले विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या किसी-किसी विद्यालय में छात्र अनुपात से अधिक हो जाती है । इस विसंगति को शीघ्र दूर कर दिया जावेगा ।

(3) यदि भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होगी तो इस मामले में विचार किया जाना संभव हो सकेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

पंचायत समिति हिण्डौन में पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्य

1363. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पचायती समिति हिण्डौन में पंचायतों द्वारा गत 10 वर्षों में किये गये कितने निर्माण कार्य ढह गये हैं तथा कितने उपयोग में लाने योग्य नहीं है और इनके लिए कौन जिम्मेदार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जो निर्माण कार्य ढह गये हैं या उपयोगी नहीं है, उनके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं तथा दोषी अधिकारियों/सरपंचों/प्रधान को दण्ड दिलाने की क्या व्यवस्था की है ? अब तक कितने मामलों में दण्डित करने की कार्यवाही की जा चुकी है ?

(3) सरकार भविष्य में ऐसी क्या व्यवस्था कर रही है जिससे पंचायतों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता कायम रह सके ?

उत्तर

(1) विगत 10 वर्षों में पंचायत समिति हिण्डौन में 3 भवन प्राथमिक विद्यालय सलेमपुरिया का पुरा, प्राथमिक विद्यालय चटीला एवं अलीपुरा ढह गये हैं । सूची संलग्न है । इनके अतिरिक्त 7 अन्य भवन उपयोग में लाने लायक नहीं है । निर्माण कराने वाली ऐजेन्सी ग्राम पंचायत है जो इसके लिए उत्तरदायी है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जो निर्माण कार्य ढह गये हैं उनकी जगह नवीन भवन बनाये जा रहे हैं । जो क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग में नहीं आ रहे हैं, उनकी मरम्मत कराई जा रही है । जो ऐजेन्सी निर्माण के लिये जिम्मेदार थी, उसके विरुद्ध नियमानुसार जांच करवाई जाकर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी ।

(3) निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा । निर्माण कार्यों अनुसार 122 पंचायत समितियों में अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-21 देखें ।)

पंचायत समिति झोटवाड़ा (जयपुर) की प्राथमिक शाला

1364. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा ग्राम मीना वाला, नगर परिषद् जयपुर, की सीमा में पंचायत समिति झोटवाड़ा की प्राथमिक शाला खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो विकास अधिकारी, झोटवाड़ा द्वारा इस नगर परिषद् स्कूल को किस आदेशों के तहत खोला गया है ?

(2) क्या सरकार इस विद्यालय में नियुक्त अध्यापिकाओं को पंचायत समिति के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम मीनावाला विद्यालय सैकण्डरी में क्रमोन्नत हो जाने के कारण शिक्षा विभाग के पत्र सं. शिविरा/योजना 3/23701 धारा प्राथमिक विद्यालय विकास विभाग के अधीन करते हुए 5 पद तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरित किये थे । उक्त पद इस विभाग के आदेश संख्या 139/14-डी/ग्राविप/शिक्षा/93/676 दि. 11.3.94 के द्वारा पंचतयत समिति, कोटवाड़ा को आवंटित किये थे ।

(2) नगर परिषद् की सीमा में आने वाली शालाओं को शिक्षा विभाग में हस्तान्तरण करने के नीतिगत निर्णय के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारी के पद की समाप्ति

1365. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति में कृषि प्रसार अधिकारी के समस्त पदों को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इन पदों के कार्यों की महत्वता को ध्यान में रखते हुये इन पदों को पुनः सृजन करने का सरकार कब तक विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या विकास अधिकारी के पद की योग्यता में सहायक कृषि अधिकारी का पद भी है ? यदि नहीं, तो क्यों, जबकि इससे समकक्ष एवं कम वेतनमान वाले पद योग्यता में सम्मिलित है ? क्या सरकार इस पद को भी विकास अधिकारी के पद की योग्यता में सम्मिलित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । कृषि प्रसार संबंधी कार्य अब पंचायत समितियों द्वारा नहीं किये जा रहे हैं । यह कार्य कृषि विभाग स्वयं अपने अधिकारियों से सम्पादित करवा रहा है । अतः पचायत समितियों में कार्यरत कृषि प्रसार अधिकारियों के पास कृषि सम्बन्धी कोई कार्य नहीं होने के कारण उन्हें उनके पैत्रिक विभाग को लौटाया गया है ।

(2) जी नहीं । कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ ही विकास अधिकारी पद के पात्र हैं । सहायक कृषि अधिकारी पद की वेतन शृंखला 1640-2900 होने से इन्हें विकास अधिकारी पद की पात्रता में सम्मिलित करना सम्भव नहीं हैं ।

माण्डलगढ़ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय

1366. **श्री बद्री प्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से गांवों में प्राथमिक विद्यालय (छात्र व छात्रायें) हैं जिन गांवों की आबादी 1991 की जनसंख्या के अनुसार 1000 या इससे अधिक थी ?

(2) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय (छात्र

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

व छात्रायें) हैं जिनकी कक्षा 1 से 5 तक कुल छात्र संख्या 100 है या अधिक हैं व कक्षा 5 की छात्र/छात्रा संख्या 20 या अधिक है ?

(3) इस प्रकार के विद्यालयों के आस-पास 2 किलोमीटर या इससे अधिक की दूरी पर कितने प्राथमिक विद्यालय (छात्र व छात्रायें) स्थित हैं ?

उत्तर

(1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 25 ग्रामों की आबादी वर्ष 1991 की जन-संख्या के अनुसार 1000 या इससे अधिक है।

(2) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 25 प्राथमिक विद्यालय छात्र/छात्रा ऐसे है जिनकी कुल छात्र संख्या 100 या अधिक है तथा 9 प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 की छात्र संख्या 20 या अधिक है।

(3) इस प्रकार के प्राथमिक विद्यालय आस-पास 2 कि.मी. या अधिक दूरी पर 37 प्राथमिक विद्यालय/छात्र/छात्रा स्थित हैं।

ग्राम पंचायत सांवली, दूदू के आय के स्रोत

1367. **श्री अरुण सिंह (डीग)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायती सावली तहसील दूदू, जिला जयपुर की आय के स्रोत क्या है ?

(2) क्या उक्त पंचायत की कोई अचल सम्पत्ति है एवं इसके अधीन कोई कृषि भूमि भी है ? यदि हां तो कितने बीघा एवं रकबा है ? इससे कितनी आय सलाना होती है ? विगत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस जमीन को ठेके पर दिया जाता है ? यदि हां तो उसकी क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

(4) इस आय को खर्च करने की क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

(5) क्या पंचायत द्वारा गांवों में प्राथ-मिक सुविधा यथा बिजली, पानी, सफाई की भी व्यवस्था की जाती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत सांवली तहसील दूदू जिला जयपुर के आय के स्रोत निम्न है—

1. आबादी भूमि विक्रय।

2. चरागाह पैनल्टी।

3. लूम पातड़ी निलामी कृषि भूमि के ठेके से आय।

4. पंचायत अंशदान।

5. विभिन्न प्रकार के कोर्ट फीस व शुल्कों से आय। आदि

(ग्रामीण विकास एवं प. राज राज्य मंत्री)

(2) जी हां। ग्राम पंचायत सांवली के पास 15 बीघा कृषि भूमि खसरा नं. 501/5 में है। जिसकी आय विगत 5 वर्षों की निम्न प्रकार हैं।

वर्ष	आय
1988-89	4395-00
1989-90	4200-00
1990-91	5000-00
1991-92	8500-00
1992-93	9000-00
	रुपये 31,095-00

(3) जी हां। इस जमीन को ठेके पर खुली निलामी की जाती है जो अधिक बोली लगाने वालो को निर्धारित समय के लिये ठेके पर दी जाती है।

(4) इस आय को खर्च करने की प्रक्रिया पंचायत कोरम/सलाहकार समिति के अनुमोदन पर पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों सफाई व अन्य सार्वजनिक कार्यों व अन्य सामाजिक गतिविधियों पर व्यय की जाती है।

(5) आवश्यकतानुसार पंचायत, बिजली पानी व सफाई की गांव में व्यवस्था करती है।

उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में विकास की योजनायें

1368. **श्री कुबेरसिंह (फलासियां)** : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में किस-किस श्रेणी के विकास कार्य की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं? क्या उक्त योजनाओं के अनुपात में विभिन्न पंचायत समितियों में वर्तमान में पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी का पद, कब से स्वीकृत है? पंचायत समितिवार, पदवार विवरण मय प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विगत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं पर स्वीकृत एवं व्यय की गयी राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मानती है कि पंचायत समितियों में कार्य अन्य विभागों की तुलना में ज्यादा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके अनुपात में पद बढ़ाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त पंचायत समितियों में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस में कौन-कौन-सा पद कब-कब से? क्या सरकार इनको भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिले की 11 पंचायत समितियों में

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं उनकी सूची संलग्न है । विभिन्न पंचायत समितियों में स्वीकृत पदों की सूची एवं प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विगत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं पर स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि की सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । कार्य की अधिकता को देखते हुए पंचायत समितियों में एक शिक्षा लिपिक तथा ऐसी पंचायत समिति जहां 40 लाख रुपये से अधिक के कार्य हो वहां एक कनिष्ट अभियन्ता का अतिरिक्त पद तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद सृजन के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(3) जिले की 11 पंचायत समितियों में रिक्त पदों की सूची संलग्न है । अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन किया जा चुका है । शीघ्र ही ये पद भरे जा रहे है । प्रसार अधिकारियों के पद डेपूटेशन से भरे जाते है । सम्बन्धित विभागों से प्रतिनियुक्त पर अधिकारी आने पर ही पदस्थापन संभव होगा ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-22 देखें ।)

पंचायत समिति धरियावद के राजस्व ग्राम

1369. **श्री नारायण लाल** (लसाड़िया) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति धरियावद में कितने ऐसे राजस्व गांव हैं जिनमें प्राथमिक विद्यालय खोलने शेष हैं ? क्या सरकार का इन गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(2) पंचायत समिति धरियावद में कितने ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां भवन गिरने की हालत में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति धरियावद क्षेत्र में में प्राथमिक विद्यालय विहिन 72 राजस्व गांवों की सूची संलग्न है । वर्ष 1994-95 में 1991 की जनगणना के अनुसार जनजाति क्षेत्र में **150** व इससे अधिक की जन संख्या वाले 27 विद्यालय विहीन राजस्व ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव हैं ।

(2) पचायत समिति धरियावद क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालय भवनों में से ऐसा कोई भवन नहीं है जो गिरने की हालत में हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-**23** देखें ।)

राज्य की विभिन्न जिला परिषदों में अनुसूचित जाति जन जाति का आरक्षण बैक लॉग

1370. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में विभिन्न जिला परिषदों में अनुसूचित जाति/

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जनजाति/विकलांग के आरक्षित पदों की बैकलाग काफी चल रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1993–94 तक का प्रत्येक जिला परिषद में क्या बैकलाग है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निदेशक महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य ने इस सम्बन्ध में बैकलाग भरने के आदेश जिला परिषदों को दिये हैं ? यदि हां, तो उनके आदेशों की प्रति तथा किस-किस जिला परिषद ने उसके बाद बैकलाग कितना-कितना भरा ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बैकलाग नहीं भरने के पीछे कोई कारण है ? यदि हां, तो इन कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने कब क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या जिला परिषदों द्वारा आरक्षित पदों के बैकलाग में वृद्धि करने के प्रति सरकार ने कोई प्रभावी कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार समस्त जिला परिषदों के बैकलाग पूरा करने के लिए प्रभावी आदेश जारी कर पालना न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ?

(5) क्या जोधपुर जिला परिषद में 324 बैकलाग अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के विरुद्ध निदेशक, ग्रामीण विकास, राज. जयपुर द्वारा 20-1-1994 को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या जोधपुर जिला परिषद ने आदेशों की पालना में 324 अध्यापकों के रिक्त पदों के बैकलाग भरने के लिए भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

(7) क्या सरकार जोधपुर सहित समस्त जिला परिषदों के बैकलाग 30 जून, 94 तक भरने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी और पालना नहीं होने पर दोषी अधिकारियों को निर्धारित कर दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है। आरक्षित पदों को भी सामान्य पदों के साथ भर दिया जाता है।

(3) बैकलाग नहीं भरने का कारण समुचित मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त न होना तथा अनु. जाति एवं अनु. जनजाति की महिला आशार्थी नहीं मिलना है। यदि अनु. जाति/अनु.जनजाति की महिला उपलब्ध न हो तो उसी श्रेणी के पुरुषों से पदों को विभाग की स्वीकृति लेकर भरा जा सकता है।

(4) बैकलाग के विषय में अनु. जाति जनजाति बाबत नियम बने हैं। उन्ही की

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री)

पालना की जाती है। नियमों से ऊपर कमी/वृद्धि नहीं की जा सकती । बैकलाग पूरा करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं जिसकी पालना की जा रही है।

(5) जी नहीं। दिनांक 21-1-94 को अनु.जाति/अनु.जनजाति के बैकलाग बाबत तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गई थी कि पद रिक्त क्यों चल रहे है व शीघ्र भरें।

(6) जिला परिषद जोधपुर में 47 अनु. जाति एवं 39 अनु. जनजाति की शिक्षकों का बैकलाग है जिसे शीघ्र भरने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(7) जिला परिषद, जोधपुर में अनु. जाति, अनु. जनजाति का बैकलाग शीघ्र भरने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं। अन्य जिलों में बैकलाग भरने की कार्यवाही चल रही हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें।)

ग्राम पंचायत लावासरदारगढ़ [राजसमंद] में प्रशासक व सचिव के विरुद्ध शिकायतें

1371. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1985 से अब तक ग्राम पंचायत लावासरदारगढ़, जिला राजसमन्द में प्रशासक एवं सचिव के पद पर कौन-कौन कर्मचारी कार्यरत रहे उनके स्थानान्तरण आदेश कब हुए, कब कार्य मुक्त हुए एवं कब-कब किस-किस को चार्ज सुपुर्द किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सचिव एवं प्रशासकों द्वारा चार्ज दिये जाने के सम्बन्ध में कब-कब, किस-किस अधिकारी की शिकायतें प्राप्त हुई एवं उन पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही नहीं की गई, तो उसमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

(3) क्या वर्तमान में उक्त ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण चार्ज दे दिया गया है ? यदि हां, तो चार्ज लिस्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1993 में ग्राम सभायें कब-कब हुई, उनमें कौन-कौन अधिकारी उपस्थित हुए एवं क्या-क्या प्रस्ताव लिये गये ? प्रस्तावों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त पंचायत में गत 3 वर्षों में किए गये कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत लावासरदारगढ़ में नियुक्त प्रशासक एवं सचिव के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत लावासरदारगढ़ के पुराने रेकार्ड के चार्ज के बारे में दिनांक 23-1-92

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री)

को श्री तुलसीराम तत्कालीन प्रशासक से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यालय से श्री गोरधन लाल पूर्व ग्राम सेवक हाल पंचायत समिति देवगढ़, श्री रतन लाल सेठ पूर्व सरपंच एवं श्री शम्शुद्दीन पूर्व ग्राम सेवक हाल पंचायत समिति, कुम्भलगढ़ से चार्ज आदान प्रदान हेतु प्रभावी कार्यवाही कार्यालय से की जा रही है।

पंचायत की चालू इन्तजामी मिसलें एवं रजिस्टर का चार्ज वर्तमान प्रशासक को सौंपने हेतु श्री तुलसी राम प्रजापत को पूर्व ग्राम सेवक को तत्काल चार्ज आदान-प्रदान की कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

(3) वर्तमान में दिये गये चार्ज की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्या समाधान शिविरों के साथ ग्राम सभा का आयोजन भी किया गया। जिसमें प्रभारी अधिकारी एवं तहसील व जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। ग्राम सभा का रजिस्टर देखा गया। उसमें कार्यवाही विवरण अंकित नहीं है। जिसकी फोटो प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी हां। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के विरुद्ध जांच प्रकरण

1372. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर ने जो स्थानान्तरण किए उसमें एक ही कर्मचारी का एक से अधिक बार स्थानान्तरण किया गया? यदि हां, तो वर्ष 1992 में एक से अधिक बार जितनी बार जिन-जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए गए उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को तत्कालीन संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर ने 25-7-1992 को स्थानान्तरण को लेकर कोई निर्देश दिये थे? यदि हां, तो वह क्या थे और क्या उनकी पालना हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि डा. डी. सी. बाफना अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर ने तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री सी. एल. पालीवाल के विरुद्ध कर्मचारी संघ के तार दिनांक 21–10–1992 एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उदयपुर के पत्रांक 13414–22 दिनांक 2–7–1992 के बिन्दुओं की जांच की थी? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें। यह भी बताया जावे कि जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार

Page No.84

श्री शिव किशोर सनाढ्य)

अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि की गई तो क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या जांच प्रतिवेदन में अधिकारों के दुरुपयोग, स्थानान्तरण हेतु सक्षम नहीं होने पर भी स्थानान्तरण करना, प्रतिबन्ध के दौरान स्थानान्तरण करना, अधिकारी के आदेशों की अवहेलना, रेकार्ड में हेरा-फेरी, सरकारी पत्रों की काट-छांट करना, टी. ए. बिल में इरादतन गलत तथ्य देना अंकित है और इस अधिकारी को प्रशासनिक व जिम्मेदार पद पर कार्य करने के लिए सक्षम नहीं माना ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को प्रशासनिक पद से मुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और अब क्या सरकार उसको हटाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) तत्कालीन संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (जोन) उदयपुर द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को लिये गये पत्र दिनांक 25–7–92 की प्रति संलग्न है। जिसकी पालना डा. भास्कर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाना पाया जाता है।

(3) जी हां।

जांच प्रतिवेदन निदेशालय से दिनांक 5–4–94 को प्राप्त हुआ है। जिस पर कार्यवाही की जा रही है। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही विचाराधीन हैं। आरोप सही पाये जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में सेनेटरी इन्स्पेक्टर के रिक्त पद

1373. **श्री कन्हैयालाल पाटीदार** (पिड़ावा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कितने सेनेटरी इन्स्पेक्टर के पद रिक्त हैं और क्या सरकार उन्हें भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) प्रदेश में कितने युवकों ने सेनेटरी इन्स्पेक्टर की ट्रेनिंग ले रखी है और सरकार ने उनके भविष्य के बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विभाग में विभिन्न संस्थानों में सेनेटरी इन्स्पेक्टर के 530 पद स्वीकृत है,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

इनमें से मृत्यु एवं सेवानिवृत्त होने के कारण 22 पद रिक्त है।

राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को नहीं भरने का निर्णय लिए जाने के कारण, पदों को भरना सम्भव नहीं हैं।

(2) विभाग द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाने बाबत कोई भी संस्था स्वीकृत नहीं है, इसलिए ऐसे प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की संख्या बाबत किसी प्रकार का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

अल्ट्रा साउण्ड मशीन के क्रय की प्रक्रिया

1374. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है अल्ट्रा साउण्ड की मशीन क्रय करने के लिए वर्ष 1987 में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निविदा में 12 इंची का पर्दा बताया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि 12 इंची की जगह 9 इंची का पर्दा स्वीकार किया ?

(4) क्या यह सही है कि जो भुगतान किया गया उसकी स्वीकृति सरकार से प्राप्त की थी ?

उत्तर

(1) जी हां। अल्ट्रा साऊण्ड की मशीन क्रय करने के लिए वर्ष 1987–88 में निविदायें आमंत्रित की गई।

(2) जी हां। आमंत्रित निविदा में अल्ट्रा साउण्ड मशीन हेतु पर्दा का साइज 12 इंची मांगा गया था।

(3) जी हां। 9 इंच का पर्दा स्वीकार किया गया क्योंकि निर्माता फर्म द्वारा बताया गया था कि 12 इंच का पर्दा इस मशीन में प्रयोग करने में तकनीकी कठिनाई आयेगी। तद्नुसार एक समिति का गठन किया गया। गठित समिति के निर्णयानुसार 9 इंच का पर्दा स्वीकार किया गया। कमेटी के निर्णय की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त मशीन की खरीद हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। कम लम्बाई का पर्दा स्वीकार करने के परिणामस्वरूप फर्म को तीन हजार रुपये कम का भुगतान किया गया।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–25 देखें।)

झालावाड़ जिले में चिकित्सकों के रिक्त पद

1375. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या झालावाड़ जिले में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने समय से ? क्या सरकार इन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

Page No.86

उत्तर

जी हां, झालावाड़ जिले में चिकित्सकों के 24 पद स्पष्ट रूप से रिक्त है। 5 पद वर्ष 1991 से 6 पद वर्ष 1992 से, 6 पद वर्ष 1993 से और 7 पद वर्ष 1994 से रिक्त है। चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद माह अप्रैल के अन्त तक तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित चिकित्सकों में 6 माह के अन्दर भरने की कार्यवाही की जा रही है।

बेगूं व भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के उपस्वास्थ्य केन्द्रों में ए. एन. एम. के रिक्त पद

1376. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में बेगूं और भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति में किस-किस ग्राम में सब सेन्टर खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? क्या माड़ा गांवों में सब सेन्टर खोलने का कोई विशेष प्रावधान है? यदि हां, तो कहां-कहा?

(2) किस-किस सब सेन्टर पर कितने-कितने समय से ए. एन. एम. के पद रिक्त है, उन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में पंचायत मति बेगूं एवं भैंसरोड़गढ़ के क्षेत्र में उपकेन्द्र स्थापित किये जाने बाबत कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मांडा गांवों में उपकेन्द्र खोलने हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) निम्नांकित उपकेन्द्रों पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के एक-एक पद लगभग एक वर्ष से रिक्त है जिन्हें भरे जाने के के प्रयास जारी है।

1. उपकेन्द्र चावंडिया
2. " " बडोदिया
3. " " मण्डेसरा
4. " " धावत कलां
5. " " जावदा
6. " " राम नगर
7. " " दूधी तलाई
8. " " श्री पुरा
9. " " राजपुरा

उप स्वास्थ्य केन्द्र बिडयारी (बयाना) में चिकित्सीय सुविधाएं

1377. **श्री गोपीचन्द** (नगर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र बिडयारी (बयाना) में कितने कर्मचारी कब से पद स्थापित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत वर्ष में इस उपकेन्द्र का

Page No.87

(श्री गोपीचन्द)

कितनी बजट दवाइयों एवं उपकरणों के लिए आवंटित किया गया था इस वर्ष कितनी राशि का बजट आवंटित करने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को डिस्पेंसरी में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त स्थान पर चिकित्सक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर हमेशा ही दवाइयों का अभाव रहता है। यदि हां, तो सरकार कब तक दवाइयों की पूर्ण सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ? उक्त स्थान के वर्ष 1992–93 के रोगी रजिस्टर में कुल कितने मरीजों के नाम अंकित हैं ?

उत्तर

(1) राजकीय उच्चीकृत उपकेन्द्र बिडयारी (बयाना) में मेलनर्स श्रेणी–द्वितीय वर्ष 1990 से तथा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वर्ष 1990 से पद स्थापित हैं।

अतः इस उपकेन्द्र में कोई भी पद रिक्त होना नहीं पाया जाता।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त वर्ष उच्चीकृत उपकेन्द्र के लिए गत वर्ष औषधियों हेतु क्रय करने 2890.50 रुपये तथा उपकरणों हेतु 600/–रुपये की राशि बजट आवंटन के अनुसार व्यय किया जाना पाया जाता हैं।

वर्ष	औषधी	उपकरण	योग
1993-94	2890.50	600.00	3490.50

वर्ष 1994–95 में इस उपकेन्द्र हेतु औषधियों के लिए 3000/– रु की राशि तथा उपकरणों हेतु न्यूनतम आवश्यकतानुसार बजट आवंटित किया जाने का प्रावधान हैं।

(3) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के उपकेन्द्रों को डिस्पेंसरी में क्रमोन्नत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी नहीं। उच्चीकृत उपकेन्द्र पर चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाइयों का अभाव रहना अस्वाभाविक नहीं है। वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत मापदण्ड के अनुसार ही औषधियों हेतु बजट का आवंटन किया जाता रहा हैं।

इस उप स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्ष 1992 में 911 रोगी व वर्ष 1993 में 1454 रोगी पंजीकृत किया जाना पाया जाता है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु आवंटित बजट का उपयोग

1378. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.88

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) वर्ष 1993–94 में जनजाति के विकास हेतु रखे गये 277 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से कौन-कौनसी तहसीलों में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1993–94 में सवाई-माधोपुर की कौन-कौनसी तहसीलों में जनजाति के विकास हेतु किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1993–94 में जनजाति के लिए आवासीय छात्रावास बनाने का प्रावधान जिला सवाई माधोपुर में कौन-कौनसी तहसीलों में रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सवाई माधोपुर जिले में जनजाति उपयोजना में कौन-कौनसी तहसीलों का चयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94 में जनजाति के विकास के लिए राज्य में 219.99 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था, जो निम्नानुसार है :—

(राशि करोड़ रु. में)

1. जनजाति उपयोजना क्षेत्र	214.10
2. माडा	4.69
3. माडा कलक्टर	0.15
4. बिखरी जनजाति योजना	1.05
योग :–	219.99

विभाग द्वारा राशि का तहसीलवार आवंटन नहीं किया जाता है। कार्यक्रमवार, जिलेवार आवंटन परिशिष्ट "अ" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 93–94 में सवाई माधोपुर जिले को माडा योजना में 65.0448 लाख रु. माडा कलक्टर में रु. 1.29 लाख एवं बिखरी योजनान्तर्गत 5.9575 लाख रु. की राशि का आवंटन किया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सवाई माधोपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर तहसीलदार आवंटन जिला स्तर से भी नहीं किया गया है। जिले में कार्यक्रमवार आवंटन के प्रावधानों का विवरण परिशिष्ट "ब" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 1993–94 में जनजाति के लिए विभागीय प्लान एवं बजट में ही आवासीय छात्रावास बनाने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। अतः सवाई माधोपुर जिले में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(4) सवाई माधोपुर जिले में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किसी तहसील/क्षेत्र का चयन नहीं किया गया है, क्योंकि उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित करने के अपेक्षित मानदण्डों में यह क्षेत्र नहीं आता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विषैली गैस उपयोग करने वाले कारखानों की स्थापना से पूर्व सुरक्षा उपाय

1379. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पिछले दो वर्षों में खतरनाक रसायनों एवं विषैली गैसों के उपयोग करने वाले कारखानों के भवनों तथा ले आउट ऑफ मशीनरी के नक्शे सशर्त स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो वर्षवार कारखानों की सूची मय शर्तों के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन कारखानों ने शर्तें पूर्ण नहीं की, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) शर्तों के पूर्ण होने के दौरान यदि कोई औद्योगिक दुर्घटना घटित होती हैं तो उसके लिये क्या मुख्य निरीक्षक जिम्मेदार होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के बाद खतरनाक कारखानों के लिये सुरक्षा उपायों के लिये कोई दिशा-निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो क्या नये स्थापित होने वाले खतरनाक कारखानों को स्थापना से पूर्व सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जांच की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्षवार कारखानों की सूची मय शर्तों के संलग्न है।

(2) शर्तें वैधानिक प्रावधानों एवं व्यवहारिक अनुभव के आधार पर लगाई जाती हैं। जिन कारखानों ने शर्तें पूरी नहीं की उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई किन्तु शर्तों की अनुपालना हेतु प्रबन्धकों को प्रेरित किया जाता है।

(3) कारखाना अधिनियम, 1948 व राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कारखाने में दुर्घटना रहित कार्य स्थिति एवं श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कारखाना प्रबन्धक जिम्मेदार हैं। नियमों की पालना सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। यदि अपने उत्तरदायित्व के वहन में कोई अधिकारी/कर्मचारी असफल रहता है तभी उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो प्रत्येक केस की परिस्थितियों पर निर्भर होगा।

(4) खतरनाक कारखानों के लिए सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान कारखाना नियम, 1951 में संशोधन किये गये हैं। कारखानों में उत्पादन शुरू होने के पश्चात् ही कारखाना अधिनियम लागू होता है। खतरनाक कारखानों में सुरक्षा प्रावधानों की जांच कारखानों में उत्पादन चालू होने के पश्चात् समय-समय पर की जाती है। कारखाना चालू होने से पूर्व कारखाने के नक्शे स्वीकृत करते समय सुरक्षा सम्बन्धी सुझाव दिये जाते हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्रम न्यायालय में नकलें देने की प्रक्रिया

1380. **श्री महावीर भगोरा**(गोगुन्दा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रम न्यायालय में नकलें श्रम विभाग में नगद राशि जमा कराने पर दी जाती रही है ? यदि हां, तो नकलें उच्च न्यायालय के कापिंग टिकिटों पर दिए जाए जाने के क्या कारण हैं तथा किन नियमों के अन्तर्गत दी जा रही है ?

(2) क्या श्रम न्यायालय में नियोजक को नोटिस प्रार्थी के खर्चे पर दिये जाते हैं ?

(3) कितने नियोजकों द्वारा रेफरेंसेज के 15 दिनों में क्लेम पेश कर दिये जाते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में नकलें प्राप्त करने के लिये श्रम विभाग में नगद राशि जमा कराने का प्रावधान नहीं है बल्कि श्रम न्यायालयों द्वारा ही राजस्थान औद्योगिक विवाद नियम, 1958 के नियम 26 के अन्तर्गत नकल प्रदान करने का प्रावधान है एवं नकलें श्रम न्यायालयों द्वारा ही प्रदान की जाती है ।

श्रम न्यायालयों की व्यवहारिक कठिनाइयों, स्टाफ की कमी तथा श्रमिकों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्रम न्यायालयों द्वारा कोपिंग स्टाम्प पर भी नकल प्रदान की जाती है ।

(2) कुछ श्रम न्यायालयों में प्रार्थना पत्रों अथवा क्लेम के प्रथम नोटिस नियोजकों को प्रार्थी के खर्चे पर दिये जाते हैं । श्रम न्यायालय, भरतपुर में प्रथम नोटिस न्यायालय द्वारा दिया जाता है बाद में नोटिस दिया जाना आवश्यक होने पर प्रार्थी से रजिस्ट्री व्यय लिया जाता है ।

(3) श्रम न्यायालयों में लगभग शत प्रतिशत क्लेम श्रमिकों/श्रमिक संघों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं नियोजकों द्वारा क्लेम पेश नहीं किये जाते हैं ।

निहोन निर्माण लि. गोटन

1381. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा): क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निहोन निर्माण लि. गोटन (व्हाईट सीमेंट) के प्रबंधकों ने संस्थान में कार्यरत 400 कर्मचारियों को अवैध तरीके से सस्पेन्शन ऑफ वर्क के नोटिस देकर उनकी रोजी रोटी का हनन किया हैं ?

(2) क्या सस्पेन्शन ऑफ वर्क का प्रावधान कारखाना अधिनियम या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आता है ? यदि नहीं, तो सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मैसर्स निहोन निर्माण लि., गोटन, जिला नागौर के प्रबन्धकों ने दिनांक 5-3-1994 को नोटिस जारी कर अपने श्रमिकों/स्टाफ कर्मचारियों के लिये संस्थान

Page No.91

(श्रम राज्य मन्त्री)

में अक्टूबर, 93 से सीमेन्ट का उत्पादन न होने के कारण सस्पेन्शन ऑफ वर्क का नोटिस दिया।

संस्थान में 153 श्रमिक एवं 125 स्टाफ कर्मचारी कार्यरत हैं।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (एल) के अनुसार सस्पेन्शन ऑफ वर्क लॉक आउट की परिभाषा में आता है।

कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सस्पेन्शन ऑफ वर्क से उत्पन्न औद्योगिक विवाद पर श्रम आयुक्त के स्तर पर दोनों पक्षों से वार्ता कर निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। आगामी वार्ता दिनांक 8-4-94 को रखी गई है।

सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के राहत कार्य

1382. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति सीमलवाड़ा की बाईस पंचायतों एवं सागवाड़ा पंचायत समिति के उन्नीस पंचायतों के ग्रामों में कितने ग्रामों में अकाल राहत के कार्य विभिन्न एजेन्सीज/विभागों द्वारा चलाये जा रहे हैं? ग्राम वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में अपेक्षाकृत अन्य निर्वाचन क्षेत्र से कम लागत एवं कम मजदूरों की संख्या लगी हुई है? यदि हां, तो इसका परिष्कार कब व कैसे किया जायेगा।

उत्तर

(1) सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति सीमलवाड़ा की 22 पंचायतों एवं सागवाड़ा पंचायत समिति की 19 पंचायत क्षेत्रों में सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं पंचायत समिति के माध्यम से 66 कार्य 92 गांवों में सम्पादित किये जा रहे हैं। कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–"क")

2. जी नहीं। सभी निर्वाचन क्षेत्रों एवं जिले के पूरे क्षेत्र में आवश्यकतानुसार एवं विभिन्न योजनाओं द्वारा चलाये जा रहे कार्यों में तालमेल रखते हुए राहत कार्य प्रारंभ किये गये हैं। डूंगरपुर जिले में कुल 243 कार्य जिनकी लागत राशि रु. 665.50 लाख है और जिनके लिए 21930 श्रमिक संख्या स्वीकृत है, स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में 15124 श्रमिक राहत कार्यों पर एवं 36289 श्रमिक अन्य योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों पर नियोजित हैं। सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मिलाकर 8435 श्रमिक राहत एवं अन्य योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों पर नियोजित हैं। जैसे-जैसे आवश्यकता होगी, अधिक अकाल राहत कार्य खोले जायेंगे।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

दूदू विधान सभा क्षेत्र के राहत कार्य

1383. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दूदू विधान सभा क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में अकाल राहत कार्य शुरु किया गया है? वह इन कार्यों पर कितने-कितने

(श्री बाबूलाल)

मजदूर कार्यरत् हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त कार्य स्थायी महत्व के करवाये जा रहे हैं ? सड़कों जिनमें गिट्टी, कुटाई व डामरीकरण की भी योजना है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या ग्राम भाग से वाया सांवली बिहारीपुरा सड़क पर भी अकाल राहत कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो इस पर कितने मजदूर कार्यरत् हैं तथा क्या सरकार इस सड़क पर स्थायी रूप से गिट्टी कुटाई व डामरीकरण का भी विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दूदू विधान सभा क्षेत्र में राहत कार्य-1994 के अन्तर्गत 19 कार्य स्वीकृत किये गये हैं । इन कार्यों पर 1187 मजदूर कार्यरत हैं । राहत कार्यों का विवरण सदन के पटेल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–"अ")

(2) यथा सम्भव स्थायी महत्व के ही कार्य स्वीकृत किये गये हैं । स्वीकृत सड़क कार्यों पर डब्ल्यू. बी. एम. सड़क बनाने का प्रावधान है । डामरीकरण का कार्य राहत कार्य के अन्तर्गत नहीं कराया जाता । इस प्रकार की सड़कों में से जो सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के मानदण्डों के अनुसार डामरीकरण योग्य होगी, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यवाही करेगा ।

(3) ग्राम भाग से ग्राम सांवली तक सड़क का कार्य राहत कार्य के अन्तर्गत चल रहा है, परन्तु इसमें बिहारीपुरा होकर सड़क प्रस्तावित नहीं हैं । भाग सांवली तक सड़क कार्य पर कार्यरत मजदूरों की संख्या 98 है । सड़क पर डामरीकरण का कार्य राहत कार्यों के अन्तर्गत नहीं कराया जाता ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 27 देखें।)

ग्राम सांवतसर [डूंगरगढ़] की सड़क निर्माण कार्य

1384. **श्री किशना राम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या बीकानेर व चूरू जिलों की अधूरी सड़कों पर विभाग ने एक फरवरी 1994 से राहत कार्यों के अन्तर्गत मजदूरों को लगाया है ? यदि हां, तो उपरोक्त जिलों में कौन कौनसी अधूरी सड़कों पर मजदूरों को लगाया गया है ? केम्प वाइज मजदूरों की संख्या व केम्प का नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

2. क्या यह सही है कि चूरू जिले को डूंगरगढ़ तहसील के गाव सांवतसर की अधूरी सड़क जो नोखा तहसील के ग्राम लाडनू को जोड़ती है ? जिसमें दो तहसील व दो जिले लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से जुड जाते हैं ? क्या सरकार इस सड़क के अधूरे कार्य को पूरा करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । बीकानेर व चूरू जिलों

(अकाल राहत राज्य मन्त्री)

में राहत कार्य 1994 के अन्तर्गत अधूरी सड़कों के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। बीकानेर व चूरू जिलों में अधूरी सड़कों के स्वीकृत कार्यों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-"क", "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) यह सही कि चूरू जिले की तहसील डूंगरगढ़ के गांव सांवतसर की सडक जो नोखा तहसील के ग्राम बाधनू को जोड़ती है और जिससे दो तहसील व दो जिले लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से जुड़ जाते हैं, अधूरी है। इस सड़क के पूरा करने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा जा रहा है कि यदि प्रस्तावित सड़क मानदण्डों में आती हो तो अकाल राहत के अन्तर्गत स्वीकृत कराने की कार्यवाही करें।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 28 देखें।)

जिला बीकानेर के राहत कार्य

1385. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 1994 से बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्य चालू किये गये हैं? यदि हां, तो राहत कार्य कैम्प का नाम व मजदूरों की संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बीकानेर जिले में अकाल पीड़ित क्षेत्रों के पशुधन के लिये चारा, बन्टा आदि की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो किस-किस गांव में कितना-कितना चारा उपलब्ध कराया गया है एवं किस दर से? तहसील व गांव वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अभावग्रस्त ग्रामों में राहत कार्य 1-2-94 से प्रारम्भ करने के निर्देश सहायता विभाग से जारी हुये थे। बीकानेर जिले में राहत कार्य 1994 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"अ")

(2) जी हां। बीकानेर जिले में पशुओं के लिये सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराने के लिये चारा परिवहन अनुदान की स्वीकृति दी गई है तथा इसके लिये 5.00 लाख रुपये की राशि आवंटित कर दी गई है। जिले में सहकारी समितियां व स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चारा डिपो चलाने के लिये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिये भी 5·00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। जिले में आवश्यकतानुसार चारा डिपो खोले जा रहे हैं। वर्तमान में बीकानेर, कोलायत एवं लूनकरणसर में चारा डिपो खोले जाने की स्वीकृति दी गई है। राजस्थान डेयरी फैडरेशन के माध्यम से 24575 पशुओं को पशु आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति जारी की गई है।

(अकाल राहत मंत्री)

पशु आहार वितरण करने के लिए स्वीकृत केन्द्रों के नाम मय लाभान्वित पशुओं की संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ठ–"ब")

(सूची विस्तृत होने का कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्तियां

1386. **श्री नरेन्द्र बुडानियां** (सरदार शहर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभाग द्वारा 15 सितम्बर, 1992 को आयुर्वेद चिकित्सकों के पद भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा इनमें से कितनों को नियुक्ति दे दी व कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष रहे आवेदन कर्त्ताओं को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि 17 फरवरी 1994 को चिकित्सकों के पद भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी? यदि हां, तो क्या पूर्व में शेष रहे आवेदन कर्त्ताओं को नियुक्ति दे दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या 17 फरवरी, 1994 को जारी विज्ञप्ति में पिछड़े वर्ग के लिये स्थान आरक्षित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को आरक्षण के लिये घोषणा की जा चुकी है? यदि हां, तो फिर पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15-9-92 को जारी विज्ञापन के विरुद्ध कुल 418 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 270 आवेदन पत्र पूर्ण थे तथा शेष आवेदन पत्र अपूर्ण थे। पूर्ण पाये गये आवेदन पत्रों में से 77 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई और 193 पत्र शेष रहे।

(2) दिनांक 17-2-94 को आयुर्वेद चिकित्सकों के 100 रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। नियुक्ति के लिए इस विज्ञापन के विरुद्ध प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ पुराने शेष रहे आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जावेगा। प्रक्रिया पूरी होते ही नियमानुसार नियुक्तियां प्रदान कर दी जावेंगी।

(3) जी हां, 17-2-94 को विज्ञापन जारी किया गया है। 1992 के शेष रहे आवेदनकर्त्ताओं को नियुक्ति नहीं दी गई है क्योंकि 59 विज्ञापित पदों के विरुद्ध तत्समय तक 77 रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर दी गई थीं।

(4) पिछड़े वर्गों के लिए 21 प्रतिशत स्थान आरक्षण करने के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25-2-94 का

Page No.95

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

जारी होने के फलस्वरूप विज्ञापन दिनांक 17-2-94 में संशोधन कर दिनांक 28-2-94 को पुनः विज्ञापन जारी कर पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया गया है। संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार 25-3-94 तक पिछड़े वर्गों के आशार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने थे।

पंचायत समिति छीपा बड़ौद व छबड़ा के औषधालय

1387. **श्री कन्हैया लाल पाटीदार** (पिड़ावा), **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

छीपाबड़ौद व छबड़ा पंचायत समिति के कौन-कौनसे गांवों में विभाग द्वारा आयुर्वेद औषधालय खोले हुए हैं? क्या खोले हुए औषधालयों में पर्याप्त स्टाफ लगा हुआ है? सूची मय गांव का नाम, पद कर्मचारियों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बारां जिले की छीपाबड़ौद व छबड़ा पंचायत समितियों में क्रमशः 8 व 5 आयुर्वेद औषधालय ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत/संचालित हैं। इनके अतिरिक्त छीपाबड़ौद व छबड़ा शहरी क्षेत्र में भी एक-एक आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत/संचालित हैं।

इन संचालित आयुर्वेद औषधालयों में से एक औषधालय, कन्डैयाहाट (जहां नर्स/कम्पाउण्डर का पद सृजित नहीं है) को छोड़कर शेष सभी में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक का एक-एक पद स्वीकृत है, जो पर्याप्त है। औषधालय कडैयाजोहर में नर्स/कम्पाउण्डर का एवं औषधालय मजनावर में परिचारक का पद रिक्त है।

औषधालयों की ग्रामवार सूची एवं इनमें पदस्थापित चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर्स व परिचालक के नामों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-29 देखें)

टोडा भीम क्षेत्र के औषधालय

1388. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कितने औषधालय व कितने वैद्य हैं एवं कितने वैद्यों के खिलाफ शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त शिकायतों के आधार पर सरकार ने वैद्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

(3) क्या सरकार वर्ष 1993-94 में इस क्षेत्र में औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(4) औषधालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार के निर्धारित मानदण्ड क्या हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में सवाईमाधोपुर जिले के टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में 28 आयुर्वेदिक एवं 2 यूनानी चिकित्सा पद्धति के औषधालय स्वीकृत व संचालित हैं। इन सभी में चिकित्सक का एक-एक पद स्वीकृत है तथा सभी औषधालयों में चिकित्सक पदस्थापित हैं। इन औषधालयों में पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्सकों में से 8 के विरुद्ध निदेशालय को शिकायतें प्राप्त हुई है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रकरणों के संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। वर्ष 1993–94 में कोई नवीन औषधालयस्वीकृत नहीं किया गया है।

(4) नवीन औषधालय खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता हैं:—

1. बजट प्रावधान का उपलब्ध होना।

2. पर्याप्त निःशुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध होना।

3. अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना।

4 नवीन खुलने वाले औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या लगभग 2000 होना।

5. औषधालय खोलने हेतु प्रस्ताव का प्राप्त होना।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-30 देखें।)

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन

1389. **श्री नन्दलाल व्यास** (बीकानेर) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन एवं उनकी इकाइयों द्वारा गत तीन वर्षों में (1991–92, 1992–93 एवं 1993–94) राजस्थान से कितना दूध राज्य से बाहर भेजा गया है ? मात्रा एवं मूल्य का ब्यौरा वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन को राज्य से बाहर दूध बेचने में बिक्री कर की छूट हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्धी विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन एवं इनकी इकाईयों द्वारा गत 3 वर्षों में राज्य से जो दूध बाहर (दिल्ली) भेजा गया उसकी मात्रा एवं मूल्य का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(डेयरी विकास राज्य मंत्री)

(2) जी हां । ग्रार.सी.डी.एफ. को सहकारी संस्था होने के कारण राज्य से बाहर दूध बेचने पर एक प्रतिशत बिक्रीकर में राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की हुई है । सम्बन्धित विज्ञप्ति की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-31 देखें ।)

स्थगित-प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक : 29 मार्च, 1994)

डा. पोपट पटेल मारवाड़ जंक्शन का फर्जी डिग्री प्रकरण

1060. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डा. पोपट पटेल द्वारा कस्बा मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में फर्जी डिग्री द्वारा मरीजों का इलाज करने सम्बन्धी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि डा. पटेल द्वारा रुग्णता व स्वस्थता प्रमाण-पत्र विभिन्न कर्मचारियों को जारी किये जाते है ? यदि हां तो उनके द्वारा अब तक कितने प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं ?

(3) क्या डा. पटेल द्वारा रोगियों का रजिस्टर बनाया गया है ? यदि हां, तो किस तरह की बीमारी के कितने मरीज डा. पटेल से अब तक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं ? यदि रजिस्टर नहीं है तो क्या सरकार डा. पटेल की डिग्री निरस्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । डिग्री का हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से सत्यापन कराया जा रहा है ।

(2) श्री पटेल द्वारा उपलब्ध कराये गये रेकार्ड के अनुसार दिनांक 25-9-93 से 26-3-94 तक कुल 285 रोगियों को रोगारोग्य प्रमाण पत्र दिये गये हैं ।

(3) जी हां । श्री पटेल के पास उपलब्ध रोगी रजिस्टर के ग्राधार पर 15-9-93 से 26-3-94 तक निम्न रोगों के रोगियों की चिकित्सा की गई हैं :–

1. ज्वर एवं शीत ज्वर	254
2. ग्रतिसार	20
3. उदरशूल	8
4. वात व्याधि	3
	285

स्थगन प्रस्तावों पर ग्रध्यक्षीय व्यवस्था

श्री ग्रध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री रामस्वरूप मीणा एवं 32 ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

राज्य की पश्चिमी सीमा में तस्करी, अवैध हथियारों का आदान-प्रदान तथा घुसपैठ की वारदातों के बढ़ने से देश एवं राज्य की एकता और अखण्डता को खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगदीप धनखड़ एवं 4 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर में एक जीप की पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान उसमें दो लाख रुपये बरामद होने के प्रकरण की जाँच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को राजस्थान राज्य की पश्चिमी सीमा में तस्करी अवैध हथियारों का आदान-प्रदान तथा घुसपैठ की वारदातों के बढ़ने से प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के सम्बन्ध में गृह मंत्री द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य के समय बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा आडिट के नाम पर काश्तकारों से कृषि कनेक्शन पर अतिरिक्त बिल का भुगतान करने हेतु बाध्य करने से काश्तकारों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री फतेह सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील हनुमानगढ़ के गांव गंगागढ़ के एक किसान श्री हरविन्दर सिंह के साथ कथित प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने, उसका खेत नष्ट करने के मामले पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर के निर्वाचन क्षेत्र जायल के कतिपय ग्रामों में जलदाय विभाग द्वारा पानी प्रदाय नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) डॉ. जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित फुटवियर उद्योगों में आने वाले कच्चे माल पर अधिक चुंगी वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बम्बोरीकलां जिला बारां की सरकारी नजूल सम्पत्ति को सरकारी कब्जे में लिया जाकर उसकी देखमाल की उचित व्यवस्था करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में बारूद का विकास कार्यों में उपयोग करने वाले व्यक्तियों व व्यापारियों को पुलिस द्वारा परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले में अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रहे अवैध खनन कार्य से राज्य सरकार को हो रही राजस्व हानि के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से इन्दिरा गांधी परियोजना के सागरमल गोपा नहर खण्ड में कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(9) श्री शांतिलाल खोईवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा भारत कण्डक्टर्स प्रा. लि. से क्रय किये गये सामान में कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(10) श्री परसादी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के गांव केशवाना-राजपूत के पुराने खसरा नम्बर 83 व 213 के काबिज हरिजन काश्तकार को बेदखल किये जाने की कथित कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(11) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला भीलवाड़ा के नला माताजी त्रिजोलिया के अनुसूचित जनजाति खातेदार श्री जगदीश मीणा की काश्त भूमि खनिज विभाग द्वारा अवाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबध में ।

(12) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के कतिपय गांवों में हैण्डपम्प खराब होने से जनता को हो रही पेयजल समस्या के संबंध में ।

(13) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में अनेक वर्षों से निदेशक के पद का कार्य उप निदेशक द्वारा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(14) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डोन तहसील के ग्राम रीजवास को हिण्डौन से वाया बाजना होते हुए सड़क मार्ग से जोड़े जाने के संबंध में ।

(15) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कैचमैंट के कर्जे माफी की घोषणा के उपरान्त भी दुबारा नोटिसेज दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(16) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य विधान सभा की ओर से राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रायपुर (झालावाड़) की प्रधानाध्यापिका द्वारा छात्राओं को दूषित जल पीने के लिये बाध्य करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

शून्यकाल के लिये मेरे पास बहुत से नाम आये हुए हैं । मैं इन पर एक-एक को बुलाता हू । आप कृपया कम समय में बोलें । श्री राजेन्द्र गहलोत ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भंवरसिंह (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष जी, एक पाईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है ।

श्री अध्यक्ष : पहले वे बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष जी, जोधपुर शहर को पेयजल जो जवाई बांध से मिल रहा है, उसकी नहर 6 तारीख की रात को टूट जाने के....

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 मार्च, 1994 को इस सदन में 15.50 पर, पेज संख्या 4 पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा....

श्री अध्यक्ष : आप किस बारे में बोल रहे हैं, पहले यह बताएँ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल आपके सचिवालय को....

श्री अध्यक्ष : अभी आपने मेरे पास चिट भेजी।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं उस पर नहीं बोल रहा। जब आपने लिखित में यह डिसअलाउ कर दिया....

श्री अध्यक्ष : तो मुझे विषय तो बतायेंगे न आप।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं बता रहा हूं विषय। आपके सचिवालय को मैंने नियम 288 के तहत एक प्रार्थना-पत्र कल दिया....

श्री अध्यक्ष : कल कितनी बजे ? कल कब दिया ?

श्री जगदीप धनखड़ : कल मैंने शाम को दिया। मेरी बात तो सुनिये आप एक बार।

श्री अध्यक्ष : दिया है तो मैं देखूंगा उसे।

श्री जगदीप धनखड़ : एक बार मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा उसे।

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने उस प्रार्थना-पत्र में कहा....

श्री अध्यक्ष : आपने जो भी कहा होगा, Let me see. माननीय सदस्य, आप नोटिस देने के तुरन्त बाद बिना मेरी जानकारी के सदन में जो सवाल उठा रहे हैं यह ठीक नहीं है। Let me see. मैं पहले उसे देखूंगा।

श्री जगदीप धनखड़ : उस सी.बी.आई. की रिपोर्ट को भ्रष्टाचार से करेंगे। उस सी.बी.आई. की रिपोर्ट को भ्रष्टाचार से ढकना चाहते हैं ये।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने आने दीजिये। मि. धनखड़, नो।

श्री जगदीप धनखड़ : उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना अनिवार्य है।

श्री अध्यक्ष : कुछ भी नोट मत कीजिये। श्री धनखड़ का कुछ नोट मत कीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : आपने कल शाम को नोटिस दिया, अभी मेरे सामने आया नहीं और आप उसको उठा रहे हैं। Let me see it first.

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशनुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No.101

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित न किया जाए। अब आप बोलते रहिए जितना आपको मौका है। आप अपने आपको थका लीजिये बोलते-बोलते। मैं बैठा हूं। This is not the way, Mr. Dhariwal. You are violating all the traditions of this House and all the rules of this House. (interauptions). Why did you stand? When he was speaking, why did you stand? When one of your member is standing and speaking, why have all of you stood? He is on his legs. He has not yielded

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपको परम्पराओं का ज्ञान नहीं हैं। एक मैम्बर आपके खड़े हुए हैं, वह ईल्ड नहीं कर रहे हैं, वह मेरे से डिस्कशन कर रहे हैं और आप खड़े हो गये। This is not the way. No, this is not the way. (interruptions). Have patience.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : This is not the way. I am not bound to accept your advice. (interruptions). You have got no right whatsoever to speak everytime. When he is on his legs, he is not yielding....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : ये बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, but you have got no right. This is interference. This is violation of the rules and against all traditions. सब मर्यादाओं को तोड़कर आप एक सामान्य आदमी की तरह बर्ताव कर रहे हैं जबकि आप माननीय सदस्य हैं। इस सदन के, सर्वोच्च सदन के सम्माननीय सदस्य हैं। आपको सम्मान की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप अन्याय करके न्याय नहीं मांग सकते। स्वयं कांच के घर में बैठकर पत्थर फैंकना अच्छा नहीं है। आप कानून का पालन करिये, कानून के साथ न्याय करिये, सदन के साथ न्याय करिये, फिर न्याय की मांग करिये। आप तो अन्याय करेंगे और मेरे से न्याय मांगेंगे। This is not the way. यह आपने क्या बना रखा है कि हाउस में जो मर्जी आये सब खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं। I have not allowed him. मैंने कहा कि 288 का जो नोटिस आपने दिया है, I will look into it. Then I will allow you.

श्री जगदीप धनखड़ : × × ×

श्री अध्यक्ष : But you are going in the contents. माननीय धनखड़ साहब, मैंने आपको कल नियम बताया कि जब आप नोटिस देते हैं, नोटिस देने के बाद जब तक मेरी व्यवस्था नहीं होगी उसकी

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

पब्लिसिटी नहीं होगी। आप प्रकारान्तर से उसकी पब्लिसिटी चाहते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : आप, क्योंकि आप उसका हवाला दे रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : You just started reading the proceedings. No. No. (interruptions). This is wrong. (interruptions). Please sit down I say, now you sit down. (interruptions). I am not allowing you. I am not allowing you. I don't allow you (interruptions). कुछ भी मत लिखिए आप। Go on. Go on. (interruptions).... I don't allow you. ....(interruptions).... Nothing is going on record. ....(interruptions)....Nothing is going on record. I will not allow you.

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिए।.... (व्यवधान)....बैठिये, आप। आप बोलिये। आप बैठिये। सिट डाउन।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये चुपचाप। बोलिए आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि थोड़ा सा वातावरण को ठण्डा रखते हुए बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि एक मिनट बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यदि ये कंटेन्ट्स पर नहीं जाएं, प्योरली लीगल बात करें तो आई विल अलाउ। कंटेंट्स नहीं कराउंगा, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे कंटेन्ट्स पर।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा दी गयी सीमाओं के तहत मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो मुद्दा सदन की प्रतिष्ठा के अलावा पूरे राजस्थान की जनता की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उसके विषय में हम आपसे यह भी निवेदन कर सकते हैं कि उसमें कार्यवाही अतिशीघ्र की जाए। कल आपके सचिवालय को मैंने एक प्रतिवेदन दिया और वह मैंने इन नियमों के नियम 288 के तहत दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनमें लिखा हुआ है- "If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table"

श्री अध्यक्ष : इसमें दो प्रोविजोज भी पढ़ लीजिये। पूरा पढ़िये। दोनों, पूरा पढ़ें। आप आधा-आधा मत पढ़िये, पूरा पढ़िये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, "Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest :

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

(श्री जगदीप धनखड़)

Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह प्रतिवेदन आपके सचिवालय के समक्ष कल दिया, उसमें मैंने कहा कि 16 मार्च की....

श्री अध्यक्ष : फिर, अगेन, नो।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मैं आप द्वारा दी गयी सीमाओं के आगे नहीं जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : No. no. you are restricted to the....

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, नहीं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा है कि प्रोविज़ो पढ़िये....

श्री अध्यक्ष : हां, तो what do you want ?

श्री जगदीप धनखड़ : अब मैं यदि अगर आपको यह बताऊं कि धरती पर प्रोविजो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता....

श्री अध्यक्ष : नहीं, धनखड़जी, आप मेरे से चाहते क्या हैं। कल शाम को at what time you gave this notice ? टाइम बताइये आप, किस समय दिया आपने ? आपने नोटिस कब दिया ?

श्री जगदीप धनखड़ : मैंने करीब पांच बजे....

श्री अध्यक्ष : पांच बजे, just after the House was adjourned or was being adjourned, आपने दिया। अब आप मेरे से तुरन्त अभी व्यवस्था चाहते हैं। I am not all alone sitting here for deciding all these questions every time, I have to do so many things. अब आप सुनिये, आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि आपने कल पांच बजे दिया, आप चाहते हैं कि उसके बारे में जल्दी से जल्दी व्यवस्था हो। I will do that.

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे। चलो ब्रीच ऑफ प्रीविलेज के बारे में कुछ नहीं करूं सही बात है, मैं यहां पर उसका जिक्र नहीं करूं, समझ में आता है, अध्यक्ष महोदय, नियम 288 के तहत प्रतिवेदन पर मैं चर्चा करूं, उसमें इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों कि मेरे ऊपर इतना अंकुश लग जाए ?

श्री अध्यक्ष : इसलिये कि मैंने अभी तक देखा नहीं वह। अभी मैंने देखा नहीं, जब मैं देख लूंगा, देखिये, आप एक बात सुनिये–आप जब कोई भी नोटिस देते हैं तो कम से कम मुझे यह अवसर तो दें कि मैं उस नोटिस को देखूं। नोटिस देखने के बाद I will be in a position to say something. जब तक मैं नोटिस नहीं देखूं तब तक इकतरफा बात सुनकर मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, नोटिस देखे बिना मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। आप उसकी आवश्यकता बहुत अर्जेन्ट समझते हैं, आपने उसका उल्लेख कर लिया....

श्री जगदीप धनखड : अरजेन्ट इसलिये समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मान लिया, I agree with you.

श्री जगदीप धनखड़ : कि भ्रष्टाचार के मामले में....

श्री अध्यक्ष : I agree with you कि वह बड़ा अरजेन्ट है, मान लिया वह बड़ा अरजेन्ट है। लेकिन आपने उल्लेख कर दिया, और मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि जितना आप अरजेन्ट समझते हैं उतना अरजेन्टली मैं डिसाइड कर दूंगा। लेकिन I will have to see it at least, give me time.

श्री जगदीप धनखड़ : प्रति सदन के पटल पर रखवाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : तो मैं दिन भर हाउस में बैठता हूं, I will get some time and I will do that. आफ्टरआल कुछ कन्वीनिएंस भी देखेंगे या नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : हमने आपका ध्यान आकर्षित कर दिया....

श्री अध्यक्ष : बस हो गयी खत्म यह बात। चलिये, श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री जगदीप धनखड़ : कि पूरे राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है, इस भ्रष्टाचार के मामले को समाप्त करवाइये और रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि इस पर आप कब अपना निर्णय दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब मैं देख कर बता सकता हूं। देखिये, आप एक बात सुनिये। एक मिनट सुनिये। आप प्लीज सिट डाउन। जब मैंने प्रोविजो पढ़ने के लिये कहा है और आप लोगों ने सुना है कि वह सेक्शन है जिसमें दो प्रोविजो हैं, उन दोनों प्रोविजो में मुझे एग्जामिन करना पड़ेगा कि जो इन्होंने नोटिस दिया है वह किसी प्रोविजो में आता है या नहीं आता है। उसको लीगली एग्जामिन करना पड़ेगा। उस बारे में पहले व्यवस्थाएं क्या हुई हैं वह देखनी पड़ेंगी, यह देखकर ही डिसाइड करूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल, श्रीमन्, हाउस एडजोर्न हो जाएगा....

श्री अध्यक्ष : हां, तो मैं कल तक कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ . ठीक है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास जितने पेण्डिग हैं, I will do every thing. अब यह तो मुझे पता नहीं कि किस राजनीति के बल पर यहां बातें की जा रही हैं। मैं तो प्रिविलेज पर भी कल तैयार था, लेकिन माननीय सदस्य ने मुझे कहा कि मैं कुछ कानून दिखाना चाहता हूं तो मैंने कहा all right, I am prepared for that. जब मुझे कानून दिखा देंगे, I will wr te it down.

(श्री अध्यक्ष)

देखिये, मुझे किसी चीज को लिगर आन करने से कोई मतलब नहीं है, मैंने की नहीं है, न मेरा स्वभाव है, लेकिन कम से कम उसकी लीगलिटी की तो जांच करूं। हठात् ही आपने कह दिया, आपका कोई एंगल हो सकता है, किसी भी एंगल से आप सवाल उठा सकते हैं, मेरा तो कोई एंगल नहीं है सिवाय कानून के। नियम और प्रोसीजर के सिवाय मेरा कोई एंगल नहीं है, आप जो भी बात कहेंगे यदि कानून माफिक है I will accept it, कानून के खिलाफ होगा। I will reject it. इसके सिवाय मेरा तो कोई एंगल है नहीं। इसीलिये मेरा एंगल जब दूसरा नहीं है, केवल कानून का है तो कानून एग्जामिन करने का समय मुझे मिलना चाहिये। मैं दिन भर हाउस में बैठता हूं, जितना टाइम मुझे मिला इसके अलावा भी और अदर्स ड्यूटीज हैं मेरी जो मुझे करनी पड़ती हैं तो इसलिये मेहरबानी करके इतना टाइम तो दीजिये। और मैं समझता हूं आप बिल्कुल हर बात को लेकर हंगामा ही करने की बात करते हैं तो इसके लिये तो, माननीय सचेतक महोदय, यदि आप यह चाहते हैं और आप कहें तो कराइये, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसमें भी मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं-नहीं।

श्री अध्यक्ष : तो फिर यह हंगामे की स्थिति क्यों आती है ? एक सामान्य बात है, कोई भी माननीय सदस्य नोटिस देता है, वह अपनी बात कह दे कि श्रीमन्, मैंने यह नोटिस दिया है उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। खत्म हुई बात। अगर आप उनको इस तरह से पेश करते हैं कि माननीय सदस्यगण भी और चार सदस्य और खड़े हो गये, क्या जरूरत थी उनको खड़ा होने की ? जब माननीय सदस्य एक-दो बात ही कहना चाहते थे, जरूरत ही नहीं थी उनको।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : फिर खड़े हो गये। तो इसका मतलब यह हुआ कि they want to create a chaos in the House which I am not going to allow. I am not going to allow.

श्री हरिसिंह (महुआ) : नो।

श्री अध्यक्ष : I do not want that this House should become a chaotic place, इतनी-सी बात है। श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्षजी, जोधपुर शहर का मुख्य जल स्रोत जवाई बांध, उसकी 225 किलोमीटर लम्बी नहर है। नहर पाली और रोहिट के बीच में 5 तारीख की रात को किसी कारण से टूट चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जोधपुर शहर को जवाई बांध से 120 लाख गैलन पानी प्रति दिन मिल रहा है और यह नहर टूट जाने के कारण जोधपुर शहर में पानी का गम्भीर संकट खड़ा हो गया है। मैं यह भी मन्त्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि प्रति वर्ष इस नहर पर लाखों

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

रुपये खर्च किये जाते हैं, अभी इस नहर की क्षमता बढ़ाने के लिये 60 लाख रुपये खर्च किये गये हैं और 22 मार्च को नहर का पानी वापस प्रारम्भ किया गया। 22 मार्च को जिस नहर का पानी प्रारम्भ किया गया उसके बाद यदि नहर टूट जाती है उसके सारे कारणों की माननीय मंत्रीजी जांच कराएं। इसमें जिन अधिकारियों की लापरवाही रही है जिसके कारण आज जोधपुर को पानी का संकट झेलना पड़ रहा है। एक ओर जवाई बांध की नहर टूट चुकी है, दूसरी ओर अंधड़, आंधी और बरसात के कारण सारी विद्युत लाइनें, पोल उखड़ चुके हैं जिसके कारण जोधपुर शहर को 40 लाख गैलन पानी जो मिल रहा था वह भी 5 तारीख से लगातार बंद है। इसके अलावा रणसी गांव से, बालवा और पियूरी से जो पानी मिल रहा था उसकी भी बिजली की लाईनें टूट जाने के कारण आज जोधपुर शहर के अन्दर पानी का गम्भीर संकट खड़ा हो गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पानी का जो संकट खड़ा हुआ है उन अधिकारियों की तो जांच कराएं और जोधपुर को पानी नहीं मिल रहा है, पानी की व्यवस्था कराएं। युद्ध स्तर पर यदि काम शुरू नहीं किया गया तो जोधपुर की जनता बूंद-बूंद पानी के लिये तरसेगी। जोधपुर की व्यवस्था ठीक करने के लिये राज्य सरकार ने इस वर्ष जो पैसा दिया है उस पैसे का सदुपयोग हो और जिन अधिकारियों ने इस काम में पूरी कोताही बरती है उनके खिलाफ जांच की जाए। माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे यह भी मांग करना चाहूंगा कि आप उच्च अधिकारियों को भेजें, मुख्य अभियन्ता को भेजे, सचिव को भेजें। जोधपुर की इन दिनों में आप

(12.18)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

क्या व्यवस्था करेंगे? आज तीन दिन से जोधपुर की जनता को पानी नहीं मिल रहा है, एक-एक बूंद पानी के लिये, एक-एक मटकी पानी के लिये जोधपुर की जनता इधर-उधर घूम रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, राज्य सरकार कौनसी व्यवस्था करेगी, माननीय मंत्रीजी से इस बात का आश्वासन चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री शेखावत।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : सभापति महोदय, यह जोधपुर का मामला है....

श्री सभापति : हो गयी बात।

श्री राजेन्द्र गहलोत : बात नहीं होगी श्रीमन्, गम्भीर मामला है, जोधपुर में एक बूंद पानी नहीं है।

श्री मोहन मेघवाल : पानी का मामला है, आज तीन दिन हो गये जोधपुर को पानी नहीं मिल रहा है।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : जोधपुर की जनता को पानी नहीं मिल रहा है....

श्री मोहन मेघवाल : कुछ न कुछ तो व्यवस्था कराएं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शून्य-काल में जब उठाया जाता है तो आवश्यक नहीं कि मन्त्रीजी उसका जवाब दें, बिराजिये। माननीय श्री शेखावत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : जो नहर टूटी उसमें जिन अधिकारियों की लापरवाही हुई, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? मुख्य अभियन्ता को भेजें....

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : आज पांच दिन से जोधपुर में पानी नहीं है....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये। मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : यह जो अंधड़ से परेशानी आयी है, उसके कारण बिजली के कनेक्शन की भी, जैसा आप बता रहे हैं शिकायत है तो इसको युद्ध स्तर पर ठीक करने की कोशिश करेंगे, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो।

श्री सभापति : माननीय श्री शेखावत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : और क्या करेंगे ?

श्री सभापति : आपको आश्वासन मिल गया। ठीक करा रहे हैं और क्या चाहते है आप ? हां, हां, बिराजिये। माननीय, आप बिराजिये। एक पहले बोल रही हैं, फिर आप खड़े हो गये, अभी तो सुना आपने, बैठ जाइये। कर तो रहे हैं, व्यवस्था।

श्री राजेन्द्र गहलोत : क्या व्यवस्था कराएंगे ?

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : अधिकारियों का भयंकर घोटाला है, उसकी जांच होनी चाहिये।

श्री सभापति : बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : और ऐसे अधिकारियों को तुरन्त हटाओ आप।

श्री सभापति : माननीय शेखावत।

श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, देवस्थान की भूमि पर जो काश्तकार काश्त कर रहे हैं, देवस्थान के नाम से खातेदारी राइट्स उनके छीन लिये गये। उसके उपर बिजली लगाना, उसको विकसित करने के लिये लोन लेना, ट्रैक्टर लेना या सिंचाई के अन्य साधन उनको नहीं मिल रहे, इस वजह से काश्तकारों को बड़ी परेशानी हो रही है। यह एक मेरे क्षेत्र का ही मामला नहीं, यह पूरे राजस्थान का अहम सवाल है। काश्तकारों को आप खातेदारी राइट्स न दें, यह मैं मानता हूं, आप उस देवस्थान विभाग के नाम से खातेदारी राइट्स रखें, लेकिन उन काश्तकारों को आप यह तो अधिकार दें कि वह उस जमीन को विकसित कर सके। दूसरे काश्तकारों के समान उसको विकसित करने के लिये लोन दें। या लोन भी आप

(श्री भंवर सिंह)

मान लो, नहीं दें कि वह देवस्थान के नाम जमीन है, देवस्थान के नाम हम लोग किसको दें लेकिन आप इतना तो कीजिये कि जो काश्तकार अपने साधनों से उस जमीन को विकसित करना चाहता हो, उस जमीन पर कुआं खोदना चाहता हो या फव्वारा लगाता हो और उसको विकसित करता हो तो उसके लिये तो आप ऐसी व्यवस्था करवाइये सरकार से कहकर के कि उसको यह अधिकार हो कि वह कुओं का कनेक्शन ले सके और उसको कनेक्शन मिल सके। उसके मामले में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो रेवेन्यू विभाग के लोग हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उन काश्तकारों का शोषण करते हैं। बैकडोर से उनको कनेक्शन भी देते हैं लेकिन काश्तकारों का बड़ा शोषण होता है। उनके खातेदारी राइट्स न होने से ऐसा कानून में आप कोई प्रावधान कीजिये, चाहे उनको सिकमी काश्तकार बनाइये, चाहे कोई दूसरा प्रावधान करवाइये। सरकार से आप कह कर के ऐसा कार्य करें कि सारे राजस्थान के काश्तकारों को जो खातेदारी राइट्स नहीं हैं, उनको, उस जमीन को विकसित करने का अधिकार मिल जाए। जय हिन्द।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री धारीवाल। आपका किस मामले में था? हिण्डोली राहत कार्य के सिलसिले के अन्दर इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, इनमें बद-इन्तजामी हो रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, उसी बाबत बोल रहा हूं।

श्री सभापति : छोड़िये, कोई बात नहीं, फिर कभी उठा दीजिएगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, नहीं। आप शायद इसको पढ़कर के इसलिये पूछ रहे हैं कि मैं कोई दूसरा विषय उठाऊंगा।

श्री सभापति : नहीं, दूसरा नहीं, इस विषय में। इस विषय में बोलिये, हिण्डोली तहसील में चल रहे अकाल राहत कार्यों एवं इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना में बद-इन्तजामी व लापरवाही, इस विषय में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : हिण्डोली तहसील में 137 गांव अकालग्रस्त घोषित हुए हैं और उन 137 गांवों में करीब-करीब डेढ़ लाख की जनसंख्या मौजूद है। कोई भी काश्तकार उस तहसील का ऐसा नहीं है जिसके पास 20 या 25 बीघा जमीन से ज्यादा हो। 80 प्रतिशत काश्तकार चार या पांच या दो या तीन बीघा वाले लोग हैं। सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं और वहां पर जो राहत कार्य खोले गये हैं सरकार के द्वारा, यह सरकार तो + + +। सभापति महोदय, न तो जितने मन्त्री यहां पर बिराजमान हैं, कोई सुनने वाला है इस बात को? हालत यह

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है कि कुल मिलाकर छह कार्य स्वीकृत हुए हैं और छह कार्यों पर सिर्फ दो सौ आदमी काम कर रहे हैं। उन दो सौ आदमियों में से भी जो मजदूर वहां लगाये गये हैं उनकी दूरी उन राहत कार्यों के स्थल से कम से कम 15-15, 20-20 किलोमीटर है। हालत यह होती है कि किसी रोज आधी उपस्थिति होती है और किसी रोज उपस्थिति नगण्य होती है। ऐसे राहत कार्यों को चलाने से कोई फायदा ही नहीं है। सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तो राहत कार्य बढ़ाए।

दूसरी बात, इन्दिरा आवास योजना में जिन लोगों को अनुदान दिया गया है उनमें कई केसेज ऐसे सामने आये हैं, जिला प्रशासन के भी सामने आये हैं लेकिन दुःख की बात यह है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे मकानों पर जो 25-25, 30-30 साल पुराने बने हुए थे, उन्हीं को इन्दिरा आवास का नया मकान बताकर उस पर अनुदान दे दिया गया। निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री लगायी गयी। कई प्रकार के गड़बड़-घोटाले वहां चल रहे हैं। जवाहर रोजगार योजना के जितने भी काम जो पहले से अधूरे पड़े हुए हैं उनको तो शुरू नहीं किया गया है और जो प्रस्ताव सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजे जा रहे हैं वे ऐसे कार्यों के प्रस्ताव भेजे गये हैं जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि खास तौर पर हिण्डोली में जितने भी ये कार्य चल रहे हैं, चाहे जवाहर रोजगार योजना के हों, अकाल राहत के हों, इन्दिरा आवास योजना के हों, मैसिव प्रोग्राम के हों, उन पर कड़ी दृष्टि से निगरानी रखें और जिन लोगों ने लापरवाही की है और जो लोग जानबूझकर के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मैं एक अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न आपके सामने सूचनार्थ दे रहा हूं कि आगामी पखवाड़े में पिंकसिटी, चेतक एक्सप्रेस, श्री-अप, फोर-डाऊन, ये सारी रेलगाड़ियां बन्द हो रही हैं। वजह यह है कि जयपुर-दिल्ली के ब्राडगेज कन्वर्जन के कारण इस रेलवे यातायात को बिलकुल बन्द कर दिया जाएगा और जनता को बेहद परेशानी होगी। कोई भी व्यक्ति मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई, राजगढ़, अलवर या इसके आगे जाना चाहता होगा तो रेलवे मार्ग के द्वारा नहीं जा पायेगा क्योंकि ब्राडगेज कन्वर्जन के कारण रेल यातायात मार्ग बन्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को चाहिए, खास तौर पर परिवहन विभाग को कि वह अधिक से अधिक संख्या में बसों की इस तरह समुचित व्यवस्था करे जिससे कि हजारों यात्री, जो इन पिंकसिटी, श्री-अप, फोर-डाऊन, चेतक एक्सप्रेस से जाते हैं दिल्ली, राजगढ़, अलवर की तरफ, वे सब बसों के माध्यम से जा सकें। बसों की बहुतायत हो जिससे कि समय रहते हुए रेल यात्रियों को वैकल्पिक रूप से व्यवस्था मिल सके और उनको किसी भी तरह की रेल

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

यातायात ठप्प हो जाने के कारण दुविधा नहीं हो। सरकार को चाहिए कि वह लोक महत्व के प्रश्न पर जल्दी से जल्दी बसें लगाकर सुगम व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय सभापति जी, इस वर्ष इन्दिरा गांधी नहर में पोंग डैम में पानी की कमी की वजह से नहरी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं जितनी काश्तकारों को मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल पायीं और इस कारण से मेरे क्षेत्र के खाजूवाला क्षेत्र में, खास तौर से केजड़ी–केवायड़ी बीड़ीकेनास इनमें, काश्तकारों ने सरकार के कहने के बावजूद गेहूं की फसल की और सारी फसल बर्बाद हो गयी। काश्तकारों ने जो अपना बीज, खाद का पैसा खर्च किया वह उनको नहीं मिला, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस गेहूं की फसल का आबियाना माफ करने का विचार करे तो आगे किसान अपनी अगली फसल के लिये कुछ साधन बचा सकें। पूर्व में 1987 में भी सरकार ने इस तरह फसल खराब होने के कारण आबियाना माफ किया था। किसानों के पास कोई फसल बीमा का साधन नहीं है इसलिये किसान को किसी भी तरह से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं मिलती। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि गेहूं की फसल के लिये आबियाना इस वर्ष के बारे में माफ करने का विचार करें।

श्री सभापति : माननीय श्री महावीर भगोरा।

श्री भीमसेन चौधरी : मंत्री महोदय बिराजमान हैं इस बारे में जवाब दें जरा। जवाब दें, साहब।

श्री सभापति : माननीय श्री महावीर भगोरा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री भीमसेन चौधरी : गेहूं की फसल के बारे में था, खाजूवाला एरिया में।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : इरिगेशन एक्ट में और किसी में भी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है। यह बात सही है कि इस दफे नहरों में पानी कम चला, क्योंकि ऊपर बांधों में बरसात कम होने से पानी कम रहा लेकिन जैसा कि पूर्व में माननीय सदस्य को ध्यान है, फसल बीमा सिंचाई क्षेत्र में लागू हो, इसके लिये कोई नीति निर्धारित हो, उसके तहत जब भी होगा निश्चित तौर पर हम फायदा देने की कोशिश करेंगे।

श्री भीमसेन चौधरी : कम से कम आबियाना तो माफ करें।

श्री सभापति : बस आ गया न इनके बारे में। (व्यवधान)....

श्री बनवारीलाल बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : सभापति महोदय, देवल ग्राम है, वह अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। उसमें पिछले दो-तीन साल में खानों के पट्टे बेहिसाब दिये गये। 134 तकरीबन पट्टे उसमें जारी किये जा चुके। उन पट्टों के पीछे हिस्ट्री यह है कि जो महत्वपूर्ण स्थान वहां गांवों के थे, श्रृंगार स्थल, चामुण्डा माता का

Page No.111

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

मन्दिर, शीतला माता का मन्दिर, महाराज जी की गुफा, पीर साहब की मजार इन सबका ध्यान रखे बिना वहां पट्टे दिये गये जो बिल्कुल अवैधानिक है तथा जो बिल्कुल अनियमित तरीके से दिये गये हैं। आज जब वहां खनन चालू है या तो उन लोगों ने इन तमाम चीजों का तो ध्यान रखा ही नहीं इन मन्दिरों का इस पीर साहब की मजार का तो ध्यान रखा ही नहीं और जिन हरिजनों के 40-40, 50-50 साल से कब्जे थे, उनको जबर्दस्ती मार-मार कर वहां से निकाला गया और रामस्वरूप रेंगर का हाथ तोड़ दिया। पुलिस में जब दरख्वास्त की गयी तो पुलिस भी उन मुलजिमान से मिल गयी और आज तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

सभापति जी, इसमें मेरा निवेदन करना यह है कि उस स्थान के ऊपर जिन लोगों को पट्टे दिये गये हैं वे राजस्थान के बहुत बड़े-बड़े आफीसर हैं। उनमें आईएएस. अफसर हैं, आईएएस. और आरएएस. अफसर हैं और बड़े रूतबे और मतबे वाले लोग हैं जिन्होंने अपने असरात को काम में लिया। यह चामुण्डा माता का मन्दिर, शीतला माई का मन्दिर, पीर साहब की मजार इनका तो ध्यान रखा ही नहीं, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि आबादी से सटाकर के वे पट्टे दे दिये गये और आज वहां काम चालू है। काम चालू होने से हर वक्त वह खतरा गांव के ऊपर झूल रहा है, कब कोई दुर्घटना घट जाए इसका कोई अन्दाजा नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है मन्त्री जी से कि जिन लोगों ने हरिजनों को मारा है, जिनकी पुलिस में दरख्वास्तें आज भी नामजद मौजूद हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तत्काल कार्यवाही करायी जाए और जो पट्टे जारी किये गये हैं चूंकि वे अवैधानिक और गलत तरीके से कानून के खिलाफ किये गये हैं उनकी दुबारा जाँच कराकर के पुनर्विचार किया जाए और जो गलत है उनको कैन्सिल किया जाए।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत लम्बे समय से जो नये चिकित्सालय खोले गये थे उनमें अस्थाई रूप से कुछ वार्ड ब्वाय को लगाया गया था। कहीं साल भर से कहीं दो साल से, कहीं तीन साल से लगे हुए थे। बाद में विभाग ने उनकी नियुक्ति के लिये एडवरटाइजमेंट किया, उन लोगों को इसके लिये बुलाया। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि तीन तीन साल से जो लोग लगे हुए थे उनकी नियुक्ति नहीं करके ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जो कुछ समय के लिये लगे हुए थे। मैं उदाहरण देता चाहूंगा, खामटा के अन्दर पप्पू सेन जो पिछले तीन साल से काम कर रहा था और वह विकलांग भी है उसको नहीं लगाया गया। इसी तरह से पूर्व में पिछले ढाई-तीन साल से काम कर रहा था उसको भी नहीं लगाया गया, इसी तरह से खवासपुरा में भी एक हरिजन जिसने वार्ड ब्वाय के रूप में पिछले दो-ढाई साल तक काम किया उसको भी नहीं लगाया गया।

सभापति महोदय, ये किस तरह से नियुक्तियां की गयी हैं? मैं यह चाहूंगा

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

चूंकि उन्होंने काम किया है उनको नियुक्ति मिलनी चाहिये। आप इस सारे मामले की जांच करवाएं और इन लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था करवाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री : सभापति महोदय, माननीद सदस्य ने जिस तरह की नियुक्ति के बारे में बात कही है, ये सारी नियुक्तियां उच्च न्यायालय के आदेश से हुई हैं। जिस तरह की बात आप कह रहे हैं मेरे पास भी कुछ शिकायतें आयी हैं। मैं इस पूरे प्रकरण में जो नियुक्तियां पूरी हुई हैं इन सबकी मेरे विभाग के किसी आईएएस. स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करवाऊंगा और अगर इसमें कहीं भी नियुक्ति में गड़बड़ हुई या निर्धारित मापदण्डों को तोड़कर नियुक्ति की गयी या कम समय वालों को नियुक्ति दे दी और जिन्होंने ज्यादा समय काम किया उनको नियुक्त नहीं किया गया तो निश्चिय तौर पर मैं इस पर कार्यवाही करूंगा जो तीन व्यक्तियों के बारे में आपने चर्चा की है, आप से मेरा निवेदन है कि आप लिखकर दे दें, उन पर भी मैं पूरी जांच करवाऊंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सभापति महोदय, वर्तमान वर्ष को मुख एवं दन्त स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया है। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जहां राजस्थान में दन्त चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उन दन्त चिकित्सकों के दुखों की ओर भी ध्यान दीजिये जो पिछले तीन वर्ष से एसएमएस. मेडिकल कालेज से उत्तीर्ण हुए हैं, जिनकी संख्या 60 से भी ज्यादा है और जिनमें से एक को भी आज तक नौकरी नहीं मिली है। सभापति जी, मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार पर अर्थ भार पड़ना उचित है, इस बीमारी को देखते हुए-दांतों की बीमारी है, मुख की बीमारी है, पर यदि राज्य सरकार द्वारा किये गये खर्चे को दृष्टिगत रखते हुए क्वालिफाइड दन्त चिकित्सक नौकरी की तलाश में एक हजार दिन तक भी भटकते रहें और फिर भी उनको नौकरी नहीं मिले तो मैं समझता हूं राज्य की जनता का यह दुर्भाग्य होगा।

सभापति जी, मेरा इस मामले में एक सुझाव है माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से हरेक जिले में दन्त चिकित्सक का एक पद है, मैं समझता हूं सदन में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि एक जिले में एक दन्त चिकित्सक का पद, इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन की आवश्कता है मैंने इस प्रतिवेदन को उनके समक्ष इसलिये भिजवाया ताकि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी इन दन्त चिकित्सकों के स्वास्थ्य मन्त्री जी इन दन्त चिकित्सकों के स्वास्थ्य की ओर तुरन्त ध्यान देकर एक कोई निर्णय यहां पर बताएं या थोड़ा रेस्पांड करें। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी उनके दुखों की ओर ध्यान देंगे और इस सदन को इसी वक्त बतायेंगे कि उनकी पीड़ा को किस तरह से कम करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, जो भी दन्त चिकित्सक क्वालिफाइड है प्रदेश में उनको सरकार नौकरी दे यह तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जरूरी नहीं पर, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कुछ स्थान रिक्त जरूर हैं। जितने भी पूरे प्रदेश में दन्त चिकित्सकों के स्थान रिक्त हैं आरपीएससी. को रिक्विजीशन भेजा जा रहा है। अगर, सभापति महोदय, आरपीएससी. से चयन में समय लगेगा तो एडहाक बेसिस पर जो दन्त चिकित्सक हैं मेरिट के अनुसार उनका चयन किया जायेगा।

जो माननीय सदस्य ने प्रत्येक जिले के अन्दर दन्त चिकित्सकों के पदों की वृद्धि के बारे में बात की है, सभापति महोदय, मैं इसका परीक्षण करवाऊंगा मैं अभी तो अधिकारिक रूप से नहीं कह सकता क्योंकि मैं प्रयास करूंगा और इसके अन्दर जो आज तक प्रदेश में रिक्तियां हैं उनको भरने के लिये मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला अलवर में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं-चाहे एमआईए. चाहे भिवाड़ी चाहे राजगढ़ चाहे बहरोड हो, वहां के किसानों की जमीन अवाप्त की जाती है। सस्ते दामों में की जाती है और उद्योगों के लिये बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दी जाती है। सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि स्थानीय लोगों के भारी संख्या में बेरोजगार होते हुए भी, सभापति महोदय, क्योंकि आप भी उस जिले से सम्बन्ध रखते हैं, आप भी इससे पीड़ित हैं. वहां के उद्योगपति स्थानीय लोगों को बिल्कुल रोजगार नहीं देते। माननीय मन्त्री महोदय, अगर कोई टेक्निकल स्टाफ की बात हो या कोई ज्यादा प्रशिक्षित लेने की बात हो तो बात समझ में आती है लेकिन जो हैल्पर हैं, वाचमैन हैं और डेली वेजेज के मजदूरों के लिये भी अलवर जिले में बिहार से बंगाल से उड़ीसा से लोगों को लाकर रखा जा रहा है जिससे न सिर्फ हमारे स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा बल्कि हमारे यहां आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। उसी का परिणाम है कि अलवर जिला शांतिप्रिय होते हुए भी आज की तारीख में सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधियां अलवर जिले में हो रही हैं। मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है, आपके पास ऐसे प्रावधान हैं, आप बिजली उनको देते हैं, पानी देते हैं, जमीन अवाप्त करके देते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर देते हैं लेकिन ये बेरोजगारों को रोजगार नहीं देते और कहते हैं कि कारपोरेट आफिस दिल्ली में बनाएंगे हमारे प्रदेश को टैक्स के रूप में भी इससे वंचित रखा जाता है। मेरा निवेदन है, किसानों का हक मारकर उनको बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, लोगों को वहां से हटाया जाए, गांव के गांव को और उनको दिया जाय, आप यह व्यवस्था जरूर करें कि 75 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देना चाहिये। पांच प्रतिशत भी आज की तारीख में नहीं दिया जा रहा है, आप यह व्यवस्था करें, सरकार यह सुनिश्चित करे कि स्थानीय लोगों को ऐसे उद्योगों में चाहे कोई भी उद्योग हो राजस्थान में, वहां नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए।

(श्री जुबेर खान)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय तो बहुत सक्षम हैं और बार बार हर बात में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिये और होगा, एक इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, मेरा भी जो विषय है वह माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी से सम्बन्धित है । अजमेर में एक ऐतिहासिक मार्टिन ब्रिज है जो करीब-करीब सौ साल पुराना है । उसके नीचे से दो लाइन जाती हैं एक रतलाम और एक अहमदाबाद । सौभाग्यवश वह लाइन जो मीटर गेज की हैं वह ब्राड गेज में कन्वर्ट हो रही है । यह हमारे अजमेर के लिये अच्छा द्योतक है, शुभ द्योतक है और इसके लिये उस मार्टिन ब्रिज को आपको रेज करना पड़ेगा । इसको भी सैद्धान्तिक रूप से राज्य सरकार ने मान लिया कि ब्रिज का रख रखाव राजस्थान सरकार को करना है । सैद्धान्तिक रूप से मान तो लिया है पर इसमें दो बातें हैं, एक तो इसको तुरन्त करवाएं और दूसरा सौ साल पुरानी जो योजना बनी वह उस अनुपात में बनी कि पहले ट्रैफिक की स्थिति ऐसी थी अब आज उस ट्रैफिक का विस्तार हुआ है । उसमें दो सुझाव हैं कि एक तो उसको थोड़ा बड़ा करने की योजना बनाएं और एक ब्यावर की ओर उसकी एक आर्म काट दें । ट्रैफिक जो ब्यावर से आने वाला है उसे केशरगंज में आकर के मुड़ना पड़ता है श्री नगर को या आउटर रोड्स में जाने के लिये, तो बड़ी दुविधा होती है, तकलीफ होती है और ट्रैफिक सारा जाम हो जाता है । इसीलिये इसको ब्यावर से डाइरेक्ट ऊपर चढ़ा देंगे और वह फिर सीधा श्री नगर रोड या नसीराबाद रोड की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा तो ट्रैफिक की तकलीफ नहीं होगी । इसलिये मेरा मन्त्री महोदय को सुझाव है रेजिंग वाला प्रिन्सीपल तो दे हेव एग्रीड परन्तु दो बातों को और एग्री कर लें कि इसका थोड़ा-सा एक्सपेंशन हो जाए और एक आर्म ब्यावर की ओर निकल जाए तो मैं समझता हूं कि अजमेर शहर की जो आज मूलभूत आवश्यकता है ट्रैफिक की, जितनी बढ़ी है उसकी व्यवस्था बैठ जाएगी ।

सभापति : श्री नरेन्द्र बुडानिया ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : माननीय सभापति महोदय वैसे तो अकाल राहत के बारे में सदन के अन्दर कई बार चर्चा हुई और चर्चा के दौरान मैंने स्वयं भी भाग लिया था । चर्चा के दौरान यह महसूस किया कि पूरा का पूरा सदन राजस्थान की अकाल की स्थिति से दुखी है और इससे बहुत ताकत के साथ निपटना चाहता है लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुये बड़ा दुःख महसूस हो रहा है कि आज राजस्थान में अकाल राहत के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है । जो सीलिंग सरकार ने दी है उसी सीलिंग के मुताबिक आप किसी भी गांव में जाकर देखेंगे तो वह काम आपको बंद पड़ा मिलेगा, चालू किया हुआ नहीं मिलेगा । मैं सरदारशहर से चुनकर आया हूं, सरदार-

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

शहर के अन्दर, मैं बहुत जिम्मेदारी से हाउस के अन्दर बताना चाहता हूं और बहुत ही दुःख के साथ बताना चाहता हूं कि आज की तारीख तक एक काम चालू नहीं हुआ, न अकाल राहत के अन्दर शुरू हुआ और न और योजनाओं चाहे वह प्रधान मंत्री आश्वासित रोजगार योजना है या डीडीपी की कोई और योजना है, जो भी योजना हैं उसके अन्दर एक काम चालू नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, हम एक-सवा महीने से हाउस के अन्दर राजस्थान के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल हम इस विधान सभा सत्र के बाद हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे जब वे पूछेंगे कि एक काम चालू नहीं हुआ है? माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुछ काम स्वीकृत हुए हैं, जिले के अधिकारी भी बराबर हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं चालू करने की, लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि ये काम अब तक क्यों चालू नहीं हुए। इसके पीछे कहानी क्या है? उसके पीछे षड्यन्त्र क्या है? मुझे उसके पीछे कोई न कोई षड्यन्त्र नजर आ रहा है। सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र का ऐसा कोई गांव नहीं जो अकाल के अन्दर प्रभावित नहीं हुआ हो। तहसीलें, पूरा का पूरा विधान सभा क्षेत्र अकाल के अन्दर प्रभावित है, लोग पलायन कर रहे हैं अपने पशुओं को ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं समझता हूं कि आप सरकार को कोई ऐसी हिदायत दें कि यह कोई कमेटी बनाएं सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के लिये। एक-एक महीने से काम स्वीकृत पड़े हैं, एक-एक महीने से, माननीय सभापति महोदय, मैं दुःख के साथ कह रहा हूं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सरकार को आगाह करना चाहता हूं। आपके माध्यम से कि यदि सरदारशहर तहसील के अन्दर सात दिन के अन्दर काम शुरू नहीं हुआ तो ब्यावर वाली-सी हालत हो जायेगी। पूरे सरदारशहर की। हम लोग मर जायेंगे वहां बैठे-बैठे भूखे मर जायेंगे। हम कहां जायेंगे छोड़ कर? इसलिये आप सरकार को इस बात के निर्देश दें कि सात दिन के अन्दर तुरन्त उन राहत कार्यों को चालू करवाएं और नीचे के अधिकारी हैं पंचायत समिति के, तहसील के और उनकी जो मिलीभगत से काम शुरू नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री श्रवण कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : सभापति महोदय, शैक्षणिक संस्थाओं में जो स्थिति खराब हो रही है, चाहे जाने अनजाने में हो रही हो उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चार-चार साल से अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकों की कमी का कोई भी कारण हो, उससे शिक्षा का स्तर बुरी तरह से गिर रहा है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। एक विद्यालय है उसमें

(श्री रामनारायण मीणा)

इतिहास का एक अध्यापक सन् 1992 से नहीं है, दो साल हो गये। नैनवां सीनियर सैकण्डरी स्कूल में राजस्थानी भाषा का एक, इतिहास का एक और रासायनिक विज्ञान का एक, चित्रकला का एक, रासायनिक विज्ञान जैसा अध्यापक, माननीय सभापति महोदय, सन् 1990 से नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चे परीक्षा देते हैं, फेल होते हैं। यही कारण है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें लोग भर्ती होना शुरू हो रहे हैं। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बालिका माध्यमिक विद्यालय, नैनवां में 1992 से नहीं है। जहां 1990 से अध्यापक नहीं है पहले जो इतने दिनों से खाली जगह है प्राथमिक तौर पर उन्हें भरा जाए। नैनवां जैसे इलाके में अध्यापक दिया जाए। इस बारे में सरकार उचित ध्यान दें अन्यथा वही जो गति बन रही है। प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भर्ती की, उनकी पढ़ाई करने की ओर उनमें एडमीशन्स लेने की, बच्चों को भेजने की, उसको बल मिलेगा, गति मिलेगी और हमारी राजकीय शालाओं का स्तर गिरता रहेगा, हमारा अपना विश्वास हमारी राजकीय शालाओं के ऊपर से उठेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों पर विशेष ध्यान दें। जहा चार-चार साल मे अध्यापक नहीं हैं, लगातार अध्यापक नहीं हैं उनको जल्दी से जल्दी भरने की बात करें।

श्री सभापति : नियम 295 के अन्तर्गत सूचना है। श्री उदयलाल आंजना।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : मेरा नाम ही नहीं लिया।

श्री सभापति : कोई निर्देश नहीं है मेरे पास आपका। आपका 295 में आएगा, है इसमें आपका भी। श्री फतेहसिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

गंगागढ़ तहसील हनुमानगढ़ के श्री हरविन्दरसिंह के साथ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत गांव गंगागढ़ तहसील हनुमानगढ़ के अनुसूचित जाति के किसान श्री हरविन्दरसिंह के साथ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने, उसका खेत बरबाद करने, खड़ी फसल उजाड़ने के मामलों में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने तथा उपमहानिरीक्षक पुलिस के आदेश के बावजूद चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच बोर्ड का गठन करने से इन्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि गांव गंगागढ़ निवासी श्री हरविन्दर सिंह अनुसूचित जाति के किसान हैं। उनके पिता श्री बचनसिंह की 10 बीघा जमीन

(श्री फतेह सिंह)

है जिसको 1955 से वे कमा रहे हैं। हरविन्दरसिंह के पिता श्री बचनसिंह जमीन के वैधानिक मालिक होकर उस पर पूरा परिवार काश्त कर रहा है। इनके पड़ौस में चिकित्सा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ के पिता श्री उत्तमसिंह राठौड़ की जमीन है। श्री उत्तम सिंह राठौड़ सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारी होने के साथ-साथ मंत्री के पिता होने के कारण अनुसूचित जाति के किसान को लगातार तंग परेशान कर सता रहे हैं। श्री बचनसिंह द्वारा सन् 1985 में सिचाई विभाग में दो सौ जमा करवा कर खाला स्वीकृत करने की फाइल लगायी गयी जिसका आज तक निर्णय नहीं होने दिया।

दिनांक 26-1-94 गणतन्त्र दिवस के दिन श्री उत्तमसिंह व उनके सहयोगियों ने श्री हरविन्दर सिंह के खेत के खाले की डोली तोड़ दी। एतराज करने पर श्री उत्तमसिंह वगैरह ने हरविन्दर सिंह को उसके खेत से जबरन पकड़कर उठा लिया तथा खुद के खेत में ले जाकर बेरहमी से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाई। श्री हरविन्दरसिंह का दांत क्षतिग्रस्त हो गया व होंठ पर घाव हो गया। चोटग्रस्त श्री हरविन्दर सिंह को हनुमान टाउन चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया लेकिन पुलिस उस पर सौ रुपया चोरी का झूठा मुकदमा बनाकर अस्पताल उठा ले गयी। चिकित्सा मंत्री के दबाव के कारण डाक्टरों ने भर्ती रिकार्ड में पेट दर्द आदि बताकर हेराफेरी कर दी। डीआईजी बीकानेर रेंज द्वारा मेडिकल बोर्ड से जांच कराने के आदेश के बावजूद सीएमएचओ. श्री गंगानगर ने जांच नहीं करायी। दिनांक 9-1-94 को उक्त अनुसूचित जाति के किसान के खेत में खड़ी फसल को बरबाद करते हुए उत्तमसिंह के आदमियों तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जबरदस्ती खेत के बीचों बीच खाला खोद दिया। एतराज करने पर हरविन्दर सिंह की पत्नी श्रीमती गुरजीत कौर के साथ मारपीट, गालीगलौच तथा दुर्व्यवहार किया। जबकि सिचाई अधिनियम के रुल 11 (3) के तहत 15 अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल तक विभाग कोई भी बारी, आउटलेट या खाला आदि में परिवर्तन नहीं कर सकता। दिनांक 20-2-94 को जानबूझ कर उत्तमसिंह के आदमियों ने नहर का पानी तोड़ दिया। ज्यादा पानी लगने के कारण हरविन्दरसिंह की फसल नष्ट हो गयी। तीन बार उसके खेत में पानी तोड़ दिया गया लेकिन मुकदमा केवल एक बार दिनांक 23-2-94 को ही दर्ज किया गया।

उक्त घटनाओं को लेकर हरविन्दरसिंह व उसके परिवार द्वारा इस्तगासा के जरिये मुकदमें दर्ज कराये गये। मुकदमा संख्या 63/94, 96/94 तथा 130/94 एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 सहित भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज कराये लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

मान्यवर, (1) मुकदमा संख्या 63/94, 96/94 तथा 130/94 की जांच सीबीआई से करवाकर न्याय दिलाया जाए।

(श्री फतेह सिंह)

(2) 1985 से अब तक खाले का निर्णय नहीं करने तथा सिंचाई अधिनियम के रूल 11 (3) का उल्लंघन करके फसल बरबाद करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

(3) डीआईजी. बीकानेर रेंज के आदेशों के बावजूद सीएमएचओ. गंगानगर द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच न कराये जाने पर सीएमएचओ. के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

(4) अनुसूचित जाति के परिवार को फसल बरबादी के बदले मुआवजा दिलाया जाये व परिवार के जानमाल की रक्षा के लिये पुलिस को पाबंद किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल बारूपाल।

जायल निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में जलदाय विभाग द्वारा पानी वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : सभापति महोदय, तहसील जायल, जिला-नागौर के कतिपय ग्रामों मे जलदाय विभाग द्वारा कतई पानी नहीं देने के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करता हूं।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जायल के जिला नागौर के कतिपय ग्रामों जैसे मांजरा को कांगसिया, टालनियाऊ, आकोड़ा, नीम्बोड़ा, खेराट, गडरिया, नौसरिया व बुरड़ी को पाइप लाइन द्वारा जोड़ा गया है। इसी प्रकार जायल से धानणी, भाला-लड़, कुसिया, रासंगा व मांगलोद को पाइप लाइन से जोड़ा गया है। इसी प्रकार खिलाया से जाखण, जानवास, रोटू, बटवाड़ी-कीनाड़ी, अजबपुरा व दुगोली को जोड़ा गया है। इस प्रकार उपरोक्त गांवों को बाकायदा पाइप लाइन से जोड़ा हुआ है तथा इन पर पूरा स्टाफ लगा हुआ है, किसी प्रकार की कमी स्टाफ की नहीं है।

इतना सब-कुछ होते हुए भी उक्त ग्रामों में छह-छह माह तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है, यह हकीकत है जिसकी कभी भी खुले रूप से जांच करायी जा सकती है। जब भी सहायक अभियन्ता जायल को दूरभाष पर पूछा जाता है कि सहायक अभियन्ता कहां पर हैं तो कहा जाता है कि नागौर गये हुए हैं। नागौर पता किया जाता है तो कहा जाता है कि यहां पर तो जायल के सहायक अभियन्ता नहीं आये, यहां पास में ही बड़ली उनका गांव है वहां गये होंगे। यह स्थिति गत दो वर्षों से चल रही है।

आम गरीब जनता को 100-100/– रुपये टैंकर के देकर पानी मंगाना पड़ता है तथा 15–15 किलोमीटर से लोगों को पानी लाना पड़ता है। आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए मैं आपके माध्यम से यह विशेष उल्लेख नियम 295 के तहत उठा रहा हूं कि उक्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था करवायी जाए अन्यथा हालत खराब हो जायेंगे।

श्री सभापति : डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री मोहनलाल बारूपाल : × × ×

श्री सभापति : भाषण नहीं होता, पढ़ने का ही होता है इसमें ।

श्री मोहनलाल बारूपाल : × × ×

श्री सभापति : आप विराजिये, पढ़ने का होता है । गलत परम्परा मत डालिये, विराज जाइये । डा. जितेन्द्रसिंह ।

श्री मोहनलाल बारूपाल : × × ×

श्री सभापति : आपने जो लिखा था वह पढ़ लिया, पढ़ा ही जाता है 295 में ।

श्री मोहनलाल बारूपाल : × × ×

श्री सभापति : आप विराजिये । श्री रामनारायणजी, क्या आवश्यकता है आपकी वकालत की उनको ? आप विराजिये न ।

श्री रामनारायण : सरकार कहना चाहे, ऐसी व्यवस्था है कि सरकार यदि इसके बारे में कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है ।

श्री सभापति : हां, चाहे तो जवाब दे देगी, मैं मना कर रहा हूं क्या ? (व्यवधान) ·······जवाब देंगे तो जरूर मैं उनसे निवेदन करूंगा ।

श्री मोहनलाल बारूपाल : × × ×

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय सदस्य । डा. जितेन्द्र सिंह ।

श्री मोहनलाल बारूपाल : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुशायरा या कवि सम्मेलन नहीं है, आप बिराजो अब । आपने 295 में अपनी बात कह दी, अब आप विराजो । समय बहुत कम है और बहुत लम्बा

श्री मोहनलाल बारूपाल : × × ×

श्री सभापति : डा. जितेन्द्र सिंह ।

नीमकाथाना औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों के कच्चे माल पर चुंगी की अधिक दर

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये नीमकाथाना औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों के कच्चे माल पर चुंगी की अत्यधिक दरों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । उपरोक्त विषयानुसार मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में फुटवियर उद्योग मुख्यतः चार जगह विकसित हुआ है जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी व नीमकाथाना क्षेत्र । भिवाड़ी के उद्योगों को चुंगी से छूट दे रखी है जबकि जयपुर, जोधपुर व नीमकाथाना में उद्योगों के कच्चे माल पर चुंगी वसूल की जाती है । महोदय, नीमकाथाना की फुटवियर इकाइयों को अपने कच्चे माल पर जयपुर एवं जोधपुर की तुलना में चार गुणा से लेकर 200 गुना तक अधिक चुंगी चुकानी पड़ती है जिसकी वजह से आज वहां की अच्छी खासी इकाइयों के बन्द होने की नौबत आ गयी है एवं तीन

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं की गई ।

(डा. जितेन्द्र सिंह)

इकाइयां तो बन्द हो भी गयी हैं। महोदय, इस उद्योग में इस क्षेत्र के 2000 से अधिक गरीब बेरोजगारों को रोजगार मिला हुआ है और इनके बन्द होने से इस क्षेत्र में बेरोजगारी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

मैं आपका ध्यान निम्न तुलनात्मक चार्ट की ओर दिलाना चाहता हूं :—

नाम	भिवाड़ी में लागू दर		जयपुर मे लागू चुंगी की दर		जोधपुर में लागू चुंगी की दर		नीमकाथाना में लागू चुंगी की दर
रबड़	नील	100 (अ)	15.00 प्रति क्वि.	61	12.00 प्रति क्वि.	38	(51.00 प्रति. कि. 0.75%)
सूती कपड़ा	"	95	20.00 " "	50	15.00 " "	38	(163.00 " " 0.75%)
केमिकल्स	"	53 (6)	25.00 " "	44 (द)	1.00 " "	77	(270.00 " " 1.5%)
प्लास्टिक	"	29	15.00 " "	87 (अ)	10.00 " "	46	(108.00 " " 2.00%)
पैकिंग सामग्री	"	77	5.00 " "	96	4.00 " "	40	(29.00 " " 1.00%)
मोम	"	52	4.00 " "	24	3.00 " "	23	(50.00 " " 2.00%)
बेरोजा	"	52	4.00 " "	42	5.00 " "	51	(50.00 " " 1.25%)
कलर	"	46	10.00 " "	43 (ख)	15.00 " "	62	(800.00 " " 2.00%)
मशीनरी	"	109	30.00 " "	65	10.00 " "	54	(कोई सीमा नहीं 1.5%)
मशीन पार्ट्स	"	109	30.00 " "	65	10.00 " "	58	(कोई सीमा नहीं 2.0%)

(डा. जितेन्द्र सिंह)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि असमान चुंगी दर से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योगों को कच्चे माल की लागत अत्यधिक बढ़ जाती है एवं वहां के उद्योग बड़े शहरों के उद्योगों की तुलना में प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं और उन्हें बन्द होने को मजबूर होना पड़ता है।

क्या सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नीति मात्र दिखावा है? यदि नहीं, तो शीघ्रातिशीघ्र ऐसे कदम उठाये जाए जिससे नीमकाथाना की चुंगी की दरों को तर्क संगत बनाकर जयपुर एवं जोधपुर के अनुसार वजन के आधार पर निर्धारित किया जाए। धन्यवाद।

(13.00)

बम्बोरी कलां जिला बारां की सरकारी नजूल सम्पत्ति की देखभाल की उचित व्यवस्था

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मैं ग्राम बम्बोरी कलां जिला बारां की सरकारी नजूल सम्पत्ति के बाबत प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव आपके समक्ष रख रहा हूं।

महोदय, ग्राम बम्बोरी कलां, तहसील मांगरोल, जिला बून्दी में चार नजूल सम्पत्तियां (1) मिडिल स्कूल, (2) चौकी जगात, (3) चौकी पुलिस, (4) चौकी जकात सूरथाग है। इसके बारे में नजूल सम्पत्ति रजिस्टर में इन्द्राज किया हुआ है। ग्राम बम्बोरी कलां की पुलिस चौकी से सम्बन्धित नजूल सम्पत्ति की चतुर्सीमा में उत्तर में कायना हाउस, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में सरकारी जमीन पड़त एवं पश्चिम में रास्ता आम व पड़त भूमि दर्शायी गयी है।

रजिस्टर नजूल (मकानात सरकारी) में दर्ज पुलिस चौकी वाली लाखों रुपये की सम्पत्ति के कब्जे के लेने हेतु थानाधिकारी, पुलिस थाना मांगरोल द्वारा पत्र संख्या 2045-47 दिनांक 26-5-93 को अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बारां को पत्र लिखने के बाद भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुलिस से कब्जा नहीं लेने के कारण एक व्यक्ति मलखान सिंह ने जबरदस्ती से सरकारी नजूल सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। अभी तक भी सरकार द्वारा वापस कब्जा लेने के लिये कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः ग्राम बम्बोरी कलां स्थित पुरानी पुलिस चौकी वाले भवन को जो रजिस्टर नजूल (मकानात सरकारी) में दर्ज है, कब्जे सरकार लिया जाकर उसकी देखरेख की उचित व्यवस्था किये जाने हेतु आदेश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

राजस्थान में बारूद का विकास कार्यों में उपयोग करने वालों को पुलिस द्वारा परेशान करना

श्री सभापति : माननीय श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत चर्चा करने की सूचना।

महोदय, राजस्थान में बारूद से विस्फोट द्वारा तरह-तरह के विकास कार्य होते हैं, उसमें खास करके पुलिस विभाग द्वारा टाडा अधिनियम का हवाला देकर रुकावटें पैदा की जाती हैं। मिसाल के तौर पर व्यापारी को लाइसेंस भारत सरकार देती है और बारूद ढुलाई के लिये खास तरह के वाहन की स्वीकृति भी देती है। बारूद को काम में लेने हेतु विस्फोट करने का लाइसेंस भी जारी करती है जिससे माइन्स का काम, सड़क की चौड़ाई का काम, कुएँ खोदने का काम, नहर का काम तथा और भी तरह तरह के विकास कार्य होते हैं। पुलिस की ज्यादतियां निम्न प्रकार से है:—

(1) एमोनियम नाइट्रेट एक अहानिकारक पदार्थ है जिसे पुलिस विभाग गलती से बारूद समझती है और आम आदमी को पकड़कर बड़ी गलती कर बैठती है। इसमें डीजल मिलाने पर भी यह अहानिकारक ही रहती है।

(2) सेफ्टी फ्यूज जिसे बोलचाल में बत्ती कहते हैं और जो स्वयं कुछ भी हानि नहीं करती है, उसे भी पुलिस विभाग खतरनाक समझकर कानूनी अड़चनें पैदा करती है। 1993 को लागू किये गये नये रूल्स से पहले अपने स्वयं के काम के लिये बत्ती रखने के लिये न तो लाइसेंस की जरूरत थी और न ही तादाद की सीमा थी।

(3) इसी प्रकार जी फार्म लाइसेंस जो 1983 रूल्स के जारी होने के पहले से जिलाधीश द्वारा जारी हुआ करता था जिसके लिये अब फार्म 24 बन गया है। उसे जारी करना या करवाना करीब-करीब बन्द है जिससे माइन्स का काम करने या गरीब आदमी अपना कुआं खोदने या दूर गांव में खान से पत्थर निकालने का काम करता था उसमें भी अब कानूनी रुकावटें पैदा हो गयी हैं।

(4) सबसे अहम बात यह है कि जो एक्सप्लोजिव, जो बारूद स्वीकृत गाड़ी द्वारा ढुलाई किया जाता है उस गाड़ी को भी जगह-जगह पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है। जो गरीब आदमी अपने कुएँ को गहरा करता है या छोटी-मोटी खान खोदकर स्वयं रोजी के तौर पर पत्थर निकालता है उसे भी परेशान किया जाता है और उसे पूछा जाता है तुम माल कहां से लाते हो, उससे ब्लास्टर का लाइसेंस भी मांगा जाता है जो उसने अपनी पीढ़ियों में कभी सुना ही नहीं है।

अकाल की स्थिति को देखते हुए एवं गरीब आदमी को दूर अपने ही गांव में रोजी मिल सके इसलिये यह सुझाव है कि एक असरकारी कमेटी तुरन्त मुकर्रर की जाए जो दस-पन्द्रह दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करे कि किस तरह से इन सारी तकलीफों को दूर किया जा सकता है।

इसके साथ भारत सरकार को लिखा जाए कि एक्सप्लोजिव रूल में या तो ऐसा अमेंडमेंट करे ताकि आम आदमी को अपना पुश्तैनी कार्य करने में कोई तकलीफ न हो या फिर ऐसा तरीका बता दे कि जिसकी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पालना की जा सके । सबसे बड़ी दिक्कत व्यापारी को टाडा का हवाला देकर कार्य में अड़चनें डालने से होती है जिसे हर कीमत पर राज्य के विकास के लिए रोका जाए ।

राज्य में भूजल विभाग है वह भी यही कार्य करता है । उनके पास न तो नियमित ब्लास्टर्स होते हैं और न ही वे कानून का अक्षरश: पालन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें भी जगह-जगह दूर स्थानों में गांवाई इलाकों मे विशेषकर कुएँ खोदने का कार्य करना होता है । पुलिस उन्हें तो नहीं पकड़ती है । इसलिये प्राथमिकता से सर्व प्रथम गृह विभाग द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षकों को एक सर्कुलर तुरन्त जारी किया जाए जिसमें खासकर यह हिदायत दी जाए कि जो अपने निजी उपयोग के लिये बारूद को काम में लेते हैं अथवा विकास कार्य करते अथवा कराते हैं उन्हें बिना किसी खास वजह से परेशान नहीं किया जाए । दोयम जिला में जो भी मुकदमें बारूद अधिनियम के तहत बने हैं उनकी जांच की जाकर उपरोक्त मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए समाप्त किया जाए । काला शोर या बारूद पांच किलो तक बगैर लाइसेंस के रखा जा सकता है, यह कानून है । दीपावली के पटाखे 25 किलो तक कोई भी आदमी बगैर लाइसेंस के रख सकता है तो फिर अमोनियम नाइट्रेट डीजल आइल पर पाबंदी का क्या औचित्य है ? यह सबसे सस्ता और हानिरहित पदार्थ है जिसे पुलिस विभाग अत्यन्त खतरनाक बारूद समझकर टाडा लगा देती है ।

हमें आशा व विश्वास है कि आप इन सुझावों को अवश्य मानेंगे और राज्य के हित में, विकास कार्यों के हित में आप आम आदमी व व्यापारी को बचाने के लिये उपरोक्त कदम अवश्य उठाएंगे ।

बूंदी जिले में अवैध खनन से राज्य सरकार को राजस्व हानि

श्री सभापति : माननीय श्री ओमप्रकाश शर्मा ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख है कि बून्दी जिले में अवैध खनन से करोड़ों रुपयों का राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से उनके संबंधी एवं गुण्डा तत्व अवैध खनन में संलग्न हैं ।

मैं राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि खनन विभाग और वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं अवैध खनन कार्य करवा रहे हैं । जैसे धनेश्वर पंचायत में जहां जवाहर सागर बांध है, जिससे राजस्थान को लगभग 600 मेगावाट बिजली प्रतिदिन वर्तमान में मिल रही है तथा 11-4-94 से लगभग 800 मेगावाट प्रतिदिन बिजली पैदा होगी, उस जवाहर सागर बांध को अवैध खनिज कार्य करने वाले मलबा बड़ी-बड़ी चट्टानें डालकर भर रहे हैं । फिर जब वह भर जायेगा तो राज्य सरकार इसकी सफाई कराने में लाखों रुपये खर्च करेगी । इसलिए उन्हें इसी वक्त रोका जाए एवं खनिज तथा वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जो यह कार्य करवा रहे हैं सख्त कार्यवाही की जाए अन्यथा राजस्थान को भारी नुकसान होगा ।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

घनेश्वर पंचायत में ही कंवरपुरा, डाबी पचायत में बड़ी पुराना राजपुरा, डाबी से लाम्बाखोह सड़क के सहारे, जबकि सड़क के दोनों ओर लगभग 45 मीटर जगह छोड़कर खानें चलायी जाती हैं, अवैध खानें चल रही हैं। वन विभाग के कर्मचारी संलग्न है। इसी प्रकार पलकां, गबड़दा में अवैध खानें वर्तमान में भी चल रही हैं।

इसी प्रकार हिण्डोली पंचायत समिति में बामौली पंचायत में मोधन्या के मन्दिर के सहारे, माधोपुरिया, दुरवासानाथ महादेव के क्षेत्र में, गुढ़ा पंचायत के नारायणपुर में, किसनपुरा, अबड़ में सतूर में, बंधनाथ महादेव, सिकन्देश्वर महादेव की पठारियों पर हरिपुरा, नटावा, तालाब गांव, उमर पंचायत रोनीजा पंचायत बासनी में राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे उपरोक्त गांवों में है। जैसे माधोपुरिया में कच्चा लाल रंग का पत्थर विदेशों में जा रहा है। दुरवासानाथ महादेव के पास से, हरिपुरा ग्राम से, सतूर नटावा तालाब गांव से लाइम स्टोन का पत्थर डी सी एम फैक्ट्री में जा रहा है जिससे बून्दी जिले में उद्योग भी नहीं लग पायेंगे। क्या राज्य सरकार बून्दी में उद्योग नहीं लगाना चाहती? क्या अधिकारी डीसीएम फैक्ट्री वालों से मिले हुए हैं? स्लेट का पत्थर, मार्बल स्टोन आदि के अवैध खनन को तत्काल रोकने की व्यवस्था करें। लीजें छोटी की जाएँ, जिससे अवैध खनन रुकेगी और बेरोजगारों को लाभ मिलेगा।

यहां अधिकतर अवैधानिक तरीके से पत्थर निकाला जा रहा है। इससे राज्य सरकार की रेवेन्यू, डैड रेण्ट आदि का करोड़ों रुपयों का नुकसान तो हो ही रहा है, दूसरी ओर वन विभाग की भूमि में ये खानें चल रही हैं। वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से सम्पूर्ण जंगल साफ हो रहा है। दूसरी ओर भारत सरकार एवं राज्य सरकार पौधे लगाती है उनका कोई पता नहीं है। इस कारण उक्त अवैध कार्य को तत्काल रोका जाना आवश्यक है, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सागरमल गोपा शाखा में भ्रष्टाचार

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा तथा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पनपे भ्रष्टाचार की ओर सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

महोदय, इन्दिरा गांधी नहर विभाग में सागरमल गोपा शाखा आपाधापी तथा भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गयी है। सागरमल गोपा नहर शाखा बुर्जी 190-314 तक कार्य करने के लिये आठ करोड़ रुपया व्यय किया जाना था। यहां का कार्य ठेकेदार श्री मुरारदान ने अपने नाम येनकेन प्रकारेण प्राप्त कर लिया, किन्तु उन्होंने केवल मिट्टी निकालने का कार्य तो किया परन्तु जब पक्का कार्य करने का समय आया तो ठेकेदार साहब अपने क्षेत्र से गायब हो गये क्योंकि मिट्टी निकालने में तो फायदा हो

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

रहा था पर पक्का कार्य करने में उनको लगा कि फायदा नहीं हो रहा है।

कुछ समय में ही नहर मण्डल तथा विभाग के मुख्य अभियन्ता, बीकानेर को इन पर कार्यवाही करनी चाहिये थी पर उन्होंने भी इस ठेकेदार के ही पक्ष में रिपोर्ट कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा दायर रिट में उनकी रिकमंरी पर स्टे प्राप्त हो गया है। इस प्रकार ठेकेदार और विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकार का करीब आठ करोड़ का नुकसान हो गया। जो कार्य आठ करोड़ में होता वह कार्य अब नये ठेकेदार द्वारा सोलह करोड़ में पूरा होगा।

इसलिये मैं आज सरकार का ध्यान इस भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित कर रही हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री खोईवाल।

अन्तरराष्ट्रीय वित्त संस्था की मदद से क्रय की गयी सामग्री में राजस्थान विद्युत बोर्ड द्वारा गफलत।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था की मदद से मैसर्स भारत कंडक्टर्स प्रा. लि. से क्रय की गई सामग्री में बोर्ड द्वारा की गयी गफलत से उत्पन्न स्थिति के बारे में माननीय ऊर्जा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था द्वारा राजस्थान विद्युत बोर्ड को आर्थिक मदद 1980 में इस आशय के लिये स्वीकृत की गयी कि यह अपना कार्य चलाने के लिये ग्लोबल टेण्डर के आधार पर ए ए सी. नेट, ए सी एस आर. स्कीउरल ए ए सी. आन्ट. एवं एसी एस आर. वीजले क्रय करें। तदनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप मैसर्स भारत कण्डक्टर्स प्रा. लि., बैंगलोर का टेण्डर नियमानुसार सर्वोत्कृष्ट पाये जाने पर निर्धारित दर से उक्त सामान क्रय करने के लिये, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था से प्राप्त टेण्डर्स के आधार पर सहमति लेकर बोर्ड ने, बाद एग्रीमेण्ट के, खरीद के आदेश दिये।

एग्रीमेण्ट के आधार पर बोर्ड ने वांछित राशि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था से उक्त खरीददारी के लिये प्राप्त की। परन्तु फर्म द्वारा निर्माण करने के बाद बोर्ड ने इस कदर फर्म पर दबाव डाला कि टेण्डर के मुताबिक स्वीकृत दर से, अपनी दर कम करे क्योंकि बोर्ड द्वारा फर्म को परेशान करने और मानदण्डों से तैयार निर्मित माल स्वीकार नहीं करने से मैसर्स भारत कण्डक्टर्स आर्थिक संकट में पड़ गया और करोड़ों की राशि का निर्मित माल स्वीकृत नहीं करने के कारण फैक्ट्री बन्द होने की नौबत आ गयी।

इस आर्थिक संकट से उबरने के लिये फर्म के पास कोई विकल्प नहीं बचा, सिवाय इसके कि वह निर्धारित दर में कमी करने की सहमति दे दें। इसके बाद बोर्ड ने सामान क्रय करना और भुगतान करना आरम्भ किया। इससे फर्म को लगभग दो करोड़ से अधिक राशि का नुकसान पहुंचा।

Page No.126

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

इस प्रकार बोर्ड ने अपने स्वयं की अव्यवस्थाओं के कारण हो रहे घाटे की पूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था को धोखा देकर की और फर्म से दबाव द्वारा की गयी कम राशि का भुगतान अलग से चैक द्वारा वापस प्राप्त किया, जिससे मूल टेण्डर में अंकित राशि पूरी की पूरी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था से प्राप्त कर ली। यह कृत्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और साथ ही फर्म की मजबूरी के कारण उसे दो करोड़ से अधिक की राशि का नुकसान पहुंचाया गया है।

सामान की पूर्ति के बाद जब फर्म ने राजस्थान विद्युत बोर्ड पर आरोप लगाया कि बोर्ड उसका शेष कम किया गया भुगतान वापस करे, बोर्ड और फर्म ने आपसी सहमति से एक आर्बिट्रेटर का गठन कर सम्पूर्ण प्रकरण का पुनः अवलोकन कर निर्णय देने का तय किया, जो दोनों पार्टियों को मान्य करना पड़ेगा। नियमानुसार आर्बिट्रेशन का निर्णय भी यही हुआ कि बोर्ड तत्काल चैक द्वारा प्राप्त समस्त राशि मय ब्याज के फर्म को लौटाएं। परन्तु बोर्ड इसकी पालना नहीं कर रहा है।

यदि यह सम्पूर्ण प्रकरण अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था के ध्यान में लाया जाता है तो बोर्ड की जबरदस्त बदनामी होगी और साख गिरेगी। साथ ही भारत देश में भी धोखाधड़ी करने वाली संस्था के रूप में धब्बा लगेगा जो न तो बोर्ड और न ही राजस्थान सरकार के हित में होगा।

अतः ऊर्जा मंत्री महोदय उक्त तथ्यों पर टिप्पणी करते हुए यह भी बताने की कृपा करें कि क्या जो राशि अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था से जिस निमित्त प्राप्त की उसका उपयोग उसी निमित्त किया गया है ? फर्म द्वारा पुनः प्राप्त की गयी राशि का क्या उपयोग किया गया ? क्या सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था को दी जा चुकी है ? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति भी उपलब्ध करायें। क्या आर्बिट्रेशन का गठन दोनों पार्टियों की सहमति से हुआ था ? आदि, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री परसादीलाल मीणा। (अनुपस्थित) माननीय श्री कालीचरण सराफ।

अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति के काश्त की जमीन पर खनन की अनुमति

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये काश्त की भूमि जो अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीन है, उस पर खान के ब्लॉक्स काट दिये जाने के बारे में उठाना चाहता हूं।

राज्य सरकार समय-समय पर प्रसारित अपने आदेशों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को विशेष संरक्षण देने की बात करती है—किन्तु इनका वास्तविकता में पालन नहीं होता और इन व्यक्तियों पर अत्याचार होते रहते हैं। ये अत्याचार किसी समुदाय द्वारा किये जायें तो अलग विषय है किन्तु राज्य सरकार के स्तर पर

Page No.127

(श्री कालीचरण सराफ)

हों तो यह स्थिति चिन्ताजनक है। श्री जगदीश मीणा पुत्र श्री श्रवणलाल मीणा निवासी नला माताजी बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा के नाम पर हल्का गणेशपुरा नला का माताजी में दस बीघा जमीन खातेदारी होकर श्री मीणा के स्वामित्व में चली आ रही है। भूमि का खसरा नम्बर 153/109 है। 1977 में खनिज विभाग द्वारा सुपर इम्पोज बाउण्ड्री ब्लॉकों के लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे। उस समय विभाग ने श्री मीणा की काश्त की जमीन को भी उसमें सम्मिलित कर लिया था।

श्री जगदीश मीणा ने उस समय आपत्ति प्रस्तुत कर खनिज विभाग बिजोलिया, तथा निदेशालय खनिज विभाग, उदयपुर को एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ को भी सूचित कर आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने खनिज अभियन्ता, बिजोलिया को पत्र लिखकर आदेश दिये थे कि उक्त भूमि को आवंटित नहीं किया जाए क्योंकि उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को सरकार द्वारा खेती के लिये आवंटित की गयी है परन्तु सन् 1988 में खनिज अभियन्ता, बिजोलिया द्वारा एक विज्ञप्ति अपने कार्यालय के बाहर लगवायी गयी जिसमें श्री मीणा की काश्त भूमि के लिये भी ब्लाक बनाकर आवंटित करने के लिये आवेदन मांगे गये। श्री मीणा द्वारा आपत्ति की गयी जिसके प्रत्युत्तर में खनिज अभियन्ता, बिजोलिया द्वारा निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर को अपने पत्र क्रमांक निदे/प–2/एच/11/ बिजोलिया/204 दिनांक 1-6-89 द्वारा सूचित किया गया कि जो सुपर इम्पोज बाउण्ड्री बनायी गयी है उसमें निम्न ब्लाक खातेदारी काश्त भूमि में आते हैं। ब्लाकों के नम्बर निम्न प्रकार हैं:—98–112 से लेकर 119 तक, 130 से लेकर 138 तक, कुल 18 ब्लाक को काश्त की भूमि होने के कारण से रिक्त रखा गया है।

उपरोक्त ब्लाकों पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने पर्यावरण समिति, बिजोलिया के द्वारा आपत्ति पेश करने पर दिनांक 12-4-91 को निषेधाज्ञा दे दी तथा उच्च न्यायालय द्वारा खनिज अभियन्ता, बिजोलिया एवं निदेशक खान एवं भू विज्ञान, उदयपुर को पाबन्द किया गया कि आप उपरोक्त ब्लाक काश्त की जमीन होने की वजह से वहां खनन कार्य की इजाजत न दें। श्री मीणा की भूमि खसरा रकबा नं. 153/109, जिसमें ब्लाक आते हैं उनके नम्बर 115, 116, 132 तथा अन्य और ब्लाक भी आते हैं को खनिज अभियन्ता, बिजोलिया द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की निषेधाज्ञा के बावजूद ब्लाक न. 115, 116, 132 को रिश्वत खाकर गुपचुप में राजकुमार विनायक निवासी शास्त्री नगर, भीलवाड़ा एव उसके सहयोगी अथवा रिश्तेदारों को आवंटित कर दिये गये हैं जबकि उपरोक्त पत्र का हवाला देकर खनिज अभियन्ता द्वारा 1989 में निदेशालय, उदयपुर को सूचित किया गया था कि उक्त ब्लाक रिक्त रहेंगे। उपरोक्त ब्लाकों के क्यूरी लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं जबकि रजिस्ट्रीशुदा जमीन पर तथा काश्त की भूमि पर ऐसा नहीं किया जा सकता है।

(श्री कालीचरण सराफ)

श्री मीणा 27 जनवरी, 1994 को देवीलाल भील पुत्र श्री जोधा भील से अपनी दस बीघा भूमि खसरा नं. 153/109 की रजिस्ट्री करवा कर अपने खेत पर गया तो वहां पर राजकुमार विनायक खनन कार्य कर रहा था। जगदीश के मना करने पर उसने मुझसे कहा कि उक्त भूमि पर आने वाले ब्लाक 115, 116, 132 के क्यूरी लाइसेंस, मैं खनिज अभियन्ता से ले चुका हूं। जिसकी प्रथम सूचना मैंने थानाधिकारी, बिजोलिया को दी कि मैं अनुसूचित जनजाति का आदमी हूं तथा राजकुमार विनायक जो वर्षों से वहां खानें चलाता आ रहा है, पैसे व शक्ति से परिपक्व है तथा मैं असक्षम हूं, मुझे मेरी काश्त की जमीन पर कब्जा दिलवाया जाए। एफ. आई. आर. नं. 41/94 दर्ज करवायी गयी जो अनुसंधान में है।

इसके बाद श्री मीणा तुरन्त खनिज अभियन्ता, बिजोलिया से मिले कि मेरी रजिस्ट्रीशुदा काश्त की भूमि पर अवैध खनन हो रहा है कृपया आप उसे रुकवाएं। परन्तु बार-बार शिकायत करने पर उन्हें सिवाय डराने के और कुछ नहीं किया गया। श्री मीणा ने जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक तथा खनिज मंत्री, राजस्थान सरकार, माननीय मुख्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, खनिज मन्त्री भारत सरकार को रजिस्टर्ड पत्र लिखकर सूचित किया परन्तु उसकी सुनवाई नहीं हुई तथा श्री मीणा की काश्त की भूमि का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है।

श्री मीणा को उक्त जमीन पर कब्जा दिलवा कर उन दोषी अधिकारियों को दण्डित करवाने की कृपा करें जिन्होंने उसकी काश्त की भूमि पर राजस्थान उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा के बावजूद क्यूरी लाइसेंस जारी कर ब्लाक आवंटित कर दिये।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, बहुत घोटाले हैं इसकी जांच की जाए।

श्री सभापति : इसमें विवाद नहीं होगा। 295 में आप नहीं बोल सकते, आप बिराजिये।

श्री कालीचरण सराफ : सभापति महोदय, यह गम्भीर मामला है।

श्री सभापति : हां, तो आपने बता दिया है। इसमें वह नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : मैं तो गृह मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि इस पर जरा बोलिये, प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : कोई आदेश है और उसकी कोई उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

झोटवाड़ा व जमुवारामगढ़ पंचायत समिति में खराब हैण्डपम्पों के कारण पेयजल समस्या

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : समापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रश्न पर जयपुर ग्रामीण की जमुवारामगढ़ पंचायत समिति तथा झोटवाड़ा पंचायत समिति के खराब हैण्डपम्पों के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मान्यवर, जयपुर जिले में खराब हैण्डपम्प ठीक किये जाने का अभियान शुरू किये जाने की विधान सभा में घोषणा की गयी है। खेद का विषय है ·······(व्यवधान) आपस में इस तरह से जोर-जोर से बातचीत करेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री समापति : आपका रिकार्ड हो रहा है आप तो जारी रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन विधान सभा में इस तरह से बातचीत करना तो मना है।

श्री सभापति : आप तो जारी रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे चाहूंगी कि जब मैं बोल रही हूं तो मेरे पड़ौस में जोर-जोर से न बोलें।

श्री सभापति : मत बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मेरी सुरक्षा करेंगे। आप इनको कहिये न।

श्री समापति : साइलेंस, साइलेंस प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय बोल रहे हैं, सदस्यगण भी बोल रहे हैं।

माननीय समापति महोदय, जयपुर जिले में खराब हैण्डपम्प ठीक किये जाने के अभियान के शुरू किये जाने की घोषणा की गयी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण की पंचायत समिति झोटवाड़ा और जमुवारामगढ़ में निमडिया, नयावास, वासका, खाता जल धारी में, निम्बी में, अगर आप कहें तो संख्या बता देती हूं। नांगल तुलसीदास में 7, मानपुर कला में 2, इन्द्रगढ़ में 4, सायपुर में 5, नारदपुर में 2, पाली में 2, रामपुरा वास चावला में 1, खेमावास चुगलपुर में 4, नरारा 6, साईवाड 2, अजबगढ़ वास में 3, पालेडा में 2, नंगेहीवास में 6, राहोरी में 9, रानियावास में 4, नोनपुरा में 2, पापड में 3, सारो की सांउण्ड में 5, रुपवास में 5, नायला में 5, जयसिंह पुरा खोर में 7, सुमेल में 12, मतलब 17 में से 12 हैण्डपम्प खराब हैं। जबसे अभियान की घोषणा की गयी है तो न तो पंचायत समितियों की ओर से कार्य प्रारम्भ किया गया है न ही विभाग की ओर से। एक भी स्थान पर हैण्डपम्प ठीक किये जाने के लिये कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। हमारे यहां बन्धे टूट जाने से, पानी कुओं में सूख जाने से, हैण्डपम्प खराब होने के कारण से गांव वालों को 2–3 किलोमीटर से जाकर पानी लाना पड़ रहा है। बार-बार कहने पर भी, जलदाय विभाग के मंत्री महोदय की अध्यक्षता में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मीटिंग में बात आने पर भी, जिलाधीश की अध्यक्षता में मीटिंग में यह चर्चा आने पर और चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में मेरे द्वारा कहे जाने पर भी इंजीनियर्स ने कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 18 हैण्डपम्प बिल्कुल खराब हो चुके हैं जिनके स्थान पर नये लगाये जाने की बात थी, दूसरे लगाये जाने की बात थी वे भी आज तक नहीं लगाये गये। नये हैण्डपम्प जो तय किये गये हैं, कुल मिलाकर इलाके में 20 की सूची दे दी गयी उसके बाद भी हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे हैं न ही ठीक किये जा रहे हैं न ही ठीक किये जा रहे हैं जो बिल्कुल खराब हैं वे भी ठीक नहीं किये जा रहे हैं। पेयजल की कमी से ग्रामवासी बेहद परेशान हैं, और त्राहि-त्राहि मची हुई है और लोगों में भयंकर आक्रोश है। आपने मुझे अनुमति दी उसके लिये मैं धन्यवाद देती हूं। मैं आपसे अनुमति चाहूंगी, मंत्री महोदय, इन हैण्ड पम्पों को ठीक करें, नये लगाने वालों को लगायें इसके लिये आपकी ओर से भी निर्देशित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित) माननीय श्री रामस्वरूप (अनुपस्थित) माननीय श्री राम गोपाल बैरवा।

कैचमेण्ट एरिया में कर्जमाफी

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय सभापति महोदय, मैं विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत केचमेण्ट के कर्जे माफी की घोषणा के बाद किसानों को दुबारा नोटिस दिये जाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कुछ भाग में जो केचमेण्ट पिछले सालों में हुआ उस केचमेण्ट में किसानों के खेतों को जिस तरह से ठीक करना था वह नहीं किया गया। केचमेण्ट में काफी अनियमितताएं रही और किसानों के ऊपर फालतू का कर्जा बढ़ा दिया गया। इसी कर्जे को माफ करने के लिये किसान हमेशा से मांग करते रहे। इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिये, प्रदर्शन किये। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1991-92 के बजट सत्र में केचमेण्ट के कर्जे को माफ करने के लिये बजट में प्रस्ताव रखा गया। इसी बात को लेकर 9वीं विधान सभा के चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने चुनावी पेम्पलेट में इस बात को निकलवाया तथा केचमेण्ट कर्जे माफी की शेखावत सरकार की घोषणा को चुनावी सभाओं में जनता के सामने रखा।

इसी बात को लेकर कुछ किसान जो कर्जा चुकाने में समर्थ थे उन्होंने भी अपना कर्जा नहीं चुकाया और आज हर किसान के ऊपर मूल राशि से चौगुनी राशि से भी ज्यादा राशि का कर्जा चढ़ गया है जिससे आज वे किसान कर्जा चुकाने में असमर्थ हैं और किसानों के पास बैंकों के द्वारा नोटिस दिये जा रहे हैं।

अतः अकाल से ग्रसित किसानों को कर्जे की राहत दिलायी जाएं तथा सरकार के द्वारा जो घोषणा की गयी थी उसको

(श्री रामगोपाल बैरवा)

दुबारा सदन के सामने स्पष्ट कर किसानों के हितों की रक्षा की जाए।

श्री सभापति : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

छात्राओं के जीवन से प्रधानाध्यापिका, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रायपुर (झालावाड़) द्वारा खिलवाड़

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : सभापति महोदय, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रायपुर (झालावाड़) में कई दिनों से बालिकाओं के प्रति प्रधानाध्यापिका द्वारा उपेक्षित व्यवहार किया जा रहा है जिसकी शिकायत छात्राओं द्वारा अपने अभिभावकों तथा जिला शिक्षा अधिकारी (छात्राएं) झालावाड़ को की गयी जिसके लिये प्रधानाध्यापिका द्वारा छात्राओं को दण्डित किया गया।

सभापति जी, मूल प्रकरण के अनुसार जब छात्राओं को दूषित जल पीते हुए काफी समय हो गया और बार-बार शिकायत के के बाद भी जब स्कूल स्थित टंकी की सफाई नहीं की गयी तो छात्राओं ने चंदा कर मटके मंगवाकर स्कूल में रखवा दिये और प्रधानाध्यापिका जी से अनुरोध किया कि पेयजल टंकी के बजाय इन मटकों में भरा जाए ताकि हमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। इससे कुपित होकर प्रधानाध्यापिका ने चपरासी बुलाकर उन मटकों को वहीं शाला प्रांगण में छात्राओं के सामने ही तुड़वा दिया।

उक्त घटना से क्षुब्ध होकर छात्राओं ने दिनांक 21 मार्च, 1994 को राजकीय चिकित्सालय, रायपुर के चिकित्साधिकारी को शिकायत की कि प्रधानाध्यापिका हमें दूषित जल पीने के लिये जबरन बाध्य कर रही हैं। चिकित्सा अधिकारी, रायपुर छात्राओं की शिकायत पर तुरन्त अपनी टीम लेकर स्थानीय विद्यालय पहुचे। उन्होंने टंकी से पानी का नमूना बोतलों में भरा। बोतलों में पानी के अन्दर रेंगते हुए कीड़े नंगी आंखों से देखे जा सकते थे। पानी पूर्ण रूप से गन्दा व कीड़ों युक्त था जिसका उन्होंने अपने द्वारा दी गयी रिपोर्ट में भी वर्णन किया है। बोतलों को सीलकर अग्रिम जांच हेतु भिजवा दिया गया है।

इस सारी कार्यवाही छात्राओं द्वारा किये जाने पर उन्हें दुबारा दण्डित होना पड़ा। इस स्कूल की लगभग सभी अध्यापिकाएं झालावाड़ या झालरापाटन से अप-डाउन करती हैं, 11 बजे पहुंचती हैं और 2—3 बजे वापस हो जाती हैं। वे खुद अपना कर्त्तव्य ईमानदारी से नहीं निभाती है इसलिये चपरासी आदि को पूर्ण सफाई के लिये पाबन्द नहीं कर पाती हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हू कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय रायपुर (झालावाड़) की पेयजल समस्या को तुरन्त सुधरवाया जाकर दोषी कर्मचारियों को, प्रधानाध्यापिका को इस बाबत पाबन्द

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

किया जाएं ताकि बच्चियों के संभावित स्वास्थ्य एवं जीवन के खतरे को टाला जा सके। धन्यवाद।

मण्डावा की अलसीसर पंचायत समिति में भयंकर अकाल

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र मण्डावा की अलसीसर पंचायत समिति में इस साल इतना भयंकर अकाल है जिसमें 70 से 100 पर्सेण्ट तक का फसलों का खराबा हुआ है। पीने के पानी की भयंकर समस्या है। मैं राज्य सरकार का ध्यान पीने के पानी की तरफ आकर्षित करता हूं और यह प्रार्थना सरकार और मंत्रीजी से करता हूं कि अकाल सहायता में पीने के पानी के लिये कुंड बनवाये जाएं ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके आने वाले वर्षों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था हो सके। कुंड टांका खारे पानी के गांवों में बरसाती पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाये जाते हैं। मैंने पहले भी इसको उठाया था और आज मैं पुनः इस पर आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें दोहरा फायदा होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा और पीने के पानी की आने वाले वर्षों में व्यवस्था होगी। पहले भी अकाल के कामों में ये होते आये हैं लेकिन आज गांवों की संख्या बढ़ गयी है, आबादी बढ़ गयी है इसलिये वे कम पड़ गये, तो ज्यादा काम कुंडों का करवाया जाए। जय हिन्द।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोधपुर लिफ्ट कैनाल हेतु भूमि अवाप्ति के कारण लोगों के भूमिहीन होने से उत्पन्न स्थिति

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री खंगार सिंह चौधरी। (अनुपस्थित) श्री खेतसिंह राठौड़, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, यह मैंने आपका ध्यानाकर्षण पढ़ा है। इसमें आपने दो प्रकार की समस्याएं उठायी हैं। एक तो, जिन लोगों को मुआवजा दे दिया गया, आपकी मांग यह है कि उनको मुआवजा न देकर जमीन दी जाए, उनको जमीन देकर के बसाया जाए और कुछ लोगों को मुआवजा मिला नहीं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला उनको तो अतिशीघ्र मुआवजा, जो बच गये हैं, वह दिला देंगे हम। जहां तक आपका यह सुझाव है कि जिन लोगों को मुआवजा मिल गया

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उनको भूमि के बदले भूमि दी जाये, यह सम्भव इसलिए नहीं लगता है कि न तो भूमि उपलब्ध होगी और दूसरा उन्होंने जो मुआवजा ले लिया, अब वे वापस कैसे करेंगे और एक सरदर्द खड़ा हो जाएगा। तो मेरा आपको यह निवेदन है कि आप यदि कोई सुझाव मुझे दे दें कि हम कुछ कर सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से उसका पालन करूंगा। काश्तकारों को लाभ मिले, उनको तकलीफ नहीं हो, यह हमारी मंशा है। उस अनुरूप आप कोई सुझाव देंगे तो मैं उसका पालन करूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जोधपुर लिफ्ट नहर जोधपुर के लिये अतिआवश्यक थी और यह होनी ही थी। लेकिन इसमें पहले इन्होंने कहा था कि 50 मीटर की जगह हम लेंगे और 50 मीटर की जमीन हमारे लिये काफी है। उसके अन्दर नहर बन जायेगी और उसके दोनों तरफ सड़क बन जायेगी। उसके बाद इन्होंने कहा, नहीं यह तो डेजर्ट है और डेजर्ट की वजह से रेत उड़ेगी और नहर भर जायेगी इसलिये वहां पर हम ज्यादा प्लांटेशन करेंगे और प्लांटेशन करने के लिए इन्होंने 100 मीटर इस तरफ 100 मीटर उस तरफ, यूं करके कुल ढाई सौ मीटर जमीन हरेक काश्तकार की ले ली। ढाई सौ मीटर जमीन बहुत ज्यादा होती है और उसकी वजह से लोगों के घर, खेत के खेत, खलिहान, उनकी बादरे सारी की सारी इस नहर के नीचे चली गयी और अब वे उस जमीन को खाली करवा रहे हैं। उन काश्तकारों को पहले हमने यह कहा था कि नहर आने से आपको भी फायदा होगा, पीने का पानी मिलेगा, थोड़ा बहुत सीपेज होगा पर आगे जाकर अपने कुओं में पानी बढ़ जाएगा। इस आश्वासन से नहर आयी थी। बाकी उस वक्त भी लोग अड़ जाते और कह देते कि हम अपने खेतों में से निकलने नहीं देंगे, हमारे पास जमीन ही इतनी है, यह जमीन चली जाएगी तो फिर हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। तो हमने उनको यह कहा था कि नहर से अपने को यह फायदा होगा। फिर हमने यह भी गलत कहा या सही कहा, हमने उनको यह आश्वासन दिया था कि पोंग डेम के विस्थापितों को भी सबको बसाया है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को राजस्थान के अन्दर जमीन दी गयी है और उनको बसाया गया है अगर आपकी पूरी जमीन ये लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी बसाने के लिए राज्य सरकार कुछ न कुछ अवश्य करेगी। आप यहां के वाशिंदे हो, पीढ़ियों से इन घरों में रह रहे हो। 20-20, 30-30 पीढ़ी से वे लोग वहा बसे हुए थे। उनके खेत और सारे के सारे का आपने दो हजार, डेढ़ हजार और तीन हजार रुपये पर बीघे का मुआवजा दिया, उस मुआवजे से क्या उन लोगों को लाभ मिलने वाला है? उससे कैसे वे अपनी पीढ़ियां पालेंगे? सिर्फ मुआवजा देकर आपने उनको रवाना कर दिया। जमीन उनके पास एक बीघा नहीं है। अब वे मजदूरी भले ही करें। जोधपुर में आकर पत्थर डालते हैं इसके सिवाय उनके पास कुछ रहा नहीं है। आप निश्चित मानिये अगर आप इस तरह से रखेंगे कि यह नहर है, जोधपुर वाले भले ही हल्ला करते रहें, हमारे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

राजेन्द्र जी और मैं खुद भी दुखी हो जाऊंगा लेकिन लोग पूरे परेशान हैं और वे कहते हैं कि नहर को सारी को खत्म कर देंगे। हम बरबाद हो गये, हमको कुछ मिला नहीं। आपने कही थी 50 मीटर की बात और ढाई सौ मीटर जमीन आपने अपने काबू में कर ली और यह कहते हैं कि हम वहां पर वन लगाएंगे तो हम तो मारे गये न, हम तो खत्म हो गये। इसलिए यह खास तौर से ऐसी समस्या है जिसके अन्दर आपको सोचना चाहिए। आपने दूसरे लोगों को भी मुरब्बे दिए हैं, आप इनको भी मुरब्बे अलाट कर दीजिए। थोड़ा अगर आपने मुआवजा दिया है तो मुआवजे में से आधा पैसा उनसे वापस ले लीजिए लेकिन इन गरीबों को बिल्कुल जमीनहीन न करें। पूरी फलौदी और शेरगढ़ तहसील, ये दो तहसीलें सबसे ज्यादाहिट हुई हैं। आगे तो इन्होंने बड़े-बड़े पाइप्स लगा दिए हैं, उन पाइप वालों को तो इतनी तकलीफ है नहीं क्योंकि पाइप से पानी चला जाता है और उनकी जमीन ज्यादा घिरी नहीं, लेकिन डेजर्ट की दोनों तहसीलों के अन्दर बुरी तरह से लोग परेशान हो गए हैं। उनके पास एक इंच जमीन नहीं है और सरकार ने सिर्फ दो-ढाई हजार रुपये बीघे के हिसाब से मुआवजा दे दिया। वे बरबादी के कगार पर हैं इसलिए मैं खास तौर से आपसे निवेदन करता हूं कि निश्चित तौर से उनको बसाने के लिए आप केबिनेट में यह मीमो लाइए और कहिए कि उनको मेहरबानी करके बसाने के लिये ये मुरब्बे अलाट करने ही पड़ेंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, यह समस्या दोनों तरह ही गम्भीर है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : यह प्रश्न मैंने लगभग 7-8 साल पहले उठाया था जब यह नहर बननी शुरू हुई थी और जिस वक्त आपने ढाई सौ मीटर जमीन लेनी शुरू कर दी चौड़ी। ढाई सौ मीटर आप जानते हो, चार एकड़ लम्बा पेच होता है। जिसका लम्बा खेत था और उसमें यह पड़ गयी तो पूरा का पूरा खेत ही चला गया। तो आज वे करेंगे क्या? इसलिए आप कृपया विचार करें। मुआवजा तो जागीरदारी का दिया था लेकिन उसके बाद में उनको जमीनें अलाट की हैं। पूरी जमीन का मुआवजा दिया था आपने लेकिन जहां कहीं भी इस तरह से लोग विस्थापित हुए हैं वहां हमेशा इनके भविष्य में रोजगार चलता रहे। वे विस्थापित हो गये इसलिये उनको पुनर्स्थापित करने के लिये, उनके पुनर्वास के लिये, मेरे ख्याल से यह बहुत जरूरी है नहीं तो बड़ा भारी बंवडर खड़ा होगा। हमने पहले बहुत मना किया था। मैंने कहा, एक सड़क और एक नहर इतना ही बना दो, 50 मीटर बहुत है, ढाई सौ मीटर इन्होंने ले ली। पहले वायदा भी कर लिया था एक बार कि 50 मीटर ही हम लेंगे, जितने में हम हार गये और बीच में यह सब मामला गड़बड़ हो गया। इस पर विचार करिये बहुत गहराई से। इसमें करीब 15 हजार परिवार प्रभावित होते हैं।

Page No.135

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपकी चिन्ता से सहमत हूं····

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 15, क्योंकि दो सौ किलोमीटर है यह लम्बी।

श्री भंवरलाल शर्मा : देखिये, नहर की आवश्यकता है जिस भूमि की वह तो कम हो नहीं सकती। एक सैकण्ड, मुझे पूरा करने दीजिए। यदि कम हो तो बता दीजिये कर देंगे। अगर आपने पेड़ न लगाये तो जो रोज मिट्टी भरती है यह नहर चल नहीं पाएगी। इसलिये पेड लगा रहे हैं। यदि आप के किसी विशेषज्ञ की यह सूचना मिल जाये या हमको रिपोर्ट मिल जाए कि यह जंगल लगाना जरूरी नहीं है, पेड़ लगाना जरूरी नहीं है तो विचार कर सकते हैं। समस्या यह है कि नहर तो बनेगी और नहर से जिन लोगों को नुकसान हुआ उनका प्रश्न है। आपका यह आग्रह है कि लोगों को केवल पैसा देकर के पीछा छुड़ा दिया वे बेघरबार हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप दोनों ही इस सारी स्थिति से जानकारी रखते हैं। क्या सरकार कर सकती है यह मुझे सुझाव दीजिये, निश्चित रूप से इनका कोई न कोई समाधान हो उसके लिये सरकार को चिन्ता है। इसमें कोई····

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या सुझाव दिया नहीं हुजूर हमने आपको ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बैठकर अभी बात कर लेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि इसमें बैठकर चर्चा करेंगे कि कहां जमीन दी जा सकती है, कितने लोग इसमें प्रभावित हो सकते हैं, कितने लाभान्वित हो सकते हैं। मैं चर्चा के लिए उसको खुला रखता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती मीना अग्रवाल, (अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह, कुम्हेर। माननीय श्री हरि सिंह कुम्हेर····

एक माननीय सदस्य : ये तो हरिसिंह, महुवा हैं।

श्री सभापति : अच्छा, अच्छा, सौरी। अनुपस्थित माननीय श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

धारिया खुर्द जिला नागौर में अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, सुरजा वाइफ ऑफ मदन, अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार हुआ। उसके बारे में मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सुन्दर लाल : रोज, रोज यह क्या धन्धा हो गया है ?

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, दि. 10-3-94 को 2·15 पी. एम. पर श्री मदन लाल, सांसी, निवासी धारिया खुर्द ने अपनी पत्नी सुरजा के साथ थाने में उपस्थित होकर

(श्री कैलाश मेघवाल)

लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि दिनांक 9-3-94 की शाम को वह नीमड़ी गया हुआ था। उसकी पत्नी कमरे में अकेली सोयी हुई थी। उसके पिताजी, मां, बहन अलग कमरे में सोये हुए थे। रात्रि को करीब साढ़े बारह बजे दुर्गादान उसकी पत्नी के पास कमरे में आया एवं जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। उसकी पत्नी के चिल्लाने पर उसका मुंह बंद कर दिया। पत्नी के फिर से चिल्लाने पर उसकी माता, बहन जाग गयी। भागते हुए वहां पर पड़े हुए लकड़ों से ठोकर खाकर दुर्गादान गिर गया जिसको पकड़ने का प्रयास किया गया तो वह हाथ नहीं लगा और वह भाग गया। इस घटना के थोड़ी देर बाद वह मदन भी नीमड़ी से आ गया तब उसकी पत्नी ने सारी बात उसे बतायी। सुबह उसने गाव वालों को इकट्ठा कर घटना बतायी तो गांव वालों ने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते, थाने में जाओ। सुबह दुर्गादान चारण भी आया और उसने अपनी गलती स्वीकार की और रिपोर्ट नहीं करने को कहा। जब वह नहीं माना तो दुर्गादान ने उसको धमकी दी कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या 32/94, दिनांक 10-3-94 धारा 376, 452, 323 भा. द. संहिता व 3(6) एस. सी./एस. टी. एक्ट के अन्तर्गत थाना कुचेरा पर पंजीबद्ध कर थानाधिकारी द्वारा पीड़िता श्रीमती सुरजा का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में बलात्कार में सम्बन्ध में स्पष्ट राय नहीं दी गयी। पीड़िता के स्वाब की स्लाइड केमिकल परीक्षण हेतु ली गयी तथा दिनांक 11-3-94 को उप अधीक्षक, पुलिस, मेड़ता शहर अन्वेषण प्रारम्भ किया। घटनास्थल के समय पीड़िता श्रीमती सुरजा द्वारा घटना के समय पहना हुआ कब्जा, लंहगा जब्त किया गया। सम्बन्धित गवाहान के बयान लिये गये। अभियुक्त की उसके निवास और अन्यत्र तलाश की गयी लेकिन वह नहीं मिला। अन्वेषण के अनुसार धारा 457/376/323 भारतीय दण्ड संहिता व एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध अभियुक्त दुर्गादान द्वारा किया जाना प्रमाणित प्राइमा-फेसी पाया गया है। तत्पश्चात् ग्रामवासियों द्वारा पुलिस अधीक्षक, नागौर के समक्ष उपस्थित होकर वैमनस्य के कारण षड्यन्त्र कर असत्य घटना गढ़ना बताते हुए न्यायपूर्ण जांच के लिये मेजरनामा प्रस्तुत किये जाने पर इस अपराध का अन्वेषण अपर पुलिस अधीक्षक, डीडवाना को सुपुर्द किया। अन्वेषण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा मुस्तगीस पक्ष में सर्वश्री मदन, रूपाराम, श्रीमती सुरजा, सोनकी, मंगलाई, इन्दिरा व रईसा से पुनः पूछताछ किये जाने पर उन्होंने अपने पूर्व बयानों की ही ताईद की है। उक्त मेजरनामे में गवाहान व घटना के बारे में सन्देह प्रकट करते हुए घटना होना बताया हैं। इस घटना के निष्पक्ष गवाह रमजीराम जाट और अन्य गवाहान जो अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, से पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह

(श्री रिछपाल सिंह)

मन्त्रीजी को यह बताना चाहता हूं कि 9-3-94 को सुरजा वाइफ ऑफ मदन, अनुसूचित, सांसी जाति की महिला के घर में घुसकर रात्रि को दुर्गादान सन ऑफ मनोहर दान ने जबरन बलात्कार किया, उसकी इज्जत लूटी। 20-25 आदमियों की मदद से तो वह कुचेरा थाने तक पहुंच पाया। दुर्गादान सन ऑफ मनोहरदान का इतना आतंक है कि उस गांव में उसके खिलाफ कोई मुंह खोलने वाला नहीं है।

(13.49)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

25-30 आदमियों की मदद लेकर तो वह कुचेरा में पुलिस स्टेशन पर पहुंचा है। कुचेरा पुलिस स्टेशन पर पहुंचने पर उसने मुकदमा दर्ज करवाया, मुकदमा नम्बर 32/94 उसके बाद 11 तारीख को सी.ओ. मेड़ता इस प्रकरण की जांच कर रहे थे। आपने मेरे जवाब में यह नहीं बताया, गृह मन्त्रीजी, कि गांव वाले एस. पी. साहब के पास गये और उन्होंने यह कहा कि यह किसी कारण और यह असत्य मामला दर्ज करवाया। मेरे जवाब में यह नहीं है, माननीय सभापति महोदया।

सी.ओ., मेड़ता जांच कर रहे थे। पहला सवाल मेरा यह है, गृह मन्त्रीजी, उक्त जांच सी.ओ., मेड़ता से बदल कर डीडवाना एडीशनल एस.पी. को क्यों दी गयी? जबकि डीडवाना की दूरी वहां से सौ किलोमीटर है और मेड़ता की दूरी वहां से 40 किलोमीटर है तो इसकी जांच बदलने का क्या औचित्य है? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि 23-3-94 को इस मामले को मैंने सदन में उठाया था शून्यकाल में, उसके बाद में भी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए कितनी बार वहां रेड की? इस मामले में क्यों इतनी ढील बरती गयी। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि इस मामले को दबाये जाने की पूर्ण कोशिश की गयी। एक अनुसूचित जाति की महिला जिसकी इज्जत लूटी गयी, आपका कानून उसकी इज्जत लौटा सकता है? वापस इज्जत तो नहीं लौटा सकता लेकिन उसको न्याय तो दिला सकता है? माननीय सभापति महोदया, इस जवाब में लिखा है कि वहां कोई रोश नहीं है कोई गम्भीर मामला नहीं है। माननीय गृह मन्त्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक अनुसूचित जाति की महिला की इज्जत लूटी गयी और वह भी उसके घर में तो इससे ज्यादा गम्भीर मामला और क्या हो सकता है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि उक्त मामले में जांच पुलिस थाना कुचेरा से ही वापस करायी जाए। अन्य किसी भी अधिकारी से कराने से इसका क्या औचित्य है?

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदया, यह जिस गांव का वाकया है वहां मेरी भी रिश्तेदारी है और मैं भी वहां गया था। यह जघन्य अपराध किया गया है जिस व्यक्ति के द्वारा वह

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

प्रभावशाली आदमी है। अब इस तरीके से प्रभावशाली आदमी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इस गरीब का तो भगवान भी धणीधोरी नहीं है। यह सरकार संवेदनशील सरकार है, आप आसन पर बैठी हैं, महिलाओं की रक्षा करनी है और महिला वर्ष भी है। मैं यही समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि मेड़ता से डीडवाना जांच को बदला गया है। महज उसकी लीपापोती करने के लिहाज से बदला गया है। वहां पर एसपी. भी हमारी अनुसूचित जाति का है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि कुचेरा थाने में दिया जाए या मेड़ता सर्किल में ही रखा जाए तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि उस आदमी को तत्काल गिरफ्तार करके जांच वापस उसी जगह दिलायी जाए ताकि सही न्याय मिल सके।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने अभी जो स्टेटमेन्ट पढ़ा, पहले आपने यहां सचिवालय को जो सूचना दी है उस जवाब में और आपने यहां पढ़ा उस जवाब में काफी अन्तर है। पहले जो आपने जवाब दिया उसमें माना है कि यह केस जो पहले जांच हो रहा था वापस साबित हो गया और डीडवाना एडीशनल एसपी. को जो जांच आपने सौंपी उन्होंने भी उस डी.एस.पी. मेड़ता की जांच को सही माना है। यह मामला जब जांच दुबारा भी हो गयी, सही हो गया, सिर्फ आपको चालान करना है, न तो अलग से कोई जांच करनी है और चालान करने के लिये आपको मुलजिम को गिरफ्तार करना है तो वापस आप उसी थाने में उसी डीएसपी. के पास भेजेंगे तो ज्यादा आसानी से गिरफ्तारी में आपको मदद मिलेगी। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि आप इस मामले को वापस डीएसपी. मेड़ता को भिजवाएं क्योंकि इसमें अब सिर्फ चालान ही करना है। जो पहले आपने जवाब भेजा उसमें साफ लिखा है कि एडीशनल एसपी., डीडवाना ने सीओ. मेड़ता की जांच को सही माना है।

श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : सभापति महोदया, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। यह केस हुआ उसके तीसरे दिन जांच को डीडवाना बदल दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसकी जांच मेड़ता सी. ओ. के पास ही रखी जाए और इसको न्याय दिलाया जाये। मैं यही मांग करता हूं।

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : सभापति महोदया, मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं....

अनेक माननीय सदस्य : आप तो कविता बोल दो।

श्री मोहनलाल बारूपाल : कोई कविता नहीं है। हमारी शिड्यूल्ड कास्ट और गरीब का यह हाल होगा तो फिर कौन सुनेगा ? हमारे गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं....

श्री सभापति : आप बिराज। आपकी बात सुनी जा रही है। (व्यवधान) विराजें आप....

श्री मोहनलाल बारूपाल : अनुसूचित जाति की महिला के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है इसलिए मैं धरने पर बैठता हूं ।

श्री सभापति : आप वेदना की ही कोई कविता सुना देते, पीड़ा की ।

(श्री मोहनलाल बारूपाल सदस्य द्वारा सदन के वैल में धरना)

श्री रामनारायण (नैनवा) : सभापति महोदया, सदन की भावना प्रकट हो रही है, अनुसूचित जाति की महिला है । पहली बात तो, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा, आप तो गृह मंत्री हैं, पहले से बहुत बड़े नेता रहे हैं और दो बार पार्लियामेंट में भी रहे हैं, कोई भी लेडी जब तक वह इतनी ज्यादा बैड करेक्टर की नहीं होगी, अगर रेप केस हो गया तो लाखों और करोड़ों में ऐसी कोई ही महिला होगी जो अपनी इज्जत के बारे में इस तरह के झूठे इल्जामात लगायें । दूसरी बात, माननीय गृह मंत्री जी, जब मामला डूब ही गया, आपको तो इस बात की जानकारी है कि वह बहुत गरीब महिला है । ठीक है वह गरीब है इसलिये लड़ नहीं सकती, एडीशनल एस. पी. के पास जाकर सौ किलोमीटर दूर फरियाद नहीं कर सकती उसके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी को चाय पानी पिला सके । जो थाना जांच कर रहा या जो डी. एस. पी. जांच कर रहा था उस डी. एस. पी. के खिलाफ कोई ऐसा एलीगेशन नहीं है कि गरीब आदमी से पैसा ले ले । वह करोड़पति आदमी नहीं है, लखपति आदमी नहीं है, एडीशनल एस. पी. को इसलिये जांच दिलायी गयी मुलजिमों के द्वारा हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आया है कि वह एडीशनल एसपी. क्योंकि बड़ा अधिकारी है और डीएसपी. जिसने सही जांच की है कोई न कोई लाइन आखिर में लिखकर कि चूंकि मैं इसमें सन्देह प्रकट करता हूं एफआर. लगा दी जाए। इन सारी बातों से बचने के लिये....

श्री सभापति : आप प्रश्न करें ।

श्री रामनारायण : क्या वापस आज ही इस सदन में आप घोषणा करेंगे कि डीएसपी. के खिलाफ कोई एलीगेशन नहीं है उसी से जांच कराएं ।

श्री सभापति : प्रश्न ही करें । बिराजें ।

श्री रामनारायण : प्रश्न ही है । क्या कानून में ऐसा नहीं है ? मामले में लेडी के द्वारा जो एलीगेशन लगाये जाते हैं उन एलीगेशन्स का खण्डन बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिये मुलजिम को ही अदालत में साबित करना होता है । इस तरह का कानून है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं । क्या आप कृपया इस जांच को वापस डीएसपी. के पास और थानेदार के पास जिनके खिलाफ कोई चार्जेज नहीं हैं उनको दिलायेंगे ।

श्री सभापति : बातें तो सारी एक ही हैं । सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं ।

श्री रामनारायण : लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है । बात इसलिये महत्वपूर्ण है कि गरीब औरत है । उसकी इज्जत भी किसी तरह से किसी सम्भ्रांत परिवार की और बड़े घराने की औरत से कम नहीं है ।

श्री सभापति : बिराजें । महिला सब एक होती हैं । सम्भ्रान्त और निम्न ❀ घराने की बात नहीं है । बिराजें । श्री धनखड़ जी ।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर....

श्री सभापति : प्रश्न करें आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : हां, प्रश्न कर रहा हूं । महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर कानून में भारी तबदीली की गयी । आशा व्यक्त की गयी कि जो भी अपराधी है उसको दण्डित करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रहेगी । माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें यह लिखा है कि स्थानीय पुलिस द्वारा उपयुक्त साक्ष्यों के आधार पर जुर्म प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये गये हैं । माननीय सभापति महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि जहां अनुसूचित जाति की महिला बलात्कार जैसे गम्भीर मामले से पीड़ित की गयी तो कौन-से ऐसे कदम पुलिस ने उठाये कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए ? कौन इस बात के लिए दोषी है ? माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव 25 मार्च को दिया है । माननीय सभापति महोदया, जब पुलिस को किसी को गिरफ्तार करना पड़ता है, प्रक्रिया के अन्दर काफी रास्ते निकाले गये हैं उनमें से कौन-सा रास्ता अपनाया गया ? उसका पूरा विवरण यदि माननीय गृह मंत्री जी देंगे तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को इस बारे में प्रकाश मिलेगा । माननीय सभापति महोदया, माननीय गृह मंत्री जी के गृह मंत्री बनते ही एक लहर उठी थी कि गरीब तबके के लोगों को न्याय मिलेगा । आप कार्य करते हैं. आप तत्परता से कार्य करते हैं, आप एफीशिऐन्ट भी हैं पर जब आपके ध्यान में हम कोई ऐसा मामला लाएं तो आप मानकर चलिये कि टिप आफ दी आई पर आप उसको करें....

श्री सभापति : आप बिराजें ।

श्री जगदीप धनखड़ : आप आश्वस्त करें कि इनको कब तक गिरफ्तार कर लेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदया, मैं तो 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

(1) क्या तफतीश पूरी हो चुकी है ?

(2) अगर तफतीश पूरी हो चुकी है तो चालान कब तक पेश हो जाएगा ?

(3) मुलजिमों को पकड़ने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? उसके लिये ठोस तरह से कब तक उनको गिरफ्तार करने की आपको आशा है ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री

❀ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

(श्री हरिसिंह)

जी से एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूं । यह महिला सांसी जाति की है और तफतीश करने वाले और दूसरे लोग जो भी हैं....

श्री सभापति : मैंने कहा है कि जाति में क्यों जाते हैं, महिलाएँ सब एक है ।

श्री हरीसिंह : महिलाएँ तो एक हैं लेकिन तकलीफ यह है कि सांसी जाति को या बावरिया जाति को जरायम पेशा कौम मानकर उनके साथ घटित अपराधों का न तो पुलिस बारीकी से अनुसंधान करती है न उनको कोई कानूनी महत्व देती है । इस महिला के साथ में जो बलात्कार करने वाला है वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, वह गांव का लठैत है और उस गांव में उसकी तूती बोलती है । कोई गरीब आदमी के साथ, वह भी सांसी जाति का, इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है और उसको सिर्फ सांसी, कंजर या बावरिया मानकर उसमें पुलिस एफआर. दे दे ? गृह मंत्री जी आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसका पुनः अनुसन्धान करवाने की मेहरबानी करें ।

(14.00)

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : माननीय सभापति जी, मैं, आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी को कहना चाहूं कि एक तरफ तो आप यह कह रहे थे कि यह महिला साल है और दूसरी ओर बलात्कार हो रहा है । यह महिला साल किस तरह मना रहे हो, समझ में नहीं आयी मेरे बात । बलात्कार हो और उस मामले में कह रहे हैं कि महिला साल है तो यह गड़बड़ है, इसको दिखाओ, इस बात पर ध्यान दो ।

इसके अलावा आप हमको तो यह बात बताइये कि जिन्होंने इस मामले में कोताही की उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार है ? है, तो आप सदन को अवगत कराएँ कि उनके खिलाफ यह कार्यवाही की जाएगी । नहीं तो ये बलात्कार रुकेंगे नहीं, होते ही रहेंगे । यहां हम कहते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे । ऐसे नहीं चलेगा । आप इस पर ठोस कार्यवाही कराएं कि इतने दिन में इनका चालान कर दिया जाएगा, इतने दिन में मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया जाएगा । नहीं होगा तो उनको सस्पैण्ड करेंगे, यह कहो । कमजोरी किस बात की दिखा रहे हो ?

श्री कैलाश मेघवाल : महिला वर्ष, महिला के साथ अत्याचार और वह भी अनुसूचित जाति की महिला के साथ अत्याचार, इसमें माननीय सुन्दर लाल जी पूछ रहे थे कि किसी ने कोई कोताही की । अभी तक तो कोताही जैसी बात मेरे सामने आयी नहीं । जिस तरह की चिन्ता सदस्यों ने व्यक्त की है मेरी भी वही चिन्ता है । लेकिन क्या वहां पर इतना आतंक और कोई गुण्डा या कोई दादा विकसित हो सकता है, क्योंकि यह बड़ा जागरूक गांव है ? कुचेरा गांव के हमारे माननीय विधायक रहने वाले हैं, नाथूराम जी मिर्धा का गांव कुचेरा गांव है, रामनिवास जी मिर्धा का गांव कुचेरा गांव है । वह गांव तो शुरू से राजनैतिक रूप से बहुत जाग्रत है, इसलिये वहां पर अगर इस तरह की कोई घटना हो जाए तो विशेष तौर से....

एक माननीय सदस्य : वह नहीं, पास में है।

श्री कैलाश मेघवाल : उसके पास का ही है, थाना कुचेरा है।

मैं इसलिये रखना चाहता हूं तथ्य आपके सामने कि एससी, एसटी, एक्ट लगने के बाद उसकी तफ्तीश डीएसपी. करता है। डी एस पी. ने तफ्तीश की. प्राइमाफेसी सारा केस ठीक माना, लेकिन गाँव वालों की तरफ से, वे गांव वाले सारे गांव के प्रतिनिधि हो यह मैं मानकर नहीं चलता लेकिन 18 व्यक्तियों ने एक दरख्वास्त दी। 18 व्यक्तियों में जहां कुछ चारण बंधु हैं वहां पर मुझे इसमें लग रहा है कि आशाराम मेघवाल, नेताराम मेघवाल, रामदयाल मेघवाल पांजसीगदार, शिड्यूल्ड कास्ट के और दूसरी कौमों के भी हैं। इन 18 व्यक्तियों ने दरख्वास्त दी एसपी. के यहां जाकर कि हमारे पास सबसे पहले जब यह आया था तो इसने यह कहा था कि रात को मेरे घर में घुस गया। उस समय इसने बलात्कार की कोई बात नहीं बतायी इसलिये हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम ढाढरिया के मदन लाल सांसरी ने सरासर झूठी रिपोर्ट हमारे ही गांव ते दुर्गादान मास्टर के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

कि उसने उक्त मदन लाल की पत्नी सुरजा उर्फ बाउड़ी के विरुद्ध 376 आई पी सी का बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है।

"गांव के मुखियान के समक्ष सर्वप्रथम केवल चोरी मात्र करने का आरोप लगाया गया था व बलात्कार की कोई बात ही नहीं थी। मगर बाद में उम्मेदसिंह लामरोड, एएसआई के कहने व सिखाने से बिल्कुल नयी कहानी गढ़ कर बलात्संग का मुकदमा किया है। उम्मेद सिंह खुद ग्राम ढाढरिया का निवासी है एव उसकी दुर्गादान से रंजिश है। उक्त सुरजा उर्फ बाउड़ी खुद का चरित्र संदेहास्पद है एवं खुद शराब कसीदगी के मुकदमे की अपराधी है। सुरजा एवं उसके पति को स्पष्ट शक था कि सुरजा को नाजायज शराब के प्रकरण में दुर्गादान की मुखबिरी पर ही कार्यवाही हुई है। इसी रंजिश से यह झूठा षड्यन्त्र रचा गया है। कि दुर्गादान व उसके पिता की मुकदमेबाजी गांव के कई लोगों से रही है इसलिये उन लोगों की रंजिश एवं योजना से ही यह मुकदमा बनाया गया है। कि हम गांव के मुखियान ने पूरी तरह से जांच कर अपने आप को आश्वस्त किया है कि मामला झूठा है और पड़ौसी लोगों से भली प्रकार दरियाफ्त भी की है कि ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। न चोरी की वारदात ही हुई और न वहां पर ऐसे खोज ही थे।

कि ऐसा ज्ञात हुआ है कि डिप्टी एसपी; मेड़ता की तफ्तीश का ऐसे प्रकरण में गोठन वाले मामले में आचरण व तरीका बिलकुल ही गलत था, इसलिये हम सब लोग आशंकित हैं कि इस प्रकरण में भी डिप्टी एसपी साहब का रुख गड़बड़ का न रहे।

"आशंका है इस मामले में अन्याय न हो, इसलिये आपके पास हाजिर हुए हैं।

अतः कृपया आप स्वयं हस्तक्षेप कराएं और इस मामले में न्याय हो ऐसी व्यवस्था आप खुद या आपके विश्वास के सीनियर

(श्री कैलाश मेघवाल)

अधिकारी को लगाकर कराएं व इस प्रकरण में न्याय कराएं ।"

यह 18.3.1994 को एसपी. के सामने दरख्वास्त पेश हुई । एसपी. ने इस दरख्वास्त के आधार पर आदेश दिया कि एडीशनल एसपी. स्तर का आदमी इस प्रकरण की जाँच कर ले । एडीशनल एसपी. इस प्रकरण में तफ्तीश कर रहा है । मैं इस बात के निर्देश दूंगा कि वह दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश करे । जिस परिस्थिति में यह मुकदमा एडीशनल एसपी. को दिया गया है उसको मैं उचित मानता हू । इसमें ठीक ढंग से कार्यवाही हो, इस बात के निर्देश दिये जाएंगे, किसी को बचाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी ।

श्री हरजीराम बुरडक : माननीय मंत्री महोदय ने अभी शिकायत पढ़ी । इस शिकायत में एक भी मामले से सम्बन्धित आदमी नहीं है । उसमें न तो कोई मुल्जिम है और न मुल्जिम का रिश्तेदार है । आज तक आप उदाहरण बता दें कि किसी तीसरे आदमी के कहने से आपने कोई फाइल ट्रांसफर की हो आपने यह प्रोसीजर बना रखा है कि या तो मुल्जिम खुद एप्लीकेशन दे या उसका कोई रिश्तेदार एप्लीकेशन दे । 15-20 हजार की आबादी का कुचेरा गांव होगा, उस गांव में अगर 10-15 आदमियों ने दस्तखत करके दे दिया और आपने उस फाइल को ट्रांसफर कर दिया, यह कतई गलत है । दस्तखत सही हैं, असत्य हैं, क्या है ?

श्री सभापति : आप बिराजें, मंत्री जी ने कह दिया न्याय होगा । दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ।

श्री हरजीराम बुरडक : कह दिया तो हम भी कहें । मंत्री जी ने कह दिया तो क्या हुआ ? (व्यवधान) कभी ऐसा होता है क्या ?

श्री सभापति : इन्क्वायरी चल रही है, इसमें क्या कहना है ? इन्क्वायरी कर रहे हैं । (व्यवधान) इन्वेस्टीगेशन का मामला है ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : एक महिला के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है....

श्री सभापति : तो क्या हुआ ? इन्वेस्टीगेशन होगा उसका ।....(व्यवधान)....जांच हो रही है, बिराजें आप ।

श्री सुन्दरलाल : ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा । दूध तो जाएगा बाड़े में और पानी का पानी रह जाएगा ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : अनुसूचित जाति की महिला के साथ न्याय कर रही है सरकार, यह हमें समझ में नहीं आया । उसने सौ आदमियों से लिखवा दिया तो मैं भी सौ आदमियों से लिखवा दूं कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो क्या आप उसको बरी करोगे ? ...(व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : मैं इस मामले में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि रात को मकान में जाने की तो कम से कम आप उसको सजा दोगे ? ....(व्यवधान)....वह नान बेलेबल आफेंस है । उस आदमी को गिरफ्तार नहीं करने

(श्री रामनारायण मीणा)

का क्या कारण है ? वह आफेंस भी तो नान बेलेबल है ।

दूसरी बात दरख्वास्त की तो, माननीय गृह मंत्री जी, आप तो जानते हो कि कोई भी कर सकता है । 50 की दरख्वास्त पर एफीडेबिट आपने दे दिया, उसके खिलाफ यदि कोई छोटा से छोटा आरोप भी लगता है, साधारण भी आरोप बनता है तो नान बेलेबल है, गिरफ्तार के योग्य है । उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? ये जांच करें, जांच की बात नहीं है, फिर भी गिरफ्तारी का उसके खिलाफ आरोप बनता है । जब गिरफ्तारी का आरोप बनता है तो गिरफ्तार नहीं करने का क्या कारण है ? आप तो वकील हो, कानून जानते हो । गांव वालों की दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ नान बेलेबल आफेंस बनता है, तो उसको गिरफ्तार नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने आपको शुरू में कहा कि आपने जो पहले विधान सभा सचिवालय में उत्तर दिया, उसमें साफ कहा है कि एडीशनल एसपी., डीडवाना ने जांच की और उन्होंने सीग्रो; मेड़ता की जांच को सही माना है । अब जांच कौनसी रह गयी ? दूसरी बात, अभी आपने यह कहा कि अब 16 आदमियों ने एप्लीकेशन दे दी या 18 आदमियों ने एप्लीकेशन दे दी 25 हजार की आबादी के गांव में 10-15 आदमी जिनका कोई मुकदमे से लेना-देना नहीं, वे उसमें न मुल्जिम हैं न मुस्तगीस हैं और न उनके रिश्तेदार हैं, उनके कहने से आपने जांच कैसे बदल दी ? किसी मुकदमे में कोई अगर एप्लीकेशन दे दे तो क्या आप एक प्रोसीजर अपनाएंगे कि हम जांच बदल देंगे ?

(14.10)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन ।)

श्री किशन मोटवानी : सदन में आपने यह दिया है कि एडीशनल एसपी. उसके इन्वेस्टीगेशन से सन्तुष्ट है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी स्थिति बिलकुल स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखी है । मैं यहां पर इस तरह की कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं मेरी तरफ से । इसीलिये मैंने वह प्रार्थना पत्र हुबहू यहां पढ़कर सुनाया कि उस महिला और उसके पति के खिलाफ दुर्गादान, जो इसमें मुल्जिम है, मुखबिर रहा है और मुखबिर होने के कारण ही उनका यह कहना है । मैंने उसको साफ पढ़ा । मैं उन तथ्यों में नहीं जाना चाहता । मैं तो यह स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि फाइल तो किसी के कहने पर बदली जा सकती है । अगर ऐसे तथ्य सामने आते हैं कि नीचे इन्वेस्टीगेशन सही नहीं हो रहा है तो हर आदमी को न्याय मांगने का अधिकार है । मेरे पास भी कई तरह के लोग आते हैं और, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर भी माननीय विधायक कई बार मौखिक भी यह निर्देश देते हैं कि इसमें न्याय नहीं हो रहा है आप सीआईडी. से जांच करवा लें । उसकी मौखिक बात भी अगर मेरी समझ में आ जाती है तो उस पर आदेश दे सकता हूं । इसलिये इसमें एडीशनल एसपी. स्तर का अधिकारी जांच कर रहा है सारे

(श्री कैलाश मेघवाल)

तथ्य उसके सामने जा चुके हैं। वह सही जांच करे, निष्पक्ष जांच करे इस बात के निर्देश दे दिये जाएँगे।....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि मजिस्ट्रेट को जिस औरत को आरोपित किया गया, उसके बयान तो करवा लेने चाहिये आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उजला जी आप भी क्या कर रही हैं ?

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : जो उत्तर आया है मंत्रीजी की ओर से, उसमें यह स्पष्ट आया है कि एडीशनल एस.पी. से इन्क्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करायी उससे यह सिद्ध पाया कि जो डिप्टी ने इन्वेस्टिगेशन की थी वह सही की थी। तो अब जब सही इन्वेस्टिगेशन हो गयी, मन्तव्य साफ हो गया तो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की क्या आवश्यकता है ? अब तो आपको यह कहना चाहिये कि अब इसका चालान पेश कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं इसके बाद इसमें कोई हम आपसे टिप्पणी नहीं चाहते हैं। हम तो आपके स्पष्ट जो इसमें निर्देश हो सकते हैं उसकी ओर इंगित कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : निष्पक्ष जांच होगी।

श्री किशन मोटवानी : यह जांच तो हो चुकी है।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं हुई।

श्री किशन मोटवानी : जांच हो चुकी है, आपका जवाब आ चुका है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच सीओ. ने की, उस जांच के खिलाफ शिकायतें आयीं और उन शिकायतों के आधार पर एडीनशल एसपी. को दे दी है, वह जांच कर रहा है। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : डिप्टी ने जो जांच की है, वह जांच सही है, यह आपका जवाब है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कोई बात नहीं है कि एक एसएचओ. जांच करले उसकी जांच को प्रमाणित मान लिया जाए। एडीशनल एसपी. जांच कर रहे हैं। लोग सीआईडी. में फाइल भिजवाते हैं, विजिलेंस में भिजवाते हैं तो आज इस केस में क्या आपत्ति हो रही है जब माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि एडीशनल एसपी जांच कर रहा है और जांच करने के बाद चालान पेश कर देंगे। मोटवानी साहब, आप भी दस-दस बार फाइलें निकलवाते हो। पोलिटिकल लड़ाई में हाउस को माध्यम बनाया जाय, यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : माननीय तिवाड़ी जी, ऐसा है, आप एक मिनट मुझे सुन लें फिर आप अपना मन्तव्य दे दें। आपका सदन में यह जवाब आ चुका है कि एडीशनल एसपी. ने इन्वेस्टिगेशन कर ली और

(श्री किशन मोटवानी)

उसने यह पाया कि डिप्टी ने जो इन्वेस्टिगेशन की है सही की है । जब सही की है इन्वेस्टिगेशन डिप्टी ने और इन्वेस्टिगेशन एडीशनल ने कर ली तो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की क्या आवश्यकता है ? घनश्यामजी शायद मेरी बात को नहीं समझे थे, अब मेरे ख्याल में सुनने से स्पष्ट हो गया कि it has already been investigated.

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आपकी बात मैं समझ गया, बैठिये आप । सीओ. ने जांच की उसके खिलाफ एप्लीकेशन हुई कि जांच सही नहीं हुई । अब वह एडीशनल एसपी. की जांच समाप्त हो गयी या चल रही है ?

श्री कैलाश मेघवाल : चल रही है, मैंने स्पष्ट कहा है मेरे बयान में कि एडीशनल एसपी. की ...

श्री विष्णु मोदी : आप तो अभी कह रहे हैं कि एसपी. स्तर का अधिकारी जांच करेगा ।

श्री हरजीराम बुरडक : उस जवाब में यह लिखा है कि एडीशनल एसपी. ने जांच करके जो सीओ. की जांच थी उसको सही माना है । यह आपके पास जवाब भेजा है ।

श्री अध्यक्ष . सही कौनसा है ? अब यही है कि एडीशनल एसपी. की जांच चल रही है या समाप्त हो गयी ।

श्री कैलाश मेघवाल : चल रही है, मैंने अभी स्टेटमेण्ट दिया है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, बैठिये । देखिये, ऐसा है जो स्टेटमेण्ट आया है उसके क्लेरिफिकेशन में ही तो बात हो रही है । वह क्लेरिफिकेशन यह कर रहे हैं कि एडीशनल एस. पी. की जांच अभी चल रही है । (व्यवधान)....दिया होगा लेकिन उसी की क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि जांच समाप्त नहीं हुई है । तो जब जांच चल रही है

श्री हरजीराम बुरडक : फिर आप जवाब मंगाओ, वह जवाब आपके पास गलत आया है तो फिर जवाब का मतलब क्या हुआ ? (व्यवधान).

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : जवाब तो किसी दूसरे विभाग ने दिया नहीं, पुलिस विभाग ने दिया है, उसी ने यह माना है ।

श्री हरजीराम बुरडक : आपको जवाब क्या दिया गया है ? हाउस में क्या दे रहे हैं ? यह तो बात उल्टी हो रही है । आपको जो जवाब दिया है वह दूसरा है ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : दोषियों को बचाने की कार्यवाही कर रहे हैं ये, और तो कोई बात ही नहीं है ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस जांच में लिखा है कि, "उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये अन्वेषण को अपर पुलिस अधीक्षक, डीडवाना ने उचित बताया है" आगे लिखा है, अध्यक्षजी, "स्थानीय पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जुर्म प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये गये हैं परन्तु वह अभी तक पुलिस को उपलब्ध नहीं हो पाया है ।" और अब ये सोमरसाल्ट कर रहे हैं । माननीय मंत्रीजी से हम यह

(श्री जगदीप धनखड़)

जानना चाहते हैं दो-दो जांच हुई, अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार हुआ, दो-दो रिपोर्ट के अन्दर दोष पता लग गया उसके बावजूद भी पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहती है? गिरफ्तार करने के लिये कौनसे प्रयास किये गये? क्या उनकी प्रोपर्टी अटैच की गयी? क्या उनको एब्स्कांडिंग डिक्लेयर किया गया? क्या उनके घर वालों से पूछताछ की गयी? माननीय अध्यक्षजी, कानून में तब्दीली आ गयी, कानून तो सख्त बन गया और पुलिस ऐसे मामले में अपराधी के लिये नरम पड़ती गयी।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको जानबूझकर दबाने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, मैं पढ़ रहा हूं। इसमें आपने जो पढ़ा है, उसको जरा और पढ़ दूं, आप गौर से सुन लीजिये उसको। इसमें लिखा है कि "दिनांक 19–3–94 को जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर के आदेशानुसार अभियोग का अन्वेषण अपर पुलिस अधीक्षक डीडवाना को दिया गया जिनके द्वारा किये जाने वाले अन्वेषण में मुस्तगीस पक्ष को बुलाया गया था जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाये हैं, न ही अभियुक्त अभी तक पुलिस को उपलब्ध हो पाया है। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये अन्वेषण को अपर पुलिस अधीक्षक, डीडवाना ने उचित बताया।" अब सवाल इसमें यह है.... (व्यवधान) सुन लीजिये।

"माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय पुलिस द्वारा अभी तक कोई जांच नहीं करने का आरोप लगाया है वह तथ्यों के अनुरूप नहीं है। स्थानीय पुलिस द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जुर्म प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये गये हैं परन्तु वह अभी तक पुलिस को उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस घटना को लेकर आस-पड़ौस के क्षेत्र में न ही कोई रोष व्याप्त है और न ही ग्राम जनमानस में चर्चा हो रही है।"

इसका लुब्बे-लुबाब यह है कि अपर पुलिस अधीक्षक जांच के लिए गया, न मुस्तगीस मिला न अभियुक्त मिला। पोजीशन अभी तक वही है कि जो नीचे जांच हुई....(व्यवधान) मैं बता रहा हूं कि जो नीचे जांच हुई और जिसमें उन्होंने इस्तगासे को सही मानकर अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोशिश की। यह स्थिति है अभी परन्तु जो अपर पुलिस अधीक्षक को काम दिया गया। जांच का वह तो मुस्तगीस और अभियुक्त के आने से हुआ ही नहीं। (व्यवधान) फिर इसको आप कहां विलोपित कर देंगे कि उनको मुस्तगीस उपलब्ध नहीं हुआ, अभियुक्त नहीं हुआ? (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी : मुस्तगीस भी नहीं मिला, अभियुक्त भी नहीं मिला परन्तु अन्य गवाह तो मिले, अन्य साक्षी तो मिले जिनसे एडीशनल एस पी ने बातचीत की और बातचीत के बाद डिप्टी द्वारा की गयी इन्वेस्टिगेशन को सही पाया है। It is very clear from this, amply clear.

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बिराजिये आप। किसी प्रश्न को सिस्टमेटिक तरीके से पूछिये। इसमें यह बात निकलती है कि मुस्तगीस न मिला, अभियुक्त नहीं मिला। अन्य लोगों की गवाही हुई या नहीं, वह मंत्रीजी बताइये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्यों की तो मैं बात नहीं करता लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। इन्वेस्टिगेशन स्टेज, चालान होता है तब तक चालू रहती है, ईवन चालान होते-होते भी कोई कारण सामने आया तो वापस इन्वेस्टिगेशन के लिये भेजा जा सकता है और इसलिये मैंने एक बात स्पष्ट की है कि इस प्रकरण में एडीशनल एस. पी. जांच कर रहा है। यह जांच फाइनल होकर केस जब ट्रायल के लिये चला जायेगा तब जांच की स्टेज खतम होगी। मुझे अफसोस है, उनसे मैं यह उम्मीद करता था कि वे इस मामले में

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, लेकिन इसमें संकट पैदा हो गया आपके यह लिखने से कि उप पुलिस अधीक्षक द्वारा किये गये अंवेषण को अपर पुलिस अधीक्षक, डीडवाना ने उचित माना है।

श्री कैलाश मेघवाल : उचित मानकर के वह उसकी ताईद करने गया है। एक बार उसने सी. ओ. की फाइल देख ली, सी. ओ. फाइल देखकर प्राइमाफेसी उसको सही माना है। प्राइमाफेसी सही मानकर के वह उसको असरटेन करने के लिए मुस्तगीस से भी बयान लेना चाहता है, दूसरों से भी लेना चाहता है, कोई भी पेश करे तो

श्री अध्यक्ष : अभी तक, की स्टेज में जो जांच हुई वह उसको सही मान रहा है। मगर आपकी जांच चल रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : प्राइमाफेसी साबित है उस केस में और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मतलब यह कि

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आपका क्या लेना देना है, जब ये पूछ रहे हैं ? आप बैठिये, हरके आदमी पूछेगा क्या ? (व्यवधान) जब इतना डिस्कशन हो रहा है, जब रचनात्मक तरीके से पूछिये।

श्री कैलाश मेघवाल : महिलायें हमारे सब के लिए आदर की पात्र हैं। महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो यह हम भी चाहते हैं। एक शिड्यूल्ड कास्ट की महिला इसमें इन्वाल्व्ड है यह भी सत्य है और सब सत्य होने के बावजूद भी कुछ तथ्य ऐसे आये हैं जिस पर जांच होना आवश्यक है और इसलिये एस. पी. ने एडीशनल एस. पी को जांच दे रखी है। यह जांच तब पूरी होगी जब ट्रायल में एफआर. लगे। एफआर. या तो पोजिटिव जायेगी या एफआर. नेगेटिव जाएगी। इसलिये जांच उस पर चल रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जांच निष्पक्ष हो, इस बारे में केस की मैरिट और डीमैरिट्स पर यहां टिप्पणी नहीं की जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय डीवाईएस पी. की जांच को

(श्री रिछपाल सिंह)

अपर पुलिस अधीक्षक ने सही माना है तो भी माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि मैं उसी एडीशनल एसपी. से जांच करवाऊंगा। जांच पूरी हो गयी है तो उसी थाने में फाइल क्यों नहीं भेज दी जाये ?

श्री अध्यक्ष : जांच पूरी नहीं हुई है।

श्री रिछपाल सिंह : मैं तो आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि कितने दिन में मुलजिम गिरफ्तार करवा कर कार्यवाही करवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : गिरफ्तार करने की बात तो जांच के बाद होगी। सवाल यह है कि जांच कब समाप्त हो जाएगी, यह पूछिये।

श्री रिछपाल सिंह : जांच तो हो गयी।

श्री अध्यक्ष : यह एडीशनल एसपी. की जांच कब तक जल्दी से जल्दी समाप्त करायेंगे, यह कह रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : इस बात के आज ही आदेश दूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस जांच को पूरा किया जाए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, अभी माननीय गृह मंत्रीजी का जो बयान आया है, जो कुछ उन्होंने कहा वह सब यह इंगित करता है कि जुर्म साबित है और लो लेवल के पुलिस अधिकारियों को यह इण्डिकेशन हो गया कि उसका चालान पेश किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि हम को दुबारा उसकी जांच करने के अधिकार हैं, कर सकते हैं। कोर्ट में चालान पेश होने से पहले चाहे जितनी जांच ये कर सकते हैं, सी. आई. डी. करवाएं या और किसी से करवाए पर अब एडीशनल एसपी. ने यह फाइण्डिंग दे दी कि डीवाई. एसपी. की जांच सही पायी गयी है, उचित पायी गयी। अब आपके पास ऐसा कौनसा मैटीरियल आया है ? या तो किसी पार्टी ने आपको यह कहा है, मुलजिमों ने यह कहा है कि जांच सही नहीं हुई है या और किसी कारण से किसी दरख्वास्त पर आप उसकी दुबारा जांच कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने तो आदेश नहीं दिये हैं, एसपी. ने दिये हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : एस. पी. जो कह रहे हैं वह क्यों एडीशनल एस. पी. को दे दी और उन्होंने अपनी जांच में एग्जामिन करने, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरसिंह जी पूछ रहे हैं।

श्री भंवर सिंह (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मुकदमे की तफ्तीश में पुनः जांच करने का प्रश्न है, माननीय गृह मंत्रीजी को एक पिटीशन पेश हुई। वे कैसे भी आदमी हों, उस पिटीशन का उनको निराकरण करना है तफ्तीश के दौरान और उसका निराकरण होगा। अगर वह एफ. आर. पाजिटिव होगी तो चालान किया जायेगा और कुछ भी सबूत यदि माननीय सदस्य देना चाहे तो वे दें। इस पर इतना विवाद नहीं करें। इन्वेस्टि-

(श्री भंवर सिंह)

गेशन की लास्ट स्टेज तो कोर्ट में चालान पेश करना या एफ आर. पेश करने की है (व्यवधान) आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वे पूछ रहे हैं, उनको पूछने तो दीजिये।

श्री भंवर सिंह : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इनके पास में सबूत हैं तो पुलिस में दें।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ? (व्यवधान)

श्री रिछपालसिंह : कोई सवाल नहीं है ये तो पुलिस वालों को बचाना चाहते हैं। सवाल क्या है इनका ?

श्री अध्यक्ष : उनको सवाल बोलने दीजिये। आप सवाल बताएं, आपका सवाल क्या है ? प्रोसीजर समझा रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री भंवरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनकी तो एक आदत-सी बन गयी है कि कोई बोलना चाहें तो बोलने नहीं दें। मैं बोल रहा हूं, इनके सामने कभी खड़ा नहीं हुआ और ये खड़े हो गये। क्या आवश्यकता थी ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो सवाल पूछिये। सवाल क्या है आपका ?

श्री भंवर सिंह : प्रश्न यह है कि मुझे गृह मंत्रीजी से मालूम करना है कि जो प्रतिवेदन आया है उसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके बाद में क्या निर्णय लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बताइये, यह सवाल है जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनके सवाल का जवाब तो आने दीजिये।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : एक ही सवाल पूछ रहा हूं, 2–4 नहीं। क्या मुलजिम या मुस्तगीस की तरफ से यह दरख्वास्त दी गयी है कि इस केस को यहां से ट्रांसफर किया जाए ? अगर नहीं, तो फिर तीसरे गांव के आदमी ने अगर कोई दरख्वास्त दी है कि यह मुलजिम नहीं है, सही बात नहीं है, यह असत्य बात है, उसमें तो फिर मैं समझता हूं कि प्रभावशाली आदमी का प्रभाव काम कर रहा है और कोई बात नहीं है। इस मामले को बिना प्रोलींग किया जा रहा है और प्रभावशाली आदमियों को बचाया जा रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पास कोई दरख्वास्त पेश नहीं हुई, माननीय अध्यक्ष महोदय, एसपी. के पास पेश हुई। एस. पी के पास गांव के 18 आदमी पेश हुए और एसपी. ने अपना विवेक इसमें लगाकर एडीशनल एसपी. को जांच दे दी। यह उसकी कार्यवाही को मैं उचित मानता हूं, इसमें कोई गलती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप उसकी जल्दी से जल्दी निष्पक्ष जांच करवाएं।

श्री कैलाश मेघवाल : जल्दी से जल्दी करवायेंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष : चलिये, नैक्स्ट। श्री भीमराज मीणा।

श्री रिछपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो बताएं कि मुलजिम कब तक गिरफ्तार हो जायेंगे ? मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिये तो कुछ कहें मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : अब तो एडीशनल एस. पी. की जब रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री रिछपाल सिंह : मेरा तो सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, इस गम्भीर मामले को (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष जी, इस प्रकार अपराधों में जहां महिला के साथ बलात्कार किया जाता है, सबसे ज्यादा इन्क्रिमिनेटिंग एविडेंस होता है मुलजिम की है गिरफ्तारी, उसके कपड़े सीजर, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। पता नहीं पुलिस क्यों जानबूझकर उनको प्रोटेक्ट कर रही है। मान्यवर, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा, इस मामले में तफ्तीश के लिये मुलजिमों को कब तक बुला लेंगे, गिरफ्तारी का प्रश्न तो चलो बाद में आएगा। When would they interragate him ? इस बात पर जानबूझकर पर्दा डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बुला लेने का नहीं, फरार है न, मिल नहीं रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : फरार है तो उसको डिक्लेयर करें।

श्री अध्यक्ष : हां, यही है असली बात।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जवाब नहीं दिलाते हैं, मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रिछपालसिंह, सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : वे चले गए। चलिये नैक्स्ट। श्री भीमराज मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मंत्रीजी से असन्तुष्ट होकर चले गये। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे से कोई असन्तुष्ट नहीं है, मैं ठीक कार्यवाही करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाराम परमार।

जनजाति विकास परिषद् का गठन

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जनजाति विकास परिषद् बनाने के सम्बन्ध में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री) : राजस्थान में सन् 1975 से जनजाति उपयोजना, जनजाति के व्यक्तियों एवं क्षेत्रीय विकास के लिए बनायी गयी है। जनजाति समुदाय एवं क्षेत्रीय विकास के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था कर विभिन्न प्रकार की योजनाए चलायी जा रही हैं लेकिन इन योजनाओं में जनजाति समुदाय के व्यक्तियों एवं क्षेत्र का विकास सही तथा उपयुक्त नहीं हो पा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहा है। इसलिये जनजाति के व्यक्तियों एवं क्षेत्र का सही विकास करने के लिये हम यह महसूस करते हैं कि सही दिशा एवं धन का सही उपयोग करने के लिये एक जनजाति विकास परिषद् का गठन किया जाए ताकि आने वाले वित्त वर्ष में उपलब्ध धन का सही उपयोग कर आदिवासी समुदाय एवं क्षेत्र का सही विकास किया जा सके।

वर्ष 1975 से राज्य सरकार का जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राज्य में निवास कर रहे, जनजाति समुदाय के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। विभाग राज्य सरकार से प्रति वर्ष प्रदत्त राशि की सहायता से विभिन्न व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय विकास की योजनाएं चला रहा है। गत वर्षों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल राशि के आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार थी—

क्र. सं.	वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	1988–89	81.19
2.	1989–90	111.00
3.	1990–91	140.00
4.	1991–92	177.00
5.	1992–93	189.00
6.	1993–94	223.00

उपरोक्त राशि का व्यय जनजाति समुदाय एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार बनायी गयी योजनाओं के माध्यम से किया जाता है। जनजाति समूह के लिए बनायी गयी विभिन्न योजनाओं का चुनाव राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान की अनुसूची 5 के पार्ट बी पैरा 4 के अनुसार राज्य में बसे आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा 21-9-1981 को राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया गया था तथा दिनांक 24–8–1991 को अन्तिम पुनर्गठन किया है। परिषद् के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:—

1. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु राज्य सरकार को ठोस सुझाव देना।

2. अनुसूचित जनजातियों के समुदाय को रूढ़िवादी रीति-रिवाजों से छुटकारा दिलवाने के लिये सहायता देना।

3. शैक्षणिक स्तर में सुधार हेतु सुझाव देना।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

4. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों को अवगत करवाना।

राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद्, 1981 के नियम के अनुसार इस परिषद् की बैठक हर तीन माह में आयोजित की जानी चाहिये।

माह जनवरी, 1993 में परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गयी थी। परिषद् में 3/4 सदस्य गैर सरकारी सदस्य थे अतः कोरम के अभाव में बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

माह दिसम्बर, 1993 में राज्य मंत्री मण्डल का गठन हुआ है अतः परिषद् के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

इससे स्पष्ट होता है कि जनजाति समुदाय एवं क्षेत्रीय विकास के लिये समुचित ध्यान दिया जा रहा है तथा विकास को सही दिशा देने के लिये और समय-समय पर मार्गदर्शन देने हेतु 1981 से ही राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् कार्यरत है। पिछले 6 वर्षों में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आवंटित राशि को देखने से यह स्पष्ट होता है कि जनजाति समुदाय के अधिकाधिक विकास पर खर्च की जाने वाली राशि में निरन्तर पर्याप्त बढ़ोतरी हो रही है। जहां तक जनजाति विकास परिषद का गठन किये जाने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि इस हेतु पूर्व में ही अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद कार्यरत है जो जनजाति समुदाय के विकास को गति देने हेतु आवश्यक व समुचित कार्य कर रही है।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने अपना स्टेटमेंट पढ़ा और इसकी एक कापी अगर हमको उपलब्ध करायी गयी होती तो इस स्टेटमेंट को पढ़ कर और बातें कहने के लिये मैं सक्षम होता लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो कुछ भी पढ़ा है, इसको हमने सुना है और इसके आधार पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ट्राइबल एरिया सबप्लान बनने के बाद में सरकार के द्वारा कई तरह से और बहुत बड़ी राशि की व्यवस्था की जाती है। कई तरह की स्कीम बनायी गयी हैं, लगभग 105 स्कीम चल रही हैं। इनमें ऐसी स्कीम भी हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है और ऐसी स्कीमें भी जैसे दो आदमी, 10 मुर्गियां, दो बतख, दो सुअर पालने के लिये अनावश्यक चला रखी हैं। उनके लिये पैसा आवंटन हर साल होता रहता है और वह पैसा हर साल लैप्स भी होता है। हमारा यह सोचना है, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि ऐसी परिषद् बनायी जाए जो उस एरिया में ट्राइबल्स लोगों के लिये जो स्कीम उपयुक्त नहीं हैं उनको बन्द करने के लिये सरकार को सलाह दें और सलाह देने के बाद में उन स्कीम को बन्द कर दिया जाए। वास्तव में स्कीम ऐसी हो, जिनसे ऐसा महसूस करें कि यह योजना इस आदमी के लिये उपयुक्त है, उसको लागू करने से आदमी को फायदा हो सकता है, यह इस

(श्री दयाराम परमार)

एरिये के लिये उपयुक्त है। ऐसी सारी सोच के लिये एक सगठन बनाने की हम बराबर मांग कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि एक परामर्शदात्री समिति है और उसके अन्दर विधायकों के अलावा कुछ अन्य सदस्य भी समाविष्ट किये जाते हैं। वे सदस्य ऐसे होते हैं जो आदिवासी कल्चर के बारे में और आदिवासियों के बारे में, आदिवासी क्या खाता है, क्या पीता है, क्या किस तरह से रहता है, इस बारे में जानते ही नहीं हैं और उनको आप वहां पर मैम्बर बनाकर सलाहकार बनाकर भेज देते हैं। वे सलाहकार क्या सलाह दें और उस सलाह के आधार पर सरकार क्या फैसला करे, मेरी तो कोई समझ में नहीं आता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गैर सदस्य जो भी कोई रखते हैं, वह यदि कोई अन्य जाति का आदमी है तथा आदिवासियों के बारे में जानता है, उसके रहन-सहन, खान-पान के बारे में जानता है तो आपको उसको सलाहकार बनाना चाहिये ताकि वह सही रास्ता और सही सलाह दे सके।

इसके अलावा जो सदस्य आप नियुक्त करते हैं सलाहकार कमेटी में, मुझे तो यहां विधान सभा में आये हुए तीन टर्म हो चुके हैं, साल में एक-आध बार मीटिंग में मैं भी गया हूं जब भी कोई बुलायी गयी है बाकी कोई इस तरह की कमेटी की मीटिंग बुलाता नहीं है, न हम उनको सलाह दे पाते हैं और कार्यक्रम ऐसे चलाये जाते हैं जिससे धन का उपयोग समय पर नहीं हो पाता है। अधिकारी जो जिस तरह से समझते हैं, जो उनको समझ में आता है, उसी तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। इससे हमारे लोगों को फायदा नहीं होता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि परिषद ऐसी शक्तिशाली नहीं बना दें कि आप उसको बहुत बड़ी पावर दे दें और सरकार यह महसूस करे कि ट्राइबल लोग अलग होने के लिये ऐसी कोई परिषद की मांग कर रहे हैं। हम ऐसी नहीं मांग कर रहे हैं हम इस तरह की परिषद की मांग करना चाहते हैं जो आपको, आपके मंत्रियों को और अधिकारियों को सही सलाह देकर ट्राइबल लोगों की जो स्कीम्स चल रही हैं, उन स्कीम्स से उनको फायदा मिल सके। तो मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपकी परिषद है, चाहे वह विकास परिषद बनाना चाहते हैं या परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते हैं, उसको आप कब तक बना देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री महोदय ने अपने प्रतिवेदन में बात कही, 1975 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र की घोषणा हुई और तब से अब तक अरबों रुपये का खर्चा हो चुका है। 1977 में यह परामर्शदात्री समिति का गठन भी हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अब तक इस परामर्शदात्री समिति की कितनी बैठकें हुई ? उन बैठकों में क्या-क्या निर्णय और सुझाव दिये गये और उनकी क्रियान्विति राज्य सरकार के स्तर पर क्या की गई ? नम्बर एक।

(श्री महावीर भगोरा)

दूसरी बात, इस समिति की जो हम मांग कर रहे हैं, हमारी यह मंशा है कि इस समिति के माध्यम से क्षेत्र के जो विकास के काम हैं, वे हों और उनकी निगरानी उन पर रहे। यह विशेष रूप से हमारा इसमें आग्रह है।

साथ ही जैसा कि माननीय सदस्य दयाराम जी ने कहा, समिति को इतना प्रभावी बनाया जाए, संविधान में भी ऐसा प्रावधान है कि यह समिति जो सुझाव दे उसको राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मानने को बाध्य हैं परन्तु आज तक खाली बैठकों में जो विभाग की प्रगति है वह पढ़ कर सुना दी जाती है और घंटे-दो घंटे मीटिंग लेकर उस समिति का कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाता है। एक टाइम का भोजन दिया और छुट्टी कर दी जाती है। हम यह चाहते हैं कि वास्तव में अगर राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र और उसके निवासियों का विकास चाहती है तो प्रभावी ढंग से इस परामर्शदात्री समिति का गठन करे और उसकी कार्यवाही में जो निर्णय लिए जाएं उनकी क्रियान्विति करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह योजना करीब-करीब सन् 1975 चल रही है और इसमें करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। हमारा इसलिए निवेदन है कि इस पैसे का जो सही उपयोग होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। एरिये का विकास जरूर हुआ है लेकिन व्यक्तिशः आदिवासी का नहीं हुआ है। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मुर्गीपालन के लिये है, जंगल में धोली-मूसली का है, समुद्र में मछली पालन का है जहां अन्दर गिरें तो मगर पकड़कर खा जाए और जंगल में जाएं तो जंगली जानवर खा जाएं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, उनका कोई विशेष फायदा नहीं है। उदाहरण के लिये, माही बजाज का बांध, उसका पैसा उसमें लगाया, सोम कमला का लगाया। इसी तरह कई बड़ी-बड़ी योजनाओं में इस पैसे को लगाया लेकिन इसमें क्या हुआ कि आदिवासियों की तो जमीन डूबी और जनरल कास्ट की जमीन सिंचित हुई है। इससे आदिवासी को कोई फायदा नहीं होता है।

इसके अलावा, मैं 1980 से बराबर विधान सभा में आ रहा हूं, बहुत पहले यह कहा था कि पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी एरिया में जो स्कूल हैं, दवाखानें हैं, वहां पर रेजीडेंस क्वार्टर्स बनने चाहिये जिसमें कि कर्मचारी टिककर रहें लेकिन सारे के सारे शहरों या कस्बों में बना दिये। हमारी यह मांग थी कि जहां पाले हैं, बिखरी हुई आबादी है और वहां पर स्कूल हैं, दवाखानें हैं उनमें भी रेजीडेंस क्वार्टर्स बनाये जाएं लेकिन वे बनाये अधिकारियों ने मनमाने रूप से अपने हिसाब से। जैसे मेरे डूंगरपुर में मेरे ख्याल से 35 क्वार्टर बनाये हुए हैं, उसमें आदिवासी का क्या वास्ता ? आदिवासी कर्मचारी वहां तो रहेंगे ही नहीं। तो हमारा तो यह कहना है कि इस योजना का सही उपयोग नहीं हो रहा है और आदिवासी के नाम पर करोड़ों रुपया बरबाद हो रहा है।

(श्री नाथूराम अहारी)

जहां तक मीटिंग का सवाल है, परामर्शदात्री कमेटी का सवाल है, हम वहां जाकर सुझाव देते हैं परन्तु आप कार्यवाही उठाकर देखें, हमने वहां पर जो बातें उठायी हैं, जो सुझाव दिये हैं उसमें इन लोगों ने कितने सुझावों पर क्रियान्वयन किया है । हम कह रहे हैं कि आदिवासियों के कुओं पर जितना भी धन है, खर्च करें और उनको पूरा करें, जो कि व्यक्तिगत फायदा है लेकिन नये कुएं दे रहे हैं । मैंने यह भी उदाहरण दिया था कि इतने कुएं खोदे हैं, इतने कुएं खोदे हैं कि किसी भी जगह खड़े होकर के 200 कदम जाओ तो कुएं में पड़ोगे, किसी भी दिशा में, लेकिन वे सारे खड्डे हैं । तो हम जो वहां पर बताते हैं. हम जो सुझाव देते हैं उसका कोई उपयोग नहीं होता है । इसीलिये हम यह कहते हैं कि इस धन का सही उपयोग करना है तो इसमें एम.एल.ए. को भी साथ रखकर प्रभावशाली कमेटी बनाएं जिससे कि इस धन का सही उपयोग हो । मैं तो यह कहता हूं कि इसमें दूसरे लोगों को, आरएएस. या आईएएस. लाकर डेपुटेशन पर रख देते तो करोड़ों रुपये तो उस पर खर्च हो जाते हैं । हवाई जहाज से जाते हैं कई कारें खरीद ली हैं, कई जीपें खरीद ली हैं, कई मकान बना लिये, जैसे जयपुर में लाखों रुपये की बिल्डिंग बना दी गई, इससे आदिवासी को कोई फायदा नहीं होता है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, हमारी यह मांग है, जो वाजिब है और इस मांग को पूरा करना चाहिये, अगर सही उपयोग करना है, नहीं तो बन्द कर देना चाहिये । जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर लाल अहारी ।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि अपनी विधान सभा में परम्परा रही है कि बजट सत्र में आदिवासियों के नाम से एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता था, अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से कमिश्नर की रिपोर्ट के अनुसार । किन्तु इस वर्ष कोई प्रावधान नहीं रखा गया है इसलिये हम आदिवासियों के बारे में कोई बात आपके सामने रख ही नहीं सके । इसलिये यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमने आपके सामने रखा है । यह वास्तव में विचारणीय बिन्दु है । हम यह नहीं चाहते हैं कि आदिवासियों के ऊपर खूब सारा धन खर्च हो जाए । हम यह चाहते है कि जो भी धन हमारे नाम से आवंटित किया जाता है. वह सही उपयोग में आना चाहिये, सही कामों में आना चाहिये, परन्तु इसके विपरीत हो रहा है । विपरीत यह हो रहा है कि 1975 से इस योजना का क्रियान्वयन हुआ । हमारे लिये दुर्भाग्य यह है कि करोड़ों रुपया हमारे पास आया, प्रति घर को उस पैसे को डिवाइड करके दे दिया जाता तो मेरे ख्याल से वे लखपति हो जाते और सरकार से भीख नहीं मांगते । आज भी हमारे गांवों में करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी वही की वही झोंपड़ियां हैं जो 40-50 साल से बनी हुई हैं, आज भी वही हालत है, जो 40-50 साल पहले हमारे बाप-दादों ने ऊपर रखे हैं

(श्री शंकरलाल अहारी)

वे ही हैं। हमने इस योजना को आदिवासियों के लिये इसलिये आवश्यक समझा था कि इस योजना के माध्यम से आदिवासियों का आर्थिक उत्थान हो सकेगा, आदिवासियों का सामाजिक उत्थान हो सकेगा, आदिवासियों का सांस्कृतिक बदलाव हो सकेगा, उनके स्तर में परिवर्तन हो सकेगा परन्तु उस ढांचे के अनुसार हम फिट नहीं हो पाये। मैं ऐसा समझता हूं कि जो हमारे उपयोजना चला रहे हैं या तो वे डिफेक्टिव हैं या हम लोग डिफेक्टिव हैं, या हम जन्मजात ही डिफेक्टिव हैं ऐसा हम मानते हैं। मैं निराशाजनक शब्द इसलिये उपयोग में ला रहा हूं कि हमारे मन में तड़पन थी, हमारे मन में एक भावना थी कि हम लोग आगे बढ़ें, हम विकास की ओर जाएं, हम आर्थिक, सामाजिक उन्नति पर आएं परन्तु हम जहां थे वहीं हैं। आखिर ऐसा क्यों ?

हमारे कुछ समय पहले ट्राइबल विभाग, उदयपुर में जो कमिश्नर बैठते हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलायी थी। उसमें सारी रिपोर्ट पढ़ी, अलग-अलग योजनायें बनी और उसके माध्यम से हमको समझाया। परन्तु उस रिपोर्ट के अनुसार, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट हमारे नाम से आ रहा है, वह खर्च ही नहीं हो रहा है। जनजाति के नाम से जो पैसा आ रहा है, वह खर्च ही नहीं हो रहा है। आखिर यह खर्च क्यों नहीं हो रहा है ? क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं ? या तो यह स्पष्ट है कि उस सीट पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वे जानबूझकर आदिवासियों की योजनाओं को टालना चाहते हैं, जान-बूझकर उनमें रूचि नहीं लेना चाहते हैं और रूचि नहीं लेने से काफी पैसे से हम वंचित हो जाते हैं।

बांसवाड़ा का एक उदाहरण है ताजा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात असत्य हो तो बांसवाड़ा की रिपोर्ट देखें। उसमें स्पष्ट जाहिर है कि उसका करोड़ों रुपया ऐसे ही पड़ा रहा, किसी ने हैण्डल ही नहीं किया। हमारी एक आदिवासी परियोजना में एक अधिकारी इस पद पर आया था। उसका जो आवश्यक पैसा था वह इलेक्ट्रिफिकेशन, सिंचाई में, अलग-अलग मदों में समझ-बूझकर सारा पैसा उपयोग में ला रहा था लेकिन ऐसे अधिकारी का भी ट्रांसफर कर दिया।

हमारा कहना यही है कि हमारी उपयोजना के अन्तर्गत जो आदिवासी विकास परिषद का गठन करने के लिए निवेदन किया है, उसमें ऐसे लोगों को वहां बिठाओ जो आदिवासियों से सहानुभूति रखते हैं तभी जाकर हमारा कल्याण होगा, तभी जाकर हमारे पैसे का यूटिलाइजेशन होगा, तभी जाकर हमारा सामाजिक आर्थिक विकास होगा, वरना कुछ नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं, कब तक इसका गठन कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद, श्री पूंजालाल।

श्री पूंजालाल (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जो केन्द्र सरकार की ओर से विशेष

(श्री पूंजालाल)

रूप से धन आवंटित किया जाता है और राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं चलायी जा रही हैं और उनके क्रियान्वयन हेतु जो विभाग विकास के काम कर रहे हैं, इस संदर्भ में उस क्षेत्र की जनता को अपना काम-काज कराने के लिये विभिन्न विभागों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं और उसमें समस्याएं भी आती हैं। कई बार उनकी लौटाफेरी भी होती है लेकिन वहां के अधिकारी उनकी समस्याओं को सही ढंग से समझकर उनका सही निराकरण नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखकर उन योजनाओं को लागू किया जाए, क्रियान्वित किया जाए ताकि सही मायने में उनको लाभ पहुंच सके। आई.आर.डी.पी. की कई योजनाएं आती हैं, इंदिरा आवास की योजनाएं हैं, जीवनधारा योजना है, उनका पिछले कुछ वर्षों में लोगों को सही रूप से लाभ नहीं मिला। इन योजनाओं के चयनित परिवार के लोगों को मंजूर कराने के लिये, व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए बहुत कुछ राशि उन कर्मचारियों को देनी पड़ती है तब जाकर उनका फार्म आगे जिले में भेजा जाता है। वहां से स्वीकृत होने के बाद भी पंचायत समिति वाले जब लोगों का काम हो जाता है, जीवनधारा का कुआ पूरा हो जाता है, मकान पूरा हो जाता है तब भी हर किश्त के समय उनसे 10 पर्सेन्ट राशि वसूलते हैं लेकिन इसकी रोकथाम का कोई उपाय नहीं है। कहने पर भी ये कर्मचारी अधिकारी इस कमीशन की प्रवृत्ति से बाज नहीं आते हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं। जान-बूझकर पैसों के लालच में इस क्षेत्र के अधिकारी जो वहां आये हैं वे सेवा नहीं करना चाहते हैं, न उनमें इनके विकास करने की भावना है, बल्कि किस तरह से इन अशिक्षित लोगों से नाजायज फायदा उठाकर किस तरह से पैसा बनाएं जाय, यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है।

इसलिए हमारा जनजाति विकास परिषद गठित करने का प्रस्ताव है। वह अधिकार सम्पन्न व साधन सम्पन्न हो. उसका चेयरमैन भी हमारा हो, विधायकों में से हो या पूर्व में जो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे लोग हों। हमारा निवेदन है कि इस तरह से आदिवासी या जनजाति विकास परिषद बने। परामर्शदात्री समिति जो बनी है, जो मन्त्रीजी ने जवाब दिया, वह हमारे लिये सही ढंग से काम नहीं कर पायी है, अनुपयोगी रही हैं, प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकी है। परामर्शदात्री समिति के बारे में जो माननीय मंत्रीजी ने बताया है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के लिए जनजाति विकास परिषद बनायी जाए, उसमें पंचायती राज के प्रतिनिधि हों, यहां के विधायकगण भी हों और जो दूसरे गैर सरकारी प्रतिनिधि हैं जो हमारे क्षेत्र के निवासी हों ताकि वे उस क्षेत्र के प्रति लगाव रखें और लोगों का सही ढंग से विकास कर सकें।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि हमारी जनजाति उपयोजना की राशि से का काम कराया गया 3 अरब रुपये का माही के ऊपर रतलाम की तरफ मध्यप्रदेश जाने वाला जो पुल है उसके ऊपर 3 अरब रुपये जनजाति उपयोजना के लगे। मैं

(श्री पूंजालाल)

पूछना चाहूंगा, क्या उसके द्वारा हम आदिवासी या ट्राइबल के लोग ही जाते हैं मध्यप्रदेश या रतलाम ? क्या सारे क्षेत्र की जनता नहीं जाती है ? हमारी मद का पैसा इस तरह से सारा का सारा वहां क्यों लगा दिया ? हम कहते हैं कि आधा पैसा हमारा लगाते, आधा और लगाते तो सबके लिए फायदा होता । यह तो अन्तरराज्यीय पुल है । इस तरह से माही नदी पर रतलाम का जो पुल बना, उस पर 3 अरब रुपया जनजाति उपयोजना का लगा । इस प्रकार से हमारा धन जो हमारे विकास के कामों में खर्च होना चाहिये, वह नहीं होता है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूची 5 में आगे बढ़कर एक चीज और जोड़ी जाए और उस क्षेत्र के लिए जनजाति स्वायत्त विकास परिषद् का गठन किया जाए । उसके गठन के लिए मैंने पूर्व में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान निवेदन किया था क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां के अधिकारी हमारी भावना के अनुरूप काम करें, हमारी समस्या को समझें और जनता की समस्याओं का निराकरण करें । उस रूप में काम करने वाले अधिकारी वहां हों । किस प्रकार से हमारी योजनाएं क्रियान्वित हों, उसका निर्णय लेने का हक जब हमारे पास होगा मैं यह मानता हूं कि तब जाकर कुछ सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, हर दृष्टि से हम विकसित होंगे । आज नशाबंदी वहां आस-पास के क्षेत्रों में लागू है लेकिन आप देखिये कि वहां पर देशी शराब निकाली जाती है और उसके जो अड्डे चलते हैं बनाने के, पुलिस और आबकारी विभाग दोनों की मिलीभगत से चलते हैं । एक्साइज के इंस्पेक्टर की या थाने में पचास-साठ हजार रुपये हर महीने की चौथ वसूली होती है । उसको रोकने के कारगर उपाय न तो पुलिस कर रही है न आबकारी विभाग कर रहा है । तो ये सारी बातें हैं, उसके लिए वहां के लोगों का ही उसमें दखल हो, हस्तक्षेप हो, इस तरह से लोगों का सामाजिक स्तर उठाने में, सामाजिक कुरीतियां मिटाने में इस प्रकार की जो जनजाति विकास परिषद होगी, जनजाति क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद् होगी, वही सही मायने में हमारा विकास कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है । इतनी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया ।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनजाति विषयक ध्यानाकर्षण मंत्री महोदय का कर रहा हूं । इसमें मेरा यह निवेदन है कि जो भी पैसा जनजाति उपयोजना में दिया जाता है उस पैसे का मिसयूज हो रहा है । जब जनजाति आयोग बैठा हुआ है, जनजाति के सारे जेईएन. इनके पास, एईएन. इनके पास, फिर क्या वजह है कि इस पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं ? मानिटरिंग ढंग से क्यों नहीं हो पाती ? पैसा पंचायत समिति को दे दिया, पंचायत समिति वाले क्या करते हैं कि उनको पैसा दूसरे डिपार्टमेंट से मिल रहा है जिसमें पोल खाता है, उस पोल खाते के तो वे काम शुरू कर देते हैं और जनजाति का जो पैसा मिलता है उसके काम शुरू नहीं करते, काम पेण्डिग पड़े रहते हैं । इसी तरह हमारे डेढ़-

(श्री हीरालाल सहरिया)

डेढ़ लाख रुपये, दो-दो लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायत समितियां और पेयजल, रोड इन सारों में उलझे पड़े हैं और उस पर कोई ब्याज नहीं। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय, यह कहूंगा कि जो पैसा हमने इन डिपार्टमेंट को दिया वह पैसा उनसे मय ब्याज वसूल होना चाहिये। या तो वे पैसे का ब्याज दें या जिस समय जिस अवधि में पैसा आवंटन किया गया है उस आवंटन अवधि में ही हमारे काम पूरे होने चाहिये। दूसरे जो प्लानिंग बनती है, एक प्लानिंग बना ली हमने रोड बनाने की, रोड पर पैसा खर्च कर रहे हैं इस साल में, अगले साल उस पैसे को डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट को इस तरह न तो रोड ही बन पाती है न हमारे मकान बन पाते हैं न एजुकेशन में छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पाती है और न किसी प्रकार की और सुविधा उनको मिल पाती है।

यह तो मिसमैनेजमेंट है। हमारा एडीएम. बैठा हुआ है सहरिया परियोजना का, एडीएम. को इतना अधिकार नहीं है कि वह एक भी केस जमीन का माल्व करा सके। आज भी उनके कितने ही कैसेज ऐसे हैं जहां दूसरी कास्ट के लोगों ने जमीनें दबा रखी हैं, एडीएम. वहां मौजूद है, एसडीओ. वहां मौजूद फिर सहरिया परियोजना, जेटीएडी. का है उसको चलाने से क्या होगा? जो कोई बात करते हैं, तो एसडीओ. साहब से करो बात। इसके लिये अलग से इसको प्रशासनिक अधिकार होने चाहिये। मैं आपसे मांग करूंगा कि एडीएम. को प्रशासनिक अधिकार दिये जाएं ताकि सहरियों के जो भी केस हैं या जनजाति के जो भी केस हैं, वह तुरन्त उसी वक्त सुलझाए। यह क्या कि उसको ट्रांसफर कर दिया एसडीओ. को या कलक्टर को कर दिया? सहरियों के लिये विशेष योजना चल रही है उसमें यह जो भारत सरकार पैसा खर्च कर रही है, मैं तो यह कह रहा हूं कि बिल्कुल मिसयूज हो रहा है क्योंकि मानिटरिंग हो ही नहीं रहा। आज आदिवासी जहां का तहां खड़ा है। इससे अधिकारियों का तो भला हो गया, उनके तो बंगले बन गये। जितने भी उसमें कर्मचारी लगते हैं, पैट्रोल फालतू फूंकते हैं। ड्राइवर लगा रखे हैं, सारे लगा रखे हैं लेकिन पैसे का जो उपयोग होता है वह आदिवासियों के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। आदिवासी आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है—एजुकेशन के मामले को देख लें, संस्कृति के मामले में देख लें, सामाजिक स्तर को देख लें, आवास को देख लें।

दूसरी बात मैं और कहूंगा आपसे। जैसे यह निगम बना दिया एक हमने, निगम को हम ट्राइबल सब-प्लान से पैसा देते हैं, आवंटन कर दिया। मैं कहता हूं कि अभी तक उसमें जितने भी एजेन्ट लगे हुए हैं अदरकास्ट के लगे हुए हैं जबकि हमारा यह था उस मीटिंग में-मीटिंग जो हुई थी उसमें मैं भी था, कि आदिवासियों का ही एजेन्ट रहेगा, आदिवासियों का ही बोर्ड होगा, उसमें आदिवासी ही खरीद-फरोख्त करेंगे। आज शहद है, गोंद है, महुआ है, डोलमा है, यह सारों का सारा कलेक्शन करे आदिवासी और फायदा उठाये उसका जनरल कास्ट। ऐसी मानिटरिंग करने से क्या फायदा? मैं कह रहा हूं कि ऐसा पैसा निगम को भी दिया जा रहा है तो वह भी व्यर्थ दिया जा

(श्री हीरालाल सहरिया)

रहा है । इस निगम में आदिवासियों को अगर आप इन्वाल्व नहीं करेंगे, तब तक उस पैसे का दुरुपयोग होगा । उस पैसे से वह सफेद हाथी पल रहे हैं । मैं तो यह कहूंगा कि वह सफेद हाथी पल रहे हैं । गोंद इतना कीमती है और हम उसको बाजार में बेच देते हैं । क्या फायदा ऐसे ट्रांसफर करने से ? दस पैसे हैं, वह कह दे निगम को पैसे दे दो साहब, आज हम आदिवासी अगर किसी तरह का आपसे लोन लेना चाहें, अगर किसी प्रकार का हम लोन लें आपसे, हमें लोन देने के लिये कहोगे कि जमानत नहीं है । हम आदिवासी तो हैं, आदिवासी का पैसा आदिवासी को नहीं मिले तो फिर क्या फायदा ? किसको देंगे पैसा ? उसको देंगे जो उसको जमानत दे ? हमारी क्या जमानत, जमानत तो आप हैं, आपने हमारे लिये प्लान बनाया है, हमारे उत्थान के लिये यह कहा है कि हम आपका उत्थान करेंगे । सरकार चिंतित है, स्टेट गवर्नमेंट चिंतित है, भारत सरकार चिंतित है कि आदिवासियों का भला हो । आदिवासियों का तब तक भला नहीं होगा जब तक कि खुद अधिकारी जो इसमें लगे हैं, वे चाहें कि हम वास्तव में इनका भला करना चाहते हैं । अब उसमें जो लगते हैं, वे खुद ही अपना भला करना चाहते हैं तो आदिवासियों का भला नहीं होगा । मंत्री महोदय, ये दो मिनट अध्यक्षजी ने मुझे दिये, मैं धन्यवाद अध्यक्षजी को देना चाहता हूं लेकिन आपसे यह कहूंगा कि जब तक इस पैसे की मानिटरिंग ढंग से नहीं होगी तब तक इस पैसे का दुरुपयोग होगा । इस पैसे का सही उपयोग करने के लिये यही है कि आप जो ट्रांसफर पैसे का करते हैं डिपार्टमेंट्स को, वह मत करिये । आपके पास विभाग है, आपके सारे अधिकारी लोग वहां पर बैठे रहते हैं । उदयपुर में भी हैं, हमारे जैसे सब प्लान में लग रहे हैं, जैसे सहरिया प्लान है, शाहबाद में है, किशनगंज-शाहबाद में, वहां भी अधिकारी हैं, उनके पास जेईएन. हैं, उनके पास एईएन. हैं, सारा पैसा है, फिर उसको ट्रांसफर क्यों करते हैं ? खुद काम कराओ । आज जैसे मकान के लिये दे दिया पैसा, किसी योजना के लिए भी दे दिया पैसा, उस पैसे का क्या हो रहा है, इसको कोई देखने अधिकारी जाता नहीं । इसलिये मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि पैसे का सही उपयोग हो । आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो अब तक परामर्शदात्री समिति बनी हुई है उसका गठन, 14 लोगों की संख्या उसमें निश्चित है । 20 लोगों में से 14 तो जनजाति क्षेत्र के विधायक हैं, एक जनजाति क्षेत्र में काम करने वाली कोई संस्था का प्रतिनिधि है और तीन सरकारी अधिकारी हैं । जो परामर्शदात्री समिति बना रखी है उसमें तो बहुमत ही नहीं, मैं सोचता हूं कि तीन-चौथाई से भी ज्यादा संख्या विधायकों की है । लेकिन चूंकि कभी-कभी विधान सभा डिजोल्व हो जाती है इसलिये उसके बीच का जो कालखण्ड रहता है उस समय उन सारे सदस्यों को सरकार अपना एक आदेश निकाल कर उसकी मेम्बरशिप से हटा देती है । तीन-चौथाई सदस्य हट जाने के बाद में मीटिंग का होना न होना

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वैसे ही व्यर्थ हो जाता है। जबकि वास्तव में होना यह चाहिये, जब तक अगला गठन न हो जो मैम्बर हैं वे ही मैम्बर अगर रहें तो कम से कम उसकी मीटिंग, जो कुछ भी थोड़ी-बहुत मानिटरिंग होती है, वह मानिटरिंग भी प्रोपरली हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, यह तो है कि वर्ष में हर तीन महीने के बाद मीटिंग होनी चाहिये लेकिन अब तक वास्तव में जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने कहा, वह उनका दर्द बहुत ही वाजिब है। 1981 से लेकर, 1982 से लेकर अब तक केवल दस बार इसकी बैठक हुई। यानि 13 साल में केवल दस बार इसकी मीटिंग हो पायी। इस समय गठन इसलिये नहीं हुआ क्योंकि नयी सरकार अभी आयी है और इसने अपने प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जो परामर्शदात्री समिति आज की तारीख में एक्जिस्ट कर रही है उसको हम जितना जल्दी से जल्दी सम्भव होगा निश्चित रूप से गठन करेंगे ताकि इसके हिसाब से काम को गति मिल सके।

माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि वास्तव में यह एक तरह से पैसे को ट्रांसफर करने वाली एजेन्सी बन गयी जबकि इसके पीछे की भावना यह कमी रह नहीं सकती, जहां तक मैं समझ पाया हूं। लेकिन अब तक इसका यही है कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स को पैसे का अलाटमेंट कर देते हैं वे डिपार्टमेंट उसको खर्च करते हैं या नहीं करते हैं, उसके भी आंकड़े देखें तो वास्तव में कई जगह तो पचास प्रतिशत का भी खर्चा नहीं हुआ है अभी तक, जितना पैसा अलाट किया उसका पचास प्रतिशत खर्चा भी नहीं हुआ। तो वास्तव में पैसा बहुत अधिक है, हमने विभिन्न योजनाओं में इन क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से कल्पना करके पैसा दिया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पांच करोड़, तृतीय में 9 करोड़, चतुर्थ में 10 करोड़, पांचवी में 71 करोड़, छठी पंचवर्षीय योजना में 287 करोड़ और सातवीं योजना में 431 करोड़ और आठवीं पंचवर्षीय योजना का लोकेशन है। 1262 करोड़ रुपये। वास्तव में यह धन और केन्द्र सरकार की और सहायता के आधार पर इस क्षेत्र में बहुत अधिक धन आ रहा है लेकिन इस धन का जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिये, इसकी जैसी मानिटरिंग होनी चाहिये, वह नहीं हो पायी है। इसलिये क्षेत्र में जैसा हम चाहते हैं उसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया।

(15.00)

यह बात भी सच है कि इस उपयोजना के तहत विभिन्न डिपार्टमेंट अपने काम करवाते हैं इनके खाते में लिखकर के। निश्चित रूप से हम बराबर प्रयास करेंगे कि इस प्रथा को बिल्कुल रोका जा सके। इस पर कठोरता से पालना करवाएंगे। जनजाति क्षेत्र के लोगों के व्यक्तिगत लाभ के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसे का उपयोग हो तब तो वास्तव में उनको हम सही लाभ पहुंचा सकेंगे, क्योंकि हमारे यहां कोई भी योजना बनती है और उस पर पैसे की जब भी जरूरत पड़ती है, तब उस ट्राइबल फंड से पैसा ले लेते हैं। जैसे इस समय उदयपुर की पेयजल योजना बन रही है, उदयपुर में पानी मिलेगा, उसमें भी पैसा अधिकांश

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उनका लग गया । दुर्भाग्य यह है कि पैसा उनका लगेगा, लेकिन गांव बीच में अगर आदिवासियों के आएंगे तो उसमें एक नल की टूटी भी उनको नहीं मिलेगी । तो इस सबका....

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा-चौड़ा नहीं, इनकी एक मांग है कि परिषद का गठन करिये, जिसमें आदिवासी लोगों को लीजिये जो आदिवासी सदस्य हैं उनको लीजिये । इतना बता दीजिये । बाकी तो सब काम हो रहे हैं ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : परामर्शदात्री समिति का गठन होने के बाद वह बैठकर इस पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष : इसमें यह मांग है कि आदिवासी हों, आदिवासियों से सम्बन्धित हो, आदिवासी एमएलए. हों ताकि वे उसमें आपको सही सलाह दें, इतनी-सी बात है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह तो माना, वही है । आदिवासी परामर्शदात्री समिति में 20 में से 14 मैम्बर आदिवासी ही हैं लेकिन इनके द्वारा ही यह निर्णय होगा कि स्वायत्त शासन परिषद बनानी है कि नहीं बनानी है या कैसे बनानी है । यह बहुत ही जटिल प्रश्न है जिसका एक सैकण्ड में यहां उत्तर दे पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इन सबके सुझावों को ध्यान में रख करके....

श्री अध्यक्ष : इन सुझावों की लाइट में हम निर्णय करेंगे, इन सुझावों की लाइट में ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इन सुझावों की लाइट में सरकार निर्णय करेगी ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हो गयी । अब क्या बात रह गयी बाकी ? आपका काम मैंने कर दिया ।

श्री नाथूराम अहारी : हमारा यह कहना है....

श्री अध्यक्ष : एक-एक बोलिये ।

श्री नाथूराम अहारी : समिति तो बना देंगे लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है, हम वहां मीटिंग में जाते हैं और हमारे जो सुझाव होते हैं, उसको कितना क्रियान्वित करते हैं ? करते नहीं है ये ।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल यही है, इसमें ध्यान दीजिये ।

श्री नाथूराम अहारी : यह हम आपको कह रहे हैं, ये कहें कि क्रियान्वित हो ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपकी बात हो गयी, आप बिराजें ।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष : आप सुझाव दीजिये, भाषण मत दीजिये । बहुत टाइम हो गया है ।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन और करना चाहता हूं ।

(श्री दयाराम परमार)

जनजाति क्षेत्रीय मंत्रीजी जयपुर में विराजते हैं और सारा ट्राइबल एरिया उधर रहता है। ट्राइबल आदमी, हमारा गरीब, अनपढ़ आदमी अपनी तकलीफ किसी ऐसे आदमी को सुनाना चाहता है जो सक्षम हो और सुनकर के उसकी तकलीफ दूर कर सके। तो मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि मंत्रीजी महीने में तीन दिन उदयपुर में बैठें और लोगों की बात सुनें।

श्री अध्यक्ष : यह बिल्कुल सही है, ठीक है आपका सुझाव। चर्चा समाप्त हुई।

व्यवस्था

उद्धृत पत्रों का मेज पर रखा जाना

मैं निर्णय, व्यवस्था दे रहा हूँ।

श्री जगदीप धनखड़ ने दिनांक 7 अप्रेल, 1994 को प्रक्रिया नियमों के नियम 288 के अन्तर्गत सूचना देकर उल्लेख किया है कि दिनांक 16 मार्च, 1994 को नियम 119 के एक प्रस्ताव पर चर्चा के समय माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने सी बी आई. रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था। अतः नियम 288 के अन्तर्गत उस सीबीआई. रिपोर्ट को सदन के समक्ष रखवाने की व्यवस्था की जाए। प्रक्रिया नियमों के नियम 288 में उद्धृत पत्रों का मेज पर रखा जाना शीर्षक से निम्न व्यवस्था की गयी है। यह नियम 288 है—"यदि कोई मंत्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज्य पत्र को उद्धृत करे" मैं सदस्यों का ध्यान उद्धृत और उल्लेख की तरफ ले जाना चाहूंगा। एक शब्द है उल्लेख, एक शब्द है उद्धृत। उद्धृत को अंग्रेजी में कहते हैं कोट, उल्लेख को कहते हैं रेफर। इसमें रेफर नहीं है, उल्लेख नहीं है, उद्धृत शब्द है। "पत्र को उद्धृत करे, जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा :

"परन्तु यह नियम ऐसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा, जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बताये कि उसका पेश किया जाना लोक हित के प्रतिकूल होगा :

"परन्तु यह भी जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज्य पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे, तो संगत पत्रों को मेज पर रखना आवश्यक नहीं होगा।" यह रूल 288 है।

दिनांक 16 मार्च, 1994 को नियम 119 के प्रस्ताव के संदर्भ में जो चर्चा हुई, जिसका उल्लेख श्री जगदीप धनखड़, माननीय सदस्य ने किया है, उस दिन मुख्यमंत्री जी ने निम्न आशय की सूचना सदन को अपने शब्दों में, संक्षेप में सारांश रूप में बताकर दी:—

"यह रिपोर्ट है 1997 की और जिस समय रिपोर्ट पेश की थी, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं। मैं जून में चीफ मिनिस्टर बना। जून में चीफ मिनिस्टर बना तो आपकी जानकारी के लिये कह दू कि इस रिपोर्ट को सी बी आई. के पास इन्क्वायरी के लिये भेजा है। सी. बी आई. ने इन्क्वायरी की। क्रिमिनल लाइबिलिटी फिक्स अप करने के लिये भण्डारी जी ने सिफारिश की थी। फिक्टीशियस एण्ट्रीज, एक दूसरा मामला उठाया था।

(श्री अध्यक्ष)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि इस समय सी बी आई. की रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मुझे जानकारी है कि सीबी आई. की रिपोर्ट में उन्होंने क्रिमिनल लाइबिलिटी बिल्कुल खत्म कर दी कि कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं, बल्कि उस रिपोर्ट में क्रिमिनल लाईबिलिटी खत्म करने के साथ ही यह लिख दिया कि जो एण्ट्रीज हैं, जिनमें इंटरपोलेशंस हैं, उन एण्ट्रीज को करेक्ट कराया जाए और रेवेन्यू एक्ट या रेवेन्यू लॉ जो भी है उसके अनुसार इसके अन्दर दुरूस्ती की जाए। अब यह दुरूस्ती करने का मामला कोर्ट्स में गया और जाते जाते मामला वहीं के एस डी ओ. ने उसको करेक्ट किया। एस डी ओ. ने उस पर फैसला दिया और फैसले में इन सारे इंटरपोलेशंस के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। उस उल्लेख करने का मामला, बात कम से कम भंडारी की रिपोर्ट तो वहीं खत्म हो गयी। क्रिमिनल लाइबिलिटी होती और क्रिमिनल लाइबिलिटी की सिफारिश सी बी आई. करती और उस पर मैं कोई एक्शन नहीं लेता तो यह समझ में आ सकता था लेकिन क्रिमिनल लाइबिलिटीज खत्म, उन्होंने जांच की। सदन को शायद जानकारी नहीं होगी कि फाइल में दबा नहीं रहा है। इस कागज की इन्क्वायरी हुई। सीबीआई. ने इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी करने के बाद क्रिमिनल लाइबिलिटी खत्म की और एण्ट्रीज में"....

नियम, 288 के दूसरे परन्तुक में जो यह उल्लेख हुआ है "परन्तु यह भी कि मंत्री ऐसे प्रेषण पत्र या राज्य पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे, तो संगत पत्रों को मेज पर रखना आवश्यक नहीं होगा।"

इस संदर्भ में मुख्य मंत्रीजी का उपरोक्त स्पष्टीकरण के अभिकथन अंशों को जो उनके स्वयं के शब्दों में संक्षेप में सारांश विषय-वस्तु को बताने से संबंधित है, की दृष्टि में श्री धनखड़ द्वारा संगत पत्रों को मेज पर रखवाने की मांग, इस परन्तुक के अन्तर्गत स्वीकार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होती।

इस सम्बन्ध में इसी विधान सभा में दिनांक 8-3-1965 को अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12 पुलिस पर बोलते हुए श्री मुरलीधर व्यास ने सरकार से यह मांग की कि रतनगढ़ में 26 फरवरी को पुलिस लाठी चार्ज के संबंध में डीआईजी. पुलिस द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाए।

तत्कालीन उप गृह मंत्री, श्री निरंजन-नाथ आचार्य ने इस विषय में कहा:—

"यह पुलिस का डाक्यूमेंट है, कान्फीडेंशल है और जुडीशियल इन्क्वायरी नहीं है। इसलिये मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज इस संबंध में क्लेम करता हूं।"

इस संबंध में राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन खण्ड प्रथम में "विभागीय जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने के लिये सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता," शीर्षक से जो विनिर्णय तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने दिया, उसका निम्न प्रकार विवरण है—

(श्री अध्यक्ष)

"माननीय सदस्य ने यह मांग की है कि जो रिपोर्ट डीआईजी. रेंज ने सरकार को दी है कि इस घटना के संबंध में उसको सदन की मेज पर रखा जाए, इस बारे में मंत्रीजी ने विस्तार से कहा है कि वे इसे क्यों पेश करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि वे प्रिविलेज क्लैम करते हैं। प्रिविलेज क्लेम करना उचित है या नहीं, इस पर विचार नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्यों ने विभिन्न तरीकों से कहा, अपील की, सारी बातें स्पष्ट की और कहा कि इस दस्तावेज को सदन की मेज पर रखना चाहिये। इस पर भी यदि वे तैयार नहीं हैं रखने के लिए और प्रिविलेज क्लेम करते हैं तो उनको रखने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।"

इसी सदन में दिनांक 28 फरवरी, 1983 को "मंत्री अपने वक्तव्य में किसी प्रतिवेदन अथवा पत्र सन्दर्भ कर, उसमें से कुछ तथ्य अपनी भाषा में बताए, कोट नहीं करते हुए सारांश रखे तो उस प्रतिवेदन अथवा पत्र को सदन के पटल पर रखा जाना अनिवार्य नहीं है," शीर्षक से इस आशय की व्यवस्था का उल्लेख है कि श्री भैरोंसिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष ने निम्न व्यवस्था का प्रश्न उठाया है—

"मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने रिपोर्ट का रेफरेंस देकर इस सदन को जानकारी दी है। चूंकि मंत्रीजी बार-बार उसी डाक्यूमेंट को रेफर कर रहे हैं रूल्स के हिसाब से जिस डाक्यूमेंट के बेसिस पर कोई जानकारी हाउस को दी जाए वह डाक्यूमेंट सदन की मेज पर रखवाया जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।"

इस व्यवस्था में नियम 288 के अन्तर्गत तत्कालीन माननीय अध्यक्ष के अनुसार नियम की सही व्याख्या यह है कि "यदि मंत्री किसी पत्र या परिपत्र कोट करे, पढ़ कर सुनाएँ तो उस स्थिति में तो उनको ले करना पड़ेगा लेकिन यह है कि अगर उन्होंने उस डाक्यूमेंट को पढ़ रखा है और उसमें जो तथ्य हैं, उसमें से कुछ तथ्य अपनी ही भाषा में बताते हैं, कोट नहीं करते, उनका सारांश मन्त्री बताते है तो उस अवस्था में सदन के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।"

इसी संदर्भ में प्रिविलेज डाइजेस्ट में उल्लिखित 1959 में लोक सभा का विशेषाधिकार का मामला जिसमें एक मंत्री द्वारा एक अभिलेख को कान्फीडेंशल क्लेम करते हुए सदन की मेज पर रखने में असमर्थता व्यक्त की गयी थी, भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है—

"Shri Nayar who tabled this notice mentioned Rule 368 of our Rules of Procedure which lays down that even in cases where a Minister refers to a particular document and reads it out in the House, ultimately, when the House insists upon its being placed on the Table of the House, It is open to the Minister to say that in public interest he is not placing it on the Table of the House. That is the

(श्री अध्यक्ष)

clear wording of Rule 368. It does not admit of any doubt so far as that matter is concerned.

"He referred to page 270 of May's Parliamentary Practice and said that in general it is open to Parliament to call for any papers. Then, on page 460 something is said specifically in relation to documents which are referred to in the House under the heading 'Citing of documents not before the House.' There it is said that it has also been admitted that a document which has been cited ought to be laid on the Table of the House if it can be done without injury to the pablic interst Now, therefore, he admits that this is proper. The provision which has been made under Rule 368 imports the substance contained in May's Parliamentary Practice under the heading 'Citing of documents, not before the House.' Even if the Minister cited some documents, he may say : 'No, no; in the public Interest I am not going to place them on the Table of the House.' There is nothing ultra vires in these rules. Reading May's Parliamentary Practice and rule 368 together, it is open, even in a case where the Minister refers to a particular document, for him to say 'a fortiori' : 'I am not going to place it on the Table of the House'. 'A fortiori', when the Minister does not refer to a document at all, I cannot compel nor can the House compel him to place on Table of the houre that document. I do not see how a Minister refuses to discharge the duty imposed upon him or how it is open to the House to call upon him to produce such document.

"There is absolutely no breach from the point of view of privilege. So far as law is concerned, I am not satisfied that there is prima facie a case of breach of privilege for which I should give consent."

कौल एवं शकधर द्वारा विरचित "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" पुस्तिका में सभा पटल पर रखे पत्रों और पत्रों की अभिरक्षा शीर्षक से निम्न उल्लेख हैं :—

"जब कोई मंत्री ऐसी किसी चिट्ठी या राज्य के पत्र को अपने शब्दों में संक्षेप या सार बताये और उसमें से उद्देश न सुनाये, तो उसके लिये उस पत्र को सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार यदि किसी दस्तावेज का उल्लेख सरसरी तौर पर किया जाए तो उसे सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।"

इसी पुस्तिका में यह उल्लेख किया गया है कि नियम 288 के पूर्व अंश में जिन अभिलेखों को सदन की मेज पर रखे जाने का उल्लेख है, उन पर उक्त नियम लागू नहीं होगा। यदि मंत्री यह कहे कि अभिलेख इस प्रकृति का है कि उसका खुलासा करना लोक हित के असंगत होगा और यह भी कि

(श्री अध्यक्ष)

लोक हित क्या माना जाए, यह पूर्णतया राज्य सरकार के निर्णय के अधीन है। किसी मंत्री द्वारा किसी गोपनीय दस्तावेज को सदन की मेज पर रखने से मना करना विशेषाधिकार हनन की संज्ञा में नहीं आता है। अध्यक्ष किसी मंत्री को ऐसे अभिलेख सदन की मेज पर रखने के लिये बाध्य नहीं कर सकते यदि मंत्री इसका रखा जाना लोक हित के विपरीत मानते हैं। राज्य सरकार का यह निर्णय करने का अधिकार कि क्या अभिलेख गोपनीय अथवा गुप्त है और क्या अभिलेख सदन की मेज पर रखा जाना चाहिये, सरकार का यह अधिकार एब्सोल्यूट है। यदि कोई मंत्री सदन में किसी अभिलेख को कोट करता है तो वह यह कहकर कि उसको पटल पर रखा जाना उचित नहीं होगा, पटल पर रखे जाने से मना कर सकता है।

इसी पुस्तिका में आगे यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष, राज्य सरकार के हस्तगत किसी अभिलेख को सदन की मेज पर रखने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। इसकी विषयवस्तु डिसक्लोज करना अथवा किसी दूसरे को सूचित करने की बात तो बहुत दूर की है, यदि सरकार ऐसे अभिलेख को गोपनीय वर्गीकरण की सूची में मानती है।

जहां तक नियम 288 का प्रश्न है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन अभिलेखों को उद्धृत किया जाए उन्हीं अभिलेखों को सदन के पटल पर रखने की बात कही गयी है, उन अभिलेखों की नहीं जिनका केवल उल्लेख हो। वर्तमान प्रसंग में मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट उनके पास अभी नहीं है, इसलिये उसको उद्धृत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिये केवल उल्लेख मात्र से नियम 288 लागू नहीं होता।

उपरोक्त विनिर्णयों, संसदीय व्यवस्थाओं, नियमों की दृष्टि में श्री धनखड़ की मांग स्वीकार किया जाना उचित दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतः मांग अस्वीकार की जाती है।

श्री कैलाश मेघवाल।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से हथियारों की तस्करी व घुसपैठ

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की एक हजार चालीस किलोमीटर लम्बी सीमा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में पाकिस्तान से लगी हुई है। यह सीमान्त क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम, अत्यन्त दुरूह एवं रेगिस्तान में भयंकर आंधियों के साथ सड़क मार्गों व आवागमन के साधनों की कमी के कारण राजस्थान पुलिस और केन्द्रीय एजेन्सियों के लिये एक बड़ी चुनौती है। जब से पंजाब की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तार बंदी व रोशनी की व्यवस्था हो गयी है तब से पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के लिये राजस्थान की सीमा का इस्तेमाल कर रहा है और पृष्ठभूमि में वह अन्तरराष्ट्रीय सीमा संवेदनशील हो गयी है। केन्द्रीय सरकार एवं राजस्थान सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिये पूर्णतया सजग और जागरूक हैं। गंगानगर और बीकानेर जिलों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबन्दी और रोशनी की व्यवस्था

Page No.169

(श्री कैलाश मेघवाल)

पंजाब सीमा की तरफ पहले ही की जा चुकी है। इस उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार निरन्तर केन्द्रीय सरकार से आग्रह कर रही है कि जैसलमेर एवं बाडमेर सीमा पर भी तारबन्दी एव रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाए। जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों के सीमान्त क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने तारबन्दी करने का न केवल सैद्धान्तिक निर्णय लिया है बल्कि टुकड़ों में स्वीकृति प्रदान कर दी है। आने वाले निकट भविष्य में ही यह कार्य शुरू हो रहा है।

केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियां विशेषत: सीमा सुरक्षा बल और राजस्थान के प्रशासन में खुफिया विभाग और जिला पुलिस को सुदृढ़ करने के लिये काफी कदम उठाये गये हैं। राजस्थान सरकार ने सीमा सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिये 1988 से 1992 तक करीब 86 लाख रुपये का आवंटन किया लेकिन बढ़ती हुई चुनौतियों को देखते हुए 1992-93 के वित्तीय वर्ष में एक करोड़ से अधिक रुपये आवंटित किये। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये स्तरों पर आग्रह किया, जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार ने 1992-93 के वित्तीय वर्ष में चार करोड़ सैंतालीस लाख रुपये का आवंटन किया जिसके द्वारा गोला बारूद, वाहन, संचार व्यवस्था, उपकरण आदि 1993-94 में खरीद कर सीमावर्ती जिले की पुलिस को और खुफिया विभाग को दिया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने नयी पुलिस चौकियां और थाने के सृजन के लिए स्ट्राईकिंग रिजर्व बढ़ाने के लिये बार्डर इन्टेलीजेंस का सुदृढ़ीकरण करने के लिये वर्ष 1991 में 261 पद, वर्ष 1992 में 546 पद स्वीकृत किये। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी बाहनियों में वृद्धि की है। राज्य सरकार ने एक पूरी योजना सीमा क्षेत्र के विकास आदि कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी हुई है जिस पर भी निकट भविष्य में कार्यवाही होने की आशा है।

जिला पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को प्रभावी बनाने के लिये इन सीमान्त जिलों में परिचय पत्र जारी किये गये हैं और सीमा पर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को फोरेनर्स एक्ट तथा सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि पुलिस अधिक प्रभावी हो सके। समय–समय पर राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय एवं केन्द्रीय एजेन्सियों की समन्वय समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं जिससे कि पूरा तालमेल रखकर राष्ट्र और समाज विरोधी तत्वों पर पूरा अंकुश लगाने के लिये योजनाबद्ध तरीकों से कार्यवाही की जा सके।

राजस्थान महानिदेशक पुलिस ने पिछली 12 मार्च को ही जोधपुर में एक संयुक्त बैठक की जिसमें कुछ ठोस निर्णय लिये गये। राजस्थान राज्य की सी.आई.डी., आई.बी., नारकोटिक्स ब्यूरो आदि अन्य एजेन्सियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। अपेक्षित जागरूकता के परिणामस्वरूप सीमा पर पिछले कुछ वर्षों में भारी मात्रा में आधुनिक हथियार, गोला बारूद, सोना-चांदी और मादक द्रव्य बरामद किये गये हैं। पाकिस्तानी जासूसों की धरपकड़ में भी काफी सफलता मिली है। इन दिनों पिछले कुछ समय से **एसेटिक एवं हार्ड डाई** जो भारत से पाकिस्तान स्मगलिंग होता है और मादक पदार्थ को हेरोइन बनाने में काम में आता

(श्री कैलाश मेघवाल)

है, काफी मात्रा में जब्त किया गया है । 18 करोड़ तो वर्जित क्षेत्र में राजस्थान पुलिस द्वारा भारी मात्रा में आधुनिक हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किया गया जो आतंकवादियों द्वारा जैसलमेर की सीमा से 1991 में लाकर छुपा कर रखा गया था । 22 मार्च को सीमा पर गज्जेवाला क्षेत्र में मुठभेड़ में कुख्यात आतंकवादी दर्शन सिंह और विशान्तसिंह मारे गये । 21 मार्च को जैसलमेर जिले में पुलिस ने 15 करोड़ रुपये की हीरोइन बरामद की है । राज्य के खुफिया विभाग को सुदृढ़ किया जा रहा है जिससे कि वह सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों व शिक्षण संस्थाओं पर और अधिक कड़ी निगरानी रख सके । न केवल सीमा पर बल्कि राज्य के दूसरे भागों में तस्करी से सम्बन्धित गतिविधियों की सूचनाओं को एकत्रित कर उन पर समुचित कार्यवाही करने के लिये पूरी कार्यवाही की जा रही है और यह चेष्टा है कि पूर्ण समन्वय के साथ राष्ट्र और समाज विरोधी तस्करों पर पूरा अंकुश रखा जाए । ऐसी अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना ही प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू, आप बख्शेंगे तो नहीं चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, लेकिन क्या इस सारे दौरान में सीमा पर तस्करी में कोई ऐसे लोग आपके नोटिस में आये है जो प्रभावशाली हैं और जिनके कारण तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है ? क्या उसमें आपने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद आतंकवादी कामों में प्रयोग आने की जिसकी आशंका रहती है, और मादक पदार्थ पकड़े हैं ? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितनी क्वांटिटी आपने पिछले दो साल में पकड़ी है और ऐसे कौनसे प्रभावशाली लोग हैं जिनको आपको यहां मेन्शन करना पड़ गया कि चाहे कितने ही प्रभावशाली हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा ? ऐसे कौनसे प्रभावशाली व्यक्ति आपके नोटिस में आये हैं, उनका नाम भी आप सदन में बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष : नरेन्द्र सिंह जी, आप पूछना चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने उस तरफ से 21 मार्च को सदन के माध्यम से सीमा एरिया में मदरसों में तस्करी और अन्य धांधलियों की यहां चर्चा की और साथ ही आज जो सरकार से उत्तर आया है, मैं सोचता हूं कि यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है कि आप ही की पार्टी के सदस्य सदन के माध्यम से जनता को तो गुमराह करें ही लेकिन पश्चिमी राजस्थान के हमारे मुस्लिम भाईयों को आतंकित करने की यह एक साजिश रही है । गृह मन्त्री महोदय, खास करके आपको इस विषय को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिये क्योंकि इसका असर न केवल पश्चिमी राजस्थान बल्कि पूरे प्रदेश और देश में रहेगा । काफी चर्चा होती रहती है कि बीएसएफ. के माध्यम से तस्करों को रोका जा रहा है, जो आर्म्स की स्मगलिंग हो रही है ।

(15.25)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति पदासीन)

आपके नेता जब इस तरफ बिराजमान होते थे तो उन्होंने भी हमारे मुख्य मन्त्रियों

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

पर आरोप लगाया था कि बहुत ही गलतियां हो रही हैं, सरकार चुस्त नहीं है। तस्करी के माध्यम से आर्म्स पंजाब के टेररिस्टों को गंगानगर और बाड़मेर के एरिये में मिलने के सम्बन्ध में काफी लोगों के उन्होंने नाम भी लिये थे, जैसे छोटू खां, गाजी फकीर इत्यादि। टाडा में अनेकों लोग सभापति महोदय, गिरफ्तार भी हुए थे। मैं आपके स्टेटमेंट के माध्यम से, गृह मन्त्री महोदय, न केवल आपको अर्ज करना चाहता हूं बल्कि आरोप लगाता हूं कि जो मुद्दा आपके ही सदस्य ने उठाया है उसके पीछे बहुत ही गम्भीर साजिश है। या तो उनके खिलाफ आपको कुछ स्टैण्ड लेना चाहिये क्योंकि टोटल कन्ट्राडिक्शन्स हैं आपके स्टेटमेंट में और उन्होंने जो यहां पर आरोप लगाया और जोर शोर से यहां पर मुद्दा उठाया उसमें। मैं चूंकि उस एरिया से जानकारी रखता हूं, इस विषय में मेरे साथियों के साथ मैं मानता हूं कि जो आपका स्टेटमेंट काफी हद तक सही है, क्योंकि जो आपने सूची दी है स्टेटमेंट के साथ 65-67 पाइन्ट्स की वास्तव में कहीं भी मदरसों का वहां जिक्र नहीं है। आज जो मदरसों का जिक्र जानकारी से जानबूझकर यहां लाया गया है, आखिर आप भी सोचिये, मन्त्री महोदय, कि अगर अपने स्कूलों में और मन्दिरों के बारे में यह आरोप लगाया जाए कि वहा पर आर्म्स इकट्ठे किये जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ व देश के प्रति साजिश रची जा रही है, ऐसे लोगों को ट्रेन किया जा रहा है जो इन्टरनल सिक्योरिटी को, आन्तरिक सुरक्षा को धक्का पहुंचाएं तो आपको उसको गम्भीरता से लेना चाहिये। सभापति महोदय, सदन के प्रांगण को इस हिसाब से यूज नहीं करना चाहिये जिससे लोगों को भ्रमित किया जाए। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य, मेरा ख्याल है करीब-करीब एक चौथाई से एक तिहाई लोग इस वर्ग के हैं वहां पर। अनेकों मदरसे पिछले 15–20 साल में खुले भी हैं। मैं सोचता हूं, एक भी उदाहरण नहीं है, सभापति महोदय, जहां कि यह साजिश सामने आयी हो। हम लोग जो वहां से प्रतिनिधि हैं, आपको जानकारी देना चाहते हैं और सहयोग चाहते हैं आपसे। ऐसे मुद्दे पर अगर ऐसी चर्चा हो जाएं, कोई माननीय सदस्य कर दें और वह अखबारों में आ जाए और अखबारों के कारण वहां की जनता आतंकित हो जाएं, मैं सोचता हूं, वह बिन्दु बहुत ही गम्भीर है। इसमें न केवल इस चेयर से व्यवस्था होनी चाहिये वरन् मैं सोचता हूं, मन्त्री महोदय, आपको अपनी पार्टी में भी एक डिसिप्लिन लाना चाहिये। अगर ऐसे मुद्दे उठने लग गये, भले ही आपकी तरफ से उठें या हमारी तरफ से उठें बगैर सोचे समझे ही उठा लें तो यह बहुत ही अनुचित हैं। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं इसमें कुछ न कुछ कठोर स्टेप लिया जाए। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : मैं क्रम से पुकारूंगा। माननीय पूनमचन्द जी, आप तो बोलिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : सभापति महोदय, गृह मन्त्रीजी ने वक्तव्य दिया है उसमें जो तथ्य बताये हैं उनसे आम तौर से मैं सहमत हूं। मेरा चुनाव क्षेत्र एक तरह से बार्डर पर है और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान बसते हैं। आप जानते हो, अनूपगढ़ से लगाकर ब्राह्मणों की ढाणी गुजरात और कच्छ की बोर्डर और राजस्थान

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में बाकासर के पास, वहां तक सीमा पर मेजोरिटी मुसलमानों की है। यहां पर बहुत ही जिम्मेदार माननीय सदस्य जो जालोर से आते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले आरोप लगाया कि सीमा पर मस्जिदें बनायी जा जा रही हैं, मदरसे बनाये जा रहे हैं जो देशद्रोह और तस्करों के काम में लाये जा रहे हैं या राष्ट्र विरोधी हरकतों के लिये काम में लिये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बात तथ्यों से परे है। भले और बुरे सब जातियों में हैं। अपन जानते हैं कि हथियारों की तस्करी होती है, मादक द्रव्यों की तस्करी होती है, सोने-चांदी की तस्करी होती है और कई तरह की तस्करी होती है, उसमें कोई अकेले मुसलमान हों तो यह बात तो है नहीं। उसमें सभी जातियों के लोग हैं। आपके जितने आर्गेनाइजेशंस हैं वे कार्यवाही भी करते हैं इस तरह के अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध तो उसमें कोई एक जाति या एक धर्म वाले नहीं हैं, मैं यह नहीं कहता कि मुसलमानों में कुछ बुरे नहीं होंगे, जितना प्रतिशत दूसरी जातियों वालों में है उतना ही प्रतिशत उनमें भी बुरों का है लेकिन उनको साथ-साथ यह भी अधिकार है कि जब देश में आजादी आयी है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है तो मदरसे वे भी खोलेंगे, धार्मिक शिक्षा भी देंगे, पढ़े-लिखे होंगे तो धर्मस्थल भी बनायेंगे। लोग आजादी के बाद सम्पन्न हुए हैं, उनकी जानवरों से और मवेशी से ज्यादा आमदनी होती है तो वे इस तरह के खर्च करते हैं। लेकिन एक जाति विशेष के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना और खास तौर से अल्पसंख्यक और जो बार्डर पर रहते हैं, बार्डर पर रहने वाले लोग वैसे ही बहुत भयभीत होते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें जो कोई भी माननीय सदस्य किसी तरह के आरोप लगाएं वे तथ्यों पर आधारित होने चाहिये। देशद्रोही हरकतों के अन्दर कितने अस्त्र-शस्त्र मस्जिद, मन्दिर और मदरसों के अन्दर पकड़े गये या मादक द्रव्य पकड़े गये या वहां पढाने वाले कितने मौलवी और शिक्षक आदि को आपने गिरफ्तार किया है? मैं समझता हूं कि नगण्य होगा उनका नम्बर। तो जो कुछ बातें कही जाती हैं, सदन में बहुत ही जिम्मेदारी से कहनी चाहिये। बार्डर पर रहने वाले लोग और खास तौर से अल्पसंख्यक काफी भयभीत रहते हैं। जब इस तरह की बातें विधान सभा में आ जाती है, अखबारों के अन्दर इनकी चर्चा होती हैं तो उनकी बदनामी भी होती है और साथ में वे लोग भयभीत होते हैं। अपन ऐसी बातें कह कर के उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर उनमें कोई अपराधी हैं या इस तरह के काम करने वाले होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाइये, उनके खिलाफ एक्शन लीजिये, इसमें किसको एतराज है? लेकिन यह दृष्टिकोण अपना कर के और एक धर्म विशेष के विरुद्ध इस तरह का आरोप लगाना क्योंकि ये बोर्डर पर है? पंजाब में सीमाबन्दी हो गयी, तार लग गये हैं, गंगानगर और बीकानेर में भी तार लग गये हैं लेकिन इधर लगे हैं तो इधर से उन्होंने रास्ता चुना है, उसमें एक जाति का कोई सवाल नहीं है, कुछ लोग लिप्त हो सकते हैं लेकिन सभी लोगों को इस तरह से बदनाम करना, यह अच्छी बात नहीं है। यही मेरा सुझाव है, मन्त्री महोदय से खैर पूर्ण आशा है

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हमको तो न्याय की ओर उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह स्वागत योग्य है, ठीक है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन पूरी जाति को इसमें इस तरह से कहा जाए कि जैसे वह जाति ही इसमें लिप्त हो, यह कतई नहीं कहना चाहिये ।

श्री सभापति : श्री किशन मोटवानी ।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जो आरोप एक जाति विशेष पर लगाया गया है वह अत्यन्त ही दुर्भाग्य-पूर्ण है और उससे एक फीसीपेरिस टेण्डेन्सीज क्रीएट होगी और अननेसेसरी एक बदनामी प्रदेश में पैदा होगी । इसीलिये वे सतर्क होकर के इस तरह के कोई आरोप लगाए । वैसे होम मिनिस्टर ने जो रिपोर्ट दी है वह मैं समझता हूं कि उन आंकड़ों से परे है ।

श्री सभापति : मंत्री महोदय का वक्तव्य साफ है ।

श्री किशन मोटवानी : हां, साफ है । इसीलिये इस तरह का इसको रोकना चाहिए और ऐसी टेण्डेन्सी बढ़नी नहीं चाहिये ।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, सीमा पर चाहे तस्करी का मामला हो, चाहे घुसपैठियों का मामला हो, चाहे अवैध हथियारों का मामला हो, यह उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की चिन्ता का विषय है चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो और किसी भी प्रान्त का हो । आज हिन्दुस्तान में कोई, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे कोई दूसरा मुल्क हो, अगर कोई भी गड़बड़ी करता है, कोई भी ऐसी हरकत करता है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है जिससे हमारे देश का और देशवासियों का नुकसान होता हो, वह सभी लोगों के लिये नुकसान देह है और उसमें कोई जाति या धर्म की बात नहीं है । माननीय गृह मंत्रीजी का जो वक्तव्य आया है, पहले भी हम बीस-पच्चीस माननीय सदस्यों ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सम्बन्ध में दिया था और उसमें स्पेसिफिक काफी बातें सरकार से हमने जाननी चाही थीं । जितने भी अखबारों के माध्यम से या सदन में भी कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये कि किस तरह की तस्करी हो रही है, किस तरह घुसपैठिये आ रहे हैं, किस तरह हमारी सीमा को वहां खतरा हो रहा है, देश की एकता और अखण्डता को खतरा हो रहा है, सारे हमने उसमें तथ्यों की जानकारी चाही और माननीय मंत्री महोदय ने सभी बातों के साथ जो जानकारी दी है उसमें यह भी दिया है कि दर्जशुदा अभियोगों में लिप्त अभियुक्तों द्वारा धार्मिक शिक्षण संस्थानों एवं धार्मिक संस्थाओं का सहारा लिये जाने के सम्बन्ध में अब तक कोई मामला नहीं पाया गया है । माननीय सभापति महोदय, यह किसी विशेष माननीय सदस्य का या एक पार्टी का मामला नहीं है, राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिये । पूरा सदन चिंतित है कि हमारे देश और प्रान्त में अगर कोई भी शक्ति ऐसी साजिश करती है जिससे हमारी एकता

(श्री जुबेर खान)

और अखण्डता और भाईचारे को और सद्‌भावना को ठेस लगती है उसके लिये हम सब एक हैं।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने 67 लोगों की, अभियुक्तों की लिस्ट दी है, पिछले तीन-चार साल में जो लोग पकड़े गये हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये हैं। इनमें मेरे ख्याल से बहुत कम संख्या ऐसे लोगों की है जो किसी अल्पसख्यक समुदाय के हैं। मेरे कहने का मतलब है कि 21 तारीख को, सभापति महोदय, माननीय हमारे एक साथी ने जीरो आवर में कुछ बातें कहीं कि इस तरह की वहां पर तस्करी हो रही है धार्मिक संस्थान और मदरसों से यहां तक कि अखबार में अगले दिन छप गया सभापति महोदय। हम उस दिन भी मौजूद थे पर हम कुछ नहीं बोले क्योंकि हमारे पास तथ्य नहीं थे, हमारे पास जानकारी नहीं थी। हमने सोचा कि हो सकता है माननीय सदस्य वहां के रहने वाले हैं, कोई जानकारी दें और हमारी जानकारी में नहीं हो। हमें पीड़ा यह हुई कि अगर मदरसों को तस्करी और आतंकवादियों का ठिकाना बनाया जाता है तो यह न सिर्फ देशवासियों के लिये एक मुसलमान होने के नाते मेरे लिये भी+ + + से झुक जाने की बात है क्योंकि यह देश साम्प्रदायिक सद्‌भावना का देश है, धर्मनिरपेक्षता का देश है। चाहे कोई भी मदरसा हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे ईसाईघर हो, अगर कहीं से भी ऐसी गतिविधियां होती है जो हमारे देश के लिये, हमारी एकता और अखण्डता के लिये घातक हैं तो हमें उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये चाहे वह संस्था किसी भी धर्म या सम्प्रदाय से जुड़ी हो। सभापति महोदय, अगले दिन जब अखबार में छपा कि सीमान्त इलाकों के मदरसे तस्करों की शरण-स्थली, तो बड़ी पीड़ा हुई। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा। अगर वहां मदरसों में इस तरह की बात हो रही है तो वह तो मदरसे सभापति महोदय, कहे ही नहीं जा सकते, वह तो मस्जिद कही नहीं जा सकती जहां वतन के खिलाफ कोई साजिश की बात हो, क्योंकि इस्लाम धर्म में धर्म से भी ज्यादा महत्व वतन को दिया गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : हजरतबल में क्या हुआ ?

श्री जुबेर खान : और वतन देश को कहते हैं, कोई उसका नाम नहीं दिया गया है। अगर मैं भारत का रहने वाला हूं तो मेरे लिये धर्म से भी बढ़ कर भारत देश का मान और सम्मान और अभिमान है। लेकिन, सभापति महोदय, मुझे शक लगता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यह दुष्प्रचार जानबूझकर और षड्‌यंत्र के तरीके से करते हैं जो कि नहीं होना चाहिये और खास तौर से इस पवित्र सदन में नहीं होना चाहिये। इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस दिन सीरियल्स

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जुबेर खान)

के ऊपर चर्चा हो रही थी, उस दिन कहा था कि आजकल हमारे देश को जरूरत है कि ऐसे सीरियस और ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं सामने लायी जाएं जिससे हम जुड़ने की बात करें, आपस में एक मेलमिलाप की बात हो, देश को एक माला में पिरोने की बात हो, उसको तोड़ने की बात नहीं हो। इसलिये आपके माध्यम से इस सदन में मेरा निवेदन है कि कोई माननीय सदस्य अगर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो वे तथ्यों पर आधारित होने चाहिये। सभापति महोदय, जैसे आज किसी छोटे मंदिर का पुजारी कोई हत्या कर दे, यह कितने दुःख की बात होगी अगर मैं यह कह दूं कि सारे मंदिरों के पुजारी हत्यारे हैं? इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? व्यक्ति विशेष किसी भी सम्प्रदाय में गलत हो सकता है, कोई संस्था भी गलत हो सकती है। उस पर्टीकुलर जगह पर आरोप लगाया जाए तो यह औचित्य की बात है लेकिन जनरलाइज किया जाए और सारे देश को यह मैसेज जाए कि वहां के मदरसों में तो तस्करी हो रही है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो सरकार से भी कहीं छिपकर धरती में हो रहा है क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि आज तक इस तरह का मामला कोई सामने नहीं आया है। तो मैं इस सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं बहुत शालीनता से कहना चाहता हूं कि उस दिन जो दर्ज किया गया है, वह तथ्यों से परे है इसलिये उसको एक्सपंज कराया जाए क्योंकि यह तो हमेशा के लिये रहेगा। माननीय सभापति महोदय, यह सिद्ध हो गया है कि उस दिन किसी माननीय सदस्य ने आरोप लगाया--माननीय सदस्य स्वतन्त्र हैं कुछ भी कहें लेकिन जब सदन की एक प्रोपर्टी हो जाती है, एक डाकूमेंट हो जाता है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जो कि गलत हो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष या खास सम्प्रदाय की भावना को ठेस लगे। ये शब्द मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी सम्प्रदाय के हों, किसी भी जाति के हों, कितना ही बड़ा शिक्षण संस्थान या धार्मिक संस्थान या कितने ही बड़े पद पर बैठे हों, अगर देश की एकता और अखण्डता के लिये, तस्करी को बढ़ावा देने के लिये, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिये अगर कोई व्यक्ति विशेष या संस्था जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिये और सरकार को यह मैसेज देना चाहिये कि देश की एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखने में कोई राजनीति नहीं आएगी, कोई दल नहीं आएगा, कोई धर्म नहीं आएगा, कोई व्यक्ति विशेष नहीं आएगा। ये शब्द मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि 21 मार्च, 1994 की 12 बजे की को प्रोसिडिंग्स है, सिवाना से आने वाले माननीय टीकमचन्द जी कांत ने जो शब्द कहे थे, उनको एक्सपंज कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भरत सिंह जी।

(अनुपस्थित)

श्री शांतिकुमारजी धारीवाल

श्री देवीसिंह भाटी : केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकी हजरतबल में।

श्री विष्णु मोदी : क्या करें तो फिर ? यहां बनाना चाहते हैं क्या ?

श्री सभापति : कृपया मंत्री महोदय के वक्तव्य तक सीमित रहें, वह बात तो हो गयी थी।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो बहुत बड़ा वक्तव्य है, साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बहुत संक्षिप्त निवेदन करूंगा। टीकम चन्दजी कांत, माननीय सदस्य……

श्री सभापति : वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया, कैलाश जी मेघवाल ने दिया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : वक्तव्य तो उसी पर आया है, बेस तो यही है न। उसमें उन्होंने बोला था कि मदरसों में पाकिस्तान के धर्म गुरुओं द्वारा कट्टरता की शिक्षा दी जा रही है, सीमा पार से उन मुसलमानों को पीर-पगार बताकर लाया जा रहा है जो कि सन् 1971 के युद्ध में पाकिस्तान भाग गये और मदरसों में तस्करी का सामान इकट्ठा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार के गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, शायद उनको यह याद होगा कि डिफेंस के जितने कागजात चोरी होकर पाकिस्तान के हाथों में लगे, वे लोग वे थे जो कि डिफेंस में नौकर थे, एम्पलाइज थे वहां के सभापति महोदय, इन तस्करों की और इन देश के गद्दारों की कोई जाति नहीं होती, न ये हिन्दू होते हैं न मुसलमान होते हैं, न सिख होते हैं। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनकी जाति देखी जाए जिन्होंने भारत के सीक्रेट डाकूमेंट्स डिफेंस के पाकिस्तान की एम्बेसी वालों को सौंपे और पकड़े गये, तो वे ज्यादातर हिन्दू थे, मुसलमान नहीं थे। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता कि हिन्दू थे या मुसलमान थे लेकिन आरोप इस बात का लगाया जाए और राजस्थान में नहीं पूरे देश में यह माहौल बनाया जाए कि वह सीमा जो पाकिस्तान से लगती है राजस्थान की, वहां पर रहने वाले लोग ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ अपनी लायल्टी रखते हैं, पाकिस्तान से अवैध हथियार लेते हैं देते हैं, तस्करी में वे ही लोग लिप्त होते हैं बाकी और कोई दूसरी जाति लिप्त नहीं रहती, इससे गम्भीर बात नहीं हो सकती, दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। और इस बात पर सरकार सिर्फ वक्तव्य देकर चुप हो जाए? सभापति महोदय सिर्फ सुनकर चुप हो जाए? एक्सपंज की मांग की गयी है, मैं आपसे पुन: निवेदन करता हूं कि ऐसे एक-एक वाक्य को देखकर उसको आप एक्सपंज करें और उन माननीय सदस्य को आइंदा ऐसी गैर जवाबदारी की बात करने के लिये पाबंद करें कि वे कभी इस तरह की बात यहां पर इस सदन में न कहें। यह बहुत गम्भीर बात है। इससे न केवल वातावरण बिगड़ेगा बल्कि तनाव पैदा होगा और वह तनाव रूक नहीं पाएगा। साम्प्रदायिक तनाव अगर एक बार चालू हो जाता है तो पेट्रोल के माफिक यह ज्वलनशील हो जाता है।

श्री सभापति : केरोसिन बोलो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ये भारतीय

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जनता पार्टी के जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उन सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इन आदतों को छोड़ो, आदमी को आदमी समझो, हम सब भाई-भाई हैं आपस में प्रेम की बात करो। इसके नतीजे भी देखे हैं। यह साम्प्रदायिकता फैलाकर आपने एक बार शासन जरूर कर लिया है लेकिन दुबारा आपने जो सरकार बनायी उसको शान से सरकार बनाना नहीं कहला सकते। जिस तरह की सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बनायी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बनायी, उस शान से यहां पर सरकार नहीं बनी है आपकी। यह राम का कार्ड कितनी बार? ऊँची से ऊँची ट्रिक आपने चलकर देख ली लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो सके। अभी 95, अगली बार चुनाव होंगे तो आप 59 रह जावोगे, उल्टा। फिगर इसलिये कृपया इन बातों को छोड़ो। गृह मंत्रीजी, महरबानी करके इन एक-एक मदरसों पर आप पधारो, पधाकर इसकी जांच करो और जांच करके इस सदन में आप अपनी रिपोर्ट दो ताकि इस बात का पर्दाफाश हो ताकि आइंदा से कभी कोई माननीय सदस्य इस तरह की गैर वाजिब बात करने की हिम्मत न करें इस सदन में। धन्यवाद।

श्री सभापति : बिराजिए। श्री बनवारी लाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रूपाराम।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथ सिंह

(अनुपस्थित)

श्री महादेव सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम चौधरी–बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह जी। (व्यवधान) इतने लेट क्यों खड़े हो?

श्री अमराराम जी, आपके लिये नहीं है, बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह जी।

(अनुपस्थित)

श्री परसादी लाल मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेनजी चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री हरजी राम बुरडक।

(अनुपस्थित)

श्री शैलेन्द्र जोशी, कृपया बोलें।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय सभापति महोदय, कुछ राजनीतिक विचार-धारा के लोग ऐसे होते हैं जिनको देश की शांति, कानून व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भाव अच्छा नहीं लगता। कारण यह है कि राजनीतिक लाभ के लिये कोई न कोई साम्प्रदायिक तनाव का मुद्दा उठाना उनका मूल मकसद हो जाता है, और वही भावना रही है इस प्रश्न के पीछे। राजस्थान में यह एक संवेदनशील विषय है। मैं इस पर बहुत ही नियन्त्रित तौर पर बोल रहा हूं। बात यह है, जैसा माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि एक खास सम्प्रदाय विशेष के शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

संस्थान में पाकिस्तान से प्रशिक्षित लोग आये और वे उन्हें तस्करी का और अवैध धन्धों का केन्द्र बना रहे हैं जबकि माननीय गृह मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने स्पष्टतया, केटेगरिकली, स्पेसिफिकली तथा पोइंटेडली यह कहा है कि एक भी ऐसा दृष्टान्त उनके पास नहीं आया जिसमें कि इस तरह की घटनायें राजस्थान में चल रही हों या पायी गयी हों। ठीक ऐसी स्थिति में एक सत्ताधारी दल के एक जिम्मेवार विधायक महोदय यह कहते हैं कि मदरसों को अवैध धन्धे और तस्करी में लिप्त लोग शरण स्थली के तौर पर काम में ले रहे हैं, मदरसों में पाकिस्तान के धर्म राजगुरुओं द्वारा कट्टरता की शिक्षा दी जा रही है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है इसलिये इस साम्प्रदायिक नजरिया नहीं देना चाहिये। सभापति महोदय, इस तरीके से इस तरह के जो कमेंट किये जाते हैं, वे इसलिये किये जाते हैं कि जिससे दूसरा वर्ग जो हिन्दू वर्ग है, उसमें एक विभेद की बात हो, उसमें मनभेद हों जबकि यहां न तो मतभेद है न मतभेद है। लेकिन फिर भी एक भेद इसलिये उपजाया जाए, भेद के बीज इसलिये फेंके जाएं जिससे राइट रिएक्शनरी फोर्सेज हैं, एक खास विचारधारा से जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं उनको हार्ट करती रहें और उससे पोलिटिकल बेनिफिट को एन्केश करने के लिये उन्हें हमेशा रांग बाक्स में रखती रहें। रांग-बाक्स का प्रयोग मैं इसलिये कर रहा हूं कि यह मेलाफाइड रीजन हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जो चाहे विधान सभा के माननीय सदस्य हों चाहे अन्य कोई हों, उनको किसी भी तरह साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने वाला नहीं कहा जा सकता। माननीय मंत्री महोदय, आज कानून भारत का यह है कि अमन-चैन-शांति थोड़ी-सी बिगड़ती है तो 107 भारतीय दण्ड संहिता आ जाती है, 151 आ जाती है या 34 पुलिस एक्ट आ जाता है लेकिन आज एक व्यक्ति ने बगैर किसी आधार के, ठोस आधार के, मूल आधार के, तथ्यों के और स्टेटिकल फिगर के इतने जिम्मेदारी के पद पर होते हुए यहां पर एक इतने बड़े वर्ग के लिये राजस्थान प्रान्त के स्तर पर इस तरह का असत्य आरोप लगा दिया जिससे कि समाज के दो वर्गों में विसंगति पैदा हो, इस तरह का तनाव हो। एक तरह से रचनात्मक रूप से चर्चाएं करें और कल मिलाकर जन-धन की हानि नहीं हों, हमारा साम्प्रदायिक सद्भाव का जो सन्तुलन है वह बिगड़े नहीं, इसलिये मेरा माननीय सभापति महोदय, अन्त में आपसे, निवेदन है कि उस दिन की कार्यवाही है वह पूरी निकाली जाए और इसी तरह माननीय सदस्य को भी एक तरह से निन्दित किया जाए, प्रताड़ित किया जाए कि वे जो भी कोई चीज बोलें, यह यदि सेंसिटिव मामला है, पूरे राजस्थान का मामला है.......

श्री सभापति : बिराजें, बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शांति-सद्भाव का मामला है तो उनके पास जब तक ठोस आधार नहीं हो और सरकारी आंकड़े उनके पक्ष में नहीं हों, तब तक वे ऐसा भाषण नहीं करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : बिराजें। श्री राजेन्द्र चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण डूडी।

श्री रामनारायण डूडी (गोपालगढ़) : सभापति महोदय, ऐसी बात कही गयी है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में जो मदरसे या स्कूल वगैरह हैं और उनके अन्दर जो मुल्ला-मौलवी वगैरह हैं, वे धार्मिक शिक्षा देते हैं और वे तस्करी के अड्डे के रूप में काम में आ रहे हैं मैं समझता हूं कि आज जो भी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जो इस देश की धरती पर रह रहे हैं, वे हिन्दुस्तान के हैं और हिन्दुस्तानी होकर रह रहे हैं। पूरी की पूरी एक बिरादरी पर इस प्रकार के आक्षेप लगाकर, जो हमारे धर्म में एक घिनौनी बात है, समाज में फूट पड़ सकती है। किसी भी जाति के अन्दर व्यक्ति विशेष होते हैं, तस्करी करने वाले भी होते हैं, चोरियां करने वाले भी होते हैं और नाना प्रकार के कार्य करने वाले लोग विद्यमान हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय के वक्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछे, भाषण तो हो गये हैं।

श्री रामनारायण डूडी : हां, मैं यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : फिर क्या है ? चर्चा समाप्त करें।

श्री रामनारायण डूडी : माननीय सभापति महोदय, यही निवेदन कर रहा हूं कि जो मैसेज....

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सदस्य के वक्तव्य से।

श्री रामनारायण डूडी : इस बात को लेकर आज हमें पीड़ा हो रही है कि पूरे के पूरे समुदाय के जो लोग राजस्थानी होकर, भारतीय होकर के इस राजस्थान की और इस देश की बहबूदी में योगदान कर रहे हैं, उस पूरी जाति विशेष पर इस प्रकार के लांछन लगाए जाएं, कि उनकी मस्जिदों में, उनके गुरुद्वारों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, आम एक बात जो राजस्थान के अन्दर मैसेज है, वह निंदनीय है और इस बात को कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रामनारायण डूडी : इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, ऐसे कितने कैसेज हैं ? कितने कैसेज पकड़े गये—उन मस्जिदों के अन्दर ? कितने तस्करी के अड्डे पकड़े गये ? उस तस्करी के मामले के अन्दर उन लोगों का कितना इन्वाल्वमेंट है जिन पर इन्होंने आक्षेप किया है और कितने पर्सेण्ट हैं ? क्या दूसरी बिरादरी के लोग नहीं हैं ?

श्री सभापति : यह वक्तव्य से स्पष्ट हो गया न ? तो चर्चा किसलिये ?

श्री रामनारायण डूडी : जो मैसेज.... (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये, टीकमचन्द जी, मैं अलाऊ नहीं करूंगा। नो।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, यह बात बिल्कुल ठीक है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री रामनारायण डूडी : जो मैसेज राजस्थान को दिया है, उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए जिससे कि वैमनस्य नहीं बढ़े, हमारे में विद्वेष नहीं बढ़े और हम जो साम्प्रदायिक सद्भावना पैदा करना चाहते हैं वह सद्भावना बनी रहे, यही निवेदन करना है। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं इस पर चर्चा समाप्त कर रहा हूं। चर्चा समाप्त हुई इस पर।

श्री राजेन्द्र गहलोत :....(व्यवधान) यह हजरतबल जैसी स्थिति हो सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारी स्थिति पर विचार करें, यह सीमा का मामला है। आज उसके पक्ष में कहा है, उस पक्ष को मान लिया गया है। सीमा से....

श्री सभापति : आप विराजिये तो सही।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मेरी सीमा पर दस साल से....

श्री सभापति : आप बिराजें। मेरी बात तो सुनें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : यह क्या स्थिति है क्या नहीं, इसके बारे में बहस करने को तैयार हूं। यह राष्ट्र का मामला....

श्री सभापति : आप बिराजें। मेरी बात तो सुनें।

एक माननीय सदस्य : भाषण देने खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आप यह बात सुनें। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है वह सोच-समझकर लगाया है।

श्री सभापति : हां, सुनें तो सही। उत्तर दे रहा हूं। मेरी बात तो सुनें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) **:** सीमा की सुरक्षा का ठेका किसी जाति विशेष के पास नहीं है, यह राज्य सरकार के ऊपर है। सभापति महोदय, अगर आप इस तरह से अलाऊ करेंगे....(व्यवधान)

श्री सभापति : शांत रहें। आसन पैरों पर है। अमराराम जी, बैठिये। कृपया बैठें।

श्री अमराराम चौधरी : मेरा नाम था।

श्री सभापति : आपका नाम आया था आप अनुपस्थित थे। अलाउ नहीं करूंगा, नो। आप बैठिये। मेरी बात सुन लें पहले। आपको, अमरारामजी, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। बिराज जाएँ कृपया। (व्यवधान) माननीय सदस्य मेरी एक बात सुनें। आप कृपया सुनें। आज वक्तव्य आया था माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था। वक्तव्य पर स्पष्टीकरण के रूप में कुछ माननीय सदस्य अपने प्रश्न पूछना चाहते थे, पूछे अगर टीकमचन्द जी कान्त या राजेन्द्र जी, आप इसके वक्तव्य के संबंध में कुछ स्पष्टीकारक प्रश्न पूछना चाहें। (व्यवधान) मेरी

(श्री सभापति)

बात कृपया सुनें। माननीय टीकमचन्द जी ने उस दिन शून्यकाल में कहा था, उसके लिये तथ्य पेश करना चाहें, मैं अनुमति नहीं दूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी का जो वक्तव्य आया है उस वक्तव्य पर अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें स्पष्टीकारक तो I Can allow।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। पहले तो मंत्रीजी द्वारा दिये गये वक्तव्य में हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए सदस्यों ने खुलकर बोला। जिस भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर इंगित किया गया है उसके कार्यकर्ता या जो भी चुनकर आये हैं विधान सभा में, वे क्या अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने किया ?....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: आरोप किसी ने नहीं लगाया है।

श्री सभापति: एक बार विराजें।

श्री नरपतसिंह राजवी: हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जनरलाइज करके किसी भी सम्प्रदाय कम्युनिटी विशेष को आइसोलेट करके नहीं करना चाहिये था। न हमारी ऐसी मानसिकता है।....(व्यवधान) Would you listen for a minute? सुन तो लो❀श्रीमान् यह बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ब्लेकैट यह बात भी नहीं मान सकते कि किसी भी मदरसे में या किसी भी मस्जिद में कोई आतंकवादी गया ही नहीं। हजरतबल के बारे में आप क्या कहेंगे? वहां पर उग्रवादियों को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। केन्द्रीय सरकार ने वह सारा आरोप आवे राजस्थान सरकार पर। माननीय मंत्रीजी के द्वारा दिया गया वक्तव्य है उस पर अगर वे प्रश्न पूछे और उन्होंने पूछा है, किसी को भी आपत्ति नहीं है...

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री नरपतसिंह राजवी: वरना भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एम एल ए. हैं वे अपने हिसाब से प्रश्न भी पूछेंगे, वक्तव्य भी देंगे। धन्यवाद।....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें नहीं, सुनें एक मिनट। इस पर आवश्यकता नहीं है मुझे। देखिये आप विराज जाइये। मुझे वकालत की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य, सुनें।....(व्यवधान).... कृपया विराजें, खान साहब, पहले मेरी बात सुन लें। व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मुझे कहने दीजिये।

देखिये, इस पवित्र सदन में जो मंत्रीजी के वक्तव्य पर चर्चा हुई है, किसी भी राजनैतिक दल को छुईमुई का पेड़ होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर भी अपन कई बार बातें कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर भी कई बार बात कहते हैं। इन बातों का स्पष्टीकरण सदन में नहीं होता है। अगर

❀ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री सभापति)

व्यक्तिगत आक्षेप हैं, टीकमचन्द जी कान्त कुछ कहना चाहें तो मैं उनको अलाउ कर सकता हूं। लेकिन कृपया अपने....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप हमें क्यों अलाउ नहीं करेंगे ?

श्री सभापति : जिनका नाम इसमें नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन में जब चर्चा आयी है और हम उस पर कोई बात कहना चाहेंगे, आपको हमें अनुमति देनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : संबंधित प्रश्न तो पूछ सकते हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारा प्रश्न भी हो सकता है, सुझाव भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकती है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय के वक्तव्य के प्रश्न के अलावा अलाउ नहीं करूंगा।

श्री अर्जुनदास मदान : ....(व्यवधान) ये भाईचारा नहीं रहने देंगे।

श्री सभापति : श्री टीकमचन्द जी कान्त। श्री टीकमचन्द जी कान्त।

श्री अर्जुनदास मदान : बोलने का मौका तो दें आप।

श्री सभापति : टीकमचन्द जी कान्त को पुकार रहा हूं।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय....

श्री सभापति : मंत्री महोदय के वक्तव्य तक सीमित रहें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ....(व्यवधान) आप मुझे कह रहे हैं, मेरे वोट खराब होंगे। मेरे तो घर के सब मेम्बर हैं।

श्री सभापति : कृपया बिराज जाएं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं कोई बात कहना चाहती हूं तो आप मुझे व्यंग्यात्मक बात क्यों कहते हैं ?

श्री सभापति : आप तो वरिष्ठतम सदस्या हैं, कृपया विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपसे मैं कहना चाहूंगी, मुझे अनुमति दें।

श्री सभापति : आप वरिष्ठतम सदस्या हैं, आप विराजें। टीकमचन्द जी को पुकारा है मैंने।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : सभापति महोदय, मैंने उस दिन शून्यकाल के अन्दर इस मामले में यह कहा था कि इस मामले को कृपया साम्प्रदायिक दृष्टि से नहीं देखें पहला तो यह था और अन्त में मैं बोलते हुए यहां तक पहुचा था कि इसके विषय के अंदर बीएसएफ. की भी एक रपट तैयार हुई। जहां तक मेरा आधार है, मैं सीमा के जिले से आता हूं, चर्चाओं से लेकर कई सारी बातें ऐसी होती हैं तब कहीं जाकर के मुझे उन अखबारों के अन्दर भी एक ऐसी सूचना मिली।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

(16.00)

जिस तरह अखबारों में था, वहां दूसरे प्रान्तों से मौलवी आते हैं, नये-नये लोग वहां आते हैं, बोम्बे के मुस्लिम युवकों का एक ग्रुप कट्टरता की शिक्षा देने के लिये इन मदरसों के अन्दर घूमा है और सीमा जिले के अन्दर पिछले दो साल के अन्दर मदरसों की लगभग बाढ़-सी आ गयी है । ये जब चीजें हुई तो, सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का एक-एक व्यक्ति, एक-एक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी है, साम्प्रदायिक नहीं है । मेरा आधार साम्प्रदायिकता का नहीं था, मेरा आधार राष्ट्रवादी था कि इस राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिये । सभापति महोदय, सीमा पर बनने वाले मदरसे जैसा कि अभी कश्मीर के अन्दर हजरतबल जैसा पवित्र स्थान....

श्री सभापति : मंत्रीजी ने वक्तव्य दे दिया है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : वर्षों से मोहम्मद साहब के....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : पाइंट आँफ आर्डर ।

श्री टीकमचन्द कान्त : सुरक्षा देने वाले हिन्दुस्तान के अन्दर पाकिस्तानी आकर बैठ गये ।....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : कृपया, टीकम चन्द जी, जरा नियन्त्रित रखें अपने आपको ।

श्री टीकमचन्द कान्त : सभापति महोदय, मेरी यह सूचना थी और मैं चाहता हूं कि आज भी गृह विभाग पूर्णतया इसके अन्दर जांच करे । मैं आज भी कह सकता हूं कि ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री सभापति : पाइंट आफ आर्डर है । आप विराजें ।

श्री टीकमचन्द कान्त : 11 नवम्बर, 1993 के जनसत्ता के अन्दर छपे समाचार पर भी आप विचार करें ।

श्री सभापति : बिराजें आप । पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं । आप क्या पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, अभी आपने कुछ क्षण पूर्व यह व्यवस्था दी थी कि गृह मंत्रीजी के स्टेटमेण्ट पर आप कोई पाइंटेड प्रश्न पूछिये । तो, सभापति महोदय, माननीय सदस्य पाइंटेड प्रश्न तो पूछ नहीं रहे और भाषण दे रहे हैं ।

श्री सभापति : आप विराजिये । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप इनको रोकिये तो सही ।

श्री सभापति : आप विराजिये ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं पाइंटेड प्रश्न ही पूछना चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य : आप फिर समय दे रहे हैं ।

श्री सभापति : समाप्त करने के लिये दिया है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं पुनः एक बार यह कहता हूं कि मेरे कहने का कारण साम्प्रदायिक नहीं है, मेरे कहने का कारण राष्ट्रवादी है । राष्ट्र की सुरक्षा के लिये किसी भी प्रकार की अगर शंका पैदा होती है, कोई सूचना मिलती है तो उसके ऊपर इस पवित्र सदन में सूचना दी जानी चाहिये गृह विभाग से आज भी मैं कह रहा हू कि बहुत बारीकीपूर्वक इसकी जांच होनी चाहिये यह बहुत आवश्यक है ।

श्री सभापति : आप बिराजें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हमने कभी भी इस प्रकार के मुद्दे नहीं उठाये हैं । अशोक सिंघल धर्म कट्टरता के यहां संदेश दे गये और मंत्रीजी वहां पधारे थे, हमने कभी भी सदन में धार्मिक एकता को भंग करने की चेष्टा नहीं की । आप किस प्रकार से यह सूचना दे रहे हो ?

श्री सभापति : कृपया बिराजें । श्री राजेन्द्र गहलोत, कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापतिजी, अभी केन्द्रीय मंत्री जैसलमेर आये थे । उन्होंने ऐसी आशंका प्रकट की कि पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आईएसआई. की घुसपैठ जैसलमेर और सीमा क्षेत्र के अन्दर हो रही है, इससे हमें सावधान रहना चाहिये । मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि मैंने 14 सितम्बर, 1991 को केन्द्रीय रक्षा मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था । उस ज्ञापन के अन्दर मैंने यह कहा था कि सीमा से लगते हुए पाकिस्तानी क्षेत्र के अन्दर शिविर लग रहे हैं, उन शिविरों के अन्दर राजस्थान की जो वेशभूषा है, राजस्थान की सस्कृति है, बोली है उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है । धीरे-धीरे घुसपैठिये पाकिस्तान की सीमा से राजस्थान की ओर आ रहे हैं और राजस्थान को भी पंजाब और कश्मीर बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है । उसके बारे में बार बार आगाह किया गया है । जैसलमेर, बाड़मेर में ऐसे संदिग्ध व्यक्ति, मैं यह नहीं कहता कि धर्म विशेष के, वे भट्टाचार्य होंगे या मौलवी होंगे, मैं उस परिभाषा में उनको नहीं मानता हूं, ऐसे लोग इन स्थानों में घूम रहे हैं । बीएसएफ. की एक रिपोर्ट है जिसमें नवम्बर, 1992 को....

श्री सभापति : कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं बहुत बार गया हूं सीमा के एक-एक क्षेत्र में । वहां से लेकर सारे जैसलमेर के क्षेत्र में एक-एक चौकी पर गया हूं, एक-एक क्षेत्र में गया हूं । मेरे जितना आप कोई नहीं घूमे होंगे । एक-एक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी चाहेंगे तो एक-एक पाइंट पर मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं । मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि नवम्बर, 1992 के अन्दर एक खुफिया एजेन्सी द्वारा और कमा-

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

ण्डर द्वारा एक गुप्त बैठक हुई थी और वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है । उसके बारे में....

श्री सभापति : उसके बारे में गृह मंत्री जी से प्रश्न पूछिये ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मंत्रीजी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि उस रिपोर्ट के बारे में आपको जो जानकारी है, सीमा परिषद् ने भी आपको ज्ञापन दिया है, बार-बार सरकार को आगाह किया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे आज प्राइवेट मैम्बर्स मोशन पर चर्चा प्रारम्भ करवानी है इसलिये इतनी लम्बी छूट नहीं दे सकता ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं कि जिस प्रकार की शिकायतें मिली हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, वे चाहे धर्म का प्रचार करते हों या अन्य प्रचार करते हों पिछले 10 सालों के जो आपके पास आंकड़े हैं, उसके बारे में जानकारी दे । दूसरा मेरा....

श्री सभापति : अब आप बिराजिये ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आपातकाल के अन्दर जिन लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, इन्दिरा गांधी आपातकाल के अन्दर मीसा के अन्दर और अराष्ट्रीय गतिविधियों के अन्दर उनको जेल में रखा है या नहीं रखा है, उसकी आप जानकारी दें । उनके क्या नाम हैं ?

श्री सभापति : माननीय मेघवाल जी कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, जिस तरह की चर्चा यहां हुई और अन्तरराष्ट्रीय सीमा के बारे में माननीय विधायकों की जो चिन्ता है, राज्य सरकार इस बारे में बहुत जागरुक है, माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ बातें इसलिये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अन्तरराष्ट्रीय सीमा केवल राजस्थान का ही दायित्व नहीं है । अन्तरराष्ट्रीय सीमा की पूरी निगरानी केन्द्रीय सरकार की है और केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार की विभिन्न एजेन्सियों में पूरा समन्वय है ।

माननीय सभापति महोदय, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जिन पर हमारा राजनैतिक विश्वास, हमारे राजनैतिक सिद्धान्त, हमारे राजनैतिक मूल्य भिन्न हो सकते हैं, कांग्रेस के बुनियादी सिद्धान्त कुछ और हों भारतीय जनता पार्टी के सिद्धान्त कुछ और हों लेकिन वह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा और राष्ट्र की एकता व अखण्डता का मुद्दा है । इन मुद्दों पर सब एक रूप से सोचें यही हमारा उद्देश्य है । किसी भी असामाजिक व्यक्ति, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, असामाजिक गतिविधियां, गैर राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय गतिविधियां, तस्करी की गतिविधियां और खुफियागिरी की गतिविधियां, जो हिन्दुस्तान को कमजोर करने वाली हों चाहे यहां की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने वाली हों चाहे यहां के स्वास्थ्य को कमजोर करने वाले हो चाहे यहां की दूसरी स्थिति को राजनैतिक दृष्टि से कमजोर करने वाली हों, ये वे

(श्री कैलाश मेघवाल)

गतिविधियां है जिन पर भारत का प्रत्येक नागरिक पूरा जागरूक है सारा राष्ट्र जागरूक है, केन्द्र सरकार जागरूक है और राजस्थान सरकार जागरूक है। उनको करने वालों का मजहब क्या है, उसको नहीं देखा जाएगा। कोई किसी मजहब का हो, किसी भी मजहब को मानने वाला हो, किसी भी विश्वास को मानने वाला हो, अगर इन गतिविधियों में लिप्त है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। मैं, माननीय सभापति महोदय, जिन कुछ बातों का जिक्र....

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : इशारे से क्या मतलब है ?

श्री कैलाश मेघवाल : आप जरा बैठ जाएं, पुष्कर के माननीय विधायक। मैंने एक शब्द प्रयोग किया....

श्री सभापति : इशारे से, आपने तो यूं इशारा किया उसके ऊपर....

श्री विष्णु मोदी : आप अंगुली से डर क्यों रहे हों, यह पूछना चाहता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : इशारेबाजी की उम्र नहीं रही, माननीय सभापति महोदय। अब मेरी इशारे बाजी की उम्र नहीं है।

मैं एक ही निवेदन करूंगा कि किस-किस तरह के प्रभाव और दबाव काम में आते हैं, उम्र में बहुत छोटे होने के बावजूद भी पुष्कर से आने वाले माननीय विधायक इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह का कोई दबाव, प्रभाव पड़ सकता है पर एक सीधी कार्यवाही करने में उस दबाव और प्रभाव से कभी भी राजस्थान सरकार नहीं दबेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा में केन्द्र सरकार के समन्वय में क्योंकि बहुत संवेदनशील इलाका हो गया है, आज हालत क्या हो गयी, माननीय सभापति महोदय, कि सारा दबाव हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर आ गया। पंजाब आपका सील हो गया, आधा अपना सील हो गया, उधर महाराष्ट्र और गुजरात के जो कोस्टल बार्डर हैं, है, कोस्टल बार्डर पर नावों से और जहाजों से भी जो असामाजिक गतिविधियाँ होती हैं उसका भी दबाव हमारे पर आ गया है, आई.एस.आई. की गतिविधियों का दबाव, हमारी सीमा के ऊपर है। उसी दबाव को, चुनौतियों को देखते हुए राजस्थान की सरकार जागरूक है। हमारे मुख्य मन्त्री, हमारे अधिकारी, हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के प्रधान मन्त्रीजी के निरन्तर सम्पर्क में रह रहे हैं, हमारे दूसरे मन्त्री और अधिकारी भी केन्द्रीय एजेन्सीज के निरन्तर सम्पर्क में हैं। और मैं इस सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं की जाएगी जिससे कि किसी भी तरह के दुश्मन या बाहरी शक्तियां हमारी अखण्डता को या हमारे यहां पर किसी तरह का खराबा कर कर सकें। इसके प्रति राजस्थान सरकार जागरूक है।

याचिका का उपस्थापन

श्री सभापति : श्री हबीबुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

नागौर जिले के मूण्डवा में तहसील खोलने के सम्बन्ध में

श्री हबीबुर्रहमान (मूंण्डवा) : सभापति महोदय, मैं नागौर जिले के मूंण्डवा में

(श्री हबीबुर्रहमान)

में तहसील खोलने विषयक चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : भंवरसिंह जी, आप कहिये, क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं ?

श्री भंवरसिंह चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आया हूं, सबको विदित है लेकिन विधान सभा सचिवालय द्वारा जो सीटों का आबंटन किया गया उसके अनुसार मैं मेरे निर्दलीय साथियों के साथ बैठा हूं। इसमें कोई मुझे दुःख नहीं है, दुःख इस बात का है कि समाचार पत्र वाले मुझे निर्दलीय घोषित करते हैं. दो दफा समाचार पत्रों में मुझे निर्दलीय लिखा गया। उनसे भी आग्रह है और जो साथी नहीं जानते हैं उनसे भी आग्रह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नुमाइन्दा हूं। इससे मुझे आघात नहीं पहुंचा, मुझे वोट देने वाली मेरी जनता को आघात पहुंचा कि भंवरसिंह निर्दलीय कैसे है। मैं क्षमा चाहता हूं समाचार पत्र के संवाददाताओं से और आपसे निवेदन करता हूं कि आइन्दा भंवरसिंह को चाहे छोटे अक्षरों में लिखें और भारतीय जनता पार्टी को बड़े अक्षरों में लिखें पर मुझे भारतीय जनता पार्टी में लिखें।

श्री सभापति : धन्यवाद। बिराजिये। आसन की सूची में आपका नाम भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों की सूची में है। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह चौधरी : श्रीमान, ये सुनने नहीं देते हैं।

श्री सभापति : आसन की सूची में आपका नाम भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के साथ है और चुनाव आयोग ने भी आपको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित किया है। बिराजिये आप।

श्री भंवरसिंह चौधरी : श्रीमान् एक और निवेदन है कि आपकी आवाज बड़ी मुश्किल से सुनने में आती है।

श्री सभापति : मेरी आवाज।

श्री भंवरसिंह चौधरी : मैं निवेदन करता हूं कि प्रतिपक्ष हो चाहे कोई और हो, इतना जोर से ❀❀❀ करते हैं कि आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती नहीं है।

श्री सभापति : बड़ी मुश्किल है अगर मेरी भी कम लगती है तो।

श्री भंवरसिंह चौधरी : इस हाउस के अन्दर, इस विधान सभा में....(व्यवधान) सुझाव सुनो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यहां व्यवस्था ईयर फोन्स की की जाएं ताकि हम आपकी बातें सुन सकें।

आधे घण्टे की चर्चा

भीलवाड़ा में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि विषयक तारांकित प्रश्न (प्रश्न संख्या 336) से उत्पन्न मुद्दे

श्री सभापति : कालूलाल गुर्जर। आधे

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार ❀❀❀ शब्द के स्थान पर 'व्यवधान' शब्द प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री सभापति)

घण्टे की चर्चा है लेकिन 15 मिनट समय है। साढ़े चार बजे प्राइवेट मेम्बर्स शुरू कर कर देंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : 15 मिनट में ही कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न संख्या 25 पूछा था जो दिनांक 15 मार्च को यहां लगा था। प्रश्न का जो जवाब आया है वह जवाब बिल्कुल सही नहीं है और तथ्यों को छुपाकर जवाब दिया गया है। क्योंकि भीलवाड़ा में औद्योगिक भूमि को लेकर एक विवाद है, उससे कई लोगों के हितों पर कुठाराघात हो रहा था, वे अनुचित लाभ लेना चाहते हैं, उससे सम्बन्धित प्रश्न था।

सभापति महोदय, मैंने प्रश्न के खण्ड 1 में यह पूछा था कि क्या भीलवाड़ा नगर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित की गयी भूमि पर उद्योगों की बजाय कार्मशियल कम्प्लेक्स बना लिये गये हैं? यदि हां, तो किन किन उद्योगों के? सूची सदन की मेज पर रखें। इसका उत्तर विभाग की ओर से यह दिया गया कि मैसर्स भंवर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज द्वारा 1.5 एकड़ में से 261 वर्ग मीटर भूमि पर शोरूम का निर्माण किया गया, बाकी और किसी का निर्माण होना नहीं बताया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि भीलवाड़ा नगर में जो उद्योग हैं उनमें चार-पांच उद्योग ऐसे है जिनके ऊपर इस तरह के कार्मशियल काम्प्लेक्स बना लिये गये और जो इस समय वहां मौजूद हैं। बड़े-बड़े कार्मशियल काम्प्लेक्स हैं जबकि औद्योगिक भूमि पर इस तरह के काम्प्लेक्स बनाना नियमों के विपरीत है। क्योंकि उद्योग अगर नहीं लग रहा है तो सरकार उस जमीन को लेकर वहां शापिंग काम्प्लेक्स बनाएगी, कार्मशियल काम्प्लेक्स बनाएगी, या सरकार नगर परिषद् या यू.आई.टी. को जमीन देगी और उससे वहां अगर दुकानें बनती हैं तो एक छोटी दुकान की कीमत भी कम से कम चार-पांच लाख रुपये होगी। इन्होंने बिना कनवर्जन कराये, बिना नियमों की पालना किये इस तरह का काम अनुचित लाभ उठाने के लिये किया है। यही नहीं, एक और कार्मशियल काम्प्लेक्स जिसका नाम मैसर्स भंवर प्लास्टिक है, उसने तो अपनी जमीन ही बेच दी और आठ लोगों को जमीन बेचकर तीन, साढ़े तीन करोड़ रुपये उसके ले लिये जबकि यह जमीन इन्होंने पहले सरकार से उद्योग के लिये बहुत मामूली लीज रेंट के ऊपर ली है। इस तरह से तथ्यों को छुपाया गया है, केवल एक भंवर प्लास्टिक का तो इसमें हवाला दिया, बाकी का जानबूझकर इन्होंने छिपाया है। मेरा निवेदन करना यह है कि भंवर प्लास्टिक और कृष्णा कॉटन इण्डस्ट्रीज, दो तो ऐसे उद्योग हैं जिन पर कार्मशियल काम्प्लेक्स बने। एक अजूबा होटल और बना रखा है और एक है राजस्थान मशीनरी मार्ट, संदीप मोटर प्राइवेट लिमिटेड गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। एक है इण्डस्ट्रियल एस्टेट भीलवाड़ा में, प्लाट नम्बर एनपी-18 जैन इन्डस्ट्रीज। इसमें भी कार्मशियल काम्प्लेक्स बना लिये गये। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि ये जमीनें बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हैं, भीलवाड़ा सिटी के बीचों-बीच आज आ गयीं। पहले यह 1964 में, 1961 में आबंटित की गयी थीं इन उद्योगों को, उस समय यह जमीन भीलवाड़ा के बिल्कुल बाहर थी परन्तु अब

(श्री कालूलाल गुर्जर)

अब सिटी के बीच में आ गयी । इसमें कई उद्योग बन्द हो रहे हैं और उद्योग बन्द होने के बाद उस जमीन को गवर्नमेण्ट को वापस सरेण्डर करना चाहिये लेकिन वह बहुत महत्वपूर्ण जमीन हो गयी और उसमें दुकानें और शापिंग काम्प्लेक्स बन सकते है इसलिये इसमें षड्यंत्र करके और इस तरह बिना कानूनी प्रक्रिया के, कानून का पालन किये बिना इस तरह के कार्मशियल काम्पलेक्स बनाये गये हैं । पांच तो मेरे ध्यान में हैं, और भी हो सकते हैं । तो जो जवाब दिया गया है विभाग द्वारा, अधिकारियों द्वारा, इसमें जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया है । इतनी मेन रोड के ऊपर, हाई वे के ऊपर जो फैक्ट्रियां हैं उसके अन्दर कार्मशियल काम्प्लेक्स बन गये तो उनको रोकने की जिम्मेदारी उद्योग विभाग की थी । इन्होंने जानबूझकर उसको रोका नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की नहीं, काफी लम्बे समय से ये कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जिनको उन्होंने रोका नहीं और जिम्मेदारी उनकी बनती है इसलिए तथ्य को छिपाया गया है । जिस जगह उद्योग विभाग का दफ्तर है, सिटी से उद्योग विभाग जाने के लिये जो रोड है उसी पर ये सारे काम्प्लेक्स बने हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग विभाग वाले पेन लेकर कानून की पालना करवाते, क्योंकि निश्चित रूप से उन सबकी जानकारी में है कि ये कार्मशियल काम्प्लेक्स बन रहे हैं लेकिन उन्होंने जानबूझकर, मिलीभगत करके ये कार्मशियल काम्प्लेक्स बनने दिये ।

यही नहीं ये उद्योग जो लगे हैं इसमें सबसे बड़ी फैक्ट्री का नाम कृष्णा कॉटन इण्डस्ट्रीज है । 23 बीघा 6 बिस्वा जमीन इस फैक्ट्री को 1964 में मिली थी, इस जमीन को हड़पने के लिए षड्यन्त्र रचा । कुछ तो उसमें खातेदारी की जमीन थी, कुछ बिना नाम जमीन थी जो शेड अपार्ट हो गयी । शेड अपार्ट होकर कृष्णा कॉटन इण्डस्ट्रीज को आवंटित हो गयी और उसको लीज डीड भी लिख दिया गया है । इण्डस्ट्रियल परपज में काम आ रही है, फैक्ट्री भी लग गयी उसके ऊपर लेकिन उस जमीन को जानबूझकर जो खातेदारी की थी सरेण्डर कर दी । बिना नाम भी शेड अपार्ट करके, कनवर्जन होकर इण्डस्ट्रीज परपज के लिये उसको आवंटित हो गयी । वह जमीन जानबूझकर जब सेटलमैण्ट हुआ तो वापस सैटलमैण्ट में खातेदारी में दर्ज कर ली और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से मिलीभगत करके खातेदारी में दर्ज करवा दी । अब चूंकि वह फैक्ट्री तो हो गयी बन्द, उन्होंने उस जमीन को तीन-साड़े तीन करोड़ रुपये में बेच दिया । जो खरीरदार हैं उन्होंने खातेदारी के आधार पर उसका कनवर्जन करवाने की नयी फाइल पेश कर दी । पहले तो एसडीओ, लैंड कनवर्जन, भीलवाड़ा के यहां फाइल पेश की, वह तो खारिज हो गयी । फिर एस.डी.ओ. के पास दुबारा एक एप्लीकेशन लगा दी और यह बता दिया गया कि यह जमीन तो हमारी खातेदारी की है, इसका कनवर्जन कर दो ।

मेरा निवेदन करना यह है कि इस तरह की फाइल लगी तब भी उसकी जांच हो सकती थी या रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट के जो भी कर्मचारी मौके पर गये वे भी एक रिपोर्ट कर सकते थे कि यह एक इण्डस्ट्रियल लैण्ड है इसको कॉमर्शियल नहीं किया जा

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सकता है, यह खातेदारी की नहीं है। इसमें उद्योग विभाग को भी हस्तक्षेप करना चाहिये था लेकिन उन्होंने भी नहीं किया और एस. डी. ओ. साहब ने उसके कन्वर्जन के लिये कार्यवाही चला रखी है। हालांकि कन्वर्जन हुआ नहीं है लेकिन एक तथ्य छिपाकर के किस तरह से भू-माफिया लोग जमीनों को हड़प करना चाहते हैं। आज भीलवाड़ा में जमीनें को कीमत बढ़ गयी करोड़ों रुपये की जमीन हो गयीं। मेरे ख्याल से यदि उस जमीन को इस तरह से शापिंग काम्पलेक्स बनाये जाएं, दुकानें बनायी जाएं या नगर परिषद के द्वारा कोई मार्केट डवलप किया जाये, नगर विकास न्यास के द्वारा किया जाए तो कम से कम भी 20--30 करोड़ रुपये की वह जमीन अकेली एक फैक्टरी की हो सकती है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि लोगों ने इस तरह का यह स्कैण्डल किया और जो मैंने प्रश्न रखा, तथ्यों को छिपाकर के उसका उत्तर दिया।

इसके अलावा मैंने प्रश्न में आगे सैकण्ड क्वेश्चन और पूछा था कि क्या औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि को कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बनाना नियमों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? तो इन्होंने सिर्फ यह जवाब दिया कि जिला उद्योग केन्द्र, रीको द्वारा समय-समय पर उद्यमियों को अनधिकृत निर्माण कार्य को हटाने के लिये नोटिस जारी किये गये हैं और उद्यमियों ने उक्त अवैध निर्माण को नियमित कराने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है परन्तु हमने नहीं किया। मेरा निवेदन करना यह है कि नोटिस देने से क्या उद्योग विभाग की जिम्मेदारी खतम हो जाती है ? उद्योग विभाग की यह जिम्मेदारी है कि यदि औद्योगिक भूमि को····

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, श्रीमान।

श्री कालूलाल गुर्जर : गैर कानूनी तरीके से उद्योग के विपरीत किसी अन्य काम में लिया जा रहा है, उस पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है तो उद्योग विभाग की जिम्मेदारी है कि उसको रुकवाएं और उसकी लीज को कैंसिल करें। जो उद्योग प्रयोजनार्थ है उसकी लीज को कैंसिल करें, जमीन को सरकार के कब्जे में लें या जिला प्रशासन को कहकर के उस कार्य को बंद करवाएं। लेकिन रीको और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया, इससे यह स्पष्ट लगता है कि इसमें लाखों करोड़ों रुपये की मिलीभगत का घपला करके यह सारी कार्यवाही हुई है। इसलिये मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसके अन्दर कई प्रकार की गड़बड़ और घोटाले हैं। मेरे पास तो पांच की जानकारी है, मेरे ख्याल से भीलवाड़ा में और भी 5–10 उद्योग ऐसे हैं जिनकी जमीन जो बहुत ही इम्पार्टेण्ट है, बहुत ही वेल्युएबल है उसको कामर्शियल काम्पलैक्स के रूप में काम में लिया जा रहा है। अतः इसकी जांच करवायी जाए और जिन अधिकारियों ने गलत यह जवाब दिया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही जिन रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों ने गलती की उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए और दूसरे इस तरह के जो गलत कार्य हो रहे हैं उनको रोकने के पुख्ता

(श्री कालूलाल गुर्जर)

इन्तजाम किये जाएं। उनकी लीज या उनको जो आवंटन कर रखा है उसको निरस्त करके सरकार अपने कब्जे में उस जमीन को ले उनकी निगरानी रखे और उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही हो सकती है यह सारी कार्यवाही करे, यह मेरी मांग है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, श्रीमान कालूलालजी गुर्जर, श्रीमान पराक्रमसिंहजी, श्री चुन्नीलालजी धाकड़, माननीय सदस्यों के भीलवाड़ा क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि विषयक तारांकित प्रश्न संख्या 336 (25/मु. मं./उद्योग) का दिनांक 15 मार्च 1994 को दिये गये उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर स्थिति निम्न प्रकार से है :—

भीलवाड़ा नगर में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 14 मार्च, 1961 द्वारा विभिन्न आराजियात रकबा 702 बीघा । बिस्वा भूमि औद्योगिक उद्देश्य के लिये निर्धारित की गयी और इस भूमि को भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 100 के अन्तर्गत औद्योगिक एवं वाणिज्य क्षेत्र का नाम दिया गया। इस औद्योगिक क्षेत्र में से उद्योग विभाग समय-समय पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन करता रहा है। आवंटन करते समय यह मान्यता रही कि सारी भूमि उद्योग में निहित हो गयी है।

वस्तुतः स्थिति इससे थोड़ी भिन्न पायी गयी। जो 702 बीघा 1 बिस्वा भूमि उद्योग उद्देश्य के लिये सैड अपार्ट की गयी थी, वह सारी बिला नाम सरकारी भूमि नहीं थी। इसमें कुछ भूमि निजी खातेदारी अधिकार की भी थी।

नया भू-प्रबन्ध होने और उसका रिकार्ड 1971 में आने के कारण उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र के लिये निर्धारित भूमि के पुराने खसरा नम्बरों का नये खसरा नम्बरों से मिलान कर रिकार्ड को सही करना आवश्यक था। इस अरसे में निजी खातेदारी द्वारा सरेण्डर की गयी एवं औद्योगिक उद्देश्य हेतु सैड अपार्ट की गयी भूमि का भू-राजस्व लेखों में उल्लेख नहीं होने से जो विसंगतियां उत्पन्न हुईं, उनके फलस्वरूप आज स्थिति यह बन गयी है कि जिन लोगों को उस समय औद्योगिक उद्देश्य के लिये भूमि दी गयी थी उसका वर्तमान स्टेटस क्या है। साथ ही उसमें से निजी खातेदारी के आधार पर जो क्लेम किये जा रहे हैं उसकी स्थिति वस्तुतः क्या है, स्पष्ट नहीं है।

इस अनिश्चय की स्थिति का फायदा कुछ ऐसे लोगों ने उठाया जिनका मूल उद्देश्य येन-केन-प्रकारेण पैसा कमाना होता है और उन लोगों ने उद्योग लगाने या प्रारम्भ में उद्योग लगाकर उसके बाद भूमि पर वाणिज्यिक निर्माण कराने का निश्चय किया है।

माननीय सदस्य द्वारा जो प्रश्न किया

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गया, उसके सन्दर्भ में विभाग द्वारा एक मामला भंवर प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज का बताया गया था। उस पर स्थिति यह सामने आयी कि उस उद्यमी को भूखण्ड संख्या 14 रकबा 1.5 एकड़ वर्ष 1968 में आवंटित किया गया था जिस पर उन्होंने 261 वर्ग मीटर भूमि पर शोरूम का निर्माण कर लिया है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि इसका नोटिस कब दिया गया और नोटिस के उपरान्त क्या हुआ, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि आज यह निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके निर्माण के लिये दायित्व निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

दूसरा मसला मैसर्स कृष्णा काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, भीलवाड़ा का है। इस उद्यमी को आदेश दिनांक 23-9-64 के द्वारा भूखण्ड संख्या 10 एवं 11 का आबंटन जारी किया गया था तथा इस आबंटन के सम्बन्ध में दिनांक 25–8–72 को कुल रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा का लीज डीड निष्पादित हुआ। इस फर्म में 15 साझेदार थे। इस फर्म को आबंटित इण्डस्ट्रियल एरिया प्लाट नम्बर 10 व 11 की सीमाएं नक्शे में इस प्रकार बतायी गयी हैं :—

पूर्व–राजस्थान मशीनरी ट्रैक्टर मार्ट का प्लाट, पश्चिम–सड़क, उत्तर–औद्योगिक क्षेत्र प्लाट नम्बर 8 और श्री उदयसिंहजी की कृषि भूमि तथा दक्षिण–गंगापुर जाने वाली मुख्य सड़क।

उक्त सीमाओं के आधार पर राजस्व नक्शे पर सुपर इम्पोजीशन किये जाने पर यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कृष्णा जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री को खसरा नम्बर 1998, 2011 से 2018 तथा 1999/2, 2001–2, 9, 10, 19 से 21 तथा 2038 के कुछ हिस्से इसमें आते हैं। इसमें से खसरा नम्बर 2011 लगायत 2018 एवं 2001, 1998, 1999, 2009 खातेदारी एवं 2030 और 2021 बिला नाम भूमि के हैं। रिकार्ड से यह पता नहीं लगता कि उक्त खातेदारी भूमि को खातेदारों ने सरेण्डर किया अथवा लीज लेते समय इसका कनवर्जन करवाया या नहीं। इस विवादास्पद स्थिति का लाभ मैसर्स कृष्णा कोटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री द्वारा उठाया जा रहा है और उन्होंने 90×30 वर्ग फीट पर निर्माण करा लिया है, जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा सकता है। निर्माण बेसमेण्ट एवं ग्राउण्ड फ्लोर का करवाया गया है और उस पर फिलहाल राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थगन जारी किया जाकर उसे तहवील सरकार किया हुआ है।

यह निर्माण कार्य किन परिस्थितियों में हुआ और रिकार्ड में अमल दरामद अभी तक क्यों नहीं हुआ और नये भू-प्रबन्ध में औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित होने के उपरान्त भी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि उद्योग विभाग के नाम न होकर उसमें निजी खातेदारी अंकित की गयी और उसका रिकार्ड शुद्धिकरण अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विस्तृत जांच आवश्यक है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मेरे ध्यान में कुछ और ऐसे ही प्रकरण आये हैं जिसमें वाणिज्यिक प्रयोग हेतु औद्योगिक भूमि का उपयोग किया गया है। इसमें राजस्थान मशीनरी मार्ट द्वारा शोरूम का निर्माण, जैन इण्डस्ट्रीज द्वारा शोपिंग काम्पलेक्स का निर्माण, प्रीमियर ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा होटल का निर्माण उल्लेखनीय हैं। इनमें से उभर कर आने वाले मुद्दों से ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे और प्रकरण भी सम्भवतः हो सकते हैं जो या तो विभाग के ध्यान में नहीं हैं या जिन्हें नजरंदाज किया गया है।

मेरा मानना है कि पूर्ण सत्य सामने नहीं आ रहा है और सारे मामलों में जांच आवश्यक है। अतः मैंने यह निश्चित किया है कि एक अत्यन्त वरिष्ठ अधिकारी, श्री अनिल कुमार द्वारा इस मामले की जांच करवाली जाए जो इस समय रीको के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक हैं और जिनको उद्योग, राजस्व एवं औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में गहन ज्ञान एवं अनुभव है।

इन जांच के निम्न मुद्दे होंगे :—

(1) जिस समय भीलवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया उस समय इसे औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र का नामकरण करने के पीछे मन्तव्य क्या था?

(2) जिन क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया उस पर कितनी राजस्व बिला नाम सरकारी भूमि थी और कितनी निजी खातेदारी भूमि थी?

(3) जितनी निजी खातेदारी भूमि थी वह राज्य सरकार में पूर्ण रूप से निहित हुई या नहीं और उसको निहित किये जाने की प्रक्रिया क्या थी तथा कितनी भूमि समर्पण की गयी और कब-कब राज्य सरकार में निहित हुई और कितनी निजी खातेदारी भूमि राज्य सरकार में निहित हुई?

(4) वर्ष 1961 के पूर्व भू-प्रबन्ध का उसके बाद हुए भू-प्रबन्ध में किस प्रकार का समावेश किया गया और कितना क्षेत्र असमाविष्ट रहकर निजी खातेदारी में रह गया?

(5) जिन लोगों को औद्योगिक उद्देश्यों से आवंटन किया गया था, उनमें से कितने उद्यमी भूमि का उद्योग हेतु उपयोग कर रहे हैं और कितने उद्यमियों ने भूमि के आबंटन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्यथा उपयोग किया है?

(6) उक्त अन्यथा उपयोग किस-किस उद्यमियों द्वारा कब प्रारम्भ किया गया और उसका वर्तमान स्टेटस क्या है?

(7) इस अन्यथा उपयोग के क्रम में उद्योग विभाग, रीको अथवा राजस्व विभाग द्वारा कब कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और क्या-क्या कार्यवाही की गयी और क्या यह कार्यवाही पर्याप्त थी?

(8) जिन उद्यमियों ने भूमि का औद्योगिक उद्देश्य के अन्यथा उपयोग किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है?

(9) जिन अधिकारियों द्वारा समय पर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी उनका दायित्व निर्धारण।

(10) इसके अतिरिक्त जांच के समय उभर कर आने वाले मुद्दों पर जांच अधिकारी द्वारा अपना विवेचन।

मैं उपरोक्त जांच रिपोर्ट हेतु दो माह की अवधि निर्धारित कर रहा हूं, रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया जाएगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : सभापति महोदय सिर्फ एक बात। राजस्व अधिकारियों ने जो स्टे कर रखा है, उसकी जांच तक वह कन्टीन्यू रहे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, रहेगा।

श्री कालूलाल गुर्जर : ऐसा नहीं हो कि वह राजस्व अधिकारी स्टे हटा दे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : स्टे कन्टीन्यू रहेगा। अगर कहीं बड़ी अदालत में जाकर स्टे वेकेट करा लें तो मैं मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करूंगा कि पहले एक घण्टे का समय बढ़ाने का प्रस्ताव लाये थे। प्राइवेट मेम्बर्स डे है।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा की कार्यवाही एक घण्टे के लिए बढ़ा दी जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन की कार्यवाही का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : पुरःस्थापन तो कर दो लेकिन इसकी कापी तो हमको दो। आप गुपचुप कार्यवाही क्यों करना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मिल जाएगी।

श्री सभापति : समय पर कापी दी जानी चाहिये। पुरःस्थापित करने के पहले कापी दी जानी चाहिये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम का निलम्बन
प्रक्रिया के नियम 26 का निलम्बन

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं नियमों के निलम्बन के बारे में प्रस्तुत कर हूं। ये जो संकल्प प्रस्तुत किये जाएंगे वे एक साथ प्रस्तुत हो जाएं और फिर एक-एक पर चर्चा हो जाए। नियमों में निलम्बन के लिये।

प्रश्न यह है कि प्रक्रिया के नियम 306 के अन्तर्गत प्रक्रिया के नियम 26 के प्रावधानों को लागू किये जाने को निलम्बित जाकर शलाका के क्रम में आये सभी गैर सरकारी संकल्पों को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए तथा प्रक्रिया के नियम 27 अन्तर्गत संकल्प पर विवाद उसी या अगले सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियुक्त किये गये अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दिया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

गैर सरकारी संकल्प, श्री विष्णु मोदी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री अर्जुनदास मदान : सभापति महोदय, मुझे एक पत्र मिला है जिसमें आपने लिखा है कि शलाका के माध्यम से जो भी प्राथमिकता निर्धारित की उसमें सबसे पहले मेरा नाम था। दूसरे नम्बर पर श्रीमती तारा भण्डारी का और मेरा नाम था। अब आपने जो दूसरा पत्र दिया उसमें आपने प्राथमिकता के क्रम को बदल दिया। इसमें मेरा कोई एतराज नहीं है। आप आसन से जो भी व्यवस्था देंगे वह शिरोधार्य है लेकिन आप एक प्राथमिकता का निर्धारण कर लेते हैं और निर्धारण के उपरान्त आप उस क्रम को बदल देते हैं। आपने स्वयं ने लिखा है। पहले मैं इसको पढ़कर सुना

(श्री अर्जुनदास मदान)

दूं। दिनांक 8 अप्रैल, 1994 को प्राथमिकता से निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा। आपने यह पत्र दिया। उसके बाद आपने यह दूसरी व्यवस्था दे दी। आप बुलाएं किसी को भी, उसमें जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन कम से कम इस व्यवस्था को तो न बदलें। आप हमें पढ़ने का मौका देते, हम उसे रख देते और जब भी आप डिसकशन की अनुमति देते हम हाउस में दे देते। कोई एतराज नहीं है लेकिन एक व्यवस्था आप दें और उसी व्यवस्था को बिना बताये हुए बदल दें और नियमों की परीधि से बाहर जाकर बदला जाये, मैं नहीं समझता कि यह उचित बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शलाका के क्रम को बदलने का माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार है और माननीय अध्यक्ष ने इसको बदला है। आपको भी आज ही प्रस्तुत करने का अवसर दे रहा हूं। आपका प्रस्ताव भी प्रस्तुत हो जाएगा और जब इसका क्रम आएगा तब आपको भी बोलने का अवसर दूंगा। कृपया स्वीकार करें।

श्री विष्णु मोदी, पहले आप केवल संकल्प प्रस्तुत करेंगे, फिर माननीय सदस्यों के संकल्प आएंगे और उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। श्री विष्णु मोदी।

अशासकीय संकल्प

केन्द्रीय वन एवं खनन अधिनियमों के कतिपय प्रावधानों से राज्य के विकास में अवरोध

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, मैं निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

सदन का यह अभिमत है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 इंडियन फोरेस्ट एक्ट, 1927 तथा रिवीजन आफ माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) एक्ट, 1987 के कतिपय प्रावधानों के कारण राजस्थान के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होने से राज्य के लाखों लोगों का जीवनयापन कठिन हो रहा है तथा भविष्य में इससे पड़ने वाले सम्भावित दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करें कि वह इस पर पुनर्विचार कर आवश्यक कदम उठावे।

राजस्थानी को राज्य में द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता

श्री सभापति : श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : सभापति महोदय, मैं निम्नांकित गैर सरकारी सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

यह सदन संकल्प करता है कि राज्य सरकार राजस्थानी भाषा को राज्य में द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु इसे भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने के लिए केन्द्र सरकार को पुरजोर सिफारिश करे।

राज्य में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य करना

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) :

(श्री अर्जुनदास मदान)

सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

यह सदन संकल्प करता है कि राज्य में अपनी मातृभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार हेतु राज्य के समस्त कार्यालयों, कार्यकलापों और पत्राचार आदि में केवल हिन्दी का ही उपयोग किया जाये।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करती हू :

यह सदन संकल्प करता है कि राज्य में निरन्तर आबादी में होने वाली अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम को और प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में समुचित कार्यवाही करे।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा। (अनुपस्थित) श्री ओमप्रकाश शर्मा। (अनुपस्थित) श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, विषय दूसरा चल रहा था, मैं एक सैकण्ड के लिये बाहर गयी थी।

श्री सभापति : अनुमती दे दें ? श्री ओमप्रकाश शर्मा प्रस्तुत करें।

अन्य मण्डी क्षेत्रों से आने वाली उपज के अनुपात में मण्डी समिति का व्यय उस क्षेत्र में

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सदन संकल्प करता है कि कृषि उपज मण्डी समिति के फण्ड में से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 19 में वर्णित प्रयोजनों के लिये किये जाने वाले व्यय कृषि उपज मण्डी क्षेत्र के अतिरिक्त उस कृषि उपज मण्डी क्षेत्र पर भी उसी अनुपात में किये जाएं जो अनुपात कृषि उपज मण्डी क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र से आने वाले कृषि उपजों के मूल्यों का होता है।"

श्री सभापति : डाक्टर उजला अरोड़ा।

राज्य में मादक द्रव्यों के विक्रय पर तत्काल पाबन्दी

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करती हूं :—

"सदन का यह अभिमत है कि राज्य में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए अपराध मुक्त समाज की रचना हेतु राज्य में मादक द्रव्यों के विक्रय पर तत्काल पाबन्दी लगायी जाए।"

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी, कृपया चर्चा प्रारम्भ करें।

अशासकीय संकल्पों पर वाद-विवाद

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें कुछ कानूनों का जिक्र है जो केन्द्र सरकार द्वारा बनाये हुए हैं जिससे हमारे राजस्थान की उन्नति रूक गयी। मैं उन कानूनों पर आऊं, उससे पहले यह जरूरी समझता हूं, हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान बनाया जो भिन्नता हमारे संविधान में है कि केन्द्र मजबूत है और उसके साथ-साथ फेडरल स्ट्रक्चर भी हमने बनाया। इस तरह का जो बहूद्देश्यीय संविधान बनाया, उस बहूद्देश्यीय संविधान को बनाने के वक्त, उस वक्त जो ऐतिहासिक कारण रहे हैं, उस वक्त

(16.44)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

जो विश्व का परिदृश्य था, उन सभी कारणों को मद्देनजर रखकर उन्होंने इस तरह का सविधान बनाया कि जिसमें संघीय व्यवस्था भी है और फेडरल स्ट्रक्चर भी है।

माननीय सभापति महोदया, भारत जो आज है, उसकी जो सीमाएं हैं। उसका अगर हम इतिहास में जाकर अवलोकन करें तो सबसे पहले चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में इसकी सीमा में पूर्व में बंगाल था, पश्चिमोत्तर में एशिया की सीमा छूती हुई थी, अफगानिस्तान तक चला गया था, मालवा था और गुजरात को सम्मिलित करते हुए दक्षिण में नर्मदा नदी तक थी, उड़ीसा तक सीमाएं थी। आज जो भारत है उसकी सबसे पहले परिकल्पना चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में हुई जो ईसा से 320 साल पहले था। ज्यों-ज्यों आगे-आगे मौर्य काल बढ़ता चला गया और वह जब कमजोर होने लगा तो ये सीमाएं कम होती चली गयीं। छोटे-छोटे राज्य और छोटे-छोटे प्रान्त बने तथा हिन्दुस्तान का जो स्वरूप था वह स्वरूप कम हो गया। उसके बाद जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है वह चन्द्रगुप्त का काल आया। वह आप देखेंगे कि ईसा के 320 साल बाद आया। मौर्य काल तो ईसा से 320 साल पहले था। इतने लम्बे अन्तराल में यह देश विभिन्न छोटे-छोटे प्रान्तों में बटा रहा जब गुप्त काल आया तो फिर एक बार कोशिश हुई कि इस भारत का स्वरूप वैसा ही बने। उसमें फिर एक प्रयास हुआ। वह प्रयास होकर हिन्दुस्तान की सीमा उतनी तो नहीं लेकिन फिर भी एक केन्द्र बनकर एक राज हुआ। उसके बाद समुद्रगुप्त आये और उसके बाद हिन्दू राज एक तरह से खत्म-सा होने लगा।

फिर दिल्ली सल्तनत में भी जो हमारे इतिहास में मिलता है, केन्द्र मजबूत रहा। तब हिन्दुस्तान का राज चलता रहा। यह इतिहास मैं इसलिये दुहरा रहा हूं, इसलिये बता रहा हूं कि हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग में भी यह बात रही कि जब-जब हिन्दुस्तान में केन्द्र कमजोर रहा है तब तब यह खण्डित होता रहा और छोटे-छोटे प्रान्तों में बंटा रहा।

दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल आया। मुगल काल में अकबर के शासन में

(श्री विष्णु मोदी)

फिर एक बार मजबूत केन्द्र बना। हिन्दुस्तान की जो सीमाएँ आज हैं उस समय काफी हद तक वे सीमाएँ थीं। उसके बाद ब्रिटिशर्स आये। ब्रिटिशर्स के पहले अकबर के वक्त में फतेहपुर सीकरी से आगरा राजधानी आयी और आगरा से दिल्ली आयी। अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता राजधानी बनायी, लेकिन फिर दिल्ली में राजधानी बनाकर उन्होंने हिन्दुतान पर राज किया। यह सारा घटनाक्रम हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग में था। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना उसमें एक मजबूत सेण्टर की कल्पना की गयी और उसके साथ-साथ फैडरल स्ट्रक्चर भी दिया गया।

मेरा जो संकल्प है वह, केन्द्र और राज्यों के बीच का जो सम्बन्ध है उससे सीधा जुड़ा हुआ है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच किस तरह के सम्बन्ध हों। माननीय सभापति महोदया, जब सन् 1947 में हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त में कई सारे और मुल्क आजाद हुए। हमने प्रजातंत्र का रास्ता चुना हमने संविधान में फैडरल स्ट्रक्चर चुना उस वक्त रशिया में भी फैडरल स्ट्रक्चर था, अमेरिका में भी फैडरल स्ट्रक्चर था लेकिन आज हम देखें तो अमेरिका तो एक लार्जर फैडरल स्ट्रक्चर हो गया इसलिए आज वह स्ट्रांगर से स्ट्रांगर होता चला गया रशिया जो एक सुपर पावर कहलाती थी उसके, जिस तरह से कागज के गत्ते बिखर जाते हैं, वह देखते देखते आपस में डीसेण्ट्रलाइज हो गया, कई हिस्सों में वह बंट गया। माननीय सभापति महोदया, हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में दो बेसिक थ्योरीज प्रोपाउण्डेड थीं, जिनको उन्होंने उसमें दर्शाया भी है। एक सेण्ट्रीपीटल और एक सेण्ट्रीफ्यूगल? सेण्ट्रीपीटल मीन्स एक सेण्टर हो, वह मजबूत हो और बाकी सब उसके अधीन हों लेकिन हमने कुछ इस तरह का मिक्सचर उसमें किया है कि उसमें सेण्ट्रीपीटल भी लिया और सेण्ट्रीफ्यूगल भी इस फैडरल स्ट्रक्चर के अन्दर लिया।

माननीय सभापति महोदय, हमारा जिस तरह का संविधान है, जो प्रजातन्त्र का रास्ता हमने अपनाया है, दुनिया में किसी से छिपा नहीं है कि 1947 में जब अंग्रेजों की गुलामी से हम आजाद हुए उस वक्त हमारे देश और प्रान्त की क्या स्थिति थी। इसी संविधान के दायरे में हमने प्रगति की, उन्नति की चाहे कोई-सा क्षेत्र रहा हो। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली उत्पादन का हो, चाहे किसान की उन्नति का सवाल हो, चाहे साइंस और टैक्नालाजी की बात हो, हम निरन्तर प्रगति करते चले गये। संविधान के 251वें अनुच्छेद में यह बात भी साफ हमारे निर्माताओं ने की कि अगर एक ही सब्जेक्ट पर दो कानून बनाये गये तो उसके अन्दर जो सैण्ट्रल का कानून बनाये गये तो उसके अन्दर जो सैण्ट्रल का कानून है वह सुपरसीड कर देता है किसी भी स्टेट के कानून को ऐसी बात नहीं है कि केन्द्र के लोगों ने इन सब बातों को, इन परेशानियों को नहीं समझा हो लेकिन उसी दौर में सरकारिया कमीशन अपाइण्ट किया गया और सरकारिया कमीशन भी इन बातों के लिये अपाइण्ट हुआ। जब बहुत दिन बाद

(श्री विष्णु मोदी)

में, कई वर्ष निकल गये तब उसमें हमें मंथन करने की आवश्यकता पड़ी कि आज हमारा क्या रिलेशन होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदया, जब प्रश्न यह आया कि अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग तरह की बातें आने लगी तो ही सरकारिया कमीशन अपाइण्ट किया गया। सरकारिया कमीशन की भी बातें आयीं और उन्होंने भी कुछ बातों को बताया। माननीय सभापति महोदया, पहले तो यह होता था कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा करता था, उसकी सीमा पर फोर्स से हमला किया, कब्जा किया और वहां शासन करने लगा। लेकिन जिस तरह से युग बदलते गये, प्रथम विश्व युद्ध के अन्दर जो विश्व की स्थिति थी, सैकण्ड वर्ल्डवार में और उसके पहले जब बाबर इस देश पर हमला करने आया तो बाबर इसलिये जीता कि उसके पास में तोप थी और जो हिन्दुस्तान के राजे-रजवाड़े थे उनकी सेना के पास तोप नहीं थी। लेकिन निरन्तर समय बदला और समय बदलने के कारण आज जो विश्व की स्थिति हो गयी, आज वह बात नहीं रही कि आज कोई मुल्क किसी मुल्क पर हमला करके वहां शासन करना चाहता है। आज परिस्थितियां ये बनी हैं कि कौन मुल्क कौनसे मुल्क के बाजार पर कब्जा करे। जो परिस्थितियां सन् 1942 में थीं, सन् 1947 में थीं, ईसा के पहले या बाद में थीं, वे निरन्तर बदलती गयीं। देश की भी बदलीं, प्रदेश की भी बदलीं और विश्व का परिदृश्य भी बदला। आज जो स्थिति है वह एक बाजारोन्मुख स्थिति है।

माननीय सभापति महोदया, जब मैं इस संकल्प की बात पर आता हूं और जो मैंने ये सब बातें कहीं तो मेरा कदापि तात्पर्य यह नहीं है कि केन्द्र कमजोर हो। मैं जो इस संकल्प के माध्यम से कहना चाहता हूं, उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि केन्द्र के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं हो या केन्द्र कानून नहीं बना सके या राज्य के अधिकार को संतुलित करने में केन्द्र की कोई भूमिका नहीं हो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उस वक्त सन् 1952 में जब कांस्टीट्यूशन बना तो वे स्टेट लिस्ट में थे लेकिन 42वां अमेंडमेंट जो कांस्टीट्यूशन में हुआ उस वक्त उनको कानकरेण्ट लिस्ट में ले आया गया। मैं उस सवाल पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता कि वह गलत था या सही था लेकिन आज हम सब लोग इस सदन में चुनकर आये हैं, आज जब भी कोई बात होती है तो साधन की बात होती है कि राज्य सरकार के पास साधन सीमित हैं, या हम अपने प्लान आऊटले की बात करते हैं। तो आज जो भी कोई बात होगी, आज जो भी समस्या है वह साधन सीमित होने की है। आज हम स्टेट के साधनों की तरफ जब देखते हैं तो उसमें राजस्थान के पास में हैं सेल्स टैक्स, एक्साइज, माइनिंग, ट्यूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इनमें मेरा ख्याल है कि बहुत छोटा-सा शेयर स्टेट का है और उसमें भी जो बड़ा शेयर मिलता है वह है एक्साइज के अन्दर हमारा शेयर, इनकम टैक्स में हमारा शेयर और बाकी का जो प्लान एलोकेशन में पैसा है। इस सदन में जबसे मैं आया हूं तबसे मैं समझता हूं, हमारे साधन किस तरह से बढ़ें उसके ऊपर केन्द्र सरकार की वित्त आयोग के रूप में या योजना आयोग

(श्री विष्णु मोदी)

के रूप में जब भी कोई बात आती है तो हमेशा सवाल इस बात का उठता है कि स्टेट अपने साधनों को बढ़ाएँ, स्टेट अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें।

माननीय सभापति महोदया, जैसा कि मैंने कहा संवैधानिक व्यवस्थाओं का मैं आदर करता हूं पर इस संकल्प में मेरी समझ में नहीं आया कि एक पंक्ति किन कारणों से किसने क्या समझकर काटी है। मैंने उसमें पहले ही कहा था संवैधानिक व्यवस्थाओं का आदर करते हुए यह मेरे संकल्प में भी था लेकिन अभी दूसरा प्रिण्ट होकर आया उसके साथ में मैंने यह भी निवेदन किया था....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप इतिहास, भूगोल, राज, सरकार सब बता गये अभी तो आपका सब्जेक्ट आया ही नहीं दूसरा भी तो है। और भी संकल्प हैं।

श्री विष्णु मोदी : वह तो आ भी नहीं सकता। और संकल्प तो मूव हो गये हैं लेकिन जब तक मैं इसका बैकग्राउण्ड नहीं समझा पाऊंगा, जब तक मैं इसकी इम्पोर्टेन्स नहीं समझा पाऊंगा तब तक मैं समझता हूं कि मैं अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। माननीय सभापति महोदया, आपका संकल्प है तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप रशाग्र नहीं करेंगी। मैंने तो पहले दिन से इस बात की कोशिश की है, वकालत की है कि प्राइवेट मैम्बर्स बिल डे होना चाहिये। पिछले सैशन में भी नहीं हुआ और अबकी बार भी जिस तरह से यह आया है और कितना-सा समय रहा है और हाफड-टेंडली....

श्री खेतसिंह राठौड़ : भूमिका तो बन गयी, अब अगले में लगा दीजिये।

श्री सभापति : यह भी ठीक रहेगा। मुख्य सचेतकजी की बात माननी चाहिये।

श्री विष्णु मोदी : मैंने अपना राजनैतिक जीवन युवक कांग्रेस से शुरू किया और मैं समझता हूं।

श्री सभापति : अब आप राजनैतिक जीवन बताने लग गये तो फिर यह संकल्प तो यहीं रह जाएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगले सत्र में फिर आएगा। आज तो भूमिका बनी है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, मैंने अपने राजनैनिक जीवन की शुरूआत युवक कांग्रेस से की है और मैं समझता हूं कि ये जो कानून पर्यायवरण के और वन के जिस तरह के आये है उसके पहले संजय गांधी ने इस देश में वन और पर्यावरण की महत्ता को सबसे पहले पहचाना! मुझे खुशी है इस बात की, गर्व है इस बात का कि उस संस्था में जिससे संजय गांधी जुड़े हुऐ थे, राजीव गांधी जुड़े हुऐ थे, इन्दिरा गांधी जुड़ी हुई थीं, मुझे काम करने का सौभाग्य मिला।

मेरे इस संकल्प में मैंने यह लिखा था जो कि पता नहीं कौन विद्वान आदमी हैं जिन्होंने यह काट दिया है कि पर्यावरण और वनों की सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए। माननीय सभापति महोदया, मैं

(श्री विष्णु मोदी)

जो बात कहने जा रहा हूं, जो संकल्प के माध्यम से कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे पर्यावरण के लिये वनों की महत्ता को हम पहचानते हैं। हमें पता हैं कि आज हमारे जीवन के लिये पर्यावरण और वन कितने जुड़े हुए हैं। और राजस्थान के लिये तो विशेषकर जहां बारिश का ठिकाना नहीं जहां बारिश का औसत कम होता जा रहा है, जहां पानी का जल स्तर गिरता जा रहा है, वहां हम इस महत्ता को पहचानते हैं कि वन हमारे जीवन के लिये आवश्यक हैं, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। जैसा मैंने बताया कि 42वें संविधान संशोधन में कुछ सब्जेक्ट्स को जो स्टेट्स सब्जेक्ट्स थे, उनको काटकर कानकरेण्ट लिस्ट में ले आये। जब लाया गया उस वक्त क्या मूल भावना रही होगी लेकिन कम से कम मैं यह समझता हूं कि यह मूल भावना तो हो भी नहीं सकती कि जो फैडरल स्ट्रक्चर है उसी को आप खतम कर देंगे। आज स्थिति यह बन गयी है कि जिन चार कानूनों का मैंने आपको हवाला दिया है, फौरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट, एनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इण्डिया फौरेस्ट एक्ट और उसके साथ में एम. एम. आर. डी. एक्ट, इनसे हमारी स्थिति यह हो गयी कि आज राजस्थान में 2/3 हिस्सा डेजर्ट है।

(17.00)

आज मूलभूत आवश्यकताओं के लिये हमें और राज्यों से कई गुणा पैसा खर्च करना पड़ता है। नेचर ने हमें कुछ प्राब्लम्स दी हैं लेकिन इसके साथ नेचर ने जो हमें गिफ्ट की है, आज राजस्थान इस बात को फख्र से कहता है कि उसके पास मिनरल रिसोर्सेज हैं। अगर राजस्थान के पास में कोई रिसोर्स नाम की चीज है तो 3 रिसोर्स हैं—मिनरल रिसोर्स, वास्ट लैण्ड, कैटल वैल्थ। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जितनी ही एडवर्सिटीज हैं। रोज अकाल की इस सदन में चर्चा होती है, रोज गिरते हुए जल स्तर की सदन में चर्चा होती है.... (व्यवधान)

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : ओलावृष्टि।

श्री विष्णु मोदी : ओलावृष्टि तो कई सालों में हुई है और जैसलमेर के लिये तो सुना है कि 27 साल बाद में....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : श्री शांतिकुमारजी सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, वे तो मेरी मदद ही कर रहे हैं और आप भी मदद कर रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : 27 जनवरी का जो नोटिफिकेशन है, उसमें माइनिंग का जो आइटम था वह डिलीट हो चुका है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, अगर कोई अन्य माननीय सदस्य मुझे यह बात कहता तो मुझे बिलकुल चिन्ता नहीं होती, मेरे पास है, मेरे पास फरवरी, 1994 का है और मैं अभी आऊंगा उस पर और उसमें जो एनोमोलीज हैं, वह सब आपको बताने वाला हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा : डिलीट हो गयी है।

श्री विष्णु मोदी : समापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि 3 असेट्स हमारे पास हैं–वास्ट लैण्ड, मिनरल्स वैल्थ और कैटल वैल्थ। इनमें मिनरल वैल्थ सबसे बड़ा है। नेचर ने हमको जो गिफ्ट किया है। उसमें कम से कम 3-4 कानूनों के पास होने से यह स्थिति हो गयी है, राजस्थान में मिनरल की बात तो छोड़िये आप, इसमें एक्ट की बात कर रहा हूं एन्वायर्नमेंट एक्ट की फॉरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट के पहले मैं आपको एन्वायनमेंट की बात बताना चाहता ... एक्ट में 9 जनवरी, 1992 को नोटिफिकेशन निकाला इसके पीछे की गम्भीरता को आप पहचानिये। समापति महोदया, 9 जनवरी, 1992 को जो नोटिफिकेशन निकला वह तो अरावली के नाम से सिर्फ गुड़गांव और अलवर के लिये था, अब जो 27 जनवरी, 1994 को निकाला है वह पूरे स्टेट के ऊपर एप्लिकेबल है। उसके अन्दर किन-किन बातों के लिये भारत सरकार से पहले मजूरी लेनी होगी ?

"Location of any new iudustry, including expansion and modernisation; all new mining operations including renewals of mining leases, existing mining leases, in sanctuaries, national parks and areas covered under Project Tiger; or (c) where mining is being done without the permission of the competent authority, cutting of trees, construction of any cluster, dwelling unit, farm houses, sheds, community centres, iuformation centres and other activities connected with such construction including roads, part of any in-infrastructure relating thereto, laying of new transmission lines..," या 1992 का अरावली का नोटिफिकेशन आया उसके ऊपर हैं।

माननीय समापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी भारत सरकार कोई भी नोटिफिकेशन लाना चाहती है तो उसके पहले राज्य सरकारों को उस नोटिफिकेशन की मंशा की कापी भेजती है। उस कापी के ऊपर राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार के अलावा इस नोटिफिकेशन से जितने लोग अफेक्ट होने वाले थे उन एसोसिएशनों ने आब्जेक्शंस रेज किये। भारत सरकार ने पहले नीचे के अधिकारियों के लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर और उसके बाद में फाइल स्टेज पर उसके ऊपर 3-4 बार मौका दिया, सुना, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने फाइनल नोटिफिकेशन निकाला तो उसके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में जो बातें नहीं थीं वे भी फाइनल नोटिफिकेशन में इनक्लूड कर लीं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 1992 में आया उसके अन्दर सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क इनक्लूड नहीं थे लेकिन उन आब्जेक्शंस और परेशानियों को, राज्य सरकार ने बतायीं, जो दूसरे लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने बतायीं, उनको दरकिनार कर दिया और उसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया।

माननीय समापति महोदया, अब जो 1994 को नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन से तो ऐसी हालत हो गयी है

(श्री विष्णु मोदी)

कि अपन राजस्थान के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। सड़क बनाने के लिए अगर मन्जूरी चाहिये तो भारत सरकार से लेनी होगी। इसके सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होने वाले हैं वे 3-4 सैक्टर्स, होने वाले हैं। कोई इण्डस्ट्री नहीं लग सकती है–मैंने तो सदन में बार-बार यह कहा है कि हमारी राजस्थान सरकार मैं खाली भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की बात करता हूं, आज तक हम यहां वर्किंग कल्चर पैदा नहीं कर पाये इण्डस्ट्रियलाइजेशन के अन्दर। मैंने इसी सदन में बताया कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र किस द्रुत गति से इण्डस्टियलाईजेशन करते जा रहे हैं। सड़क की बात हम रोज इस सदन में करते हैं लेकिन इण्डस्ट्री के लिये मैं निवेदन करूं और स्माल टाइनी इण्डस्ट्रीज भी इसमें इनक्लूड हैं—

"The final Notification issued by the Government of India still stipulates certain industries of the small sector to follow the prescribed procdure' As a consequence any person who desires to undertake such industrial projects, would be required to submit an application in the prescribed form accompanied by a detailed project report a long with environmental impact assessment report and an environment management plan.

एन्वायर्नमेन्ट स्टडीज मैनेजमेंट प्लान और प्रेसक्राइब्ड फार्म्स, आज राजस्थान में अगर कोई इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं तो कम से कम एक साल के पहले तो बात नहीं हो सकती है और 5 लाख रुपये लेकर 10 लाख रुपये तक सिर्फ उनको इन फार्म्स के भरने में खर्चा करना होगा। (व्यवधान) पर्यावरण मन्त्रीजी बहुत तल्लीनता से सुन रहे हैं, वे गौर कर रहे हैं और मैं तो उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने जब उनसे इस विषय पर बोलने की बात की तो उन्होंने बुलाकर बात की और मैटीरियल भी उपलब्ध कराया। I want to go on on record. I want to thank him.

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप मन्त्रीजी की प्रेरणा से बोल रहे हैं ?

श्री विष्णु मोदी : जी नहीं। (व्यवधान) The Notification exempts small industries with an investment of one crore.

मैं, माननीय सभापति महोदया, कानून तो कभी पढ़ा नहीं लेकिन छोटा-मोटा मुझे भी उद्योग का अनुभव है। मैं एक बात नहीं समझ पाया उस नोटिफिकेशन से कि अगर एक इण्डस्ट्री एक करोड़ रुपये की है और एक इण्डस्ट्री 10 करोड़ रुपये की है और एक नेचर का ही प्रोजेक्ट बना रही है, जैसे कोई एक पर्टीकुलर टेबल बना रहा है और उसकी इण्डस्ट्री में एक करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट है और कई लार्ज स्केल पर 5 करोड़ की या 10 करोड़ रुपये की है तो एक करोड़ के लिये तो कुछ रिलेक्सेशन दिया है लेकिन चाहे सेम प्रोजेक्ट हो, उसको वही सारा मैनेजमेंट प्लान, एन्वायनमेन्ट स्टडी ईएमपीआई, ये सब करने पड़ेंगे। और यह

(श्री विष्णु मोदी)

भी नहीं है, आज एक इण्डस्ट्री लगी हुई है, पहले तो दुर्भाग्य है हमारा कि राजस्थान में इण्डस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं और कम से कम मैं नहीं समझता कि सरकार भी इस बारे में कोई विचार रखती है और सोचती है कि इण्डस्ट्रियलाइजेशन होगा। लेकिन यह नोटिफिकेशन यह भी कहता है कि अगर एक इण्डस्ट्री लगी हुई है और आप उसका अगर माडर्नाइजेशन करना चाहते हैं तो प्रायर एप्रूवल आपको चाहिये। अगर उसका एक्सपांशन करना चाहें तो भी आपको उसकी प्रायर एप्रूवल चाहिये। अब रोड कंस्ट्रक्शन के लिये भी क्या-क्या बैन उन्होंने लगाये है, वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं—

"The Ministry of Environment & Forests, Government of India issued a notification in Extraordinary Gazette of India dated 27th January, 1994 under the Euvironment Protection Rules. It envisages-the Central Government is imposing restrictions and prohibitions on the expansion and modernisation of any activity or new projects being undertaken unless environment clearance has been accorded by the Central Government or the State Government in accordance with the procedure set up in this notification. It also states that from the date of publication of the notification, expansion and modernisation of any activity in which pollution load is to exceed existing one or new projects listed in Schedule I...."

Highway Projects.

जो हमारे हाइवे हैं, उनमें भी अगर कुछ करना होगा तो पहले क्लीयरेंस लेनी होगी।

"Highway projects envisage here, in Schedule I of the Notification, National Highway as well as State Highway projects. As per the preamble of the Notification, it is clear that any expansion or modernisation of any activity, existing or new project, will require clearance from the Central Government. Thus, if any existing National Highway or State Highway has to be strengthend or improved or extended in the specific areas, this will have to be cleared from the Central Government."

आप हाइवे को एक्सटेंड करना चाहेंगे, उसको स्ट्रेन्थन करना चाहेंगे तो भी आपको परमीशन लेनी होगी। आज फॉरेस्ट के अन्दर आलरेडी रोड एक्जिसटेंस में हैं, उसमें भी अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो उससे पहले आपको क्लीयरेंस लेनी होगी। जहां तक माइनिंग का सवाल है, उसमें तो बिल्कुल ही....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आधा घन्टे से ज्यादा हो गया है।

श्री विष्णु मोदी : मैडम, यह तो सब्जेक्ट ही ऐसा है अभी तो मैं एक ही एक्ट पर आया हूं, मेरे तो चार एक्ट हैं ।

श्री सभापति : लेकिन हमारे पास समय की सीमा भी तो है ।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, समय की सीमा तो है, लेकिन मैंने जो एक्ट साइट किये हैं, वे चार किये हैं और मैं तो अभी पहले एक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं । (व्यवधान)

श्री सभापति : वह तो मुझे मालूम है पर प्रस्तुत करने की भी कोई सीमा होती है ।

श्री विष्णु मोदी : आप तो खुद इस परेशानी को····(व्यवधान) ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि एक विषय पर स्टिक करें तो हमको भी पता लगेगा और हमारा ज्ञानवर्द्धन होगा ।

श्री परसराम मदेरणा : एक ही विषय पर बोलेंगे तो आप कन्विन्स नहीं होंगे । इसलिये इनको सभी पर व्यापक तौर पर अपने आर्ग्युमेन्ट देने पड़ेंगे, तर्क देने पड़ेंगे, ताकि सदन को कन्विन्स कर सकें, ताकि सदन इनके रिजोलूशन को सपोर्ट दे और मत दे ।

श्री शिवनाथ सिंह : ताकि खान का मामला खुल जाए और खान ठीक चले ।

श्री परसराम मदेरणा : आप जानते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा ससार में अभी गैट के मामले में भी आ गया है । संसार में यह मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर प्रस्तावक को अपने विचार रखने दीजिये, सभापति महोदया । (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदया, अभी माननीय शिवनाथ सिंह जी ने एक बात कही, मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री शिवनाथ सिंह : सीधे ही कर दो कर दो न ।

श्री विष्णु मोदी : मेरा कतिपय तात्पर्य यह नहीं है कि कोई माइनिंग इण्डस्ट्री के लिये मैं यह रिजोलूशन लाया हूं, मैं जो बात निवेदन करने जा रहा हू, वह सीधी हमारे स्टेट की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है । मैंने जैसा पहले भी निवेदन किया कि अगर स्टेट को अपने रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं तो हमारे पास सिर्फ पांच साधन हैं । यह एन्वायर्नमेन्ट एक्ट जो 1994 में आया है उसके अन्तर्गत टूयूरिज्म में भी अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी । अगर आप सड़क बनाना चाहते हैं या आप हाइवे को स्ट्रेन्थन करना चाहते हैं या आप पुरानी सड़क जो फॉरेस्ट के अन्दर बनी हुई है, उसकी रिपेयर और मेंटिनेंस करना चाहते हैं तो भी आपको भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी । अगर आप बिजली की कोई लाइन फॉरेस्ट एरिया में या अलवर जिले के अन्दर ले जाना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी–खाली वन क्षेत्र में गैर-मुमकिन पहाड़, रोड, नाडी और जितनी भी तरह की भूमि है–उसके

(श्री विष्णु मोदी)

बाद मकान बनाने की भी। माननीय रमाकान्त जी उस नोटिफिकेशन को ज्यादा जानते होंगे, अलवर जिले के अन्दर स्थिति यह है कि अगर एक ड्राइक्लीन करने की शॉप भी कोई आदमी लगाना चाहे या आटा पीसने की चक्की भी अगर कोई आदमी लगाना चाहे तो भारत सरकार की मजूरी के बगैर नहीं लगा सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : घर में भी ?

श्री विष्णु मोदी : हां कॉमर्शियली भारत सरकार की मंजूरी के बगैर नहीं लगा सकता।

श्री शिवनाथ सिंह : इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत सरकार से मंजूर होना चाहिये। भारत सरकार की मंशा के ऊपर हम डाउट क्यों करें ? ठीक हैं, वह कम समझदार नहीं है, वह ठीक सोच कर करती है।

श्री विष्णु मोदी : मैं आऊंगा, जब आप सहमत हों तभी अपनी राय व्यक्त करना।

सभापति महोदया, 1992 में जो आया वह तो सिर्फ अलवर जिले से रिलेटेड था, अब 1994 में जो एन्वायर्नमेन्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया है, वह पूरे राजस्थान पर एप्लीकेबल है। उसमें आपके माध्यम से निवेदन है कि अब राजस्थान के अन्दर गैर मुमकिन पहाड़, नाडी, चारागाह और वन भूमि, इसमें अगर कोई बिजली की लाइन लगानी होगी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं, आज हमारे यहां राजस्थान सरकार के बिजली की लाइन लगाने के कम से कम 50 प्रपोजल पिछले तीन साल से भारत सरकार के पास पड़े हैं। आज जयपुर शहर में यातायात की जो व्यवस्था है, इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने मंजूर किया यहां बाई-पास बनाने को जो कि यहां चंदवाजी के पास से होकर निकलने वाला था। वह बाई-पास इसलिये नहीं बन सका क्योंकि पिछले 5 साल में भारत सरकार से मन्जूरी उस बाई-पास को बनाने के लिये नहीं मिली। यह समझकर कि मैं कोई खान की बात कर रहा हूं, अगर आप इसको गम्भीरता से नहीं लेंगे तो मैं समझता हूं आप इस सदन के साथ और इस राज्य की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले इस नोटिफिकेशन को फाइनल करने में भी वही हश्र हुआ। भारत सरकार को पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लाना चाहिये था, वह सब राज्य सरकार ने भेजा। इसके पहले कि मैं इस पर आऊं, अलवर जिले के लिये जो नोटिफिकेशन हुआ, उसमें राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्री भैरोंसिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्य मन्त्री श्री भजनलाल जी, दोनों जोइंटली जाकर प्रधान मन्त्री जी से मिले 28 मई को और उन दोनों ने कहा कि हमारे दोनों जिलों की स्थिति यह है कि हम वहां कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में प्रधान मन्त्रीजी ने इंटरवीन किया और इंस्ट्रक्शन दिये तो वहां के केबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी गये, इलेबोरेट डिस्क्शन्स हुए लेकिन वही ढाक के तीन पात, आज

(श्री विष्णु मोदी)

भी वह की वह स्थिति बनी हुई है। 1994 में जो नोटिफिकेशन हुआ है, पहले तो सिर्फ अलवर जिले के लिये था और अलवर जिले से आने वाले जो माननीय विधायक है, वे इसकी गम्भीरता को समझ रहे हैं कि अलवर के अन्दर क्या परेशानी हो गयी है और आज वह की वह समस्या यह जनवरी, 1994 के नोटिफिकेशन से पूरे राजस्थान के अन्दर हो गयी है। आज आपको अगर सड़क बनानी होगी तो भारत सरकार से मन्जूरी लेनी होगी, अगर आपको इण्डस्ट्री लगानी होगी तो भारत सरकार से मन्जूरी लेनी होगी और माइनिंग के ऊपर तो उनका कहर ही टूटा है। पहले जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था उसमें रिजर्व फॉरेस्ट में 5 किलोमीटर की परिधि में ही ये लागू कर रहे थे लेकिन अब उसको हटाकर उन्होंने यह कर दिया कि 5 हैक्टेयर से ऊपर अगर कोई लीज देंगे, नई लीज, तो 5 हैक्टेयर की देंगे तो भी भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। और भारत सरकार की अनुमति किस तरह से ? सारा मेनेजमेंट प्लान ई.एम.पीआई. है और जो है उसमें 5 से 10 लाख का खर्चा होगा, जो एक साल पहले नहीं बन सकता और उनके रिन्यूअल भी नहीं होंगे।

तो मैं दोनों कानूनों की गम्भीरता की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो 1992 में अलवर के लिए आया वह और जो 1994 में पूरे राजस्थान के लिए आया वह। मैं पर्यावरण की गम्भीरता को पहचानता हूं मैं अपनी जिम्मेदारी भी मानता हूं। जैसा मैंने पूर्व में कहा, वन और पर्यावरण हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और जो आदिवासी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य हैं, आज हमारे स्टेट के अन्दर जितनी आदिवासी पोपुलेशन है, अगर उसकी मूलभूत आवश्यकता है तो जंगल से है आज उनके खेत की समस्या है, आज उनके मकान की समस्या है, आज जंगल के जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर वे निर्भर करते थे, उनके ऊपर समस्या आ गयी है। आज सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पर्यावरण विभाग का एक नोटिफिकेशन आ गया, आज सबसे बड़ा सवाल इस बात का पैदा होता है, आज इस सदन को यह सोचना होगा कि क्या हम अपने आप में सक्षम हैं या नहीं। मैं भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में किसी तरह के अविश्वास की बात नहीं करता लेकिन आज जो बात सोचने की है, वह यह है कि भारत सरकार पर्यावरण के लिये कोई अलग से एलोकेशन नहीं करती। पर्यावरण के लिये वे खाली डाइरेक्शन दें, गाइड लाइन्स दें उनकी पालना करना तो हमारे लिये कांस्टीट्यूशनल लाइबिलिटी है। यह हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स में लिखा हुआ है कि भारत सरकार जो डाइरेक्शन्स देगी उसको हम फुलफिल करेंगे। लेकिन आज प्रश्न इस बात का है कि क्या हमारे अधिकारी जो वन और पर्यावरण से जुड़े हुए है, वे क्या सक्षम नहीं हैं ? क्या हमारे पर्यावरण मन्त्री भारत सरकार के मन्त्री से कम सक्षम हैं ? क्या हमारे अधिकारी कम सक्षम हैं ? आज यह हो गया है कि अगर कोई जरा-सी बात हो तो पहले भारत सरकार में जाएंगे। आप कानून बनाएं लेकिन क्या हर चीज के लिए आपको भारत सरकार के पास जाना

(श्री विष्णु मोदी)

पड़ेगा ? मन्त्री महोदय जब जवाब दें तो यह बताएं कि कितने पर्यावरण के केसेज आपने आज तक भेजे हैं और कितने वहां से उन्होंने मन्जूर करके भेजे हैं ? कितने आपने फोरेस्ट के अन्दर प्रपोजल्स भेजे हैं, कब-कब भेजे हैं और भारत सरकार ने कब मन्जूर करके भेजे हैं ? सभापति महोदया, बीसलपुर का मुझे पता है, आज बीसलपुर के पानी की कितनी आवश्यकता है । अभी ब्यावर में कांड हुआ । अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर के लिये बीसलपुर का पानी आज लाइफलाइन बन गया है लेकिन वहां भी जब काम शुरू हुआ तो इन फोरेस्ट के अधिकारियों ने उसमें रोड़ा डालने की कोशिश की । मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो कर्मचारी हैं वे क्या भारत सरकार के एम्बेसेडर हैं ? क्या वे इस बात का अहसास करते हैं ? वे राजस्थान सरकार की तनख्वाह लेते हैं और भारत सरकार के गीत गाते हैं ।

माननीय सभापति महोदया, ये दो एनवायर्नमेंट एक्ट आए हैं उसमें भारत सरकार की मंशा क्या रही हो क्या नहीं रही हो लेकिन राजस्थान सरकार की सारी जिम्मेदारी, सारी अथोरिटी और सारे राइट्स का वह क्लीयरकट एनक्रोचमेंट है । हम भी चुनकर आये हैं, हमें भी जनता ने चुनकर भेजा है, एम.पीज. को भी जनता चुनकर भेजती है तो क्या हम अपने आप में अधिकार नहीं रखते हैं ? वह क्लीयरकट एनक्रोचमेंट ऑन दी स्टेट अथोरिटी है ।

सभापति महोदया, अब मैं फोरेस्ट कंजरवेशन एक्ट की बात आपसे करना चाहता हूं । जब बयालीसवां संविधान किया उस वक्त 1975–76 में फोरेस्ट स्टेट सब्जेक्ट था । उस कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेंट से वह कान्करेंट लिस्ट में आ गया । कान्करेंट लिस्ट में आने के बाद में एक फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया और उस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फिर वही काम किया कि for any activity other than forest, prior approval of the Central Government has to be taken.

हमारे यहां के अधिकारियों ने भी और सब लोगों ने एक ऐसी ढाल बना ली कि जो भी बात हो उसको उठाकर सामने रख दिया । मुझे इस बात का खेद है कि आज तक यहां के वन मंत्री, सन् 1980 से लेकर आज तक की मैं बात कर रहा हूं, उन वन मन्त्रियों ने कभी यह नहीं सोचा कि आज हमारी क्या अथोरिटी है और यह फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या कहता है । मुझे खेद है उन अधिकारियों पर, फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों परउन आई.ए.एस अफसरों पर जिन्होंने उस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की । उसको उन्होंने इस तरह का ढाल बना लिया कि पता नहीं हमारे पास क्या अनगिनत अथोरिटी आ गयी जबकि उस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में भी टू ए ग्रेट एक्सटेंट जो हमारी अथोरिटी थी, स्टेट की जो एटोनोमी थी उसके ऊपर उन्होंने एनक्रोचमेंट किया । आज वन का रख-रखाव राजस्थान सरकार करती है, उसको बढ़ाती है राजस्थान सरकार, उसकी रक्षा करती है राजस्थान सरकार और परमिशन कौन देगी, भारत सरकार । उनके

(श्री विष्णु मोदी)

पास कोई ज्यादा एक्सपर्ट हैं ? उनके पास कोई ज्यादा एक्सपर्टाइज हैं ? यह एक मूल भावना बन गयी है कि हर आदमी पावर को सेन्ट्रलाइज करना चाहता है, हर आदमी यह चाहता है कि अधिक से अधिक मेरी बढ़ोतरी होती जाए, मेरे पास अधिकार और अथोरिटी आती जाए । उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में इस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के कारण इरिगेशन वाइटल प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ग्राइंडिंग हाल्ट पर हैं । जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया जयपुर के बाईपास का । हमारे करीब-करीब 42 जगह की ट्रान्समिशन लाइन्स सूखी पड़ी हैं और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फोरेस्ट कौनसा है कुछ पता नहीं । किस नेचर का है, वहां पेड़ भी खड़े हैं या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, फोरेस्ट लिखा हुआ होना चाहिये ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का कितना दुरुपयोग ये अधिकारी और हमारे लोग करते हैं । मैंने पिछले महीने मुख्य मन्त्रीजी को कागज दिया था । बांसवाड़ा के अन्दर त्रिपुरा सुन्दरी एरिया है जहां सन् 1980 से मार्बल की खानें चल रही हैं और वहां किसी ने एप्लीकेशन नहीं लगायी । त्रिपुरा सुन्दरी के एरिया में खानें दी गयीं उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष ने एप्लीकेशन नहीं लगायी । राजस्थान सरकार के माइन्स एण्ड जिओलोजी डिपार्टमेंट ने एक विज्ञापन दिया, उसका एक डेलिनिएशन किया और डेलिनिएशन करके उनके प्लाट नम्बर डाले और प्लाट नम्बर डालकर एप्लीकेशन्स इन्वाइट की । उनको खानें अलॉट हो गयीं । उस वक्त माइन्स डिपार्टमेंट ने फोरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी ली । उन्होंने कहा कि हमारी फोरेस्ट लैण्ड नहीं है । उसके बाद में कोई सिरफिरे अधिकारी आये और उन्होंने सवाल रेज किया कि नहीं, साहब, यह तो फोरेस्ट है । वहां यह मसला चलता रहा जैसा सरकारी कार्यालयों में चलता है । वहां कंजर्वेटर आया होगा, उसके बाद चीफ कंजर्वेटर को भेजा होगा, फिर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर आये होंगे, फिर फोरेस्ट मिनिस्टर, माइन्स मिनिस्टर, सैक्रेटरी आदि । एक निर्णय हुआ कि इसका जोइंट सर्वे किया जाए रेवेन्यू, माइन्स और फोरेस्ट का । जब जोइंट सर्वे की स्थिति आयी तो वहां के लोगों ने कहा कि यह जो खसरा नम्बर है जिसका आप जोइंट सर्वे कराने की बात करते हैं वह फोरेस्ट कैसे है ? किसी भी लैंड को फोरेस्ट लैंड डिक्लेयर करने के लिये हमारे यहां कानून बना हुआ है राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 । उसके अन्दर सर्टेन सेक्शंस में नोटिफिकेशन होता है । माननीय मन्त्री महोदय, जब जोइंट सर्वे का आर्डर हो गया, वहां पर कैसे तुगलकी आर्डर होते हैं, उस वक्त लोगों ने कहा जिन खसरे की आप दुबारा कराना चाहते हैं वह तो आपके नोटिफिकेशन में ही नहीं है । यह 368 खसरा नम्बर त्रिपुरा सुन्दरी का जो आपने प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन किया, जो फाइनल नोटिफिकेशन किया उसमें वह खसरा नम्बर इन्क्लूड नहीं है । मतलब उसका नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं । तभी तो माइन्स ने उसका डेलिनिएशन करके जब आप मन्त्री थे उसी वक्त तो ये काटे थे । फिर उसके बाद में....

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : भारत सरकार ने सवाईमाधोपुर और धौलपुर के लिये पैसा भेजा, करोड़ों रुपया आया और इसी एक्ट के तहत वे सारे कार्य आज बन्द पड़े हुए हैं।

श्री विष्णु मोदी : इन्होंने यह नहीं बताया कि वहां त्रिपुरा सुन्दरी एरिया में टोटल 500 हैक्टेयर जमीन फोरेस्ट को दी थी और जब उसकी जांच की तो वह 600 हैक्टेयर जमीन पर आलरेडी काबिज हैं। मतलब 500 हैक्टेयर का तो नोटिफिकेशन हुआ और 600 हैक्टेयर आलरेडी पजेशन में है। लेकिन वहां के एक अधिकारी ने कहा कि नहीं, हमारा जो बियरिंग जाल है न और जो हमारी मुढ्ढियां बनी हुई है वह बियरिंग और मुढ्ढियों में वे खसरा नम्बर आते हैं। मैं यह समझ नहीं पाया, जितना-सा कानून समझता हूं कि अगर नोटिफाइड नहीं है तो वह फोरेस्ट लैण्ड ही नहीं है। अब हमारी सरकार कैसे चल रही है, उसका भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मुख्य मन्त्रीजी को यह कहा कि मैं यह मसला आपको खाली इस मसले के लिये नहीं दे रहा हूं लेकिन फोरेस्ट की कितनी बड़ी धांधली है, कितनी बड़ी मनमानी है, कितने आर्बिट्रेरी फैसले करते हैं उसका एक क्लेयर एक्जाम्पल मैं दे रहा हूं और इस तरह की प्रोब्लम सिर्फ त्रिपुरा सुन्दरी की नहीं है, यह पूरे स्टेट की प्रोब्लम है और एक सोल एक्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मुझे उम्मीद थी कि वह संवेदनशील सरकार हैं, यह विकास की गंगा बहाने वाली सरकार है।

श्री कैलाश मेघवाल : बहाएंगे और आप नहाओगे उसमें।

श्री विष्णु मोदी : और जैसे हमारे नेताजी ने कहा था, यह कीर्तिमान स्थापित करने वाली सरकार है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : गोबर गणेश की सरकार है।

श्री विष्णु मोदी : गरीब को गणेश मानने वाली सरकार हैं। पहले क्या हुआ, इसके पहले एक और अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने यह लिख दिया। यह आपकी पहली सरकार थी, राष्ट्रपति शासन के पहले, तब की बता रहा हूं मैं, एक डीएफओ ने लिख दिया कि नहीं, वह फोरेस्ट लैण्ड है इसलिए....

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : केन्द्र सरकार ने जो आदेश दिया हैं फोरेस्ट का, वह कौन-सी सरकार है जिसको आप कह रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन है?

श्री विष्णु मोदी : मुझे बड़ी खुशी हु[ई] कि आप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरी बात नहीं समझे।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : यह तो मानिये

श्री विष्णु मोदी : मालूम है मुझे भारत सरकार ने जो आदेश निकाला कानून निकाला, उसी के लिए मैं संकल[्प] लेकर आया हूं कि सदन यह संकल्प ले कि तुरन्त उसको ठीक करें। लेकिन उस[में] राजस्थान सरकार भी क्या कर रही है इसका मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

तो एक डीएफओ. ने लिख दिया, यह माइन्स सैक्रेटरी भी बड़ी संवेदनशील स[र]कार के बहुत सवेदनशील अधिकारी

(श्री बद्री प्रसाद गुरूजी)

उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, No transfer, No renewal. Nothing.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हम तो तैयार हैं, आपके और इधर के, आप तो संकल्प पर आ जावो। हम तो सब तैयार हैं।

श्री विष्णु मोदी : संकल्प पर ही आ रहा हूं मैं। पचास लाख रुपये बांसवाड़ा के उन खान वालों के हाई कोर्ट और दूसरी कोर्ट में जाने के अन्दर खर्च हुए। मुझे जब मालूम पड़ा, मुख्य मन्त्री जी को दिया तो यह उम्मीद थी कि संवेदनशील सरकार, कीर्तिमान स्थापित करने वाली सरकार है। जैसाकि आदरणीय मदेरणा जी ने कहा था कि कीर्तिमान ही कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो नया कीर्तिमान स्थापित किया इस सरकार ने कि उन्होंने एक आर्डर किया कि वापस से जोइंट सर्वे किया जाए—मैंने तो राजस्थान के एक्जाम्पल के लिए कहा था कि इस तरह की धांधली हो रही है आपने जहां जोइंट सर्वे हो चुका है, जहां सबके दस्तखत हैं, जहां नोटिफाइड वह एरिया नहीं है, जहां टोटल एरिया से ज्यादा आप एरिया में हैं, तो क्या यह आन-गोइंग प्रोसेस है क्या ? मैंने यह निवेदन किया था मुख्य मन्त्रीजी को कि एक बार वह तो तो फाइनल कर दीजिये कि फोरेस्ट ने कह दिया कि यह फोरेस्ट लैण्ड नहीं है फिर उसके बाद में क्या गोइंग प्रोसेस रहेगा कि नहीं, यह फोरेस्ट ही है। आज फोरेस्ट हो गया, कल फोरेस्ट नहीं हुआ, फिर परसों फोरेस्ट हो गया। अभी आदरणीय खेतसिंहजी बजट के वक्त निवेदन कर रहे थे कि अगर उनके एरिया में खानों के पट्टे दे दिये जाएं तो अकाल के भी काम शुरू नहीं करने पड़ेंगे, इतनी लेबर लग जाएगी। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाड़मेर में जंगल, माननीय मदेरणा साहब ज्यादा....

श्री सभापति : आपका संकल्प सब समझ चुके हैं अब।

श्री विष्णु मोदी : बाड़मेर का जो ग्रेनाइट है उस ग्रेनाइट का आज इन्टरनेशनल मार्केट है, हम उससे फोरेन एक्सचेंज करा सकते हैं लेकिन वहां भी वन विभाग आ गया। तो, माननीय सभापति महोदय, जो मैं कह रहा था, जो मैं संकल्प लेकर आया हूं।

श्री सभापति : अब आप संकल्प रख दें।

श्री विष्णु मोदी : वह यह है कि यह जो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट है वह फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट ही हमारे स्टेट के राइट्स का एनक्रोचमेंट है, हमारी जो अथारिटी है उसका क्लियरकट एनक्रोचमेंट है।

माननीय सभापति महोदय, बड़ा इम्पोर्टेन्ट और वाइटल है कि एनवायर्नमेंट की कान्फ्रेन्स हुई 1972 में सबसे पहले स्टाकहोम में और उसमें हमारी उस वक्त की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो विचार व्यक्त किये वह मैं कोट कर रहा हूं :

'On the one hand, the rich look askance at our continuing poverty, on the other, they warn

(श्री विष्णु मोदी)

us against their own methods. We don't wish to impoverish the environment any further and yet we cannot for a moment forget the grim poverty of large number of people. Aren't the poverty and need the greatest polluters ?"

उन्होंने कहा कि जो गरीबी है उससे बड़ा और क्या पोल्यूशन हो सकता हैं ।

"For instance, unless we are in a position to provide employment and purchasing power for the daily necessities of the tribal people and those who live in or around our jungles, we cannot prevent them from combining the forests for food and livelihood; from poaching, from despoiling the vegetation. When they themselves feel deprived, how can we urge the preservation of animals ? How can we speak to those who live in villages and in slums about keeping the oceans, rivers and the air clean when their own lives are contaminated at the source. The environment cannot be improved in conditions of poverty.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पीछे देखिये, सदन का धैर्य खोता जा रहा है ।

श्री विष्णु मोदी : तो मुझे तो बोलना ही है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बोलने दीजिये, ठीक बोलते हैं ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वर्ल्ड की जो सबसे पहली कान्फ्रेंस हुई एनवायरनमेंट के ऊपर, उस वक्त कहा कि हम जो स्लम में रहने वाले आदमी हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले आदमी हैं और उनका तो सोर्स ही पोल्यूटेड है, उनसे हम एयर, वाटर, रिवर, ओशन क्लियर करने की बात करें ।

माननीय सभापति महोदय, वह मुझे इसलिये इतनी रेलेवेंट बात लगी कि आज राजस्थान की जो स्थिति है, आज राजस्थान के जो लोग हैं उनके जीवन की जो स्थिति हैं उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार का सबसे पहला दायित्व यह है कि उनके जीवन को किस तरह से सुधारा जा सकता है, किस तरह से उनकी गरीबी दूर की जा सकती है, उससे बड़ा और कोई सवाल हो नहीं सकता । मैं समझता हूं कि उसके आगे अगर कोई भी रोड़ा आता है, चाहे कानूनी बाधाएं हों या और किसी तरह की बाधाएं हों सबसे पहला कर्त्तव्य हमारा यह होना है । उन लोगों को आज पचास साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला और हम आज एक कन्जर्वेशन एक्ट के नाम पर जो रिसोर्स क्रंच है, आज हर चीज के कारण हम रुके पड़े हैं । माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि अब तक तो लोगों का धैर्य था, अब तक तो पचास साल में लोगों का धैर्य था परन्तु अब धैर्य नहीं रहेगा । अब उनकी जो मूल-

(श्री विष्णु मोदी)

भूत की आवश्यकताएं हैं उसके लिये ब्यावर जैसे घटनाक्रम निरन्तर यहां होते रहेंगे अगर हमने सजगता नहीं दिखायी, अगर हम वास्तव में संवेदनशील नहीं बने। आज मैं आपको सही रूप में बता सकता हूं कि फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट में आपने नयी एक्टिविटी पर तो रोक लगा दी है लेकिन जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट लकड़ी, जंगल कटने से नहीं रोक सका, वह क्या माइनिंग एक्टिविटी को रोक लेगा ? यह आज एक प्रेक्टिकल आसपेक्ट है। मैं समझता हूं कि आज जो वन के अधिकारी हैं वे इस फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट को अपनी गीता और बाइबल मानकर चल रहे हैं क्योंकि उनका मूल रूप से पैसे का सोर्स यह एक्ट बन गया है। पहले तो धौलपुर में, करौली में, सवाई-माधोपुर जिले में, भरतपुर जिले में दो रायल्टी हुआ करती थी, एक खान विभाग की और एक डाकुओं की—एक तो जो वहां डकैत हैं वे वसूल करते हैं और एक खान विभाग वसूल करता है लेकिन आज तीन हो गयी हैं—एक फोरेस्ट, फिर डकैत और फिर खान। तो मैं समझता हूं कि अगर प्रेक्टिकल एप्रोच से देखेंगे तो यह जो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट है यह हमारे स्टेट की आटोनामी पर, हमारे फैडरल स्ट्रक्चर पर और हमारी जो अथोरिटी है उस पर एन्क्रोचमेंट है। वन की रक्षा करेंगे अधिकारी राजस्थान सरकार के, एनवायर्नमेंट की डाइरेक्शन देंगे मंत्रीजी और अगर एक लाइन निकालनी है, अगर एक सड़क निकालनी है, चाहे जयपुर का बाईपास नहीं बने, वहां पता नहीं कितना बड़ा जंगल पैदा हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमें बोलने दो श्रीमन्। एक शब्द है अंग्रेजी के अन्दर, लेकोनिक और आप जानते हैं कि यह लेकोनिक शब्द कैसे आया। लेकोनिया से। उसने पूछा था कि अगर हम लेकोनिया को कन्कर कर लें तो क्या होगा ? तो कहां "इफ" इफ का इसलिये लेकोनिक, आप थोड़ा लेकोनिक हो जाएं।

श्री परसराम मदेरणा : लेकोनिक या लैक्यूमिया ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : लेकोनिया।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, तो जो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट है, वह हमारे राजस्थान के विकास में बड़ी बाधा बन गया है और बाधा के साथ-साथ वह हमारे फैडरल स्ट्रक्चर में एन्क्रोचमेंट आफ दी पावर्स क्लियर एक्जाम्पिल है, अब माननीय सभापति महोदया, मैं मेरे तीसरे जो कानून की बात है, उस पर आता हूं।

श्री सभापति : अब आप।

श्री विष्णु मोदी : चार हैं चार में समय तो लगेगा।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, यह संकल्प तो चलता रहेगा लेकिन ऐसी-ऐसी समस्यायें सामने आती जा रही हैं कि जिन पर अगर अविलम्ब ध्यान सरकार का नहीं गया तो जो परिसम्पत्तियां सरकार ने बनायी हैं और जिनकी वजह से आप राजस्थान सरसब्ज होता जा रहा है, मिसाल के तौर पर, मन्त्री महोदय यहीं विराजमान हैं, जवाहर

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

सागर डैम पर पॉवर जनरेशन का प्लांट लगा हुआ है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य का भाषण पूरा होने दें।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : वन से ही सम्बन्धित है। बहुत सीरियस बात है, आप मेरी बात को सुनें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप काहे के लिये बोल रहे हो ?

श्री हरिसिंह : हम तो बीच में करेंगे पूरा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अनुमति लेकर बोल रहे हैं क्या ?

श्री सभापति : हां, हां, विराजें।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : आप से पूछ तो लिया था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सदन में हमारा भी समय है, हम पूछ सकते हैं कि आप बिना विषय के क्यों बोल रहे हैं। माननीय विष्णु मोदीजी बोल रहे थे।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : माननीय सदस्या की हैसियत नहीं बन पायी कि मैं उनसे अनुमति लूं। मैंने सभापतिजी से पहले अनुमति ले ली।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वे थक गये हैं इसलिये आप पूरा कर रहे हैं ?

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : यह जवान पट्ठा नहीं थकेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसा लग रहा है।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : यह जवान पट्ठा नहीं थकेगा, आप चिन्ता मत करो, बोले जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय विष्णु मोदी थक गये हैं, उन्होंने आपको इशारा किया है कि आप उठ जाओ ?

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : मेरा आपसे निवेदन है, मन्त्री महोदय यहां बैठे हुए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अपने अवसर पर विद्वता दिखाइयेगा।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : अवैध खनन से जो पत्थर हैं वे सारे डैम पर जमा होते चले जा रहे हैं और उसका पेटा ऊंचा होता जा रहा है कि डैम की भराव क्षमता में कमी होती जा रही है जिसका नतीजा यह होगा कि दो-चार साल के अन्दर-अन्दर जनरेशन कम्पलीटली बन्द हो जाएगा। यह मन्त्री महोदय की जानकारी में है इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस पर अविलम्ब ध्यान दें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, तीसरा कानून जो मैंने संकल्प में लिखा है वह लिखा है इंडियन फोरेस्ट एक्ट, 1927। हमारे यहा राजस्थान में जो फोरेस्ट एक्ट है वह है राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 और जो हिन्दुस्तान का फोरेस्ट एक्ट है वह 1927 में बना था और तब से वही फोरेस्ट

(श्री विष्णु मोदी)

एक्ट लागू है लेकिन राजस्थान फोरेस्ट एक्ट में, जो आथोरिटी है, वह क्लाजेज उसमें नहीं हैं। हमारा कान्स्टीट्यूशन में यह बहुत साफ है कि अगर कोई कानून कन्फ्लिक्टिंग है तो केन्द्र का जो कानून है वही माना जाएगा लेकिन आज भी हमारे स्टेट में राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 एप्लीकेबल हैं। एक तो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट ले आयी भारत सरकार और एनवायर्नमेंट एक्ट ले आयी तो उन परेशानियों से क्या हुआ कि वह डवलपमेंट, माननीय कालूलालजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय भूतपूर्व-खनन-मन्त्री, मैं जरा ध्यान चाहूंगा आपका कि हिमाचल

श्री कालीचरण सराफ : मोदीजी, कितनी देर और बोलेंगे आप ?

श्री सभापति : ऐसा है, माननीय सदस्य, समझदार को इशारा बहुत होता है, सब समझदार हैं, इसलिये आप तो जल्दी-जल्दी पूरा करें।

श्री विष्णु मोदी : ऐसा है, मैं तो मेरी बात पूरी बोलूंगा, अब आप चाहे उसको पेशंस से सुनें या नहीं सुनें।

श्री कालीचरण सराफ : आप बिन पाइन्टेड बात करोगे, शोर्ट में कहोगे तो हमको भी इन्टरेस्ट आएगा, अब आप दो घंटों से बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री सभापति : पूरा करो।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य अगर समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित समझ में आ जाएगा।

श्री सभापति : आप यह पूरा करो।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, कोई की कानून जो बनता है, अगर उसमें भारत सरकार का कानून बन गया तो वह राजस्थान सरकार के कानून को सुपरसीड कर देता है। आज की स्थिति यह है कि 1953 फोरेस्ट एक्ट जो है वह राजस्थान में एप्लीकेबल है और राजस्थान के पास में उसमें पावर्स हैं।

सभापति महोदया, जब भारत सरकार ने प्रपोजल्स मन्जूर नहीं करे तो कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने परेशानियां देखी। अब इण्डियन फोरेस्ट एक्ट, 1927 में भारत सरकार अमेंडमेंट करने जा रही है और वह अमेंडमेंट क्यों करने जा रही है, आज राजस्थान में ही नहीं, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में जो फोरेस्ट एक्ट है वह एप्लीकेबल है। फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट ले आये, एनवायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ले आये, कुछ सरकारों ने जब उनके प्रपोजल्स की मन्जूरी नहीं मिली, पर्टिकुलरली गुजरात सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने और उड़ीसा की सरकार ने अपने फोरेस्ट एक्ट के सेक्शन से वे एरियाज जो उनके डवलपमेंट के लिये चाहिए थे, फोरेस्ट लैंड से निकाल दिये। राजस्थान सरकार ने तो अभी तक इस पर विचार ही नहीं किया।

श्री शान्तिकुमार धारीवाल : इनकी बात को समझो आप।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपकी स्टेट की बहबूदी की बात कर रहा हूं। तो अब क्या होने वाला है, एज आन टूडे, राजस्थान सरकार का जो सभापति महोदया, एक एक्ट है 1927 की इंडियन पैनल कोड कब का है एम्पावर करता है कि कौनसी लैण्ड फोरेस्ट लैंड होगी। यह सेन्ट्रल सब्जेक्ट नहीं है आज की तारीख में। माननीय मन्त्री महोदय, आज फोरेस्ट कौनसा होगा? रिजर्व फोरेस्ट के लिये तो फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बोलता है कि रिजर्व फोरेस्ट एक्ट, 1980 के पहले जो आपने बनाया हुआ था उसको हटा नहीं सकते, रिजर्व फोरेस्ट को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो भी फोरेस्ट हैं, चाहे क्लासिफाइड है, चाहे नोटिफाइड है, चाहे प्रोटेक्टेडहै, 1953 का राजस्थान फोरेस्ट एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को यह एम्पावर करता हैं कि वह उसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है। कौनसा फोरेस्ट लैंड हैं, क्योंकि कन्जर्वेशन एक्ट तो तब एप्लीकेबल होता है, जबकि आप 1953 में यह बताएंगे कि यह फोरेस्ट है और अब तो 1927 का जो अमेंडमेंट भारत सरकार ने भेजा है, उस अमेंडमेंट से आपका 1953 का एक्ट भी रिपील हो जाएगा, आपके पास में फोरेस्ट के नाम पर कोई कानून ही नहीं रहेगा। न आप कानून बना सकेंगे न आप कानून में संशोधन कर सकेंगे, न आपके पास यह अधिकार होगा कि आप कौनसी लैंड फोरेस्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो यह जो 1927 के एक्टमें अमेंडमेंट है, जो अब भारत सरकार ने....

श्री परसराम मदेरणा : आपके समझ में क्यों नहीं आ रहा है, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 है, वह राजस्थान सरकार को आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य बता दें। मैकाले ने कब बनाया था इण्डियन पीनल कोड जिसमें आज भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है? वह आज देश में लागू है और आज भी चल रहा है। तो यह तो 1927 की बात कर रहे हैं और एक्ट की बात कर रहे हैं कि यह फोरेस्ट एक्ट है। बाद में इस तरह से अमेंडमेंट हुआ है उसकी वजह से सर्टेन इम्पलीकेशन्स हैं, यह बात कह रहे हैं। यह बात तो बहुत साफ-साफ है, सीधी बात है समझ सकते हैं। वे सरपंच जो रीड एण्ड राइट हिन्दी वाले हैं वे भी समझ सकते हैं इस बात को। समझना क्या है इसमें।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, गुजरात गवर्नमेंट ने, हिमालच गवर्नमेंट ने, कर्नाटक गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, अपने फोरेस्ट एक्ट के तहत जब कोई मंजूरियां नहीं आयी तो उन्होंने उसको, फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट कहता है कि किसी फोरेस्ट लैण्ड में अंदर देन फोरेस्ट का काम आप भारत सरकार की मंजूरी के बिना नहीं कर सकते, लेकिन कौनसी लैण्ड है यह जो स्टेट का फोरेस्ट एक्ट है वही बताता है कि कौनसी फोरेस्ट लैण्ड हैं। अगर जो स्थिति आपकी पहले हुई, 92 एन्वायर्मेंट नोटिफिकेशन के पहले, 94 नोटिफिकेशन के पहले आपने खूब आब्जेक्शन्स किये लेकिन भारत सरकार ने फाइनल नोटिफिकेशन जारी करते वक्त में आपके एक बातें भी आब्जेक्शन को नहीं सुना बल्कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में नहीं थीं वे उन्होंने फाइनल नोटिफिकेशन में डाल दीं।

श्री सभापति : आप तो अपना संकल्प रख दें।

श्री विष्णु मोदी : सकल्प ही है साहब, मैं तो अभी तीसरे पर आया हूं और जब तक पूरा बैकग्राउण्ड नहीं बताऊं।

श्री जुबेर खान : आज चार घण्टे की तैयारी है, सभापति महोदया।

श्री सभापति : मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी सदन को चाहिये।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : संकल्प पास करने के लिये तैयार है, आप मूव तो करें।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय सभापति महोदय, यह वर्डसवर्थ का प्रिल्यूड तो नहीं है कहीं। इतनी देर हो गयी है। स्पेसिफिक हो तो हमको पता तो चले कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे, बहुत हो गया है। अब मैं समझता हूं कि दूसरे मैम्बर्स भी इस पर बोलेंगे उन्हें अवसर देना ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब समय नहीं बढ़ाना है, हमारे दूसरे कार्यक्रम हैं।

श्री विष्णु मोदी : (व्यवधान) माननीय सभापति महोदया, मावली से आने वाले (व्यवधान) माननीय विधायक ने कहा कि मैं स्पेसिफिक होऊं। मैं माननीय मावली से आने वाले विधायक को बहुत वर्षो से जानता हूं वे खुद एक अच्छे सफल वकील रहे हैं और मैं समझता हूं कि मैं बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। मैं, माननीय सभापति महोदया, यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर इन्डियन फोरेस्ट एक्ट, 1927, जिसका अभी ड्राफ्ट अमेण्डमेंट राजस्थान सरकार के पास में और वेरियस राज्य सरकारों के पास में भेज रखा है भारत सरकार ने, अगर यह अमेण्डमेंट पास हो गया तो आपका राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 एक कागज के टुकड़े के रूप में रद्दी के टोकरे में फेंकने लायक हो जाएगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप दिल्ली में मना कर दो।

श्री विष्णु मोदी : मैं आपसे इस सदन की बात कर रहा हूं और आप लोग इसके इम्पलीकेशन्स को समझने (व्यवधान) जो मैं संकल्प लेकर आया हूं इस सदन के लिये लेकर आया हूं (व्यवधान) तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1927 के फोरेस्ट एक्ट के अन्दर जो अमेण्डमेंट दिया है, जो कापी सर्कुलेट हुई है उसको किसी भी हालत में हमें नहीं मानना चाहिये।

अब मैं, माननीय सभापति महोदया, चौथा जो मैंने उसमें जिक्र किया है उस पर मैं आना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप तो संकल्प रखो।

श्री विष्णु मोदी : वह संकल्प तो रख दिया है मैंने शुरू में ही। (व्यवधान) मैं पूरी बात ही संकल्प में नहीं कहूंगा तो।

श्री सभापति : समय समाप्त हो रहा है।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा कहना यह है कि विधान सभा के

(श्री कालीचरण सराफ)

के माननीय सदस्य ऐसे सब्जेक्ट को सदन में नहीं उठा सकते जिसमें उसका पर्सनल इन्ट्रेस्ट इन्वाल्ड हो। इनका पर्सनल इन्ट्रेस्ट इनवाल्ड है इसमें। (व्यवधान)....

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : यह बिल्कुल गलत है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप इनकी हिम्मत को दाद दें।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : सभापति महोदया, पर्यावरण के नाम पर, खनन के नाम के ऊपर सवाईमाधोपुर के अन्दर जो खाद का कारखाना लगाया था वह साफ हो गया, सड़कें जितनी बन रही थीं वह काम रूक गया। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जब बात कोई गम्भीर चल रही हो तो उसको सुनना चाहिये।

श्री कालीचरण सराफ : दो घण्टे हो गये, गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल : एक तरफ तो आप सड़कों की मांग करोगे और दूसरी तरफ इस पर्यावरण के नाम पर, खनन के नाम पर उसकी भी मंजूरी नहीं मिलेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, पूरे राजस्थान में पर्यावरण नियन्त्रण की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है, केवल अलवर की खानों के लिये ही माननीय सदस्य ने संकल्प रखा। यह विषय अगर इतना संकुचित होता तो शायद माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी पार्टी तोड़कर आपको नहीं देते और आप उस विषय की गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं विषय गम्भीर है। आपको विषय की गम्भीरता को देखते हुए उसके सभी परिप्रेक्ष्य में बात करनी थी।

(17.54)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन।)

श्री सभापति : भाषण समाप्त करें।

श्री विष्णु मोदी : दो मिनट का समय दे दें। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप कृपया सुनें तो सही। माननीय मुख्य सचेतक जी कुछ कह रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय अपनी व्यवस्था संभवतया अभी देंगे इसलिये पन्द्रह मिनट का समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : मैं सदन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ा रहा हू।

प्रशासकीय संकल्पों पर वाद-विवाद

आप समाप्त करें, माननीय सदस्य। मुझे कहना पड़ेगा समाप्त हुआ, देख लीजिये। (व्यवधान) श्री विष्णु कुमार जी मोदी, आप अपना भाषण समाप्त करें। बहुत समय दे दिया।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय,

(श्री विष्णु मोदी)

यह तो मुझे जितना बोलना है उतना बोलूंगा।

श्री सभापति : नहीं, यह इतना नहीं है, यह भी आसन पर निर्भर है। आप दुरुपयोग कर रहे हैं आसन का।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं कतई दुरुपयोग नहीं करूंगा। अगर आपको मेरे भाषण में एक भी रिपीटेशन लगे।

श्री सभापति : आपका मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं, आप समाप्त करिये।

श्री विष्णु मोदी : मेरा संकल्प ही पूरा नहीं हुआ, आप कैसे समाप्त कर देंगे?

श्री सभापति : आपका विथड्रा करें या न करें आपका भाषण, चर्चा चलेगी और माननीय सदस्य भी बोलेंगे। तो आप दूसरों को नहीं बोलने देंगे?

श्री विष्णु मोदी : अब बीच-बीच में इण्टरप्ट कर देते हैं तो मैं क्या करूं?

श्री सभापति : श्री विष्णु कुमार जी मोदी का भाषण समाप्त हुआ। डा. उजला अरोड़ा बोलेंगी।

श्री विष्णु मोदी : एक मिनट।

श्री सभापति : भाषण समाप्त कर दिया है, माननीय सदस्य, मैंने आपका। मैं नहीं दूंगा अवसर। श्री वी. पी. सिंह जी। वी. पी. सिंह जी का अंकित होगा।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नाम पुकारा है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरा नाम पुकारा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय बताएं कि किसका नाम पुकारा है।

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था रखें। मैंने पहले आपका नाम पुकारा, आप खड़ी नहीं हुई तो मैंने वी. पी. सिंह जी का पुकारा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं खड़ी हो गयी न।

श्री सभापति : आप विराज जाइये अब। श्री वी. पी. सिंह जी को मैंने पुकार लिया आप जब खड़ी नहीं हुई तब। श्री वी. पी. सिंह जी।

(18.00)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जैसे ही आपने पुकारा, मुझे सुनाई दिया मैं खड़ी हुई और बोलने लगी। तात्कालिक रूप से बोलने लगी हूं।

श्री सभापति : मैंने तीन बार पुकारा।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सभापति)

आप खड़ी नहीं हुईं इसलिये मैंने उनका नाम पुकारा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम पुकारा है, मैं खड़ी हो गयी हूं। आपने इधर देखा नहीं। उनका नाम पुकार लिया।

श्री सभापति : दो मिनट वी. पी. सिंह जी बोलेंगे उसके बाद उजला जी बोलेंगी। दो मिनट वी. पी. सिंह जी बोलेंगे फिर आप बोलेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, वी. पी. सिंह, बोलें और जितने सिंह को बुलाना चाहें आप उतने सिंह को बुलाइये। (व्यवधान) आप यह बताइये। मैं तो बैठ जाती हूं लेकिन आप कहेंगे तो बोलूंगी, आप नहीं कहेंगे तो नहीं बोलूंगी। आप मेरी बात सुनिये।

श्री सभापति : वी. पी. सिंहजी, कृपया आप बैठ जाएं। उजलाजी बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप ही कोई इतने अन्याय करने वाले नहीं हैं।

श्री सभापति : आप गुस्सा न करें, आपके स्वास्थ्य के लिये ठीक नहीं है। आप बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरी बात रखना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, वी. पी. सिंहजी, मजाक नहीं बनाएं इसको, बिराजें। उजला जी बोलेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह धरती हमको सर्व रूप से सब कुछ देती है लेकिन इस धरती के सौन्दर्य को हम छीनने की कोशिश करते हैं। यह जल देती है, खाद्यान्न देती है, फल-फूल देती है, शृंगार के सारे साधन देती है, जीवन के सारे साधन देती है। इतनी विस्तृत सम्पदाओं से युक्त धरती को जिस समय हम नोचने-खसोटने लगते हैं कितनी बुरी बात है। इसके संरक्षण के लिये कानून बने लेकिन उसको भी मानव ने माना नहीं। और इसमें राजस्थान भी पीछे नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जितने एक्ट हैं, उन एक्ट को एक कगार पर रख कर यहां के लोग और कानून का संरक्षण करने वाले दोनों इस क्षेत्र में अपराधी हैं। हमारे यहां 33.3 प्रतिशत वनों की आवश्यकता की बात कही गयी है, जिस समय हम पहली बार जीत कर आये 1977 में, उस समय 9 प्रतिशत वन बचे थे और आज केवल 3 प्रतिशत वन बचे हैं। उन 3 प्रतिशत वनों की सुरक्षा भी नहीं हो पा रही है। यह संकल्प जब आया है तो इस संकल्प के परिप्रेक्ष्य में भी सोच करके हमें जलाऊ लकड़ी के लिये कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें सौर ऊर्जा के स्रोत को अपनाकर या केवल मोरपगी लकड़ी का जो नियम था उसको जलाऊ लकड़ी के लिये देना होगा, लेकिन वनों की सुरक्षा, वनों के संरक्षण के लिये डिपार्टमेंट को और हम सबको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब तक हम यह नहीं करेंगे तब तक आने वाली बरसात हमारे यहां बादल आएंगे, ठहरेंगे नहीं, ठहरेंगे नहीं तो बरसेंगे नहीं, बरसेंगे नहीं तो वन उगेंगे नहीं।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उगेंगे नहीं तो हमारा जीवन कैसे होगा ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, जितना हमारे पास जल है उसको भरने के लिये हमारे पास बर्तन नहीं, है, वह बहकर चला जाता है। जैसलमेर के लोग धन्य हैं जो सात इंच पानी, में तीन साल की खेती करते हैं, पीने का पानी भरते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 45–47 इंच बरसात बहकर चली जाती है, हमारी सरकार के विशिष्ट आयोजना विभाग के अधिकारी क्या करते हैं समझ में नहीं आता। अगर बंधों की बनावट कहीं होगी तो उन बंधों में पानी नहीं होगा। पानी नहीं होगा, कुओं में रीचार्ज नहीं होगा और हमारे यहां हरियाली नहीं होगी और खाद नहीं होगी। पानी बहकर चला जाएगा, पीने को पानी बचेगा नहीं। अगर हम, इन बंधों की बनावट को, बसावट को आगे बढ़ाएंगे तो न केवल मानव पानी पीऐगा पशु पानी पीएंगे बल्कि उनके खाने के लिये भी कुछ होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जल संरक्षण बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे यह तो पर्यावरण संरक्षण की बात है पर मूल बात यही है, इससे निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण होगा।

हम एक ओर हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं दूसरी ओर जो उच्छिष्ट हैं उद्योगों के उनके लिये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते। उस विभाग के अधिकारी क्या करते हैं ? उच्छिष्ट जनता के बीच में जाता है, बदबू करता है, लोगों में बीमारी फैलाता है उसका संरक्षण नहीं कर सकते ? मैं कहना चाहूंगी सरकार को कि वह उनको पाबन्द करे कि जितने उद्योगों में ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिये वे लगें और इसका नियन्त्रण उन निरीक्षकों के माध्यम से होना चाहिये जो इसके लिये तैनात है। मैं निवेदन करूंगी कि चिमनियां इतनी नीचे होती हैं कि चिमनियों का धुआ लोगों के दमघोटने और बीमारी फैलाने वाला होता है। आप ही देखें पर्यावरण संरक्षण हो कैसे ? जब हम सारे वातावरण को दुर्गन्ध से भर देते हैं, सुगन्ध की कल्पना कहां की जा सकती है ? जो वाहन चलते हैं उनके द्वारा गन्दगी फैलायी जाती है, आगे से ट्रक निकल गया, धुआं छोड़ता जा रहा है। यहां एक दिन पर्यावरण के बारे में चर्चा थी, उस समय कहा गया कि इस सम्बन्ध में एक्ट सशक्त नहीं है। एक्ट सशक्त बनाने की किसकी शक्ति है ? विधान सभा की। लाये, बनाये, जितनी शक्ति चाहिये हम सब देने के लिये तैयार हैं। वायु प्रदूषण से जनता को बचाने के लिये काम करना चाहिये लेकिन वह काम होगा नहीं। हर साल हम लोग वनों के संरक्षण पर कार्यक्रम बनाएंगे लाखों रुपया फूक देंगे और वायु संरक्षण की बात करके एक डिपार्टमेंट अलग बना देंगे लेकिन उसका नियन्त्रण नहीं सोचेंगे।

आप देखेंगे कि जल पर जो प्रदूषण है, जहां से पीने का पानी दिया जाता है उसको यह देखा नहीं जाता है कि यह पेयजल है कि नहीं है, यह बीमारियां फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है। पहले पानी को टैस्ट करके दिया जाता था पर आजकल जो हैण्डपम्प लगे हैं उनसे भी प्रदूषण फैलता हैं उसका भी ट्रीटमेंट करके देना चाहिये या उसको कम से कम यह तो देखें कि यह पेय-जल है।

(श्रीमती उजला अरोडा)

इसी प्रकार मल निस्सरण पर भी पाबन्दी नहीं है। खुले आम मैला बहाया जा रहा है। जयपुर के सात नाले हैं, उनमें गटर लाइनें खोल दी गयी हैं। मैं केवल जयपुर में ही इसको नहीं रखना चाहती, मैं पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहती हूं, यह जो मल निस्सरण है इसको भी ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा ठीक करें–जिससे कि यह दूषित वातावरण न पैदा करे निस्सरण के योग्य बना कर निकालना चाहिये ताकि वह खेती के काम में आ सके और लोगों को सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं हो। इस बात को सोच करके काम करना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप सब सदस्यगण बैठें हैं, देखें, हम गाडियों में चलते हैं, अनावश्यक हार्न बजाते हैं, जिन चीजों की जरूरत नहीं। धार्मिक संस्कृति हमारी है, हम उसकी सुरक्षा के लिये कटिबद्ध हैं लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि कहीं पर खूब जोर-जोर से धार्मिक आस्था के लिये माइक बजाये जा रहे हैं। क्या यह नाइज एक्ट को अफेक्ट नहीं करता? मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार के एक्ट होते हुए भी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। इन कामों के लिये अपने आपको कटिबद्ध करके बात करनी चाहिये। पहाड़ियों की सुन्दरता हमने नोंच-खसोंट डाली, पहाड़ियों पर अब वृक्ष नहीं हैं। अच्छी-अच्छी पहाड़ियां जो सुन्दर दिखती थीं, जयपुर नगर में भी घाटगेट पर भव्य दिखने वाला पहाड़, उसको अनुमति दे दे करके फोड़ डाला। कुछ ही दिनों में वह मन्दिर जो यहां जयपुर बनने से पहले का मन्दिर है नाहरसिंहजी का, वह धाराशायी हो जाएगा। मैं कहते कहते परेशान हो गयी थकी नहीं हूं, थकूंगी तो तब तक नहीं जब तक काम नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसे वनों की पार्वत्य श्रृंखला को हरियाली के रूप में काम में लें।

श्री सभापति : मन्दिर के लिये किसको कहते-कहते थक गयीं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो सब बात यहां यहां पर कानून को जो, इम्प्लीमेन्ट कराने वाले बैठे है, उनसे भी कह रही हूं और जो हम लोगों में से भी गलती कर रहे हैं, उन सबसे भी कह रही हूं।

मैं आपके माध्यम से कह रही हूं कि इस प्रकार अगर हमने कार्य किया तो काम होगा। आप वनों को देख लें, काफी वनों में आप देखेंगे कि अतिक्रमण है। अतिक्रमण हटाने का कानून है लेकिन वहां के अधिकारी जो बैठे हैं वे सूचना नहीं देंगे। मेरे यहां गूजर घाटी तक पहाड़ियां थीं, हरियाली दिखती थी लेकिन अब वहां पर मकान उग आये हैं। सरकार के उन नुमाइन्दों से कहते कहते, उधर के लोगों से भी और इधर के लोगों से भी, परेशान हो गयी कि अतिक्रमण हटाओ लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया और जिस दिन हटाने आये तो बैठे जीवित बच्चों को इधर के लोगों ने जला दिया। मैं समझती हूं, यह स्थिति अच्छी नहीं है। मैं कोई आरोपित करने के लिए बात नहीं कह रही हूं, मैं यह कहना चाहती हूं पहाड़ियों से वनों से, जो भी क्षेत्र है वहां से अतिक्रमण हटना चाहिये। इस प्रकार से अलग हम जो हमारे कानन हैं उनको इम्प्लीमेन्ट करते हुए

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

चलें तो मैं कहना चाहूंगी कि यह राजस्थान फिर हरा भरा हो सकता है, यहां का रेगिस्तान हट करके दूर तक चला जा सकता है, यहां की पहाड़ियां उत्तम रूप से हरियाली दे सकती हैं, यहां बरसात से हमारे भण्डार भर सकते हैं और धन-धान्य की कोई कमी नहीं रह सकती।

श्री सभापति : बिराजिये-बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पर्यावरण संरक्षण भी हो सकता है, माननीय सभापति महोदय, लेकिन करनी होगी सख्ती, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक इसको अभियान के रूप में नहीं लेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। जो अधिकारी लोग गलती करते हैं उनको पकड़िये, जो जनता के लोग करते हैं उन पर सख्ती बरतिये, कहने से काम नहीं चलेगा, यही मैं कहना चाहूंगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद बिराजिये। श्री वी. पी. सिंह जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : सभापति महोदय, जो संकल्प विष्णु मोदीजी ने मूव किया है, सर्वप्रथम तो मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि कांग्रेस के मैम्बर होते हुए उन्होंने सेण्टर की जो पालिसी है उसको क्रिटिसाइज किया है क्योंकि उन्होंने राजस्थान का हित देखा है उसके अन्दर। यह बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अबकी बार पार्लियामेण्ट का टिकिट इनको नहीं मिलेगा, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये डवलपिंग कण्ट्रीज और....

श्री राजेन्द्र पारीक : धनखड़ साहब के बारे में क्या ख्याल है ?....(व्यवधान)

श्री सभापति : चार मिनट का समय है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विकसित देश और विकाशील देश के बारे में उन्होंने इतना जिक्र नहीं किया, मैं थोड़ा सा ही कहूंगा कि डवलप्ड नेशन की भी इसके अन्दर एक साजिश है। ऐसे है कि उन्होंने कहा, जितने भी हम प्रोजेक्ट आपको देने चाहते हैं, जैसे अरावली का है, वर्ल्ड बैंक का है, आईएम एफ. के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वे हम फोरेस्ट के लिये तभी देंगे जब आप एनवायर्नमेण्ट की पालिसी हमारे प्रारूप को देखकर बनाएंगे। रियोडिजिनेरो के अन्दर जब कमलनाथजी गये, वहां पर गोष्ठी थी इंटरनेशनल, तो उन्होंने वहां पर यह घोषणा की थी कि जो एनवायर्नमेंट पालिसी है वह हम जो विकसित देश हैं उनके प्रारूप से ही रखेंगे। यह बात सही है और यह साजिश इसलिये है कि जो डवलप्ड कण्ट्रीज हैं वे तो ऑलरेडी डवलप्ड हैं और अब वे विचार कर सकते है पोल्युशन, एनवायर्नमेंट और ऐसी बातों पर हमारे पास रोजीरोटी नहीं है तो हम अभी से कैसे बात कर सकते हैं ? जब यह समस्या उनके सामने थी तभी जाकर वे विकसित हुए और हम उस स्टेज पर हैं इसलिये अभी हम इतना विचार नहीं कर सकते जितना वे कर सकते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सो संकल्प रखा है मोदीजी ने इसको हमें पास करना चाहिये यह राजस्थान के हित में है। मैं यह भी आपको कहूंगा कि यह एनक्रोचमेण्ट है राजस्थान के हितों पर जो कानकरेंट लिस्ट की

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

बात कही है, और पहले फोरेस्ट एक्ट की और एनवायर्नमेंट की बात कही है। "एनवायर्नमेंट", पांच साल पहले लोगों को यह भी पता नहीं था कि यह क्या चीज है, एनवायर्नमेंट होता क्या है। इंग्लैण्ड तो उसको कहता है एनवार्यमेंट और अमरीका कहता है एनविरोनमेंट, है वह एनवायर्नमेंट नहीं कहता। शायद प्रतिपक्ष के नेता जानते होंगे इस बात को कि यह मैं सही कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : एक्सेण्ट का सवाल। साउथ में आपको कोई भी मद्रासी मिलेगा तो वह अपनी गवर्नमेंट की तारीफ करता है, मडरास गवरनमेंट एज ए गुड्ड गवरनमेण्ट....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : प्रतिपक्ष के नेता, मैं इसके बारे में यह कहूंगा कि यह साउथ और एक्सेंट की बात नहीं है, आजकल इंग्लिश लैंग्वेज और अमेरिकन लैंग्वेज हो गयी है, अमेरिकन लिट्रेचर हो गया है। खाली यह एक्सेंट का ही नहीं है अमरीका एक लिट्रेचर हो गया है। मैं इस संकल्प के पीछे आ जाता हूं।....(व्यवधान)....जैसे एक पावर प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट भी हम लगाने....

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही 9 अप्रैल, 1994 को प्रातःकाल 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.15 बजे शनिवार, दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 855 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

जयपुर शहर में कार्यरत गृह निर्माण सहकारी समितियों की सूचना

क्र. सं.	नाम समिति	कार्यक्षेत्र
1	2	3
1.	जयपुर रिफ्यूजी कोआ. हाउ. सोसा. लि., जयपुर	नगरपालिका जयपुर व दुर्गापुरा
2.	जयपुर पुरुषार्थी कोआ. हाउ. सोसा. लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर
3.	पंजाबी रिहेबिलिटेशन कोप. हाउ. सोसा. लि., जयपुर	नगरपालिका जयपुर
4.	दि पंजाबी हाउ. कोप. सोसा. लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर
5.	ब्रह्मपुरी रिफ्यूजी कोप. हाउ. सोसा. लि., जयपुर	नगरपालिका जयपुर शहर व दुर्गापुरा
6.	सिन्धी कोप. हाउ. सोसा. लि., जयपुर	नगरपालिका जयपुर, दुर्गापुरा व सांगानेर
7.	चांदपोल रिफ्यूजी कोप. हाउ. सोसा. लि., जयपुर	जयपुर शहर तक
8.	मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	जयपुर
9.	महालेखापाल कर्मचारी भवन निर्माण सह. स. लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर
10.	पुरानी बस्ती कोली गृह निर्माण सह. स. लि., जयपुर	नगरपालिका जयपुर
11.	जालुपुरा भवन निर्माण सह. स. लि., जयपुर	जालुपुरा निवासियों तक
12.	अमृतपुरी भवन निर्माण सह. स. लि., जयपुर	अमृतपुरी ऐरया में 50 भूखण्डों तक
13.	गांधी गृह निर्माण सह. स. लि., जयपुर	गांव बडोदिया निवासिया तक
14.	सहकारी विभाग कर्मचारी गृह निर्माण सह. स. लि., जयपुर	सहकारी विभाग के कर्मचारियों तक
15.	श्री 108 गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	कस्बा सीतारामपुरा निवासियों तक
16.	पथिक भवन निर्माण सह. समिति लि., जयपुर	नगरपालिका जयपुर
17.	श्री जनता कोआपरेटिव हाऊ. सोसा. लि., जयपुर	जयपुर निवासियों तक
18.	सिन्धुनगर कोप. हाऊ. सोसा. लि., जयपुर	जयपुर निवासियों तक
19.	जयपुर भवन निर्माण सह. स. लि., जयपुर	जयपुर निवासियों तक
20.	सुभाष सिन्धी कोप. हाऊ. सोसा. लि., जयपुर	नगरपालिका जयपुर

1	2	3
21.	दि. कृष्णा कोप. हाऊ. सोसा. लि., जयपुर	नगरपालिका जयपुर
22.	जयपुर जिला कर्मचारी गृह निर्माण सह. स. लि., जयपुर	जिलाधीश जयपुर कर्मचारियों व इसके अधीनस्थ तक
23.	भारत भवन निर्माण सह. स. लि., जयपुर	जयपुर निवासियों तक
24.	दि शिवा कोप. हाऊ. सोसा. लि., जयपुर	जयपुर नगरपालिका
25.	राजहंस कोप. हाऊ. सोसा. लि., जयपुर	जयपुर निवासियों तक
26.	दि हथरोई बावड़ी कोप. हाऊ. सोसा. लि., जयपुर	हथरोई बावड़ी अजमेर रोड जयपुर
27.	गांधीनगर गृह निर्माण सह. स. लि., जयपुर	गांधीनगर कच्ची बस्ती तक
28.	दि जयपुर हाउस बिल्डिंग को. सोसा. लि., जयपुर	जयपुर नगरपालिका
29.	जेल कर्मचारी भवन निर्माण सह. स. लि.	जेल कर्मचारियों तक
30.	सेन कालोनी गृह निर्माण सह. स. लि.	सेन कालोनी के भूखण्डधारियों तक
31.	हीरा कोप. हाऊ. सोसायटी लि.	जयपुर निवासियों तक
32.	आनन्द भवन निर्माण सह. स. लि.	आनन्दपुरी के निवासियों तक
33.	रामनगर भवन निर्माण सह. स. लि.	पुरोहितजी का हतथा स्टेशन रोड, जयपुर
34.	श्रीरामपुरा गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर के निवासियों तक
35.	विकास भवन निर्माण सह. स. लि.	जयपुर निवासियों तक
36.	जय अम्बे कोप. हाऊ. सोसा. लि.	जयपुर निवासियों तक
37.	टेलीफोन एम्पलाइज हाऊ. कोप. सोसा. लि.	जयपुर निवासियों तक
38.	श्यामपुरी गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर निवासियों तक
39.	दि जयपुर मेटल एण्ड इलैक्ट्रिकल्स एम्पलाइज कोप. हाऊ. सोसा. लि.	जयपुर शहर के निवासियों तक
40.	बन्धु गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगरपालिका जयपुर व दुर्गापुरा
41.	सुदर्शनपुरा कोप. हाऊ. सोसा. लि. जयपुर	नगरपालिका जयपुर
42.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम्पलाइज कोप. हाऊ. सो. लि.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम्पलाइज नगरपालिका व शहरी क्षेत्र जयपुर
43.	जयपुर इण्डस्ट्रियल एस्टेट गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
44.	श्री लक्ष्मीनारायणपुरी भवन निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर म्यूनिसिपल क्षेत्र
45.	फोरेस्ट एम्पलाइज कोप. हाऊ. सोसा. लि.	वन विभाग कर्मचारियों तक

Page No.228

1	2	3
46.	श्री महाराजा गोपालपुरा गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर तक
47.	सूरजपोल गेट गृह विकास सह. स. लि. लक्ष्मी-नारायणपुरी	लक्ष्मीनारायणपुरी निवासियों
48.	ककेश्वर महादेव भवन निर्माण सह. स. लि.	पुरोहितजी का बाग बाइस गोदाम, जयपुर
49.	जैन कालोनी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	मोतीडूंगरी व रामबाग ऐरिया जयपुर सिटी
50.	राजस्थान सैक्रेट्रियेट मिनिस्ट्रियल एम्पलाइज गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	सचिवालय कर्मचारियों तक
51.	रामजीपुरा हाऊ. कोप. सोसायटी लि.	जयपुर सिटी
52.	स्वर्णकार गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
53.	गवर्नमेन्ट एम्पलाइज कोप. हाऊ. सोसा. लि.	जयपुर शहर
54.	एवरेस्ट कोप. हाऊ. सोसा. लि.	जयपुर शहर
55.	लाला लाजपतराय गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर नगरपालिका
56.	बजाजनगर हाऊ. कोप. सोसा. लि.	जयपुर सिटी
57.	मालवीयनगर कोप. हाऊ. सोसा. लि.	जयपुर नगरपालिका
58.	दि खुदाबादी सोनारा कोप. हाऊ. सोसा. लि.	जयपुर नगरपालिका
59.	संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर नगरपालिका
60.	वर्मा डिस्पलेस्ड परसन्स हाऊ. सोसा. लि.	नगरपालिका जयपुर
61.	विजय गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर शहर
62.	पहाडगंज गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
63.	दि जय बैंक कोप. हाऊ. सोसा. लि.	जयपुर नगरपालिका
64.	सहकारी मित्र गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर नगर तक
65.	आदर्श गृह निर्माण कोप. सोसा. लि.	जयपुर शहर
66.	श्री गोविन्द गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर नगरपालिका
67.	कीर्तिनगर कोप. हाऊ. सोसा. लि.	जयपुर नगरपालिका
68.	महालक्ष्मी गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
69.	प्रतापनगर गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
70.	श्री मोजी हाऊ. कोप. सोसा. लि.	जयपुर शहर
71.	इन्कमटेक्स गजेटेड आफीसर्स हाऊ. कोप. सोसा. लि.	जयपुर शहर
72.	इन्कमटेक्स नानगजेटेड हाउस बिल्डिंग कोप. हाऊ. सो. लि.	जयपुर शहर

1	2	3
73.	स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर ग्राफीसर्स कोप. हाऊ. सो. लि.	जयपुर शहर के बैंक ग्रधिकारियों तक
74.	किसान गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
75.	माडर्न हाऊ. कोप. सोसा. लि.	जयपुर शहर
76.	म्यूचुग्रल हाऊ. कोप. सोसा. लि.	जयपुर शहर
77.	नवगृह निर्माण सह. स. लि.	नगर परिषद जयपुर तक
78.	विद्युत ग्रभियन्ता गृह निर्माण सह. समिति लि.	जयपुर शहर
79.	सिविल लाइन्स गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
80.	भुवनेश्वरी भवन निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
81.	गुलाबीनगर गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
82.	न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
83.	माणक्यपुरी ,, ,, ,,	जयपुर शहर
84.	जयजवान गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर नगर परिषद सीमा तक
85.	नेशनल हाऊ. कोप. सोसा. लि	जयपुर शहर
86.	जय चामुण्डा गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
87.	इन्द्रपुरी गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
88.	लक्ष्मीनगर गृह निर्माण सह. समिति. लि.	जयपुर शहर
89.	दि महावीर हाऊ. कोप. सोसा. लि.	जयपुर शहर
90.	बसन्त बहार सिन्धी कोप. हाऊ. सोसा. लि.	जयपुर शहर
91.	छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
92.	महेश गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर नगरपालिका
93.	कृष्णापुरी गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
94.	जयपुर बाल्मिकी गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर
95.	न्यू लाइट हाऊ. कोप. सो. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
96.	शिल्पाचार्य विश्व कर्मा. गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर नगरपालिका
97.	जगजीवन गृह निर्माण सह. स. जि.	जयपुर नगरपालिका
98.	शंकर भवन निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
99.	ग्रम्बेडकर गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
100.	हसनपुरा "ए" गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
101.	मोती भवन निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
102.	श्री दयाल भवन निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
103.	कसावपुरा गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका

1	2	3
104.	नवजीवन गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
105.	जय गणेश गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
106.	गुलाब बाडी भवन निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
107.	सीकर हाऊस गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगर तक
108.	जयपुर हसनपुरा "बी" गृह नि सह. स. लि.	जयपुर नगरपालिका
109.	तोपखाना देश गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
110.	गोपालपुरा गृह निमाण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
111.	अपोलो नगर हाऊ. कोप. सो. लि. जयपुर	जयपुर शहर
112.	बस्सी सीतारामपुरा कच्ची बस्ती गृह निर्माण सह. स. लि.	नगरपालिका क्षेत्र तक
113.	प्रेमनगर गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगर परिषद क्षेत्र तक
114.	रघुनाथपुरी गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगर परिषद
115.	सूरजनगर गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपरिषद
116.	शांतीनगर गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपरिषद
117.	सन्तोष नगर गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपरिषद
118.	धन्नादास की बगीची गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर शहर तक
119.	अशोकपुरा गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
120.	श्री गणपति गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
121.	अरविन्द नगर गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
122.	बाबा रामदेव गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
123.	माधवनगर गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
124.	इन्द्रानगर गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
125.	शिवशंकर हाऊ. को. सो. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
126.	नृसिंहपुरी गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका क्षेत्र
127.	विवेकानन्द गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर शहर तक
128.	सुदामा गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	जयपुर नगरपालिका
129.	हसनपुरा "सी" गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	हसनपुरा "सी" क्षेत्र तक
130.	विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	जयपुर शहर
131.	मेजर खन्ना गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर ।

1	2	3
132.	इन्द्रा श्रमिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर।
133.	लोकनायक व्यासकालोनी गृह निर्माण सहकारी स. लि.	जयपुर नगरपालिका
134.	वेधपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	जयपुर नगरपालिका
135.	श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर
136.	नवयुवक गृह निर्माण सहकारी समिति लि,. जयपुर	नगरपालिका, जयपुर
137.	रामदेवपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर
138.	नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर।
139.	रामराजपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगरपालिका, जयपुर।
140.	ओमशिव गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	जयपुर शहर।
141.	नेहरू गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर।
142.	मुख्य सोड़ाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.,	नगरपालिका, जयपुर।
143.	बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर।
144.	आजाद गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका जयपुर।
145.	श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगरपालिका जयपुर।
146.	गौतम बुद्ध गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगरपालिका, जयपुर।
147.	रिजर्व बैंक एम्पलाइज हाऊ. को. सो लि.	नगरपालिका, जयपुर।
148.	जलमहल को. हाऊसिंग सो. लि. जयपुर	नगरपालिका, जयपुर।
149.	शिव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर	शिवनगर कालोनी तक सीमित

1	2	3
150.	श्यामपुरी गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	नगरपालिका, जयपुर।
151.	लक्ष्मण डूंगरी कच्ची बस्ती गृह निर्माण सह. स. लि.	लक्ष्मण डूंगरी, कच्ची बस्ती तक
152.	अमृतपुरी विकास गृह निर्माण सह. समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर।
153.	अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर।
154.	बदनपुरा फकीरों की डूंगरी गृह निर्माण सह. स. लि. जयपुर	बदनपुरा फकीरों की डूंगरी तक
155.	शिवाजी नगर गृह निर्माण सकारी समिति लि.	चक सुन्दर का बास चोर मूदड़ी सिविल लाइन जयपुर
156.	राजेन्द्र नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.,	पूंचमुखी हनुमान चन्द्र शेखर की बगीची नाहरी का नाका
157.	फतेहनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर	फतेहसिंह की धर्मशाला स्टेशन रोड, जयपुर।
158.	बेरिया गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	बेरिया बस्ती नाहरी का नाका तक
159.	ज्योती जगजीवन नगर हाऊ. को. सो. लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर
160.	कैलाशपुरी गृह निमाण सहकारी समिति लि., जयपुर	कैलाशपुरी कच्ची बस्ती मुस्लिम स्कूल के पीछे मोती डूंगरी रोड, जयपुर।
161.	टेगोर नगर गृह निर्माण सह. समिति. लि., जयपुर	टेगोर बस्ती तक
162.	श्री महावीर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर	केन्द्रीय विद्यालय के पास कच्ची बस्ती तक
163.	कच्ची बस्ती मालवीय नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	नगरपालिका, जयपुर
164.	महाराणा प्रताप नगर गृह निर्माण सह. स. लि.	राणा कालोनी के निवासियों तक
165.	बेकुंठ नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	हवा सड़क सोड़ाला चौकी के पास कच्ची बस्ती तक

1	2	3
166.	बरकत कालोनी गृह निर्माण सह. स. लि., जयपुर	कच्ची बस्ती तक सीमित
167.	लाखाजी की ढाणी गृह निर्माण सह. स. लि., जयपुर	लाखाजी की ढाणी कच्ची बस्ती तक
168.	मीणा कालोनी गृह निर्माण सह. स. लि., जयपुर	जयपुर नगरपालिका तक
169.	सूत्तरखाना गृह निर्माण सह. स. लि.; जयपुर	कच्ची बस्ती हरिजन कालोनी तक
170.	इन्द्रा गृह निर्माण सह. स. लि., जयपुर	ऊडा महादेव के पास तक
171.	वर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर	गोल सर्किल तक
172.	बापू कालोनी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	बापू कालोनी के निवासियों तक
173.	पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नाहरी का नाका पुलिया के पास तक
174.	शिव शक्ति गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नाहरी का नाका जयपुर तक
175.	सीतारामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	
176.	महात्मा गांधी गृह निर्माण सह. समिति लि.	कामर्स कालेज के पास तक
177.	गोवर्धनपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	गोवर्धनपुरी कच्ची बस्ती तक
178.	भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	स्वामी कच्ची के आगे झोटवाड़ा रोड जयपुर तक
179.	आनन्द मंगल गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	खटीकों का टीबा तक
180.	अवधपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगरपरिषद् क्षेत्र जयपुर तक
181.	जीवन ज्योति कर्मचारी गृह निर्माण सह.स. लि.	जयपुर नगर सीमा तक
182.	मदन मोहन मालवीय नगर गृह निर्माण सह. स. लि.	मालवीय नगर तक सीमित
183.	बस्सी सीतारामपुरा "बी" भवन निर्माण सह. स. लि.	नगर परिषद्, जयपुर तक
184.	स्वास्तिक ग्रुप हाऊ. को. सो. लि.	जयपुर महानगर तक
185.	भट्टा बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	भट्टा बस्ती नाहरी का नाका तक

1	2	3
186.	आर. एस. ई. बी. आफिसर्स ग्रुप हाऊ. कोप. सो. लि.	जयपुर महानगर क्षेत्र तक
187.	रेल्वे मैन्स हाऊ. कोप. सोसायटी लि. जयपुर	रेल्वे डिविजन कर्मचारियों तक
188.	झालाना डूंगरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	झालाना डूंगरी तक
189.	इन्द्रा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	हटवाड़ा रोड जयपुर बस्ती तक
190.	वृन्दावन ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	विद्याधर नगर योजना तक
192.	मॉडल ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	सुभाष नगर जयपुर योजना तक
191.	बाबा आर. एन गौड़ गृह निर्माण सह. स. लि.	जयपुर तक कार्यक्षेत्र
193.	बैंक ग्राफ राजस्थान ग्रुप हाऊसिंग कोपरेटिव सोसायटी लि.	विद्याधर नगर योजना तक
194.	जूयोलोजीकल सर्वे ग्राफ इण्डिया ग्राफिसर्स ग्रुप कोपरेटिव सोसायटी लि.	इन्द्रा नगर जयपुर तक
195.	बुनकर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	कार्यक्षेत्र जयपुर शहर
196.	मदरामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर नगर परिषद् तक
197.	हरिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर नगर परिषद् तक
198.	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी ग्रुप हाऊ. सहकारी समिति लि.	वैशाली नगर के समीप तक अथवा गोपालपुरा बाइपास रोड तक
199.	फोरेस्ट व्यू. हाऊ. कोपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर	नगरपालिका तक
200.	हथरोइगढ़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगरपालिका जयपुर क्षेत्र तक
201.	लंकापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नाहरी का नाका क्षेत्र तक
202.	फौजी गांव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगरपरिषद क्षेत्र तक
203.	सरस्वती हरिजन गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	पुरानी बस्ती, जयपुर
204.	झॉकरोटा फेज प्रथम गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर शहर की 15 कि. मी. की परिधि तक
205.	श्री राम कालोनी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	श्री राम कालोनी आजाद बस्ती स्टेशन रोड, जयपुर
206.	श्रीरामपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगरपालिका, जयपुर

1	2	3
207.	अपोलो ग्रुप गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	स्वीकृत योजना विद्याधर नगर अथवा अन्य स्वीकृत योजना जयपुर तक
208.	जवाहरपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगर परिषद, जयपुर
209.	नानकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	नगरपालिका, जयपुर ।
210.	श्री कृष्ण गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	सूखा कुआ के निवासियों तक नाहरी नाका, जयपुर
211.	स्वास्तिक गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर नगर
212.	सुन्दर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर नगर
213.	श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर नगर
214.	करतारपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर नगरपालिका क्षेत्र
215.	चित्रगुप्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	जयपुर नगरपालिका क्षेत्र
216.	विनोबा गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	गीजगढ़ हाऊस के पश्चिम क्षेत्र हवा सड़क सिविल लाइन जयपुर
217.	बड़ोदिया गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	बड़ोदिया ग्राम वासियों जयपुर तक

परिशिष्ट–2

(तारांकित प्रश्न संख्या 857 की सूची)

सहाड़ा एवं रायपुर तहसीलों में कार्यरत पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय का विवरण

सहाड़ातहसील :

1. पशु चिकित्सालय, गंगापुर
2. पशु चिकित्सालय, सहाड़ा
3. पशु चिकित्सालय, पोटला
4. पशु चिकित्सालय, कोसीथल

1. पशु औषधालय, आमली
2. पशु औषधालय, खरगांव

रायपुरतहसील :

1. पशु चिकित्सालय, रायपुर

1. पशु औषधालय, झाड़ोल
2. पशु औषधालय, नहारी

परिशिष्ट–3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

पाक विस्थापितों की काबिज भूमि का नियमितिकरण

858. **श्री हरिसिंह** (शिव) : क्या पुनर्वास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1971 में पाक से आये विस्थापित जो सरकारी भूमि में सन् 1971 से मकान बना कर रह रहे हैं ? उन पर अभी भी भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां तो कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इनकी काबिज भूमि का नियमितिकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1971 में पाक से आये विस्थापितों में से कुछ व्यक्ति जैसलमेर जिले की जैसलमेर तहसील में व श्रीगंगानगर जिले सूरतगढ़ व अनूपगढ़ तहसील में तथा बाड़मेर जिले की बाड़मेर, शिव एवं चौहटन तहसीलों में सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रह रहे हैं। जैसलमेर तथा श्री गंगानगर में वर्तमान में किसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही लम्बित नहीं है, जबकि बाड़मेर जिले में 1645 विस्थापितों के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर की सूचना के अनुसार काबिज भूमि के नियमितिकरण के लिए राजस्व विभाग द्वारा बाड़मेर जिले में सरकारी भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा तब तक उन्हें बेदखल करने के निर्देश दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

भंग पंचायतों के सरपंचों में बकाया राशि

859. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भंग की गई पंचायतों के सरपंचों में बकाया राशि निकलती है ? यदि हां, तो कुल कितने सरपंचों में कितनी राशि बकाया निकलती है ?

(2) क्या सरकार बकाया राशि वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार चुनाव के पहले बकाया रकम जमा न कराने वाले सरपंचों को आगामी चुनाव में अयोग्य घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार भंग की गई ग्राम पंचायतों के कुल 1702 भूतपूर्व सरपंचों में 2,86,33,617 रुपये 68 पैसे की राशि बकाया निकलती है।

(2) जी हां। जिला कलक्टरों को नियमानुसार वसूली हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

(3) जिन पूर्व सरपंचों पर बकाया राशि निकलती है, नियमों में उनके विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार दोषी पूर्व सरपंच चुनाव के अयोग्य माने जायेंगे।

सांभर सींग से आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण

860. **श्री किशन गोपाल कोगटा** (मसूदा): क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आयुर्वेद विभाग में औषधि निर्माण का कार्य भी होता है? यदि हां, तो निर्माण शाला कहां-कहां है?

(2) कुल कितनी किस्म की औषधियों का निर्माण किया जाता है?

(3) कच्चे माल की खरीद की क्या प्रणाली है?

(4) निर्माण शाला में औषधियां निर्माण में प्रयोग आने वाली सांभर सींग पिछले 10 वर्ष में कब-कब व कितनी खरीदी?

(5) क्या पिछले तीन वर्ष में उन औषधियों का निर्माण बन्द कर दिया है जिसमें सांभर सींग उपयोग में लाया जाता है? यदि नहीं, तो पिछले तीन साल में कब व कितनी खरीद की गई तथा खरीद की क्या प्रणाली रही?

(6) सांभर सींग नहीं खरीदने से विभाग को कितना-कितना नुकसान रहा? क्या निर्माण शाला में विषाण भस्म बनाने की व्यवस्था व कर्मचारी उपलब्ध नहीं है? अन्य स्थान से खरीद विषाण भस्म की शुद्धता का क्या प्रमाण है? क्या वह निर्माण शाला में बनती है उससे ज्यादा शुद्ध है? जिस फर्म से खरीदी गई है उसका क्या नाम है?

उत्तर

(1) जी हां। आयुर्वेद विभाग के अधीन अजमेर, उदयपुर, जोधपुर व भरतपुर में एक-एक राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला संचालित हैं।

(2) चारों विभागीय रसायनशालाओं द्वारा 77 आयुर्वेदिक एवं 23 यूनानी कुल 100 किस्म की औषधियों का निर्माण किया जाता है।

(3) व्यवस्थापक, रसायनशालायें, अजमेर द्वारा क्रय किये जाने वाले घटक द्रव्यों व अन्य सामग्री की मांग का निर्धारण कर मांग पत्र निदेशालय, आयुर्वेद विभाग को प्रेषित किया जाता है। मांग पत्र प्राप्त होने

(आयुर्वेद राज्य मन्त्री)

के बाद खुली निविदायें आमन्त्रित की जाती है। विभागीय नमूनों का अनुमोदन तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है। निर्धारित दिनांक तक प्राप्त निविदायें, उपस्थित निविदा दाताओं के सम्मुख खोली जाकर, तुलनात्मक विवरण पत्र तैयार कर विभागीय केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समिति द्वारा निविदा दरों का अनुमोदन करने पर सम्बन्धित फर्मों को अनुबन्ध प्रस्ताव भिजवाया जाता है सम्बन्धित फर्म द्वारा अनुबन्ध पत्र भरकर व निर्धारित सुरक्षा राशि जमा कराने पर, उसे 30 दिवस में सामग्री सप्लाई करने का क्रय आदेश जारी किया जाता है। फर्म द्वारा सप्लाई किया गया माल, स्थानीय क्रय समिति द्वारा स्वीकृत करने पर स्वीकार किया जाता है तथा फर्म को भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

(4) सांभर सींग से मात्र विषाण भस्म का निर्धारण किया जाता है। पिछले 10 वर्षों में केवल वर्ष 1986-87 में 9814 किलो एवं वर्ष 1988-89 में 500 किलो सांभर सींग क्रय किया गया है।

(5) सांभर सींग से मात्र विषाण भस्म का एकल रूप में ही निर्माण किया जाता है। अन्य किसी औषधि के निर्माण में सांभर सींग का उपयोग नहीं किया जाता।

पिछले तीन वर्षों में (वर्ष 1990-91 से 1992-93 व वर्ष 1993-94 में सांभर सींग का क्रय नहीं किया गया है।

(6) सांभर सींग नहीं खरीदने से विभाग को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है।

विभागीय रसायनशाला में विषाण भस्म बनाने की व्यवस्था व कर्मचारी उपलब्ध हैं।

विषाण भस्म, इण्डियन मेडिसिन फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन लि. मोहान (उत्तर-प्रदेश) जो कि भारत सरकार का संस्थान है से खरीदी गयी है। इसमें शास्त्रीय विधि से औषध निर्माण में विशेषज्ञ तकनीकी अधिकारी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त स्थानीय क्रय समिति द्वारा भौतिक परीक्षण उपरान्त माल स्वीकार किया जाता है।

माडा योजनान्तर्गत मावली में जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्य

861. **श्री शान्तिलाल चपलोत**(मावली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र में माडा योजनान्तर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग क्या-क्या काम करवाने जा रहा है?

(2) मावली विधान सभा क्षेत्र में माडा के अन्तर्गत कार्य किस-किस क्षेत्र में करवाये जाते हैं!

उत्तर

(1) मावली विधान सभा क्षेत्र में माडा योजनान्तर्गत सब्जी मिनी किट्स वितरण, सामुदायिक डीजल पम्प सैट वितरण, पशु चिकित्सा शिविर आयोजन इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं जिन्हें आगे वर्षों में भी करवाया जाता रहेगा।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री)

(2) मावली विधान सभा क्षेत्र में माडा योजना अन्तर्गत सिर्फ 4 राजस्व ग्राम क्रमशः मारूवास. नउवा, बिकरनो एवं रायजी का मुंडा क्षेत्र में कार्य करवाया जाता है।

राज्य में उद्योगों का पंजीकरण व उत्पादन

862. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में वर्षवार कितने उद्योग पंजीकृत हुए और कितनों में उत्पादन प्रारम्भ हुआ ? इन उद्योगों को वर्षवार कितनी-कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा एक खिड़की पर सभी सुविधाएं दिलाने के लिए जो सुविधा प्रारम्भ की गई थी, उसको व्यापक रूप से लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में पंजीकृत उद्योग इकाइयों, उत्पादन में आने वाली इकाइयों एवं इन उद्योगों को दी गई अनुदान की सूचना वर्षवार निम्नानुसार है। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" एवं "आ" सदन के पटल पर रख दी गई है :—

वर्ष	पंजीकृत इकायों की संख्या (प्रोविजनल)	उत्पादन में आने वाली इकाइयों की संख्या	अनुदान वितरण की सूचना	
			इकाई संख्या	राशि (लाख रु.)
88-89	22948	3247	115	29.56
89-90	20174	4310	32	6.00
90-91	15475	3098	255	204.06
91-92	17203	3366	734	615.07
92-93	12485	2967	1606	1895.77

(2) राज्य के सभी 30 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित हैं। जिला उद्योग केन्द्र में रीको व राजस्थान वित्त निगम के अधिकारी भी पदस्थापित है। इस प्रकार उद्योगों को भूमि आवंटन, ऋण स्वीकृति एवं पंजीयन आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। सभी जिलों में मार्गदर्शन ब्यूरो की स्थापना की गई है, जिससे उद्यमियों को उद्योग स्थापना, प्रोजेक्ट के चयन आदि में मार्ग दर्शन दिया जाता है। तत्पश्चात् उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु एस्कोर्ट सर्विसेज उपलब्ध करवाई जाती है। सभी जिला उद्योग केन्द्रों में इन उद्यमियों के उद्योगों की स्थापना का मोनिटरिंग किया

(उद्योग मन्त्री)

जाता है । इनकी समस्याओं के सम्बन्ध में जिला स्तरीय उद्योग परामर्शदात्री समिति की बैठक में विचार-विमर्श कर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। जिला स्तर पर कलक्टर की अध्यक्षता में बैंकर्स की भी एक समिति गठित है जिसमें उद्यमियों के कार्यकारी पूंजी के बैंकों के पास विचाराधीन आवेदन पत्रों पर विचार-विमर्श कर निराकरण कराने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्यमियों के 9 बिन्दुओं का चयन किया गया है, जिसमें विद्युत कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र, चुंगी मुक्ति, कार्यशील पूंजी, भूमि रूपान्तरण फैक्ट्री एवं बायलर्स निरीक्षक द्वारा निरीक्षण, बिक्रीकर पर प्रोत्साहन एवं पूंजी विनियोजन पर अनुदान का मोनिटरिंग भी जिला कलक्टर के कार्यालय में होता है तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से विचार-विमर्श कर उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण कराया जाता है। इस प्रकार राज्य सरकार उद्यमियों को एक खिड़की पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। राज्य स्तर पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया जाता है।

परिशिष्ट "अ"

—: गत पांच वर्षों में पंजीकृत एवं उत्पादन में आने वाली औद्योगिक इकाइयों की वर्षवार सूचना :—

क्र.सं.	नाम जिला	गत पांच वर्षों में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों की संख्या					गत पांच वर्षों में उत्पादन में आने वाली इकाइयों की संख्या				
		वर्ष 1988-89	89-90	90-91	91-92	92-93	वर्ष 1988-89	89-90	90-91	91-92	92-93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जयपुर	2740	3049	2737	3579	2425	605	799	587	649	492
2.	अजमेर	1148	1295	1048	1135	838	125	145	111	159	191
3.	अलवर	613	345	380	409	363	218	217	200	254	203
4.	भीलवाड़ा	3546	2049	1144	1032	562	199	163	145	104	88
5.	जोधपुर	573	431	349	410	350	188	277	184	232	199
6.	कोटा	1966	2222	1374	1499	1103	39	65	121	166	148
7.	पाली	219	175	150	174	149	92	62	79	74	69
8.	उदयपुर	548	1423	2342	2243	245	276	184	243	245	174
9.	बांसवाड़ा	831	486	291	296	328	44	38	55	68	37
10.	भरतपुर	303	121	133	174	161	50	49	54	82	70
11.	बीकानेर	433	889	435	421	72	168	184	198	178	117
12.	चित्तौड़गढ़	114	127	122	135	133	62	56	48	65	61
13.	झुन्झुनूं	1247	1438	892	553	761	103	123	111	113	107
14.	नागौर	1566	2198	1606	1281	926	110	122	132	122	154

Page No.243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	श्रीगंगानगर	1154	782	844	608	339	81	40	92	57	49
16.	सवाईमाधोपुर	108	101	102	104	101	54	48	44	70	29
17.	सीकर	1427	602	656	313	562	181	117	135	139	140
18.	टोंक	443	609	697	555	489	161	101	104	140	112
19.	बाड़मेर	173	90	84	92	87	82	175	68	79	24
20.	बूंदी	809	568	686	593	387	33	30	35	35	27
21.	चूरू	1178	634	635	633	765	93	93	85	82	87
22.	डूंगरपुर	61	53	37	55	87	29	23	20	20	23
23.	जैसलमेर	33	33	37	38	39	13	13	17	18	23
24.	जालोर	888	610	247	2202	180	60	88	60	41	20
25.	झालावाड़	452	289	206	162	154	72	70	71	72	66
26.	सिरोही	456	386	215	130	249	71	79	68	65	40
27.	धौलपुर	62	69	56	68	52	38	49	31	31	31
28.	दौसा	—	—	—	135	171	—	—	—	6	32
29.	बांरा	—	—	—	82	55	—	—	—	—	26
30.	राजसमन्द	—	—	—	170	320	—	—	—	—	128
		22948	20174	15475	17203	12485	3247	3910	3098	3366	2967

परिशिष्ट "आ"

क्रमांक	नाम जिला	गत पांच वर्षों में दी गई अनुदान की वर्ष वार सूची									
		वर्ष 88–89		89–90		90–91		91–92		92–93	
		इकाई सं	राशि (लाख रु. में)	इकाई सं.	राशि	इकाई सं.	राशि	इकाई सं.	राशि	इकाई सं	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जयपुर	—	—	—	—	27	32.99	150	167.30	110	254.53
2.	अजमेर	5	+.30	—	—	3	3.37	22	10.74	27	12.73
3.	अलवर	18	6.59	2	3.45	23	15.08	61	21.94	38	66.78
4.	भीलवाड़ा	—	—	—	—	16	2.05	29	10.93	30	8.26
5.	जोधपुर	—	—	—	—	—	—	13	24.07	13	18.13
6.	कोटा	1	2.08	—	—	—	—	10	9.52	20	29.40
7.	पाली	15	8.33	9	0.94	57	16.06	27	15.45	25	11.47
8.	उदयपुर	—	—	—	—	–13	16.00	43	51.37	47	82.06
9.	बांसवाड़ा	—	—	—	—	1	0.97	7	1.20	23	4.69
10.	भरतपुर	4	0.12	—	—	3	10.28	25	18.71	15	19.29
11.	बीकानेर	—	—	—	—	11	9.45	5	12.60	9	12.93
12.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	17	14.63	50	28.29	50	63.15
13.	झुन्झुनू	26	1.23	16	1.05	34	16.38	40	17.14	32	12.33
14.	नागौर	1	0.57	—	—	1	3.37	6	8.31	16	13.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	श्रीगंगानगर	8	6.85	—	—	6	9.53	12	20.06	12	07.45
16.	सवाईमाधोपुर	—	—	—	—	3	1.53	24	10.03	9	2.42
17.	सीकर	18	1.55	2	0.23	4	10.85	48	86.59	66	84.24
18.	टोंक	—	—	—	—	23	34.98	68	29.13	42	19.55
19.	बाड़मेर	—	—	3	0.33	—	—	—	—	1	3.00
20.	बूंदी	—	—	—	—	—	—	43	38.74	22	9.85
21-	चूरू	3	0.46	—	—	4	0.49	9	1.63	10	2.81
22.	डूंगरपुर	—	—	—	—	3	1.84	9	2.54	15	2.29
23.	जैसलमेर	11	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	जालोर	—	—	—	—	—	—	1	0.20	2	0.36
25.	झालावाड़	—	—	—	—	—	—	27	15.93	26	19.67
26.	सिरोही	4	0.33	—	—	5	3.06	6	9.32	10	9.81
27.	धोलपुर	1	0.97	—	—	1	0.05	5	0.57	6	4.98
28.	दौसा	—	—	—	—	—	—	7	2.67	11	9.85
29.	बांरा	—	—	—	—	—	—	—	—	17	7.69
30.	राजसमन्द	—	—	—	—	—	—	—	—	24	46.50
	कुल योग	115	29.56	32	6.60	255	204.06	734	615.07	1606	1895.77

पीपल्दा क्षेत्र में विभिन्न योजनान्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

863. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष 1993–94 तक विभिन्न योजनाओं के तहत कितनी सड़क स्वीकृत की गई ?

(2) क्या स्वीकृत उक्त सभी सड़कों का निर्माण कार्य चालू करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार अब कब तक निर्माण कार्य चालू कराने का विचार रखती है तथा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जाना संभावित है ?

उत्तर

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष 1993–94 तक विभिन्न योजनाओं के तहत 16 सड़कें स्वीकृत की गई ।

1. कृषि विकास परियोजना	5 सड़कें
2. राज्य मार्ग सड़क	1 सड़क
3. ग्रामीण सड़क	1 सड़क
4. तीस जिला तीस काम	3 सड़कें
5. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	4 सड़कें
6. जवाहर रोजगार योजना	2 सड़कें
कुल	16 सड़कें

(2) स्वीकृत सड़कों के कार्य में से चार कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 8 सड़कों का निर्माण कार्य चालू करा दिया गया है । शेष चार कार्य, जो चालू नहीं किये गये हैं उनमें से दो कार्य जून, 1994 में तथा दो कार्य सितम्बर, 1994 में प्रारम्भ करा दिया जायेगा कार्य पूर्ण करने का प्रस्तावित प्रोग्राम निम्न प्रकार है :—

क्र. सं. योजना	कार्य की संख्या	पूर्व होने की सम्भावित तिथि
1. कृषि विकास परियोजना	1	10/95
	2	5/96
	2	8/96
2. राज्य मार्ग सड़क	1	6/95
3. ग्रामीण सड़क	1	4/94
4. तीस जिला तीस काम	3	6/94
5. जवाहर रोजगार योजना	2	6/94

उपरोक्त 4 कार्य जो प्रारम्भ नहीं किये जा सके उनमें से दो कार्य की निविदाएं विश्व बैंक द्वारा निविदादाता के पोस्ट क्वालीफाई नहीं करने से दिनांक 21-1-94 को अस्वीकृत किये जाने के कारण निविदाएं आमन्त्रित करनी पड़ी जिन्हें 5-4-94 को प्राप्त कर लिया गया है तथा शेष दो कार्य की निविदाएं इसी माह में आमन्त्रित की जा रही है ।

Page No.247

तहसील सांचोर की ढाणियों को राजस्व गांव घोषित किया जाना

864. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांचोर में पिछले 3 वर्षों में किन-किन ढाणियों को राजस्व गांव घोषित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें । क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में सरकार ने जिन-जिन ढाणियों और गोलियों की संख्या 300 से अधिक थी, उन्हें राजस्व गांव घोषित कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि सांचोर तहसील में जिन ढाणियों की आबादी 500 से भी अधिक है उनको अभी तक राजस्व गांव घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से इन ढाणियों को राजस्व. गांव घोषित नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि गाव मणेर बांठों को गोलिया, पीथाबेरीरी सुजानपुरा, मलायों की ढाणी, भीमगुड़ा, माटा, लालपुरा, ओलियों की गड़ी, सेली-जाटों की ढाणी, कुकड़ियां, सिपाहियों की ढाणी आदि की आबादी 500 से अधिक होने के बाद भी इन्हें राजस्व गांव नहीं घोषित किया गया ? सरकार इन गांवों, ढाणियों और गोलियों को अब कब तक राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । जिला जालौर की तहसील सांचोर की किसी भी ढाणी को गत 3 वर्षों में नवीन राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है ।

(2) तहसील सांचोर की भौगोलिक स्थिति भिन्न है वहां पर एक स्थान पर 500 की आबादी की कोई ढाणी नहीं है । वहां पर 10–10 व 15–15 घरो की ढाणियां बिखरी हुई है, इस कारण तहसील सांचोर की किसी भी ढाणी को नवीन राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया । राज्य सरकार ने दिनांक 23-2-94 को एक परिपत्र (प्रति संलग्न है) जारी कर समस्त संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलक्टरों को निर्देश दिये हैं कि जिन मजरे/ढाणियों की आबादी बिखरी हुई हों और उनकी आबादी 250 से कम नहीं हो उन्हें भी राजस्व गांव घोषित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जावें ।

(3) जी नहीं । प्रश्न में अंकित किसी भी ढाणी की एक ही स्थान पर 500 से अधिक की आबादी नहीं है । इन ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है, परन्तु उक्त परिपत्र के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

प्रेषिति :—

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त ।
3. समस्त जिला कलक्टर ।

क्रमांक : प. 9 (11) राज/ग्रुप–1/94 जयपुर, दिनांक : 23-2 94

विषय :—नये राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वर्तमान में नये राजस्व ग्राम घोषित करने की यह व्यवस्था है कि आम तौर पर उस ग्राम की जनता की मांग पर अथवा ग्राम पंचायत की मांग पर इन प्रस्तावों पर विचार कर नये गांव घोषित करने के बारे में विचार किया जाता है । परन्तु अब यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीणों की मांग हो अथवा नहीं, यदि राजस्व अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि ऐसे गांव जिनकी आबादी ढाणियों में बसी है और उसका क्षेत्र काफी फैला हुआ है, तो वे अपने स्तर से यह प्रस्ताव जिलाधीश, राजस्व मण्डल के मार्फत राज्य सरकार को भिजवाएं । ऐसे प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रस्तावित नये गांव की आबादी 250 से कम नहीं हो तथा क्षेत्र की दृष्टि से भी वे सुगठित व सुविधाजनक रहे । जहां आबादी बिखरी हुई हो, ढाणियों अथवा मजरों में बसी हुई हो, उन गांवों में केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिये जाये ताकि नई प्राथमिक शाला/उच्च प्राथमिक शाला/पीने के पानी की सुविधा/चिकित्सालय/औषधालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके । यह भी ध्यान में रखा जाये कि इन सुविधाओं हेतु भूमि भी उपलब्ध हो । जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, यह भी ध्यान रखा जावे कि वहां ग्रामीण इन प्रयोजनों के लिए भूमि उपलब्ध कराने को तैयार हो ।

भवदीय,

हस्ताक्षर/–

(के. पी. सिंघल)

शासन उप सचिव, राजस्व

Page No.249

स्थगित–प्रश्न

[दिनांक 5 अप्रैल, 1994]

नये जिलों हेतु मानदण्ड

791. **श्री कमल** (हिण्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिले बनाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति अथवा मानदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार हिण्डौन को जिला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नये जिले बनाने के सम्बन्ध में कोई नीति अथवा मानदण्ड निधारित नहीं है। जहां तक हिण्डौन को नया जिला बनाने का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में खनन पर प्रतिबन्ध

865. **श्री मदनमोहन** (खैरथल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र (अलवर) में टाइगर डेन की सीमा कितने किलोमीटर है तथा इसमें कौन-कौनसी पंचायत समिति का कौन-कौन व कितना-कितना क्षेत्र शामिल है ?

(2) क्या भारत सरकार ने अध्यादेश जारी कर सरिस्का की खनन गतिविधियों को बंद कर दिया है ? यदि हां, तो भारत सरकार के आदेश के खिलाफ भी खनन कार्य क्यों चल रहा है ?

(3) सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का में कितने भू-भाग पर खनन कार्य करने पर रोक लगाई है ? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में अब भी गैर-कानूनी खनन कार्य चालू है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) टाइगर डेन राजस्थान पर्यटन विकास निगम का एक विश्राम गृह है। यदि टाइगर डेन का तात्पर्य बाघ परियोजना से है तो बाघ परियोजना की सीमा 866 वर्ग कि. मी. क्षेत्र की है। इसमें पंचायत समिति थानागाजी का 178.28 वर्ग कि. मी. बानसूर पंचायत समिति का 68.02 वर्ग कि. मी., राजगढ़ पंचायत समिति का 342.34 वर्ग कि. मी. एवं उमरेन पंचायत समिति का 277.36 वर्ग कि. मी. वन क्षेत्र शामिल है। उपरोक्त सीमा के बारे में प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

(2) भारत सरकार ने सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में अध्यादेश के द्वारा खनन गतिविधियों को बन्द नहीं किया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) व 3 (2) एवं पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के नियम 5 (3) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 7-5-92 के द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लिबे बिना खनन कार्य पर रोक लगाई है। सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्र में खनन कार्य नहीं चल रहा है।

(3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्णय दिनांक 8-4-93 में 262

(वन मन्त्री)

खानें जिनका खनन प्रभावित क्षेत्र लगभग 2.40 वर्ग कि. मी. होता है में खनन कार्य पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र में कोई गैर कानूनी खनन कार्य चालू नहीं है। अतः सरकार द्वारा खनन कार्य रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति, टोडाभीम को ट्रान्सफार्मर्स की आवश्यकता

866. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोडाभीम ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति, टोडाभीम (सवाई माधोपुर) को ट्रांसफार्मर्स की आवश्यकता है? यदि हां, तो, किन गांवों में किस-किस क्षमता के कुल कितने ट्रांसफार्मर्स की आवश्यकता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जोल के ग्राम कमालपुरियान का पुरा के लिये उक्त समिति ने 5 किलोमीटर लाइन खींचकर 100 के.वी.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर्स लगाया हैं? यदि हां, तो इस गांव में कृषि के कितने कनेक्शन दिये गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति धनाभाव के कारण अनेक गांवों में ट्रांसमर्स नहीं लगा पा रही है? यदि हां, तो समिति ने एक भी कृषि कनेक्शन नहीं होने के बावजूद कमालपुरियान का पुरा में किन कारणों से 100 के. वी. ए. का ट्रांस्फार्मर लगा रखा है?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। किन्तु यह सही नहीं है कि समिति द्वारा कमालपुरिया के पुरा गांव में 100 के. वी. ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि समिति को जब इस क्षेत्र के विद्युती वितरण का कार्य जनवरी, 1987 में मिला उस समय इस गांव के पूर्ववर्ती गांव डोगवली में विद्युत मण्डल द्वारा पहले से ही स्थापित 100 के. वी. ए. का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जो अब नये बने राजस्व ग्राम कमालपुरिया के पुरा गांव के लिये उपयोग हो रहा है।

एल. एच. एन. सी. ग्रामों की सूची

क्र सं.	गांव का नाम	कोड संख्या	ग्रामवार ट्रांसफार्मर क्षमता जिनकी आवश्यकता है।
1.	चन्दवाड	124	25 के. वी. ए.
2.	मघरा नरसिंहपुरा	122	25 के वी. ए.
3.	पाटकटारा	96	25 के. वी ए.

1	2	3	4
4.	कटारा अजीत	—	25 के. वी. ए.
5.	बिचपुरी	118	25 के. वी. ए.
6.	बरेडी	91	25 के. वी. ए.
7.	गांवड़ी	125	25 के. वी. ए.
8.	मोहनपुरा	—	25 के. वी ए.
9.	उरदेन	119	25 के. वी. ए.
10.	सलेमपुर	93	25 के. वी. ए.
11.	मोसलपुर	105	25 के. वी. ए.
12.	मादोली	109	25 के. वी. ए.
13.	कंवरपुरा	107	25 के. वी. ए.
14.	नन्दपुरा	108	25 के. वी. ए.
15.	जयसिंहपुरा	97	25 के. वी. ए.
16.	शंकरपुर	15	25 के. वी. ए.
17.	बालाबास	63	25 के. वी. ए.
18.	खिलचीपुर	121	25 के. वी. ए.
19.	बाडाखिलचीपुर	—	25 के. वी. ए.
20.	घाटराशेरपुर	86	25 के. वी. ए.
		कुल ट्रांसफार्मर	20 × 25 के. वी. ए.

ह.
मैनेजिंग डायरेक्टर
टी. आर. ई. सी. एस., टोडाभीम

किशनगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं

867. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां चिकित्सा सेवायें उपलब्ध हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र में कहां-कहां किस-किस प्रकार के पद रिक्त हैं और कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में कितने प्रसूति गृह हैं तथा कहां-कहां और खोलने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या किशनगढ़ स्थित यज्ञ नारायण अस्पताल के विकास हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अस्पताल में प्रसूति गृह की क्या स्थिति है ? कौनसे पद रिक्त हैं तथा कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

Page No.252

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप केन्द्र पर रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में किशनगढ़ शहर में प्रसूति गृह एवम् प्रसवोत्तर केन्द्र कार्यरत है तथा रूपनगढ़, अराई, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसूति सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में प्रसूति गृह खोलने की योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) इस चिकित्सालय के विकास हेतु कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

(5) यज्ञ नारायण चिकित्सालय स्थित किशनगढ़ स्थित प्रसूति गृह/प्रसवोत्तर केन्द्र में कोई पद रिक्त नहीं हैं।

(6) जी हां, की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं का विवरण :—

1. यज्ञ नारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ 100 रोगी, शैयायुक्त (मातृ शिशु कल्याण केन्द्र एवं प्रसवोत्तर केन्द्र)
2. सिटी डिस्पेंसरी, किशनगढ़
3. नगर परिवार कल्याण केन्द्र, किशनगढ़
4. ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र, रूपनगढ़ (मय प्रसूति सुविधा)
5. ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र, अराई (मय प्रसूति सुविधा)
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करकेडी
7. प्रा. स्वा. केन्द्र, हरमाड़ा
8. प्रा. स्वा. केन्द्र, कुचील
9. प्रा. स्वा. केन्द्र, मदून
10. प्रा. स्वा. केन्द्र, गोठियाना
11. उच्चीकृत उपकेन्द्र, सिलोरा, पिगलोद, त्योंद, जाजोता, भामोलाव, कठसूरा मदून

उप केन्द्र

डीडवामाप	काकनियावास	निटूटी
पनेर	चीताखेडा	कोटड़ी
पाटन	सलेमाबाद	खातोली
सरगांव	रघुनाथपुरा	मुण्डोलाव

छोटा नरेना	अमरपुरा	थल
मिलावट	बान्दरसिंदरी	खाजपुरा
बरना	टीकावास	सुरसुरा
तिलोनिया	रलावता	बिती
नलू	मण्डाचरिया	दादिया
गागुन्दा	मोगादीप	सादोलिया
लाम्बा	आकोडिया	ढसूक
झिरोता	देवपुरी	

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/तथा उपकेन्द्रों पर रिक्त पदों का विवरण :—

	संस्था का नाम	नाम पद एवं	पद संख्या	रिक्त पदों का समय
1.	ब्लॉक प्रा. स्वा. केन्द्र, रूपनगढ़	वाहक चालक	1	7/93
2.	ब्लाक प्रा. स्वा. के. अराई	चिकित्साधिकारी	1	6/93
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	4/93
		वरिष्ठ लिपिक	1	12/93
		वाहन चालक	1	/84
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र, भदून	लेब. टैक्नीशियन	1	4/92
		स्वास्थ्य निरीक्षण	1	4/92
		स्वीपर	1	4/92
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, गोठियाना	स्वीपर	1	12/93
		नर्सदाई	1	5/93
5.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, पिगलोद	मेलनर्स श्रेणी-II	1	6/93
6.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, त्योंद	मेलनर्स श्रेणी-II	1	6/92
		स्वीपर	1	12/92
7.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, जाजोता	स्वीपर	1	12/93
8.	उच्चीकृत उपकेन्द्र, भदून	मेलनर्स श्रेणी-II	2	4/92
		वार्ड ब्याय	1	4/92
9.	उपकेन्द्र, सुरसरा	प्रसाविका	1	2/94

भाग 6 का विवरण

क्र. सं.	जांच विरुद्ध अधिकारी/कर्मचारी	शिकायत कर्ता का नाम व पता	शिकायत कहां से प्राप्त हुई	प्राप्ति की दिनांक	शिकायत के विवरण	जांच अधिकारी का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	किशनगढ़ चिकि. की अव्यवस्था बावत	डिवीजनल मैनेजर, रेल्वे, जयपुर।	डिवीजनल मैनेजर, रेल्वे, जयपुर। के पत्र क्र. टी–5/4 दिनांक 18-5-92 द्वारा आयुक्त एवं शासन सचिव चिकि. एवं स्वा. सेवाएँ, राज., जयपुर।	6/92	किशनगढ़ चिकि. की अव्यवस्था बावत	संयुक्त निदेशक, चि. एवं स्वा. सेवाएं (जोन) जयपुर	जांच पूर्ण हो चुकी है। 1. डॉ. पी. सी. अग्रवाल का किशनगढ़ से रास, जिला. पाली में दिनांक 11-2-94 से स्थानान्तरण किया जा चुका है। 2. डॉ. माया गुरनानी प्रभारी को कार्मिक विभाग, क्रमांक प. 2 (42) कार्मिक/क-3/93 दिनांक 24-9-93 से भ्रष्टाचार निरोधक अधि. 1988 की धारा 7-13 (1) (डी) (2) के अन्तर्गत निलम्बन किया जा चुका है। 3. कन्हैया लाल मेलनर्स के विरुद्ध कार्यवाही चालू है।

1	2	3	4	5	6	7	8
2	डॉ. माया गुरनानी डॉ. मनोहर गुरनानी एवं स्टॉफ	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री किशनलाल सोनी, चमड़ा घर मदनगंज, किशनगढ़	शिकायत कर्ता द्वारा	20-9-93	इलाज करने के लिए जबरदस्ती फीस वसूलने बाबत		शिकायत दि 20-9-93 को प्राप्त हुई एवं दिनांक 24-9-93 को डॉ. माया गुरनानी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7-13 (1) (डी) (2) के अन्तर्गत निलम्बत कर दिया गया था।
3.	माया गुरनानी	श्री जगदीश, अध्यक्ष, अखिल भारतीय राजीव गांधी बिग्रेड किशनगढ़।	सचिव जिला जन अभियोग एवं सतंकता समिति अजमेर। नम्बर 1993 दिनांक 8-10-93	19-10-93	डॉ. के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत		शिकायत दि. 19-10-93 को प्राप्त हुई इससे पहले ही राज्य सरकार कार्मिक–3, शासन उपसचिव के आदेश क्रमांक प. 2 (42) कामिक/क–3/93 दिनांक 24-9-93 से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7-13 (1)(डी)(2) के अन्तर्गत निलम्बत किया जा चुका था। इस कारण से जांच नहीं हो सकी।
4.	डॉ. वी. के. जैन एव डा. गोपाल माथुर	श्री कैलाश मालाकर, सचिव फेयर प्राइज, दुकान, एसोसियेशन मदनगंज।	अति. निदेशक चि. एवं स्वा. सेवाएँ, राज., जयपुर के पत्र क्र. प. 1 शिकायत प्रकोष्ठ-756 दिनांक 26-4-93	10-5-93	नसबंदी शिविर में डॉक्टरों द्वारा 200/– रु. रिश्वत लेने बाबत	अशोक सिंह उप मु. चि. एवं स्वा. अधि (प.क.) अजमेर।	शिकायतकर्ता को जांच अधिकारी ने शिकायत की जांच हेतु अपने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 5–7–93 एवं 16-7-93 को जांच हेतु बुलाया लेकिन शिकायतकर्ता नहीं आया पुनः शिकायत कर्ता को बुलाया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	श्रीमती मंजुलता एल. एच. वी.	श्री निरंजन सिंह जिला अध्यक्ष, राज. नर्सेज एसोसियेशन, अजमेर।	शिकायतकर्ता द्वारा	3-1-94	श्रीमती मंजु लता एल. एच. वी. द्वारा फर्जी कोपरटी लगाकर राष्ट्रीय कार्यक्रम में चारसौ बीसी करने बाबत।	डॉ. अशोक सिंह उप मु. चि. एवं स्वा. (प. क.) अजमेर	जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही हेतु निदेशक चिकि. एवं स्वा. राज., जयपुर को भेज दी जावेगी।
6.	किशनगढ़ चिकि. में कुछ कर्मचारियों द्वारा गैर हाजिर रहने के बावजूद उपस्थिति दर्ज करने बाबत।	श्रीमती मंजु लता जिला अध्यक्ष महिला स्वा. दर्शिका, अजमेर	सचिव जिला अभियोग एवं सतर्कता समिति, अजमेर पत्र सं. 16 दिनांक 3-6-94	4-1-94	श्रीमती कृष्णा देवी प्रसाविका एवं महेश अग्रवाल द्वारा गैर हाजिर रहते हुए हाजरी भरने बाबत।	डॉ. अशोक सिंह –यथा–	जांच अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही निदेशक चिकि. एवं स्वा. सेवाएं राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर दी जावेगी।

केकड़ी व भिनाय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदायें

868. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)** : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1990 से अब तक केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, अकाल, ओलावृष्टि, अग्नि) से बांध तालाब, एनीकट, फसलों, मकानों, व्यक्तियों एवं पशुओं को कितनी-कितनी हानि व क्षति कहां-कहां पर हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या 1990 से अब तक उपरोक्त कारणों से हुई सम्पूर्ण क्षति के लिये तुरन्त सहायता पहुंचा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? देरी के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1990 से अब तक केकड़ी/भिनाय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं (जैसे बाढ़, अकाल, ओलावृष्टि, अग्नि) से बांध, तालाब, एनीकट, फसलों, मकानों एवं व्यक्तियों, पशुओं को हुई क्षति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट—'अ', 'ब', 'स')

(2) वर्ष 1990 से अब तक बाढ़/अतिवृष्टि के कारण जिन व्यक्तियों को मकानों की तथा जन हानि हुई उन्हें सहायता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8 (1) सआ/बाढ़/90/13373-404 दिनांक 3-7-90 व आदेश क्रमांक 24322-67 दि. 26-8-92 के अन्तर्गत सहायता राशि का भुगतान किया गया है । भुगतान की गई सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर दिया गया है ।

अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 14 (1) सआ/अग्नि/89/8424–53 दिनांक 26–6–91 व परिपत्र दिनांक 20-5-92 द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सहायता राशि का भुगतान किया गया है । भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट–'स' में दिया गया है ।

फसल गिरदावरी रिपोर्ट में फसल खराबा 50% या इससे अधिक आंके जाने पर जिला कलक्टर द्वारा ऐसे गांवों को अभावग्रस्त घोषित किये जाने की राज्य सरकार को सिफारिश की जाती है । जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार किया जाकर राज्य सरकार द्वारा जिले के गांवों को अभावग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की जाती है । फसल खराबा पर किसी प्रकार का मुआवजा या सहायता राशि स्वीकृति नहीं की जाती, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों की क्रय शक्ति बनी रहे इसके लिये रोजगार उपलब्ध कराने के लिये अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ किये जाते हैं ।

इस क्षेत्र में वर्ष 1990 से वर्ष 1993 तक ओलावृष्टि से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ । वर्ष 1994 के प्रारम्भ में रबी की फसलों की ओलावृष्टि से सरवाड तहसील के ग्राम मनोहरपुरा व केकड़ी तहसील के 3 गांवों में नुकसान हुआ था । नुकसान की सर्वे रिपोर्ट तहसीलदार से जिला कलक्टर द्वारा मांगी गई है । जैसे ही कलक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होगी, सहायता राशि उपलब्ध करा दी जावेगी ।

इन क्षेत्रों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बांधों, तालाबों तथा एनीकटों की सुरक्षा स्थिति तक जिला प्रशासन द्वारा मरम्मत करवा दी गई थी ।

परिशिष्ट "अ"

अकाल से फसलों का नुकसान

अकाल से फसलों को हुए नुकसान का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	अभाव वर्ष	नाम तहसील	फसलों को नुकसान (राशि लाखों में)
1.	संवत् 2047	—	—
2.	संवत् 2048	केकड़ी	472.96
		किशनगढ़	303·45
		सरवाड़	186.20
3.	संवत् 2049	सरवाड़	5·64
4.	संवत् 2050	सरवाड़	832.10
		केकड़ी	536.96

ओलावृष्टि से हुये नुकसान का विवरण

वर्ष 1990 से 1993 तक ओलावृष्टि से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। वर्ष 1994 में तहसील केकड़ी/सरवाड़ में हुए गांवों में नुकसान का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	नाम तहसील	गांवों की संख्या	गांवों के नाम	प्रभावित काश्तकार	विशेष विवरण
1.	सरवाड़	1	मनोहरपुरा	378	तहसीलदार, केकड़ी व सरवाड़ द्वारा जिन काश्तकारों की फसल का ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, उनकी सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहायता राशि का नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
2.	केकड़ी	3	1. विठन्दनी	82	
			2. उम्मेदपुरा	38	
			3. मेहरूखुर्द	36	

वर्ष 1990 से 1993 में विधान सभा क्षेत्र केकड़ी व भिनाय के बांध, तालाब, एनीकट से हुए नुकसान का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	नाम विभाग	तालाब		बांध		एनीकट	
			आंशिक	पूर्ण क्षति ग्रस्त	आंशिक	पूर्ण क्षति ग्रस्त	आंशिक	पूर्ण क्षति ग्रस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1990	—	—	—	—	—	—	—
2.	1991	—	—	—	—	—	—	—
3.	1992	1. सिचाई विभाग	36	—	5	—	—	—
		2. पं. स. भराई	24	6	—	—	2	6
		3. पं. स. केकड़ी	38	—	—	—	—	—
4.	1993	1. पं. स. भराई	40	—	—	—	—	—
		2. पं. स. भिनाय	44	—	—	—	—	—
		3. पं. स. केकड़ी	32	—	—	—	—	—

परिशिष्ट 'ब'

बाढ़ से नुकसान

क्र. सं.	वर्ष	नाम तहसील	प्रभावित गांवों की संख्या	मकानों को हुई क्षति: प्रभावित परिवार	मकानों को हुई क्षति: क्षति राशि	मकानों को हुई क्षति: सहायता राशि जो उपलब्ध कराई गई	फसलों को हुई क्षति: प्रभावित काश्तकारों की संख्या	फसलों को हुई क्षति: क्षति राशि	फसलों को हुई क्षति: सहायता राशि जो उपलब्ध कराई गई	पशुओं को नुकसान: पशुओं की संख्या	पशुओं को नुकसान: सहायता राशि जो उपलब्ध कराई गई	जन हानि: व्यक्तियों की संख्या	जन हानि: सहायता राशि जो उपलब्ध कराई गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1990	केकड़ी	2 केरियां वडली	—	—	—	—	—	—	—	—	2	15000
2.	1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	1992	सरवाड़	15	449	19.27 (राशि) लाखों में	470264	27	—	6125	359	—	—	—
4.	1993	केकड़ी	5	426	40.12	552910	—	—	—	57	—	—	—
		सरवाड़	24	641	8.27	152938	311	16.57	—	—	—	—	—
		किशनगढ़	13	271	15.46	270028	—	—	—	—	—	—	—
		केकड़ी	13	156	5.83	103486	—	—	—	—	—	1	10000
		योग :-			88.95	15,49,626			6125				

हस्ताक्षर
जिला कलक्टर (सहायता) अजमेर ।

परिशिष्ट 'स'

क्र.सं.	वर्ष	नाम तहसील	अग्नि काण्ड से हुए नुकसान व सहायता राशि का विवरण			स्वीकृत राशि	
			ग्रामों की संख्या	प्रभावित परिवारों की संख्या	नुकसान की राशि	परिवारों की संख्या	सहायता राशि
1.	1990	केकड़ी	4	13	49500	4	6500
		सरवाड़	1	5	43100	5	2500
		किशनगढ़	3	5	90200	3	1700
2.	1991	केकड़ी	7	20	133660	20	12040
		सरवाड़	5	43	157200	43	25891
		किशनगढ़	—	—	—	—	—
3.	1992	केकड़ी	8	12	278706	12	6000
		सरवाड़	3	15	46900	15	8250
		किशनगढ़	13	31	426950	31	21099
4.	1993	केकड़ी	4	5	33000	5	2500
		सरवाड़	4	6	110200	6	11280
		किशनगढ़	1	3	61500	3	1500
5.	1994	—	—	—	—	—	—
				योग:–	9,90,916		99,260

हस्ताक्षर
जिला कलक्टर (सहायता) अजमेर ।

ग्रामीण पंचायतों में सचिव के पद पर नियुक्ति की शर्तें

869. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने ग्रामीण पंचायतों में सचिव के पद पर उसी ग्राम पंचायत के निवासी नहीं लगाने के बारे में कोई आदेश जारी किया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायत समिति बोली की किस-किस ग्राम पंचायत में स्थानीय व्यक्ति ही सचिव के पद पर कार्यरत हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे सचिवों को तुरन्त हटाने का आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) पंचायत समिति, बोली में निम्न ग्राम सेवक स्थानीय स्वयं की ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर कार्यरत थे :-

1. श्री जसराम मीणा,
   ग्राम पंचायत मलारना चौड़
2. श्री बद्री लाल मीणा,
   ग्राम पंचायत भाडोती
3. श्री शंकर लाल शर्मा,
   ग्राम पंचायत कोडभाई

(3) जी हां । ऐसे कार्यरत स्थानीय सचिवों को हटाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर की को निर्देश दिये जा चुके हैं । प्रति संलग्न है ।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक :–एफ 28 (5) ग्राविप/प्रशा-2/92/2963-93/जयपुर, दिनांक 26-6-92

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव,
जिला परिषद, (समस्त)।

–: परिपत्र :–

ऐसा देखने में आया है कि अनेक स्थानों पर ग्राम सेवक को उसी पंचायत में प्रशासक के पद पर पदस्थापित किया हुआ है जहां के वह ग्राम सेवक स्वयं मूल निवासी हैं। इससे अनेक प्रकार की कठिनाई दिन-प्रतिदिन के कार्य में उत्पन्न होती हैं। अतः यह सुनिश्चित कर लें की किसी भी पंचायत में प्रशासक के पद पर स्थानीय निवासी को नहीं लगाया जाये।

हस्ताक्षर
(भागीरथ शर्मा)
निदेशक एवं उप शासन सचिव
राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक :–एफ 20 ( ) ग्राविप/प्रशा–2/94/958 जयपुर, दिनांक 25-2-94

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव,
जिला परिषद, सवाई माधोपुर।

विषय :–ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को स्वयं की पंचायत में नहीं रखने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले की पंचायत समिति, बोली में निम्न ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव स्वयं की ग्राम पंचायत में कार्यरत है। उन्हें अन्य पंचायत में स्थानान्तरण कर सूचना 7 दिवस में इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

1. श्री जसराम मीणा, ग्राम पंचायत मलारना चोड
2. श्री बद्रीलाल मीणा, ग्राम पंचायत भाडोती
3. श्री शंकरलाल शर्मा, ग्राम पंचायत कोडयाई

हस्ताक्षर
उप विकास आयुक्त (प्रशा-2)
राजस्थान, जयपुर।

निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लेने की योजना

870. **श्री नरेन्द्र बुड़ानिया** (सरदार शहर) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों की बदहाली से क्या सरकार वाकिफ है ? यदि हां, तो सरकार इन्हें सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इन महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को आठ-आठ महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिस तरह विद्यालयों व महाविद्यालयों को शिक्षा विधेयक में लाया गया है उसी तरह इन आयुर्वेद महाविद्यालयों की विधेयक में सुरक्षा देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार इन तीनों महाविद्यालयों को एक सरकारी महाविद्यालय में करने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या निजी महाविद्यालयों को मार्च, 1994 के बाद बन्द करने की सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है ? यदि हां, तो इनमें कार्यरत कर्मचारियों व छात्रों के लिए सरकार क्या नीति बना रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

(2) जी हां । निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

(3) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है । सम्बन्धित सभी पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात् ही कोई अन्तिम निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(5) जी नहीं ।

माउण्ट आबू में लालगांव सड़क का निर्माण

871. **श्री प्रभूराम गरासिया** (पिंडवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माउण्ट आबू से लालगांव सड़क का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस बजट से किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क का कार्य टी.ए.डी. के बजट से ब्रह्माकुमारी आश्रम तक किया जा रहा है । यदि हां, तो यह किसकी स्वीकृति से ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क का कार्य जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री

(श्री प्रभूराम गरासिया)

महोदय ने रुकवाया था ? यदि हां, तो कार्य अभी तक चालू क्यों है ? इस कार्य पर कितना खर्च हो चुका है व कितनी स्वीकृति इस बजट से की है ?

(4) इस जिले में इस बजट से कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) लालगांव सड़क से कितने आदिवासी ग्राम लाभान्वित होंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि माउन्ट आबू से लालगांव तक का सड़क निर्माण किया जा रहा है। वस्तुतः सालेगांव से गुजरात सर्किट हाऊस तक उक्त निर्माण बजट मद 5054–एम.एन.पी./टीएडी से किया जा रहा है।

(2) उपरोक्त सड़क का कार्य राज्य योजना के मद संख्या 5054 के अन्तर्गत मांग संख्या 30 से किया गया। कार्य की स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई।

(3) जी हां। यह सही है कि सड़क निर्माण का कार्य राज्य मन्त्री महोदय के निर्देशानुसार रुकवा दिया गया है। एवं वर्तमान में कार्य चालू नहीं है। वर्तमान प्रगति के अनुसार इस कार्य पर राशि 5.21 लाख रु. व्यय की जा चुकी है। इस कार्य के लिए कुल स्वीकृति 17.50 लाख रुपये हुई है।

(4) इस जिले में एम.एन.पी./टीएडी योजना मद में दो सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "अ")

(5) सालेगांव सड़क निर्माण कार्य से एक ही ग्राम सालेगांव लाभान्वित होगा। वर्ष 1981 की जनगणना अनुसार इस गांव की कुल आबादी 118 है तथा इसमें से जनजाति की जनसंख्या 39 है।

परिशिष्ट "अ"

टी. ए. डी. योजना मद में निर्मित सड़कों का विवरण

1. आबू रोड से बाई पास रोड वाया टारटोली खेरार तक लिंक रोड का निर्माण कार्य मय सीडी कार्य के
(राशि रुपये 5.00 लाख)
2. गुजरात सर्किट हाऊस से साले गांव तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य
(राशि रुपये 17.50 लाख)

राजकीय उपक्रमों के लिए जारी अनुपालनीय आदेश/निर्देश

872. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या राजकीय उपक्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार ने विभिन्न राजकीय उपक्रमों को गत तीन वर्षों (1990-91, 1992-93 एवं 1993-94) में किस-किस विषय में क्या-क्या डाइरेक्टिव्ज, आदेश तथा निदेश जारी किये ? प्रत्येक राजकीय उपक्रम

(श्री विष्णु मोदी)

से सम्बन्धित जानकारी पृथक-पृथक विवरण में सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा जारी उपरोक्त डाइरेक्टिव, आदेश तथा निर्देशों के अनुसार किस-किस राजकीय उपक्रम ने क्या-क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस राजकीय उपक्रम ने राज्य सरकार के किस-किस डाइरेक्टिव्ज, आदेशों तथा निदेशों का पालन नहीं किया और किस आधार पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य सरकार ने अपने डाइरेक्टिव्ज, आदेशों तथा निदेशों के पालन नहीं किये जाने के उपरोक्त मामलों में सम्बन्धित उपक्रमों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रमों को आर्टीकल्स आफ एसोसिएशन में उप नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार ही राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों द्वारा डाइरेक्टिव्ज जारी किए जा सकते है। राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा इन उपक्रमों को 1990-91, 92-93 एवं 93-94 में कोई डाइरेक्टिव्ज जारी नहीं किये गये हैं।

राजकीय उपक्रमों के कार्य-कलापों के प्रभावी निष्पादन, कार्य परिणामों में सुधार, वेतन आदि में एकरूपता, मितव्ययता करने आदि के बारे में समय-समय पर गाईड-लाइन्स जारी करता है। उक्त तीन वर्षों में जारी किये गये निर्देशों की प्रति सदन की मेजपर रख दी गई है।

(2, 3 एवं 4) सामान्यतया राजकीय उपक्रम ब्यूरो द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना राजकीय उपक्रमों द्वारा की जाती है यदि व्यावसायिक तथा किन्हीं अन्य कारणों से इन निर्देशों की अनुपालना करने में किसी उपक्रम को कठिनाई आती है तो वहां के अधिकारियों से बात कर उसका हल निकाला जाता है। ऐसा करते समय उपक्रमों की स्वायत्ता, व्यावसायिक आवश्यकता, राजकीय हितों तथा अन्य उपक्रमों में उसके असर आदि बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम पंचायतों बारी (दानपुर वि. क्षेत्र) की सड़क का डामरीकरण

873. **श्री दलीचन्द** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर पंचायत समिति पीपलखूंट के ग्राम पंचायत बारी मुख्यावास तक सड़क का डामरीकरण कितने वर्षों से नहीं करवाया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क मुख्य सड़क से 4 किलोमीटर दूर है तथा इस सड़क के डामरीकरण से 12 गांवों के लोगों को आवागमन की सुविधा मिलना सम्भव हो सकेगी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करवाने

(श्री दलीचन्द)

का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति पीपलखूंट के ग्राम पंचायत बारी मुख्यालय तक सड़क का डामरीकरण का कार्य 12 वर्ष पूर्व हुआ था।

(2) जी हां। इस सड़क के डामरीकरण के कार्य को वित्तीय वर्ष 94-95 में संधारण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है।

पाली के मन्दिरों व देवस्थान की भूमि का गैरकानूनी हस्तान्तरण

874. **श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने देवस्थान व मन्दिरों की डोली को देवस्थान व मन्दिर के नाम ही दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि पाली जिले में मन्दिरों के पुजारियों ने राजस्व अधिकारियों, बन्दोबस्त अधिकारियों एवं कनसोलीडेशन अधिकारियों की मिली भगत से देवस्थान व मन्दिरों की काफी जमीनें गैर कानूनी तरीके से हस्तान्तरण की है ? यदि हां, तो तहसीलवार किस-किस गांव में किस-किस अधिकारी ने यह गैर कानूनी कार्य किये व उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) प्रश्न के भाग–2 में बताये गैर कानूनी हस्तान्तरण में किन-किन मामलों में जिलाधीश ने हस्ब धारा 232 आर. टी. एक्ट के तहत डिक्री व आदेश को राजस्व मण्डल में निर्देशित (रैफरेन्स) किया व किन-किन मामलों में रैफरेन्स नहीं किया ?

(4) प्रश्न के भाग (3) में बताये मामलों में जिलाधीश ने जिन-जिन में रैफरेन्स नहीं किया उसका क्या औचित्य है ?

(5) क्या सरकार राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 232 की जनहित में सही क्रियान्विती करने के निर्देश जिलाधीश, पाली को देगी ताकि प्रश्न के भाग–2 में जारी गैर कानूनी आदेश, डिक्री आदि निरस्त किये जा सकें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पाली जिले में डोली की जमीन अन्य काश्तकारों, पुजारियों के नाम करने के 283 मामलें ध्यान में आये हैं। इन मामलों में जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

(3) 94 मामलों में राजस्व मण्डल, अजमेर को रेफरेन्स किया गया है। 48 मामलों में तहसीलदारों द्वारा उनके स्तर पर ही डोली के नाम पुनः अंकित की गई हैं।

(4) मन्दिर की जमीन नहीं होने से पुजारियों के नाम डोली खुद काश्त होने से मन्दिर मूर्ति खुदकाश्त की भूमि नहीं होने के कारण रेफरेन्स नहीं किया गया।

(5) मामले में परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये जायेंगे।

शेरगढ़ क्षेत्र में घरेलू व व्यावसायिक विद्युत कनेक्शन

875. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में इस वर्ष कितने विद्युत कनेक्शन स्वीकृति का प्रस्ताव है ? घरेलू व व्यावसायिक कनेक्शन्स की पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस क्षेत्र में क्या नये सब स्टेशन बनाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में लाइन पर वोल्टेज इतना है कि ट्रांसफारमर जल्दी जल जाते हैं और महीनों बदले न जाने के कारण फसल चौपट हो जाती है ?

(4) इस क्षेत्र के लिए कितने ट्रांसफारमर स्वीकृत किये गये हैं और किस कारण ट्रांसफारमर बदलने में इतनी देरी होती है ? क्या कभी इसकी जांच की गयी ? यदि हां, तो सूचना सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शेरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1993-94 में निम्न विद्युत कनेक्शन श्रेणीवार प्रस्तावित थे :—

श्रेणी	प्रस्तावित लक्ष्य 93–94	वर्ष 93–94 में विद्युत कनेक्शन दिये गये।	मांग पत्र की रकम जमा जिन पर कार्य किया जा रहा है।
कृषि	121	69	52
घरेलू	—	429	2157
व्यावसायिक	—	40	46
लघु उद्योग	—	8	6

घरेलू व्यावसायिक एवं लघु उद्योग के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। उपभोक्ता के आवेदन पर नियमानुसार कनेक्शन देने की प्रक्रिया की जाती है।

(2) इस क्षेत्र में अब तक 132 के.वी. का एक सब स्टेशन देचू में है एवं 33/11 के.वी. के आठ सब स्टेशन कार्यरत हैं। वर्ष 1993-94 में नया सब स्टेशन बनाने का प्रावधान नहीं था।

(3) इस क्षेत्र में विद्युत लाइन पर वोल्टेज सही रहते हैं और वोल्टेज के कारण ट्रांसफारमर नहीं जलते है सामान्यतया ट्रांसफारमर जलने की सूचना के साथ ही

(ऊर्जा मन्त्री)

बदलने की कार्यवाही तत्परता से की जाती है तथा उपलब्धता के आधार पर ट्रांसफारमर बदला जाता है ।

(4) स्वीकृत कनेक्शनों के कार्य पूर्ण करने हेतु निम्न 11/0.4 के.वी. के ट्रांसफारमर वर्ष 1993-94 में आवंटित किये जा चुके हैं :—

100 केवीए	63 केवीए	40 केवीए	25 केवीए
8	26	39	17

ट्रान्सफारमर सूचना मिलने पर सामान्य तथा उपलब्धि अनुसार तत्परता से बदले जाते हैं तथा इनमें अप्रत्याशित विलम्ब नहीं होता । तब तक यथा सम्भव वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है ।

सहकारिता क्षेत्र की प्रदेश में सूत कताई मिलें

876. **श्री पराक्रम सिंह** (बनेड़ा) एवं **श्री जगदीश चन्द्र वरक** (भीलवाड़ा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सहकारिता क्षेत्र की प्रदेश में गुलाबपुरा, गंगापुर एवं हनुमानगढ़ में सूतकताई की मिलें हैं ? यदि हां तो प्रत्येक मिल का उत्पादन सूत कितना कितना किलो उत्पादन होता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त तीनों मिलों में नवम्बर, मार्च, 94 तक सूत की अग्रिम बिक्री बुक की गई ? यदि हां, तो तीनों मिलों का कितना-कितना सूत किस-किस तारीख को अग्रिम बुकिंग किया गया तथा अग्रिम बुकिंग किस की कितनी-कितनी डिलीवरी कब-कब दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में काउन्ट्री की क्या-क्या बाजार दरें थी ?

(4) क्या यह सही है कि गत दिपावली के बाद जनवरी के अन्त तक सूत के भावों में लगातार वृद्धि होती रही है ? यदि हां, तो स्पिनफेड क्या सूत को जनवरी के पूर्व बुकिंग कर फरवरी तक डिलीवरी करता रहा ?

(5) क्या यह सही है कि स्पीनफेड यदि इतनी अग्रिम बुकिंग नहीं कर बाद में विक्रय करती तो भारी लाभ अर्जित होता ? इसका प्रतिमाह उत्पादन तथा अग्रिम बुकिंग नहीं होती, तो कितना अधिक लाभ होता ?

उत्तर

(1) जी हां । सूत उत्पादन का इकाई वार विवरण परिशिष्ट-1 में सदन के पटल पर रख दिया है ।

(2) जी हां । ईकाईवार अग्रिम बुकिंग एवं डिलीवरी बाबत विवरण दिनांक सहित परिशिष्ट–"2(1), 2(2), 2(3)" में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) बाजार की काउंटरवार, माहवार औसत दरें परिशिष्ट-"3(1), 3(2), 3(3)" में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सहकारिता मंत्री)

(4) स्पिनफेड से प्राप्त सूचना के अनुसार दीपावली के बाद नवम्बर, 93 के अंतिम सप्ताह से सूत की दरों में वृद्धि हुई, लेकिन दिसम्बर, 93 के द्वितीय सप्ताह से जनवरी, 94 के प्रथम सप्ताह तक सूत की दरों में गिरावट रही। जिसके बाद जनवरी, 94 के अंत तक भाव बढ़ते रहे। प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही है कि स्पिनफेड जनवरी, 94 के पूर्व बुकिंग की फरवरी, 94 तक डिलीवरी करता रहा है।

(5) यह आंकलन करना सम्भव नहीं है कि अगर अग्रिम बुकिंग नहीं की जाती तो कितना अधिक लाभ होता क्योंकि इस व्यवसाय में निरन्तर भाव चढ़ते उतरते रहते है एवं अग्रिम बुकिंग करना भी सफल विक्रय प्रक्रिया का एक अंग है अन्यथा मंदी के दौरे में इन मिलों के उत्पादन को उठाने वाले कोई भी ग्राहक उपलब्ध नहीं होने की संभावना बनी रहती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखे गये।)

जालोर व सिरोही जिलों में महिला चिकित्सकों के पद

877. **श्री जयन्तीलाल कोली** (रेवदर) एवं **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालोर एवं सिरोही जिलों में महिला चिकित्सकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त में से कितने पदों पर महिला चिकित्सक नियुक्त हैं तथा कितने पद रिक्त है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नियुक्त महिला चिकित्सकों में से कितनी लम्बे अवकाश, अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर अथवा अनुपस्थित चल रही है ? उनके अभाव में वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई है ?

(4) सरकार इस स्थिति से होने वाली असुविधा से जनता को बचाने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जालोर एवं सिरोही जिले में महिला चिकित्सकों के कुल 28 पद हैं।

(2) महिला चिकित्सकों के 28 पद स्वीकृत है। चौदह पदों पर महिला चिकित्सक पदस्थापित है, शेष 14 पदों में से तीन पदों पर पुरुष चिकित्सक कार्यरत है एवं ग्यारह पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पदस्थापित महिला चिकित्सकों में से तीन महिला चिकित्सक अनुपस्थित चल रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर किसी भी महिला चिकित्सक का अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर अथवा लम्बे अवकाश पर होना नहीं पाया जाता। महिला चिकित्सक के अभाव में उपलब्ध महिला स्टाफ से साधारण प्रसव कार्य कराया जा रहा है, आवश्यकता पड़ने पर यथा संभव पुरुष चिकित्सक की सेवायें भी लिया जाना स्वाभाविक हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(4) स्वीकृत पदों के अनुसार महिला चिकित्सकों को पदस्थापित करने की प्रक्रिया जारी है । चिकित्सा अधिकारियों के पद लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों द्वारा तथा कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) के पदोन्नति द्वारा भरे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जालौर एवं सिरोही जिले में महिला चिकित्सकों के नियुक्त एवं रिक्त पदों की सूची

नाम चिकित्सा संस्थान	पद नाम एवं पद संख्या		नियुक्त चिकित्सक का नाम	रिक्त
जिला जालौर				
1. जनरल अस्पताल, जालौर	1. वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)–1 2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)–1		डा. श्रीमती रेवन्त सिंघवी रिक्त दि. 1-9-93 से	1
2. प्रसवोत्तर केन्द्र, भीनमाल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)–1		डा. श्रीमती बीना सक्सेना	
3. प्रसवोत्तर केन्द्र, बड़गांव	यथा	1	रिक्त	1
4. प्रसवोत्तर केन्द्र सांचोर	यथा	1	डा. भारती जैन दि. 19-1-91 से अनुपस्थित	
5. प्रसवोत्तर केन्द्र सियाणा	यथा	1	रिक्त	1
6. प्रा. स्वा. के., बागरा	चिकित्सा अधिकारी (महिला)	1	(पुरुष चिकित्सा अधिकारी) डा. जगतपाल चौधरी पद के विरुद्ध कार्यरत ।	
7. प्रा. स्वा. के., दासपा	यथा	1	डा. (श्रीमती) राजेश शर्मा	
8. प्रा. स्वा. के., चितलवास	यथा	1	(पुरुष) डा. बाबूलाल विश्नोई कार्यरत ।	
9. प्रा. स्वा. केन्द्र सेवड़ी	यथा	1	रिक्त	1
10. प्रा. स्वा. केन्द्र झांब	यथा	1	रिक्त	1
11. प्रा. स्वा. केन्द्र मण्डावला	यथा	1	डा. (श्रीमती) शोभा पारीक दि. 26-4-94 से अनुपस्थित	
12. प्रा. स्वा. के, सुराना	यथा	1	रिक्त	1

1	2		3	
	जिला सिरोही			
1. जनरल अस्पताल, सिरोही	1. वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)–1	1	डा. लीला मेहता	
2. प्रसवोत्तर केन्द्र आबू पर्वत	2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	रिक्त	1
3. प्रसवोत्तर केन्द्र आबू रोड़	यथा	1	रिक्त	1
4. प्रसवोत्तर केन्द्र, शिवगंज	यथा	1	रिक्त	1
5. प्रा. स्वा. के., स्वरूपगढ़	चिकित्सा अधिकारी (महिला)	1	डा. विजय लक्ष्मी राघवन	
6. प्रा. स्वा. के., पालड़ी	यथा	1	डा. बीना माथुर	
7. प्रा.स्वा.के., कैलाशनगर	यथा	1	डा. हरबंस कौर	
8. प्रा. स्वा. केन्द्र, जायल	यथा	1	डा. बबीता माथुर	
9. प्रा. स्वा. केन्द्र, मण्डार	चिकित्सा अधिकारी (महिला)	1	डा. प्रीति गेमावत दि. 10-4-93 से अनुपस्थित	
10. प्रा.स्वा. के., आबू रोड	यथा	1	डा. नीता खन्ना	
11. प्रा.स्वा.के., पिण्डवाडा	यथा	1	रिक्त	1
12. प्रा.स्वा.के., पिण्डवाडा	यथा	1	रिक्त	1
13. जनरल अस्पताल, सिरोही	यथा	1	डा. (श्रीमती) सुशीला राठी रिक्त	1

माण्डल क्षेत्र के अग्नि पीड़ितों की सहायता

878. **श्री कालूलाल गुजर** (माण्डल) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले के माण्डल विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से कितनी अग्निकाण्ड की घटनायें घटी ? सूची तारीख स्थान व नाम सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) माण्डल विधान सभा क्षेत्र के जिन-जिन गांवों में लोग आग से प्रभावित हुए क्या उन सभी को सरकार की ओर से सहायता दी गयी ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) माण्डल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगजनी के कितने मामले ऐसे पेंडिग हैं जिनमें प्रार्थीगणों ने सहायता का प्रार्थना पत्र दे रखा है परन्तु अभी तक सहायता नहीं दी गयी है ? ऐसे लोगों को कब तक सहायता दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के माण्डल विधान सभा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में 41 अग्निकाण्ड हुये हैं जिनमें 67 परिवार प्रभावित हुये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट–'अ'

(2) अग्निकाण्ड से प्रभावित 25 व्यक्तियों को 14507 /– रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट–'ब'

(3) अग्निकाण्ड के 30 प्रकरण उपयुक्त न पाये जाने के कारण खारिज किये गये। अग्निकाण्ड के 12 प्रकरण अग्निकाण्ड की पुलिस जांच के कारण लम्बित है। खारिज किए गए व लम्बित प्रकरणों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट–'स' व 'द' में दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम चंदलाई की आबादी भूमि पर अतिक्रमण

879. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सुल्तान मीणा (विकलांग) ने ग्राम चन्दलाई के बाजार में स्थित प्याऊ के पास आबादी भूमि में पिछले 35 वर्षों से रखी लकड़ी की टाल का पट्टा देने हेतु दिनांक 5-2-94 को प्रार्थना पत्र दिया था?

(2) क्या विकास अधिकारी, चाकसू द्वारा दिनांक 17-1-76 को उक्त प्रकरण की जांच रिपोर्ट कलक्टर, जयपुर को भेजी गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया? लिए गये निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्राम चन्दलाई के बाजार (आबादी भूमि) में प्याऊ के पास की जमीन पर उक्त व्यक्ति की थड़ी के अलावा अन्य व्यक्तियों ने भी अभी हाल ही में पट्टियां आदि डलवा कर अतिक्रमण किया है? यदि हां, तो सरकार उक्त अतिक्रमण कब तक हटवाने का विचार रखती है?

(4) सरकार उक्त व्यक्ति को थड़ी का पट्टा देकर कब तक राहत प्रदान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई पत्रावली पंचायत समिति एवं जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में दि. 7.2.94 को एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर को प्राप्त हुआ है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही हेतु तहसीलदार, चाकसू को निर्देश दिये गये हैं।

(3) ग्राम चन्दलाई के बाजार में स्थित प्याऊ के पास पत्थर व पट्टियां डालकर श्री सुल्तान मीणा ने एवं उसके परिवार ने अतिक्रमण कर रखा है, जब श्री सुल्तान मीणा के परिवार ने उक्त स्थान पर निर्माण का प्रयास किया तो ग्रामवासियों ने सार्वजनिक स्थान होने के कारण पुलिस थाना

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

शिवदासपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई अब यह प्रकरण ए.सी.एम. कोर्ट चाकसू में विचाराधीन है। यह व्यक्ति जब समय-समय पर कब्जा करता रहा है उसे हटाया जाता रहता है।

(4) श्री सुल्तान मीणा द्वारा प्रस्तुत दिनांक 5.2.94 का प्राप्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार, चाकसू को जांच हेतु भेजा गया है। पट्टा संबंधी प्रकरण तहसीलदार, चाकसू को जांच हेतु भेजा गया है। पट्टा सम्बन्धी प्रकरण तहसीलदार, चाकसू की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार निपटाया जायेगा।

श्रम निरीक्षकों के लिए निरीक्षण के मानदण्ड

880. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रम निरीक्षकों के निरीक्षण के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) जिन निरीक्षकों ने निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं किए हैं, क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रम निरीक्षकों के निरीक्षक का मानदंड प्रति निरीक्षक 100 निरीक्षण प्रतिमाह अथवा 1200 निरीक्षक वित्तीय वर्ष में किया जाना निर्धारित है।

(2) यदि किसी श्रम निरीक्षक द्वारा किसी माह में निर्धारित लक्ष्य से कम निरीक्षण किए जाते हैं तो उसकी पूर्ति आगामी माहों में अधिक निरीक्षण कराकर कराई जाती है तथा इस प्रकार वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित निरीक्षणों के लक्ष्य की प्राप्ति कराने की कार्यवाही की जाती है।

निर्धारित मानदण्डों को पूरे नहीं करने का सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है तथा उनके गोपनीय प्रतिवेदन में भी प्रविष्टि की जा सकती है।

राज्य खनिज विभाग निगम की गोदान परियोजना में खनन कार्य

881. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की गोदान परियोजना में आर. एम. आई. एल. नामक कम्पनी खनन कार्य में कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से ? क्या उक्त कम्पनी को निगम ने कोई ऋण के रूप में अग्रिम भुगतान किया है ? यदि हां, तो कितना ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कम्पनी के अध्यक्ष कौन है व संचालक मण्डल सलाहकार कौन हैं ? क्या ये दोनों राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम में कार्यरत हैं ?

(3) क्या उपरोक्त अग्रिम/ज्यादा भुगतान की गई राशि सरकार द्वारा वसूल करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो

(श्री जीतराम)

कब तक ? नहीं, तो क्यों ? इस राशि की सुरक्षा की गारन्टी क्या निगम द्वारा ली गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उपरोक्त धनराशि के ऊपर निगम द्वारा ब्याज वसूला जायेगा ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत के हिसाब से व कब तक ?

(5) क्या उपरोक्त कम्पनी जैसलमेर में भी कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से यदि नहीं तो क्या जैसलमेर में कार्यरत आर. एम. आई. एल. कोई दूसरी कम्पनी है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी मैसर्स आर. एम. आई. एल. दिनांक 9 सितम्बर, 1984 से चूना पत्थर परियोजना गोटन में खनन कार्य में बतौर आर. एस. एम. डी. सी. के ठेकेदार के रूप में कार्यरत है । उक्त कम्पनी को जैसलमेर के कार्य के लिए करार की शर्तों के अनुरूप दिनांक 17.2.89 को 3.00 लाख रुपये, दिनांक 13.3.89 को 1.50 लाख रुपये एवं दिनांक 20.3.89 को 2.50 लाख रुपये. कुल 7.00 लाख रुपये की राशि मोबलाइजेशन एडवांस को बैंक दर के बराबर ब्याज पर दिया गया था जिसकी पूर्ण वसूली मय ब्याज के हो चुकी है । पुनः 12.75 लाख रुपये का मोबलाइजेशन एडवांस जैसलमेर परियोजना के लिये अभी हाल ही में दि. 22.10.93 को बैंक गारन्टी पर नया क्रेशर लगाने के लिये दिया गया है ।

(2) श्री के. पी. गर्ग, आर. एस. एम. डी. सी. के वित्तीय सलाहकार को इस कम्पनी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संचालक मण्डल सलाहकार कोई नहीं है ।

(3) जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में कहा जा चुका है, 7.00 लाख रुपये का मोबलाइजेशन एडवांस मय ब्याज के वसूल किया जा चुका है । दिनांक 21.10.93 को दिया गया 12.50 लाख रुपये का मोबलाइजेशन एडवांस की रिकवरी पार्टी द्वारा किये गये कार्य के बिलों से एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार की जावेगी । पार्टी को 12.75 लाख रुपये का भुगतान बैंक गारन्टी देने पर किया गया है। अतः यह राशि सुरक्षित है।

(4) मोबलाइजेशन एडवांस के बतौर दिये गये 12.75 लाख रुपये पर निगम द्वारा देय बैंक दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज कॉन्ट्रेक्ट के अनुसार देय है जो कॉन्ट्रेक्ट की शर्त के अनुसार रुपये 50.000 की माहवारी किश्तों में देय बिलों से काटा जावेगा।

(5) जी हां, आर. एम. आई. एल. दि. 9.2.89 से जैसलमेर में भी बतौर ठेकेदार कार्यरत है ।

नैनवा उपखण्ड में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत श्रमिक

882. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या नैनवां उपखण्ड में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत रहे श्रमिकों द्वारा कार्य पर रखे जाने बाबत श्रम निरीक्षक, श्रम न्यायालय या अन्य न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने श्रमिकों द्वारा किस अधिकारी के यहां ? श्रमिकवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त दैनिक वेतन भोगी मजदूरों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने श्रमिक है ? इस वर्ग के कार्यरत रहे मजदूरों का मजदूरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इस वर्ग के श्रमिकों को आरक्षण कोटे के मुताबिक अवशेष रह रहे स्थानों पर प्राथमिकता से पुनः नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग के नैनवां उपखण्ड में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत रहे 36 श्रमिकों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रस्तुत कर रखे हैं। जो निम्न प्रकार है।

1.	श्रम निरीक्षक, बून्दी	4
2.	श्रम न्यायालय, कोटा	20
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा	1
4.	उच्च न्यायालय, जयपुर	6
5.	विशिष्ट शासन सचिव श्रम नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।	5
		36

विवरण परिशिष्ट 'क' में सलग्न है।

(2) उपरोक्त दैनिक वेतन भोगी मजदूरों में अनुसूचित जाति के 5 श्रमिक व अनुसूचित जनजाति के 7 श्रमिक है। कार्यरत रहे मजदूरवार विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट 'ख')

(3) दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को नियुक्ति देने के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है तथा उसमें आरक्षण कोटे का कोई प्रावधान नहीं है।

श्रम निरीक्षक बून्दी में श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण परिशिष्ट "क"

क्रम संख्या	श्रमिक का नाम पिता का नाम	वद. वाद संख्या शिकायत
1.	श्री तेजमल आ. जगन्नाथ झपायता	150/94
2.	श्रीमती गोवरी बाई पत्नी नैनकी लाल	149/94
3.	श्रीमती केदारी बाई पत्नी तेजमल झपायता	148/94
4.	श्री नैनकी लाल आ. मथुरा लाल झपायता	147/94

श्रम न्यायालय, कोटा में श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण

क्रम संख्या	श्रमिक का नाम एवं पिता का नाम	वाद संख्या
1.	श्री अब्दुल रहमान पुत्र श्री ख्वाज मोहम्मद	26/87
2.	श्री गोविन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	134/87
3.	श्री राधेश्याम ग्रा. पुत्र श्री छोटूलाल गेण्डोली	18/88
4.	श्री ग्यारसीलाल ग्रा. पुत्र श्री छीतरलाल लामाखरडा	111/87
5.	श्री कल्याण आ. पुत्र श्री भूरा	140/87
6.	श्री धनराज ग्रा. पुत्र श्री रामकल्याण	112/87
7.	श्री रामविलास ग्रा. पुत्र श्री देवीलाल	93/87
8.	श्री रामनाथ ग्रा. पुत्र श्री कल्याण	79/87
9	श्री प्रभूलाल ग्रा. पुत्र श्री भंवरलाल	14/90
10.	श्री महाराज सिंह आ. पुत्र श्री पातीराम	55/90
11.	श्री भीमराज ग्रा. पुत्र श्री जगन्नाथ सैनी	233/89
12.	श्री मगना ग्रा. पुत्र श्री रामनारायण	221/69
13.	श्री मिश्रीलाल ग्रा. पुत्र श्री छीतर	221/90
14.	श्री रमेश चन्द पासवान ग्रा. पुत्र श्री रामबक्स	219/90
15.	श्रीमती रामप्यारी बाई पत्नी श्री रामरखा	2/90
16.	श्री श्योजी ग्रा. पुत्र श्री ग्यारसीलाल	212/90
17.	श्रीमती बिरधीबाई पत्नी श्री कल्याण	313/90
18.	श्री रामनिवास ग्रा. पुत्र श्री हरदेव	234/91
19.	श्री जगदीश प्रसाद ग्रा. पुत्र श्री दुर्गालाल	246/91
20.	श्री गणेशलाल आ. पुत्र श्री गोपाल लाल	96/92

संयुक्त श्रम आयुक्त कोटा के न्यायालय में श्रमिक द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण

क्रम संख्या	श्रमिक का नाम एवं पिता का नाम	वाद संख्या
1.	श्री हीरालाल ग्रा. जगन्नाथ	87/89

विशिष्ठ शासन सचिव श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर में
प्रस्तुत वाद का विवरण

क्रम संख्या	श्रमिक का नाम/पिता का नाम	निर्णय
1.	श्री बाबूलाल आ. पुत्र श्री सुन्दर लाल	असफल वार्ता
2.	श्री छीतरलाल आ. पुत्र श्री भैरूलाल	असफल वार्ता
3.	श्रीमती धापू पत्नी श्री जमनालाल	असफल वार्ता
4.	श्री चन्द्रा मुंशी पुत्र श्री तुलेराम	असफल वार्ता
5	श्री कजोडी लाल आ. पुत्र श्री मांगी लाल	असफल वार्ता

परिशिष्ट "ख"

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का मजदूरवार विवरण

1. अनुसूचित जाति

क्रम संख्या	नाम श्रमिक/पिता का नाम
1.	श्री तेजमल आ. जगन्नाथ बेलदार नि. झपायता
2.	श्रीमती गोवरी बाई पत्नी श्री नैनकी लाल कुली नि. झपायता
3.	श्रीमती केदारी बाई पत्नी श्री तेजमल निवासी झपायता
4.	श्री नैनकी लाल आ. श्री मथुरालाल बेलदार नि. झपायता
5.	श्री छोटा आ. लक्ष्मण बेलदार निवासी भोगतपुरा

2. अनुसूचित जनजाति

1.	श्री रामविलास आ. देवीलाल बेलदार
2.	श्री मगना आ. रामनारायण बेलदार
3.	श्री मिश्रीलाल आ. छीतरलाल बेलदार जीवनपुरा
4.	श्री श्योजी लाल आ. ग्यारसी लाल बेलदार पान्डूला
5.	श्री रामनिवास आ. हरदेव बेलदार
6.	श्री बाबू लाल आ. सुन्दर लाल बेलदार मानपुरा
7.	श्री कजोडी लाल आ. मांगी लाल बेलदार गणपतपुरा

बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में चल रही अवैध खानें

883. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में बरड़ क्षेत्र में (डाबी रेंज) वन विभाग की लगभग 60,000 हैक्टेयर वन भूमि है ? वर्तमान में इस भूमि पर कितने-कितने हैक्टेयर में कौन-कौन से व कितनी भूमि पर पेड़ हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बरड़ क्षेत्र में अवैध खानें चल रही है और इसका मलबा (टूटा हुआ पत्थर एवं मिट्टी) जवाहर सागर बांध में गिराया जाता है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि वन विभाग ने अवैध खानों को रोकने हेतु कई बार प्रयास किये ? यदि हां, तो क्या-क्या और उसका परिणाम क्या हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि वन विभाग में कर्मचारियों की संख्या जंगलात के अनुपात में कम है एवं क्षेत्रफल अधिक होने से वनों की रक्षा नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

(5 क्या यह सही है कि वन विभाग के रेंजर एवं उसके ऊपर के अधिकारियों की जिम्मेदारी मानकर (यदि जंगल से पेड़ काटे गये या खानें चालू पायी गयी) कार्यवाही की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले के बरड़ क्षेत्र (डाबी रेंज) में वन विभाग की 51411.5 हैक्टेयर भूमि है। वर्ष 1981-91 की कार्य आयोजना के अनुसार इस क्षेत्र में से 1692.25 हैक्टेयर क्षेत्र में धोक 5389.25 हैक्टेयर क्षेत्र में खैर, 435 हैक्टर क्षेत्र में मिश्रित प्रजातियों के वन है।

(2) बरड़ क्षेत्र में नियमित रूप से अवैध खाने नहीं चल रही हैं और ना ही खानों का मलबा जवाहर सागर बांध में गिराया जाता है। क्षेत्र में यदा कदा यदि कोई अनाधिकृत खनन कार्य शुरू किया जाता है तो विभाग के अधिकारी/कर्मचारी समय पर चैक कर अवैध खनन को बन्द करने की कार्यवाही करते हैं।

(3) जी हां। जहां कहीं वन क्षेत्र में अवैध खनन होना पाया जाता है तो उसे रोकने की कार्यवाही की जाती है। अवैध खनन के अपराधों को रोकने हेतु गश्तीदल कायम है। अवैध खनन की रोकथाम हेतु वर्ष 1992 में विशेष अभियान चलाकर अवैध खानों को बन्द किया गया। गश्तीदल द्वारा लगातार चौकसी बरतने से अवैध खनन को रोकने में प्रभावी सफलता मिली है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। वनों में अवैध कटान/खनन पाये जाने पर जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

कामां क्षेत्र में तिलकपुरी से पथराली गोपालगढ़ मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण

884. **श्री तय्यब हुसैन** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र में तिलकपुरी से पथराली-गोपालगढ़ मार्ग राजस्व रिकार्ड में पिछले 50 साल से गैर-मुमकिन सड़क दर्ज है ? यदि हां, तो क्या इस पर 40-45 साल पहले भी बसें चलती थी ?

(2) क्या सरकार तिलकपुरी से पथराली गोपालगढ़ मार्ग को पक्का करने का विचार रखती थी ? यदि हां तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र तिलकपुरी से पथराली गोपालगढ़ मार्ग कच्चा रास्ता है। जानकारी के अनुसार इस मार्ग पर 40-50 वर्ष पहले बसें चलती थी।

(2) जी नहीं। प्राथमिक के मापदण्ड में नहीं आने के कारण उक्त सड़क का निर्माण विचाराधीन नहीं है।

ग्राम बसावा (नवलगढ़) में लाइम स्टोन की लीज

885. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री राधाकिशन गुर्जर के नाम से काली डूंगरी व धोली डूंगरी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ़ में लाइम स्टोन की लीज है ? यदि हां, तो अब उसकी मृत्यु के बाद इनकी लीज किन-किन व्यक्तियों के नाम किस नियम के तहत किस अधिकारी के आदेश से की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन लीजधारियों की जांच कराये जाने पर लाखों रुपयों की चोरी पकड़ी गई थी ? यदि हां, तो किस-किस से कितनी चोरी पकड़ी गयी ?

(3) क्या अधीक्षण अभियन्ता, विजीलेन्स की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों और किस अधिकारी ने किसके आदेश से लाखों रुपये की चोरी माफ कर दी ?

(4) क्या यह सही है कि दोनों खनन पट्टों का अधिशुल्क निर्धारण किया तब 5-5 लाख रुपये की धनराशि एक्सेस निकाली गई थी ? यदि हां, तो क्या खनिज अभियन्ता नीम का थाना ने पार्टी से मिलकर 10 लाख रुपये माफ कर दिये थे ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, श्री राधाकिशन गुर्जर के नाम काली डूंगरी व धोली डूंगरी ग्राम बसावा, तह, नवलगढ़ में लाइम स्टोन की लीज थी। पट्टाधारी श्री राधा किशन गुर्जर के देहान्त के बाद इन लीजों को उसके दो

(खनिज मन्त्री)

पुत्र श्री अशोक कुमार गूर्जर तथा श्री राम गोपाल गूर्जर के पक्ष में खनन पट्टे की संविदा की शर्तों के अनुसरण में अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर के आदेश से नामांकन किया गया ।

(2) यह सही है कि खनिज विभाग के अधिकारियों ने वक्त चैकिंग कुछ ट्रकें बिना रवन्ना पड़की । सहायक खनि. अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार बिना रवन्ना पकड़ी गई वाहनों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है । इसके अलावा रिकार्ड मी में अनियमितता पाई गई ।

(3) जी हां, अधीक्षण खनि. अभियंता, जयपुर (सतर्कता) की चैकिग रिपोर्ट के आधार पर खनि. अभियंता, नीम-का थाना ने सम्बन्धित खनन पट्टे का रायल्टी असेसमेंट कर मांग कायमकी, जिसके विरूद्ध पट्टाधारी ने नियमानुसार न्यायालय अतिरिक्त निदेशक, खान-द्वितीय, उदयपुर के यहां अपील दायर की । अपील के निर्णय दिनांक 4-1-93 से खनि. अभियंता. नीमकाथाना द्वारा पारित रायल्टी असेसमेंट आदेश निरस्त करते हुये पुनः आदेश जारी करने के निर्देश दिये, जिसकी पालना में खनि. अभियन्ता, नीमकाथाना ने रायल्टी असेसमेंट हेतु पुनः आदेश जारी किये हैं ।

(4) जी नहीं । अधीक्षण खनि. अभियंता (सतर्कता), जयपुर की चैकिग-रिपोर्ट के आधार पर पार्टी के विरुद्ध घोली डूंगरी खान के खनन पट्टे में वर्ष 1987–88, 88–89 व 89–90 तीन वर्षों में 2,78, 468/–रु. व काली डूंगरी में वर्ष 1987 से 1991 चार वर्षों में 4,89, 775/–रुपये की अधिक अधिशुल्क की मांग कायम की, जिसको न्यायालय अति. निदेशक (खान-II) उदयपुर ने निर्णय दिनांक 4–1–93 से निरस्त कर दिया । निर्णय की पालना में खनि. अभियन्ता ने पुनः रायल्टी असेसमेंट कर पूर्व मांग के स्थान पर उक्त अवधि के लिये क्रमशः 39, 984/–रुपये व 66, 706/–रुपये अधिक अधिशुल्क की मांग कायम की ।

परिशिष्ट "अ"

बिना रवन्ना खनिज निर्गमन बाबत पकड़े गये वाहनों का विवरण

धौली–डूंगरी

क्र. सं.	नाम कार्यालय/अधिकारी	दिनांक	वाहन का विवरण
1	2		3
1.	सहायक खनि. अभियन्ता	18-1-1988	तीन ट्रक
2.	सहायक खनि. अभियन्ता	21-11-1988	दो वाहन
3.	सहायक खनि. अभियन्ता	20-10-1989	एक ट्रक
4.	खनि. रक्षक	19-6-1991	चार ट्रक
5.	सहायक खनि. अभियन्ता	11-6-1991	एक ट्रक
6.	खनि. रक्षक	10-5-1991	तीन ट्रक
7.	खनि. रक्षक	9-5-1991	चार ट्रक

काली डूंगरी

1	2	3
1. अधी. खनि अभियन्ता (सतर्कता)	11-9-1900	एक रवन्ना से आठ ट्रक निर्गमन की रिपोर्ट ।
2. ख. अ. (सतर्कता)	23-8-1990	एक ट्रक बिना रवन्ना 1800/-- रु. वसूल किये गये ।
3. ख. अ. (सतर्कता)	27-9-1990	एक ट्रक बिना रवन्ना 2025/-- रु. वसूल किये ।
4. अ. ख. अ. (सतर्कता)	13-6-1991	एक ट्रक बिना रवन्ना 1000/-- रु. वसूली किये ।
5. स. ख. अ.	30-10-1991	एक ट्रक बिना रवन्ना ।

वास्ते निदेशक

राजस्थान टैक्सटाइल मिल, भवानी मंडी में अनियमितताएं

886. **श्री जगन्नाथ** (मनोहर थाना) एवं **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या श्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान टैक्सटाइल मिल, भवानी मण्डी (झालावाड़) की श्रम निरीक्षक द्वारा पिछले 5 वर्ष में कितनी बार जांच की गयी ?

(2) जांच के दौरान मिल में क्या-क्या अनियमितताएं पायी पायी एवं अनियमिताताओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) पिछले पांच वर्षों में उपमुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 14 बार निरीक्षण किया गया । श्रम निरीक्षक द्वारा अन्य श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 15 बार निरीक्षण किया गया ।

(2) जांच के दौरान पायी गई अनियमितताएं तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है ।

(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

मंडावा (जिला झुन्झुनू) शहर की क्षतिग्रस्त सड़कें

887. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मण्डावा, जिला झुन्झुनू के शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं ? यदि

(श्री रामनारायण चौधरी)

हां, तो इनको कब-तक दुरुस्त करा दी जायेंगी ?

(2) क्या यह सही है कि मण्डावा कस्बा राजस्थान का पर्यटन केन्द्र है जहां पर हजारों पर्यटक विदेशी तथा देशी आते हैं ?

(3) क्या इन सड़कों के निर्माण के बारे में नगरपालिका तथा अधिशाषी अभियन्ता झुंझुनूं ने स्वीकृति हेतु मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । इन क्षतिग्रस्त सड़कों पर समय-समय पर संधारण का कार्य कराया जाता है । पानी के निकास हेतु नालियों के निर्माण की आवश्यकता जिसके अभाव में सड़कें क्षतिग्रस्त होती रहती है । नालियों के निर्माण हेतु नगर पालिका के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिसके उपरान्त ही हल सम्भव हो सकेगा ।

(2) जी हां ।

(3) जैसा बिन्दू एक में उल्लेख किया गया है वांछित वित्तीय स्वीकृति नगर पालिका के माध्यम से आपेक्षित है ।

ग्राम कूणी (नागौर) में उप-स्वास्थ्य केन्द्र

888. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ग्राम कूणी, तहसील नावां जिला नागौर में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार द्वारा समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध करवाने पर खोले जाते हैं । भारत सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं करवाने के कारण राज्य में वर्ष 1989--90 के पश्चात् उप-स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किए जा सके हैं ।

भारत सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने पर उपादेयता के आधार पर अन्य स्थानों के साथ-साथ ग्राम कूणी में भी उपकेन्द्र खोले जाने हेतु विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

तहसील नोखा (बीकानेर) में स्थापित किए गए ट्रांसफार्मर्स

889. **श्री रेवतराम पंवार** (नोखा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993--94 में कितने-कितने हार्स पावर के कुल कितने ट्रांसफार्मर्स राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने क्रय किये ? इनमें से कितने ट्रांसफार्मर्स तहसील नोखा, जिला बीकानेर में स्थापित किये गये ? कृषि के कुओं एवं अन्य प्रयोजनों के लिए स्थापित किये गए ट्रांसफार्मर्स की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री रेवतराम पंवार)

(2) तहसील नोखा के ग्रामों में कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन कितने दिये गये हैं एवं वर्तमान में कितने कनेक्शन और दिये जाने हेतु आवेदन पत्र बकाया हैं ?

(3) बकाया आवेदन पत्रों का निपटारा कब तक किया जाना है ? यदि वर्ष 1094--95 में विद्युत कनेक्शन कृषि कुओं पर दिया जाना तय नहीं किया गया है, तो क्यों ?

उत्तर

1. वर्ष 1993--94 में क्रय किये गये विभिन्न क्षमता के ट्रांसफार्मर्स का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1.	250 के. वी. ए.	— 11 /.4	केवी	नग	178	(फरवर माह तक)
2.	160 के. वी. ए.	— ,,	,,	,,	60	उपरोक्त
3.	100 के. वी. ए.	— ,,	,,	,,	1987	,,
4.	63 के. वी. ए.	— ,,	,,	,,	3823	,,
5.	40 के. वी. ए	— ,,	,,	,,	2484	,,
6.	25 के. वी. ए.	— ,,	,,	,,	2111	,,
7.	5 एमवीए.	33/11	के. वी. ,,	,,	19	,,
8.	3.15 एम. वी. ए.	33 "	,,	,,	101	

तहसील नोखा में कृषि एवं अन्य प्रयोजनार्थ किये गये स्थापित ट्रांसफार्मरों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	मद	क्षमतावार ट्रांसफार्मरों की सख्या (क्षमता के. वी. ए. में)				कुल
		25	40	63	100	
1.	कुओं के ऊर्जीकरण में	63	3	5	—	71
2.	अन्य प्रयोजनार्थ	6	—	2	1	9

(2) नोखा तहसील के विभिन्न ग्रामों में वर्ष 1993--94 के दौरान 76 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। वर्तमान में उक्त तहसील में 551 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(ऊर्जा मन्त्री)

(3) बकाया कृषि आवेदन पत्रों का निपटारा घोषित नीति एवं लक्ष्यों के अनुरूप आगामी वर्षों में किया जाना सम्भव हो सकेगा। वर्ष 1994-95 में कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु लक्ष्यों का आवंटन विचाराधीन हैं। राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार इनका आवंटन किया जा सकेगा।

बागीडोरा क्षेत्र के मंजरे को राजस्व गांव घोषित करने के प्रस्ताव

890 **श्री पूंजालाल** (बागीडोरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जिला बांसवाड़ा के विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में जिन गांवों में पृथक से मंजरे हैं उन्हें राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो किन-किन मंजरों के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं ? और उन पर क्या प्रगति/कार्यवाही चल रही है ?

(2) विधान सभा बागीडोरा में कितने ग्रामदान गांव हैं ? क्या किसी ग्रामदान के निवासियों ने ग्रामदान गांव निरस्त कराने की कार्यवाही की हैं ? विवरण सदन की पर मेज रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामदान में प्रशासन वहां के अध्यक्ष के हाथ में होने से वहां अधिकांश जनता अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण एवं तानाशाही रवैये से असन्तुष्ट है ? यदि हां, तो क्या सरकार जो लोग ग्रामदान में नहीं रहना चाहते उन्हें मुक्त कराने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, नियमों के अन्तर्गत जिन ग्रामों के पृथक से मंजरे हैं, उन्हें राजस्व ग्राम घोषित करने की कार्यवाही चल रही है। विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा के गांव बागीडोरा का मजरा वडलीपाड़ा का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा में कुल 31 ग्रामदान गांव हैं जिनमें से 21 ग्रामदानी ग्राम के निवासियों ने ग्रामदान ग्राम निरस्त करने का निवेदन किया है। सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। ग्रामदानी ग्राम के अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण एवं तानाशाही रवैये से जनता के असन्तुष्ट होने का कोई मामला नहीं है।

सूची

ग्रामदानी गांव जिन्हें ग्रामदान से अलग किये जाने की कार्यवाही की जा रही है :—

1. काजलिया
2. बोरवानिया
3. परवाली
4. पिछावाड़ा
5. पाडोला
6. पातीया
7. नानीपादर
8. गमाना

(राजस्व मन्त्री)

9. उम्मेदपुरा
10. बावडी
11. घाटे बाछोटा
12. पोठीवाड़ा
13. करदा
14. हेमरन
15. पाट उर्फ नवाधारा
16. दादू
17. हालेडा
18. पार्षवाडा ग्रामलिया
19. सरवई
20. खातयों
21. छापरा

करौली क्षेत्र के ग्राम मुख्यालयों को सम्पर्क सड़क से जोड़ना

891. **श्री हंसराम** (करौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली जिला सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जो कि सम्पर्क सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों को इसी वर्ष सम्पर्क सड़क से जोड़ दिया जावेगा ? यदि हां, तो क्या इसी वर्ष निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर के करौली विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 17 पंचायत मुख्यालय है जो सम्पर्क सड़क से जुड़े हुए नहीं है। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। एक पंचायत मुख्यालय रघुवंशी को कृषि विकास योजना के अन्तर्गत डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है एवं 7 पंचायत मुख्यालयों को जवाहर रोजगार योजना में सड़क से जोड़ने के कार्य 93–94 में स्वीकृत किये गये हैं जिनके नाम निम्न है :—

1. जहांगीरपुरा
2. तुलसीपुरा
3. काशीपुरा
4. ससेरी
5. नारायणा
6. रूघ का पुरा
7. गुबरेन्दा व जमूरा

इसके अलावा ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय जिनकी आबादी वर्ष 1971 के आधार पर 1000 से अधिक है उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है।

सूची

विधान सभा क्षेत्र करौली में निम्न 17 ग्राम पंचायत मुख्यालय किसी भी प्रकार की सड़क से जुडे हुए नहीं है।

क्र. स.	नाम ग्राम	जनसंख्या 1971	जनसंख्या 1981
1.	जहांगीरपुर	1423	1806
2.	तुलसीपुरा	294	352
3.	रोडकलां	991	1305
4.	काशीपुरा	374	448
5.	ससेरी	1080	1404
6.	खूबनगर	855	1679
7.	कांटा छावर	532	656
8.	नारायना	826	986
9.	डुकावली	864	1002
10.	डोंडो	1621	2112
11.	रूध का पुरा	403	1108
12.	गुबरेंडा	694	953
13.	जमूरा	826	1101
14.	खुंडा	387	529
15.	रघुवंशी	1202	1532
16.	हरनगर	711	478
17.	पिपरानी	575	630

जयपुर पोलिथीन रींगस में पर्यावरण नियन्त्रण के उपाय

892. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्री माधोपुर) : क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर पोलिथीन लिमिटेड, रींगस में पर्यावरण नियन्त्रण हेतु क्या-क्या उपाय किये जाने आवश्यक है ? क्या उन सभी आवश्यक उपायों पर नियमानुसार व्यवस्था की हुई है ?

(2) उक्त उद्योग में वायु प्रदूषण रोकने हेतु क्या-क्या उपाय किये गये हैं ? क्या वे उपाय पर्याप्त हैं ?

(3) गन्दे पानी की निकासी के क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या ये पर्याप्त है ? सरकार उक्त उद्योग समूह में पर्यावरण नियन्त्रण के संदर्भ में क्या प्रभावी व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर पोलीस्पिन लिमिटेड, रींगस को प्रदूषित जल उपचार हेतु राज्य राज. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनुमोदित "फिजिबिलिटी रिपोर्ट" के अनुसार उपचार व्यवस्था एवं वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु "एमीशन रेगूलेशन पार्ट–IV" के अनुसार उपाय किये जाने आवश्यक है। वर्तमान में औद्योगिक जल उच्छिष्ठ के उपचार की व्यवस्था की गई है, बायलर की चिमनी की ऊंचाई नियमानुसार बढ़ाई जाना अभी भी शेष है।

(2) उद्योग ने वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु बायलर पर पर्याप्त ऊंचाई की चिमनी लगा रखी है। बायलर से निकलने वाले वायु प्रदूषण तत्व मण्डल मानकों के अनुरूप हैं, किन्तु डी. जी. सेटस् पर चिमनी की ऊंचाई पर्याप्त नहीं है।

(3) गन्दे पानी की निकासी के लिये उद्योग ने जल उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र की व्यवस्था कर रखी है। उपचारित उच्छिष्ठ उद्योग परिसर में सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जा रहा है, जो कि जल संरक्षण हेतु तकनीकी दृष्टि से एकसर्वमान्य एवं सुरक्षित तरीका है। उद्योग द्वारा प्रस्तुत नवीनतम जांच रिपोर्ट के अनुसार यह पर्याप्त है। उद्योग से मण्डल द्वारा वायु प्रदूषण की पूर्ण व्यवस्था करने के लिये एक स्पष्टीकरण मांगा गया है, इसके बाद नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदिवासी क्षेत्रों के वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन

893. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार आदिवासी व वनवासियों के विकास की दृष्टि में आदिवासी क्षेत्रों के सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किये जाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति का कार्यक्रम कब से शुरू कर दिया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। जिन मजरे/ढ़ाणियों को 250 या इससे अधिक की आबादी है और

(राजस्व मंत्री)

मूल ग्राम से दूर बसे हुए हैं, उन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है।

फलौदी तहसील में स्टील ग्रेड डोलोमाइट खनिज के भण्डार

894. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के फलौदी तहसील में गांव इण्डो की ढाणी के आस-पास स्टील ग्रेड डोलोमाइट खनिज के भण्डार हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा इस क्षेत्र को खनन हेतु राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों से आवेदन कर रखा है ?

(3) क्या यह सही है कि निगम को स्टील प्लांट से उक्त क्षेत्र से स्टील ग्रेड डोलोमाइट खरीदने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, परन्तु राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र आबंटित नहीं किये जाने से निगम अभी तक स्टील प्लान्ट को खनिज का निर्गम नहीं कर सका है ?

(4) क्या सरकार को यह क्षेत्र इस सरकारी उपक्रम को देने में कोई अड़चन आ रही है ? यदि हां, तो क्या ?

(5) सरकार उक्त निगम को यह क्षेत्र कब तक आवंटित कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त क्षेत्र में खनिज डोलोमाइट उपलब्ध है लेकिन क्षेत्र में उपलब्ध डोलोमाइट कतिपय हिस्सों में ब्लोक्स के रूप में खनन योग्य है जो मार्बल के रूप में उपयोगी है।

(2) यह सही नहीं है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ने इस क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों से खनन हेतु राज्य सर-सरकार को आवेदन कर रखा है। निगम ने हाल ही में दिनांक 28-3-94 को खनन पट्टे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

(3) निगम द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उन्हें बोकारो इस्पात संयत्र से 1000 टन डोलोमाइट ट्रायल के बतौर उपयोग में लेने के क्रय आदेश प्राप्त हुए है किन्तु जब निगम ने खननपट्टे के लिये आवेदन ही नहीं किया तो स्वीकृत करना सम्भव ही नहीं था।

(4) निगम ने खनन पट्टे हेतु दिनाक 28-3-94 को ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसका नियमों के अन्तर्गत जांच कर शासन द्वारा निस्तारण किया जायेगा।

(5) चूंकि खननपट्टे हेतु आवेदन केवल 10 दिवस पूर्व ही प्राप्त हुआ है। अतः आवेदन पत्र की जांच बालेसर, सहायक खनिज अभियन्ता एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद ही निर्णय लेना सम्भव होगा।

अनुसूचित जाति/अ. जनजाति के लोगों को कृषि भूमि के अवैध हस्तान्तरण पर रोक

895. **श्री पूराराम चौधरी** (भीनमाल) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.290

(श्री पूराराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की कृषि भूमि को सुरक्षित रखने एवं उसके अवैध हस्तान्तरण को रोकने के लिये सरकार ने विशेष कानून एवं नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो वे कानून एवं नियम कौन-कौन से हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने निर्देश जारी कर रखे हैं कि यदि अनु. जाति/जनजाति की जमीन अवैध रूप से हस्तान्तरित हो भी जाये तो भू-प्रबन्ध के दौरान उसका म्यूटेशन भू-प्रबन्ध अभिलेख में अमल दरामद नहीं किया जाये ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या उपरोक्त निर्देश जारी होने के बाद भी जालौर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की खातेदारी भूमि सवर्णों के नाम हस्तान्तरित हुई है ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों में भू-प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर द्वारा जिला कलक्टर जालौर को रेफरेन्स तैयार कर भेजे गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ऐसे सभी अवैध हस्तान्तरणों को निरस्त करने का विचार रखती हैं एवं क्या ऐसी गैर कानूनी कार्यवाही करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा, 42 (बी) के प्रावधान इस सम्बन्ध में स्पष्ट हैं ।

(2) राजस्व रेकार्ड के आधार पर भू-प्रबन्ध के दौरान भू-अभिलेख में अमल दरामद किया जाता है । अवैध हस्तान्तरणों के नामान्तकरण प्रमाणित किया जाना अवैधानिक है ।

(3) जी नहीं । केवल एक मामला सं. 26/92 पूरा राम बनाम् पदमाराम आसाणा, जिला कलक्टर, जालौर के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

(4) यदि ऐसे अन्य मामले सरकार के ध्यान में लाए गए तो ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

परिशिष्ट–4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1313 की सूची)

पंचायत मुख्यालयों की सूची जिनको सड़क से जोड़ा जा चुका है

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	आबादी (1971)	किस प्रकार की सड़क से जुड़ा है।
1.	चिलाचौंद	2205	डामर की सड़क
2.	उमरेह	2142	डामर की सड़क
3.	खानपुरमीना	1548	डामर की सड़क
4.	बसईडांग	1603	डामर की सड़क
5.	घीमरी	1376	डामर की सड़क
6.	कंचनपुर	1477	डामर की सड़क
7.	केसवा नगर	1334	डामर की सड़क
8.	गढी सोखा	1418	डामर की सड़क
9.	सेवर	1013	डामर की सड़क
10.	सोहन	931	डामर की सड़क
11.	घनौरा	805	डामर की सड़क
12.	सरमथुरा	6509	डामर की सड़क
13.	बगोली	2836	डामर की सड़क
14.	आंगई	1009	डामर की सड़क
15.	दीमई	898	डामर की सड़क
16.	नादनपुर	1061	डामर की सड़क
17.	अलीगढ़	824	मैटन सड़क
18.	रूघेरा	2038	मैटल सड़क
19.	मतसूरा	814	मैटल सड़क
20.	सिगोरिया	827	मैटल सड़क
21.	बिजोली	1652	ग्रेवल सड़क

पंचायत मुख्यालयों की सूची जिन्हें सड़क से जोड़ा जाना शेष है।

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	आबादी (1971)	किस प्रकार की सड़क से जुड़ा हुआ है।
	बारी		
1.	झिरी	1864	सड़क से जुड़ा नहीं है।
2.	मदनपुर	1187	—"—
3.	लिलाठी	761	—"—
4.	रेहल	896	—"—
5.	खारोली (खारेली)	793	—"—
6.	चेदावली (चन्द्रावली)	534	—"—
7.	मेदासिल	977	—"—
8.	सहेडी	1551	—"—
9.	पिदावली	1143	—"—
10.	टांटरी	1259	—"—
11.	निधेरा	653	—"—
12.	नेहरा	546	—"—
13.	नगला बिघोरा	810	—"—
14.	नीमखेरा	569	—"—
15.	महरोली	697	—"—
16.	नगला धूलेखां	838	—"—
17.	कुडीना	579	—"—
18.	खोरी इब्राहिमपुर	348	—"—
19.	रूपासपुर	219	—"—
20.	नकसौडा	366	—"—
21.	लेखपुरा	320	—"—
22.	बिजोली	1052	—"—
23.	गोलारी	936	—"—
24.	जापावाली	2481	—"—

परिशिष्ट–5
(अतारांकित प्रश्न संख्या 1318 का विवरण)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा—बांधों/तालाबों में अवाप्त भूमि के बदले भूमि देने बाबत

पंचनामपुरा बांध में अवाप्त भूमि का विवरण — डूब के बदले आवंटित भूमि का विवरण राज्य सरकार द्वारा

क्र सं.	नाम काश्तकार	मयग्राम	ग्रा.न.	रकबा बीघा–बिस्वा	ग्राम का नाम	ग्राराजी नं	रकबा बीघा–बिस्वा	प्रस्ताव भेजने वाले अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5–6	7	8	9–10	11
1.	रूपचन्द पि. दल्ला धाकड़ नि. लक्ष्मी निवास	पंचानपुरा (प. स. चांडजी की खेड़ी	520	4–13	केरखेड़ा (पं.स. तिलाब)	644 मिन	4–13	श्री एस.के. कोठारी, पूर्व उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़
2.	कजोड़ पि. घीसा धाकड़ ,,	,,	382 384	2–13 0–16	केरखेड़ा ,,	644 मिन	3–09	,,
3.	घीसा, दौलतराम पि. कालू धाकड़ नि. लक्ष्मीनिवास	,,	501	10–07	केरखेड़ा	208	10–07	,,
4.	कन्हैयालाल पि. मोडा धाकड़ नि. लक्ष्मीनिवास व देवीलाल पि. दौला नि. कल्याणपुरा	,,	372 373 383	1–01 0–16 4–09	केरखेड़ा	3	6–06	,,

Page No.294

1	2	3	4	5–6	7	8	9–10	11
5.	बरदा पिता मोडूलाल धाकड़ नि. लक्ष्मीनिवास	पंचानपुरा (प. प. चाडजी की खेड़ी	476	2–00	केरखेड़ा	644	2–10	श्री एस.के.कोठारी, पूर्व उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़, (भीलवाड़ा)
			477	0–10				
6.	जीतमल पि. मोडूलाल धाकड़ नि. लक्ष्मीनिवास	निमडीनवा (प.स. चांडजी की खेड़ी)	186	8–09	केरखेड़ा	1	1404	
			187	5–15				”
7.	मोतीलाल पि. बेणीचन्द्र धाकड़ निवासी लक्ष्मीनिवास	”	125	2–01	केरखेड़ा	644	1–17	”
			134	1–08	”	637	22–00	
			189	3–05				
			212	14–08				
			296/124	2–11				
8.	मु. मांगी बेवा घीसा निवासी लक्ष्मीनिवास	पंचानपुरा (पट.म. चांदजी का खेड़ी)	425	3–00	नयानगर (पट. म. आरोली)	462	3–00	”
9.	प्रभू पिता पन्ना धाकड़	”	487	8–13	नयानगर (प. म. आरोली)	483/1	3–01	”

1	2	3	4	5–6	7	8	9–10	11
	विचाराधीन डूब के बजाय भूमि देने के प्रस्तावों का विवरण स्वीकृति शेष है							
	पंचानपुरा बांध :—में अवाप्त							
1.	मन्नालाल पि. वेणीराम धाकड़, नि. लक्ष्मीनिवास (बिकाव से) बाल/नोला धाकड़ नि. माजीसाहब का खेड़ा	पंचानपुरा	500	2–19	नयानगर (प. म. आरोली)	124	2–19	श्री पी.सी. बैरवाल, पूर्व उपखण्ड अधि- माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)
2.	भैरू पि. नंदा धाकड़ लक्ष्मीनिवास (बिकास से) प्रभू/पन्ना पि. देवाफाकड़ सलावटिया	पंचानपुरा	426/2 492/2 493/2 494	1–12 4–18 3–11 1–17	सलावटिया (प.ग. सलावटिया	166	11–17	”
3.	श्रीराम, हीरा, गोकल, जग्गा, काना, पिता घीसा, गोकल, पि. भैरू, रूपा पिता भील नि. चांदजी की खेड़ी	”	465,468, 472,473, 474,466	9–03	रसदपुरा (प, म. आरोली)	20 मी.	20–13	श्री पृथ्वीराज आर्य, उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़
4.	श्रीमती बरजी बेवा हजारी खाना खेमा, देवा, जीता, नारायण पि. हजारी भील वगैरा नि. नीमड़ीगवा	”	510,511,512, 513,514,515, 516,517	6–17	नयानगर (प.म. आरोली)	103 मी.	6–17	”

1	2	3	4	5–6	7	8	9–10	11
बीकरण बांध								
5.	पन्नालाल पि. खैमा मेरासी निवासी बीकरण	बीकरण (प. म. बीकरण)	255,256,257	8-14	नयानगर (प. म. आरोली)	875/235	3–00	श्री पृथ्वीराज आर्य उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़
					सुखपुरा (प. म. सलावटिया)	230	5–14	
गेणोली तालाब (सीपेज से भूमि खराब)								
6.	भंवरसिंह पि. मोहनसिंह राजपूत नि. गेनोली	गेनोली (प.म. गेनोली)	122,123,124, 125,126,129, 128	8–12	तिलस्वा (प. म. तिलस्वा)	572	8–12	श्री पी. सी. बैरवाल उपखण्ड अधिकारी, पूर्व माण्डलगढ़ ह. उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़

परिशिष्ट—6

परिशिष्ट—"अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1324 का विवरण)

विचाराधीन रहने के सम्बन्ध में प्रकरण वार विवरण :—

क्र. सं.	प्रकरण	प्रकरण का अनवान		आवेदित भू-खण्ड संख्या एवं क्षेत्रफल	विचाराधीन रखने का कारण
1	2	3		4	5
1.	239/91	श्रीमती कान्ता यादव/राजेन्द्रकुमार	बनाम सरकार	3 266.66 वर्गगज	आवेदित भू-खण्ड सड़क क्षेत्र में प्रभावित है।
2.	238/91	श्री जे. सी. शर्मा/गोपीराम शर्मा	बनाम सरकार	24 266.66 ,,	,, ,, ,, ,, ,, ,,
3.	265/91	श्रीमाती मदनकिशोर/एस. एस. माथुर	बनाम सरकार	7 533.33 ,,	,, ,, ,, ,, ,, ,,
4.	240/91	श्री अमरसिंह/रामसिंह यादव	बनाम सरकार	36,37 266.66 ,,	,, ,, ,, ,, ,, ,,
5.	244/91	श्रीमती उर्मिला/केदारमल माथुर	बनाम सरकार	25 266.66 ,,	,, ,, ,, ,, ,, ,,
6.	57/91	श्रीमती मुन्नी देवी/केदारमल माथुर	बनाम सरकार	6, 266.66 ,,	,, ,, ,, ,, ,, ,,
7.	190/91	श्री ज्ञानचन्द/हरकचन्द	बनाम सरकार	39 266.66 ,,	,, ,, ,, ,, ,, ,,
8.	191/91	श्री मोतीचन्द/हरकचन्द	बनाम सरकार	40	

1	2	3			4		5
9.	503/83	श्री लेखराज/लालचन्द सोनी	बनाम सरकार	59	266.66	वर्गगज	इन मामलों में राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 10--8--93 के के द्वारा मामले रिमाण्ड किये गये किन्तु उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से इन मामलों में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में द्वितीय अपील दायर की गई हैं जो माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन हैं।
10.	504/83	श्री आनन्दकिशोर/लालचन्द सोनी	बनाम सरकार	42	266.66	,,	
11.	31/83	श्री लेखराज/लालचन्द सोनी	बनाम सरकार	41	266.66 266;66	,, ,,	
12.	29/83	श्री लेखराज/लालचन्द सोनी	बनाम सरकार	60	266.66	,,	
13.	503/83	श्री गणपतलाल/	बनाम सरकार	38	266.66	,,	
14.	243/91	श्री गनी खां/बवरू खां	बनाम सरकार	160	266·66	,,	वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड ओपन स्पेस में आता है।
15.	334/84	श्री राधेश्याम/लक्ष्मीनारायण	बनाम सरकार	186	266.66	,,	यह मामला राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 25--9--89 द्वारा रिमाण्ड किया गया आवेदक द्वारा निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण निलम्बित हैं।
16.	23/84	श्री बिन्दू पुहोहित/के. सी. पुरोहित	बनाम सरकार	53	266.66	,,	धारा 42 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत छूट दिये जाने के

1	2	3		4	5
					पश्चात् बेचान नामा प्रस्तुत नहीं करने से लंबित हैं।
17.	218/92	श्री इन्द्रमल/श्री कुन्दनमल माथुर बनाम सरकार	104	266.66 वर्गगज	इस मामले में आवेदित भूखण्ड की मौके की स्थिति व वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा अनुमोदित प्लान में अन्तर हैं अतः मामला लंबित हैं।
18.	407/82	श्रीमती लीलावती/जगदीशराम बनाम सरकार	125/126	533.33 ,,	मामले में आवेदिका निरन्तर अनुपस्थित रहने कारण मामला विचाराधीन है।
19.	272/91	श्री रामकुमार/चुन्नीलाल बनाम सरकार	81	266.66 ,,	विकास शुल्क की राशि जमा नहीं होने के कारण विचाराधीन है।
20.	284/93	श्रीमती शान्ती टांक/गंगासिंह टांक बनाम सरकार	96	266.66 ,,	इन मामलों में विकास शुल्क की राशि
21.	22/84	श्री गंगासिंह टांक/भंवरलाल टांक बनाम सरकार	95	266.66 ,,	हाल में जमा कराई गई हैं निस्तारण की कार्यवाही जेरकार हैं।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1327 की सूची)

माह अक्टूबर, 1993 में संपरिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची जिला पाली

क्र. सं.	नाम तहसील	आवेदक का नाम	प्राप्त दिनांक
1	2	3	3
1.	पाली	जयसिंह पुत्र मूरसिंह राजपूत खोड़	4-10-93
2.	,,	पोखर पुत्र सवा भील पाली	8-10-93
3.	,,	सम्पतराज पुत्र मेन्दाराम मेहताभावरी	18-10-93
4.	,,	पोकर पुत्र सवा भील पाली	20-10-93
5.	बाली	उम्मेद, देवा, अचला, सविया पि. तेजा कुमार सेवाड़ी	13-10-93
6.	,,	मगाराम पुत्र चुन्नीलाल माली सेवाड़ी	13-10-93
7.	,,	पुखरात पुत्र गुलाब माली सेवाड़ी	13-10-93
8.	,,	रमेशकुमार पुत्र चुन्नी माली	13-10-93
9.	,,	पोखरराम पुत्र गुलाब सेवाड़ी	13-10-93
10.	,,	रामा पुत्र पुनमा सुथार	13-10-93
11.	,,	मुरिया, गनया पि. रामा चौधरी	13-10-93
12.	,,	वरदाराम पुत्र रखा माली	13-10-93
13.	सोजत	गुमनाराम पुत्र धूताराम जटिया सोजत	6-10-94
14.	मारवाड़ जंक्शन	हुक्माराम पुत्र खीवाराम दुदोड़	25-10-93
15.	,,	टीकमराम पुत्र खीवाराम दुदोड़	25-10-93
16.	रायपुर	नरसिंह पुत्र भूरा ढोली पिपलीयाकला	15-10-93
17.	,,	चांदखां पुत्र मिथ्यूखां अब्दुल सकुर, रामसुदीन पि. मिथ्यूखां नि. पिपलीयाकला	15-10-93
18.	,,	राम पत्नि मो. सकीन खरीदी वगैरा पिपलीयाकला	15-10-93
19.	,,	धर्मीचन्द पुत्र छगनलाल महाजन भूठा	25-10-93

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1329 की सूची)

पशु चिकित्सालय, विडयारी में स्वीकृत पद तथा कार्यरत स्टाफ की सूची

स्वीकृत पद			कार्यरत स्टाफ		
वी. ए. एस.	पशुधन सहायक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	वी. ए. एस.	पशुधन सहायक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
1	1	3	—	श्री विरेन्द्र सिंह	श्री रामेश्वरलाल जलधारी श्री मोहन सिंह सफाईकर्ता श्री कमल सिंह सईस

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 को प्रति)

राजस्थान सरकार

भू-प्रबन्ध विभाग
विभामागीय निर्देशानुसार

सत्य प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल :—

ग्राम अजेता तहसील बून्दी जिला बूंदी
सम्यता 2028 से 2047

खसरा नम्बर	पूर्वमान रकबा	गत खसरा नम्बर	रकबा	वर्तमान खसरा नम्बर	रकबा	गत खसरा नम्बर	रकबा
64	4/3	289/4	3				

ह./--
प्रभारी अधिकारी
जिला कलक्ट्रेट (भू. प्र.), बूंदी

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1331 की सूची)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ (94) में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की सूची :—

क. सं.	नाम ग्राम	क. सं.	नाम ग्राम
1.	अमरपुरा	27.	खजपुरा भैरवाई
2.	अराई	28.	खातोली
3.	अलमास	29.	खेड़ा
4.	आऊ	30.	खेड़ा कर्नसोतान
5.	इन्दोली	31.	गणेशपुरा
6.	उजोली	32.	गहलपुरो
7.	उदयपुकर्ता	33.	गागून्दा
8.	उदयपुर खुर्द	34.	गुढ़ा
9.	कटमूरा	35.	गुदली
10.	करडाला	36.	गोदियाना
11.	करकेड़ी	37.	गोली
12.	कल्याणपुरा	38.	थवा को ढ़ाणी
13	कल्याणीपुरा	39.	गोरधनपुरा
14.	कल्याणीपुरा	40.	चकपींगलोद
15.	काकनियावास	41.	चीताखेड़ा
16.	काचरिया	42.	चन्दडी
17.	काठोदा	43.	जरली
18.	काढ़ा	44.	चौसला
19.	कालानाडा	45.	जाखोलाई
20.	कालीडूंगरी	46.	जाजोता
21.	किशनगढ़	47.	जगलीपुरा
22.	किशनपुरा	48.	जेणदा
23.	कुचील	49.	मोतीपुरा
24.	केरिया की ढ़ाणी	50.	झाग
25.	कोटडी	51.	टिकावड़ा
26.	खण्डांच	52.	टिहरी
		53.	टोंकड़ा

Page No.304

क्र. सं.	नाम ग्राम
54.	डांग
55.	डागुड़ा (गै. आ.)
56.	डींडवाड़ा
57.	ढाणी पुरोहितान
58.	ढाणी पुरोहितान
59.	ढाणी देवमण्ड
60.	ढाणी राठोडन्
61.	त्योद
62.	तित्यारी
63.	तिलोनियां
64	तोलामाल
65.	थल
66.	दरडून्द
67.	देवपुरी
68.	घोंलपुरिया
69.	नयागांव
70.	नल
71.	नवां
72.	नरेना
73.	निट्टी
74.	नोनन्दपुरा
75.	नोनन्दपुरा
76.	नोसल
77.	नाहरिया
78.	पंचीपला
79.	पडांगा
80.	पड़ासोली
81.	पंवारों की ढाणी
82.	पनेर
83.	पाटन
84.	पालडी पठानान
85.	पालड़ी भेवतोतान
86.	पीगलोद
87.	पेड़ी भाटा
88.	फलोदा
89.	बकरवालिया
90.	बडगांव
91.	बजपुरा
92.	बरणा
93.	बांदरसिंदरी
94.	बांसड़ा
95.	बांसडा मेहरान्
96.	बालापुरा
97.	बीजरवाड़ा
98.	बीती
99.	बुहारू
100.	भुवाड़ा
101.	मदूण
102.	मेरिला
103.	मावंसा
104.	मामोलाव
105.	मिलावट
106.	गोजियावास
107.	मोगादीत
108.	मण्डावरियां
109.	माला
110.	मानपुरा
111.	मण्डौती नरूकान
112.	मुण्डोलाव
113.	मोखमपुरा
114.	मोतीपुरा
115.	मोरडी
116.	मोहनपुरा
117.	रलातावता

क्र. सं.	नाम ग्राम	क्र. सं.	नाम ग्राम
118.	रुघनाथपुरा	137.	हरमाड़ा
119.	रुघनाथपुरा	138.	सांवतसर
120.	रघुनाथपुरा (गे. ग्र.)	139.	फरासिया
121.	खाजपुरा	140.	चकमोतीपुरा
122.	रहीमपुरा	141.	चक नोनन्दपुरा
123.	रामगढ़	142.	चक बीड़
124.	रामपुरा	143.	सूरतपुरा
125.	रारी		
126.	रूपनगढ़		
127.	रोडावांस		
128.	सरगांव		
129.	सलेमाबाद		
130.	सागरमाला		
131.	सिरोज		
132.	सिलोरा		
133.	सिणागारा		
134.	सींगला		
135.	सिनोदिदया		
136.	सुरसुरा		

ह./--

तहसीलदार, किशनगढ़

तहसील किशनगढ़ में मजरे, ढाणियां जो राजस्व ग्राम घोषित नहीं हैं—

क्र. सं.	नाम मजरे ढाणी
1.	मालियों की बाड़ी
2.	जोगियों का नाड़ा

ह./--

तहसीलदार, किशनगढ़

तहसील किशनगढ़ क्षेत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 23-3-94 को लम्बित प्रकरणों की ग्रामवार सूची :—

क्र. सं. नाम ग्राम	लम्बित प्रकरणों की संख्या.
1. किशनगढ़	47
2. टिकावड़ा	5
3. बीती	11
4. उदयपुर खुर्द	5
5. बरणा	2
6. रूपनगढ़	4
7. नलू	8

क्र. सं. नाम ग्राम	लम्बित प्रकरणों की संख्या
8. मदूण	3
9. कालानाड़ा	2
10, देवपुरी	1
11. सरगांव	30
12. मातीपुरा	2
13. मामोलाव	35
14. बुहारू	43
15. वान्दरसीन्दरी	8
16. नितोदिया	1
17. करकेड़ी	2
18. सलेमाबाद	1
19. खण्डाच	2
20. हरमाड़ा	1
21. करकेड़ी	6
22, अमरपुरा	6
23. वड़गांव	2
23 कुल योग	225

ह./–
तहसीलदार, किशनगढ़

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1335 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

इन्दिरा गांधी नगर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में विशेष आबंटन नियम 13-ए के अन्तर्गत आबंटित भूमि में खरीफ सम्वत् 2050 में तहसीलवार काश्त का विवरण ।

(भूमि हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	नाम उपनिवेशन तहसील	काश्त की गई भूमि
1.	छतरगढ़ नं. 1	2,339
2.	छतरगढ़ नं. 2	6,432
3.	पूगल	1,437
4.	कोलायत नं. 1	113
5.	कोलायत नं. 2 मु. बज्जू	240
6.	कोलायत नं. 3 मु. बज्जू	784
7.	कोलायत नं. 4 मु. बीकमपुर	296
8.	नाचना नं. 1	49
9.	मोहनगढ़ नं. 2	12
10.	मोहनगढ़ नं. 1	7
11.	मोहनगढ़ नं. 2	69
12.	मोहनगढ़ नं. 3	—
13.	रामगढ़ नं. 1	—
		11,778

परिशिष्ट--"ख"

जिला गंगानगर में विशेष आवंटन के अन्तर्गत आबंटित भूमि पर काश्त का तहसीलवार विवरण

क्रम संख्या	नाम तहसील	रकबा (हैक्टेयर में)
1.	पीलीबंगा	12--25
2.	सूरतगढ़	79--11
3.	हनुमानगढ़	08--61
4.	रायसिंह नगर	96--42
5.	अनूपगढ़	933--16
6.	विजयनगर	96--87
7.	घड़साना	640--21
	योग :—	1866--63

जिला बीकानेर :—

9.	लूणकरणसर	613--319
10.	बीकानेर	33--259
		646--578

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1341 की सूची)

छीपाबड़ौद तथा छबड़ा पंचायत समिति में कार्यरत
पशु चिकित्सालयों में कर्मचारियों की स्थिति ।

क.सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	वी.ए.एस.	वी.ए.	पशुधन सहायक
(1)	छीपाबड़ौद	डॉ. लक्ष्मणलाल नागर	—	1–श्री बृजमोहन जीवन 2–श्री लवकुमार शर्मा
(2)	सारथल	—	श्री अब्दुल वहीद	1–श्री कालू खां
(3)	हरनावदा-शाहजी	डॉ. दानवीर सिंह	श्री मोहम्मद याकूब	1–श्री बालकृष्ण नेवाड़ा
(4)	छबड़ा	डॉ. बिलालअहमद	—	1–श्री मोहम्मद अजीज 2–श्री रामकिशन भटनागर

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1343 की सूची)

उपखण्ड बाड़ी जिला धोलपुर के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची **प्रपत्र "अ"**

क्र.सं.	गांव का नाम	क्र.सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
1	बसेड़ी	28	मुडिक
2	तियासिया	29	नौनेरापुरा चंद्र
3	रामपुर	30	भारली
4	नगला दरवेश	31	बाजदार
5	सरमथुरा	32	खिन्नौट
6	सरोली	33	पवैनी
7	कोटे	34	सुरारी कला
8	दोमई	35	मई
9	पीछोली	36	खिडौरा
10	आंगई	37	लीलौटी
11	रहरई	38	कुरगवा
12	तरवा	39	पोहई
13	पटीफरा	40	सलेमपुर
14	गुडा	41	दयोपुरा
15	सोनी	42	नौनेरा प्र. वि.
16	विज्जा	43	ममोधन
17	ददरौनी	44	रतनपुर
18	सुरारी खुर्द	45	सलेमपुर फटी
19	कानौसा	46	नूरपुर
20	महासिल	47	कोटरा
2!	महरपुर	48	घोई
22	जरपुरा	49	नादनपुर
23	बड़ागांव	50	पिपरेट
24	चांदपुरा	51	चन्दावली
25	जारगा	51	बर्दुपुरा
26	हिंगोटा	53	लोकूपुरा
27	सिहोली	54	सुभानपुरा

1	2	1	2.
55	कोकरेट	87	फासौटी खेड़ा
56	डिगोरई	88	सहेड़ी
57	मरकूंजूरा	89	हुसैनपुर
58	मिरामंद	90	पगुली
59	तुलसीपुरा	91	मदोना
60	खरौली	92	खानपुर गूजर
61	बिलौनी	93	पोहप नगर
62	जिदापुरा	94	निजामपुर
63	पिपरोन	95	तालाबशाही
64	हरजूकापुरा	96	मरसूरा
65	बौरोली	97	गुहाखुर
66	कुनकुटा	98	तालाबराम सामर
67	चिलाखुंर	99	मोरी
68	बनौरा	100	बिजौली
69	वरई	101	ग्रादमपुर
70	मौहा-ी	102	गढी जरदौढा
71	एकटा	103	सुधोरा
72	महुगुलावाली	104	सांगोर
73	संगोली	104	चिलाचोंद
74	ग्रतरसूमा	106	रजापुर
75	ईधौन	107	बसई डांग
76	बाड़ी	108	नदोली
67	रेवई	109	बरीपुरा
78	उमरेह	110	रीदूदरी
79	सलेमाबाद	111	रुघानिधारा
80	महराजपुर	112	तालउमरेह
81	सुनीपुर	113	कोयला
82	निधारा	114	कांकरोली
83	कुहावनी	115	सनौरा
84	सिगोंरई	116	नकसोदा
85	खानपुर मीना	117	करेरूग्रा
86	ऐंहपदपुर	118	घनीरा

1	2	1	2
119	सौतास	142	मरहौली
120	अजीतपुर	143	धुरवास
121	खेरा	144	बदरेठा
122	सिकरोंदा	145	नगला पिपौरा
123	पिदावली	146	हंसी हांसई
124	नगला दूल्हेखां	147	कुरेदा
125	जपावती	148	सोंदा
126	दहेश्वर खुर्द	149	विलौनी
127	टोडपुरा	150	गढी खिराना
128	टामोटी	151	लालौनी हार
129	धीमरी	152	जरारी घेसुआ
130	खैंरारी	153	पुरा बरवत
131	खैंरी इब्राहीमपुर	154	गुलावटी
132	बिरदपुर	155	रहल
133	रुपसपुर	156	टकीपुर
134	कचनपुर	157	नीमखेड़ा
135	अलीगढ़	158	कोलुआ
136	इकबालपुर	159	पुरामदारी
137	महुआ आखेड़ा	160	सहेड़ी न. दो
138	गढी सुक्खा	161	वनविहार
139	अबदलपुर	162	सलेमपुर रावतपाटी
140	मखेपुर	163	कटेलपुरा
141	सरोढी		

प्रपत्र "ब"

सब डिविजन बाड़ी जिला धोलपुर के शेष रहे (अविद्युतीकृत) ग्रामों की सूची

क.स.	गांव का नाम	क स.	गांव का नाम
1	2	1	2
1	बडेश्वर कला	3	वेनीपुरा माफी
2	सिकशे	4	गौनारी

Page No.313

1	2	1	2
5	धांसपुर	37	नियामती
6	कुतकपुर	38	धनावली
7	मिरावली	39	खुरदिया
8	अरुआ	40	बढरिया
9	जहानपुर	41	पच्र्रा
10	राडोर	42	खानपुरा
11	रेती	43	ताजपुर
12	बादुर	44	खरगपुरा
13	टोटरी	45	कांकोर
14	वेनीपुर खालसा	46	बांसरई
15	मढा गूजर	47	बरमन
16	नीरा	48	तिलउआ
17	जम्मूरा	49	मढपिपरोंदा
18	मुदिन्ना	50	पाली
19	गुरामितावली	51	कुइया
20	खेरली	52	पटटीपुरा
21	मझउआ	43	नर्हसिहपुर
22	ऊमरी	54	दादीपुरा
23	वीरपुर	55	धारबोरोली
24	रजई कला	56	धारअली नगर
25	रजई खुर्द	57	अलीनगर
26	कस्बा नगर	58	श्यामनगर
27	जहानपुर	59	जागीर वोरोती
28	शाहपुर	60	रामपुर जटपुरा
29	गुर्जा	61	अमरपुरा
30	सेवर	62	गुलालपुरा
31	नरसिंहपुरा	63	कृष्णपुरा
32	तौर	64	कनहैयापुर
33	नयापुरा	65	मेदारी
34	करकरपुरा	66	रोझोनी
35	खैराती	67	बडापुरा
36	गांगोती	68	तेजापुरा

Page No.314

1	2
69	मानपुरा
70	हीरापुरा
71	मेटकापुरा
72	झलपुरा
73	गिरोनिया
74	खुसालपुरा
75	गुलावली
76	शंकरपुरा
77	दुर्गसी
78	जरवा
79	घूमरी
80	गोलारी
81	गोपालपुरा
82	मदनपुरा
83	गुडरिच
84	विदरपुर
85	घोंघ
86	मथारा
87	खिदरपुर
88	इंदोरा
89	झिरी

परिशिष्ट—14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1344 का विवरण)

प्रपत्र 'अ"

प्रस्तावित 33 के.वी. कार्य जिनकी तकनिकी स्वाकृति अधिक्षण अभियन्ता (एस.टी.पी.) से प्राप्त हो चुकी है ।

क्र.सं.	प्रस्तावित कार्य
1.	33/11 के.वी. 1 × 5 एम.वी.ए. सब स्टेशन बी.जे.एस. कालोनी ।
2.	33 के.वी. बनाड़ से साल सागर लाईन 0.1 कि. मीटर ।
3.	33/11 के.वी. सब स्टेशन मनाई की क्षमता 1 × 3.15 एम.वी.ए. बढ़ाने हेतु ।
4.	220 के.वी. जी.एस.एस. से मैसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन सलवास तक 18 कि.मी. 33 के.वी. लाईन खींचने हेतु ।
5.	220 के.वी. जी.एस.एस. जोधपुर से पी.एच.ई.डी. के पम्प स्टेशन संख्या 8 तक 33 के.वी. टी-आफ लाइन 8 कि.मी.
6.	33 के.वी. लाइन बालोतरा से पादरु वाया सियुर 45 कि.मी.
7.	33 के.वी. बावडी से चांदरख 16 कि.मी.
8.	33/11 के वी. सब स्टेशन चांदरख 1 × 3.15 एम.वी.ए.
9.	33 के.वी. तिवरी से घेवडा

प्रपत्र -'ब"

प्रस्तावित 33 के. वी. कार्यों के प्रस्ताव जिनकी स्वीकृति विद्युत मण्डल की पीपीएण्ड एमविंग व ग्रा.विनि से अपेक्षित हैं तथा जिनकी जांच पडताल प्रक्रिया में हैं—

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	अधीक्षण अभियन्ता के पत्र का दिनांक
1	2	3
	पी.पी. एण्ड एम. विंग से	
1.	132 के.वी.जी.एस.एस. जोधपुर से मोगरा कलां 15.2 कि.मी. 33 के.वी. लाइन	26.6.1993
2.	33/11 के. वी. 1 × 3.15 एम. वी. ए. सब-स्टेशन मोगरा कलां	26.6.1993

Page No.316

1	2	3
3.	33/11 के. वी. सब स्टेशन हरियाढाणा की क्षमता 1 × 1.6 एम.वी.ए. से 1 × 3.15 एम.वी.ए बढ़ाने हेतु !	6-11-1993
4.	33/11 के वी. सब स्टेशन दीवान जी की प्याऊ की क्षमता 1 × 1.6 एम. वी. ए. से 1 × 3.15 एम. वी. ए. बढ़ाने हेतु !	8-11-1993
5.	33/11 के.वी. सब स्टेशन की लाल सागर जोधपुर की क्षमता 1 × 5.0 + 1 × 3.15 एम. वी. ए. से 2 × 5.0 एम.वी ए. बढ़ाने हेतु !	3-2-1994
6.	33/11 के.वी. सब स्टेशन सूर सागर जोधपुर की क्षमता 1 × 1.6 + 1 × 1.0 एम.वी.ए. से 1 × 3·15 एम.वी.ए. बढ़ाने हेतु !	3-2-1994
7.	33/1 के वी. सब स्टेशन मातोडा की क्षमता 1 × 1.6 एम.वी.ए. से बढ़ाने हेतु !	6-1-1994
	प्रोजेक्ट मेनेजर (ग्रा.वि.नि.) से	
8.	33 के.वी. उप चौकी ओसियां पर 3.15 एम. वी. ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर को हटा कर 5 एम. वी. ए. का प्रस्तावित है	20.10.1993
9.	33/11 के वी. उपचौकी मंवडी से 1 × 3.15 एम.वी.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर प्रस्तावित है—	20-10-1993
10.	33/11 के.वी. जेलू गंगाड़ी उप चौकी पर 2 × 3.15 एम.वी ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर प्रस्तावित हैं	20-10-1993
11.	33/11 के. वी. जिराई उपचौकी पर 1.6 - + 0.5 एम.वी.ए. के स्थान पर 1 × 3.15 एम.वी.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर प्रस्तावित हैं	20-10-1993
12.	33 के.वी. तिवरी–भेवरी लाइन को जेलू गंगाडी तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है	20-10-1993

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1348 का विवरण)

क्र. सं.	नाम अतिक्रमी	रकबा	शास्ती रु.
1	2	3	4
1.	श्री नेनूसिंह पुत्र श्री खगार सिंह, ,, नि. तिखी	15	210.00
2.	,, लादू/हजारी नि. ज्ञानगढ़	1	15.00
3.	,, रामा/वरदा बलाई ,,	8	120.00
4.	,, कंकु/चोखा बलाई ,,	7	101.00
5.	,, भैरू/किशना	7	100.00
6.	,, कासम मोहम्मद/गुलाब जी ,,	3	51.00
7.	,, बहादुरसिंह/रतनसिंह ,,	20	101.00
8.	,, मेहताब/गोपीलाल	13	51.00
9.	,, कमासिंह/जवानसिंह ,,	13	51 00
10.	,, मानसिंह/लालसिंह नि. कोदिया	7	51.00
11.	,, टिकमसिंह/रतनसिंह, नि. तजलाई	4	51.00
12.	,, बाबू खां/रहीम बक्ष ज्ञानगढ़	11	99.00
13.	,, डालू/बख्तावर ,,	9	120.00
14.	,, रतनसिंह/गोबिन्दसिंह ,,	13	117.00
15.	,, काना/बख्ता गूजर ,,	10	90.00
16.	,, मनुरा/हुकमा नाई ,,	11	45.00
17.	,, मोतीलाल/कन्हैयालाल ,,	3	35.00
18.	,, देवा/काना बलाई ,,	7	31.00
19.	,, नेनूसिंह/खगारसिंह ,,	11	31.00
20.	,, आसू/उदा सुथार, नि. गोरख्या	12	162.00
21.	,, जग्गू, नंदा/घीसा, ज्ञानगढ़	7	151.00
22.	,, मोहनसिंह/नारायण सिंह वगैरह नि. तिखी का बांरिया	27	201.00
23.	,, पृथ्वीराज/बालू, नि. गोरख्या	15	202.00
24.	,, नारायण/कालू खाती ,,	9	38.00
25.	,, हीराराम/लादूराम, नि. ज्ञानगढ़	6	31.00
26.	,, अणछी/धानाराम ,,	15	202.00
27.	,, नौसी/माधू ,,	11	31.00
28.	,, मौसा/रामा ,	3	40 00

1	2	3	4
29. श्री	श्रवण, बादर, कूका वगैरह नि. ज्ञानगढ़	10	135.00
30 ,,	पेमा/मोती, नि. ज्ञानगढ़	5	10.00
31. ,,	शांतिलाल/रामेश्वरलाल ,,	5	41.00
32. ,,	बालू/करणा ,,	3	21.00
33. ,,	नाथूसिह/गोविन्द सिह ,,	15	101.00
34. ,,	करमसिह/पहाड़ सिह, करमा की तलाई	10	151.03
35. ,,	नारायण सिह/गोविन्द सिह नि. कोदिया का बाडिया	7	51.00
36. ,,	मांगू/देवा नि. रोमा का बाड़िया	10	51.00
37. ,,	रामसिह/दोलतसिह नि. तिखी का बाडिया	6	45.00
38. ,,	मांगू/देवा गूजर नि. रोमा का बाड़िया	10	45.00
39. ,,	जयसिह/लक्ष्मणसिह नि. ज्ञानगढ़	10	45.00
40. ,,	हरिसिह/जगन्नाथ सिह ,,	12	21.00
41. ,,	भैरूसिह/चांवडसिह ,,	18	51.00
42. ,,	खमांण/गंगाराम	6	13.00
43. ,,	चांवडसिह/लक्ष्मण सिह ,,	39	201.00
44. ,,	गोरधनसिह/नारायणसिह ,,	6	27.00
45. ,,	शंकर/नंदराम ,,	6	27.00
46. ,,	गिरधारीसिह/रामसिह ,,	6	27.00
47. ,,	इन्द्रसिह/प्रेमसिह ,,	3	21.00
48 ,,	बेदसिह/आसूसिह, नि. कोदिया	1	11.00
49. ,,	घनश्याम/सीताराम, नि. ज्ञानगढ़	1.5	14.00
50. ,,	नैना/मांगू खाती ,,	1	5.00
51. ,,	श्रीमैना/भूरा, नि. ज्ञानगढ़	1	13.00
52. ,,	शब्बीर मोहम्मद/करीमबक्ष	1	7.00
53 ,,	भैरू/कल्ला ,,	1.5	6.00
54. ,,	मूलचन्द/रूपचन्द्र ,,	1.5	6.00
55. ,,	हजारी/जवारा/घीसा ,,	1	6.00

परिशिष्ट–16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1350 की प्रति)

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि, जयपुर

क्रमांक 220 दिनांक 9.6.92

कार्यालय आदेश

रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक पीए/अति. रजि. 1/3/92 दिनांक 8-6-92 की अनुपालना में श्री देवेन्द्रसिंह डागुर, सेल्समैन को उनके विरुद्ध उपभोक्ता संघ, जयपुर में हुए आयातीत चीनी के परिवहन म हुए घोटाले के संबंध में जांच लम्बित होने के कारण तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में श्री देवेन्द्रसिंह डागुर उपभोक्ता संघ मुख्यालय पर अपनी उपस्थित देंगे। श्री डागुर को निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा।

हस्ताक्षर
(महेन्द्र सुराणा)
प्रबन्ध संचालक

क्रमांक 220 दिनांक 9.6.92

प्रतिलिपि :–

(1) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को उनके आदेश क्रमांक पीए/अति. रजि. 1/3/92 दिनांक 8-6-92 की अनुपालना में सूचनार्थ।

(2) प्रशासक, उपभोक्ता संघ, जयपुर।

(3) श्री ताराचन्द जैन, मैनेजर (ए. एण्ड पी) उपभोक्ता संघ को इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि वे उक्त निर्देशों की पालना व आवश्यक कार्यवाही करे।

(4) (मैनेजर) (सामान्य आपूर्ति) उपभोक्ता संघ को इन निर्देशों के साथ प्रेषित है कि वे उक्त आदेशों की पालना व आवश्यक कार्यवाही करे।

(5) श्री देवेन्द्रसिंह डागुर, सेल्समेन उपभोक्ता संघ जयपुर को भेजकर लेख है कि वे नियमानुसार चार्ज संभलाकर अपनी उपस्थिति प्रतिदिन उपभोक्ता संघ मुख्यालय पर दर्ज करे।

(6) लेखा शाखा

(7) गार्ड फाइल

हस्ताक्षर
प्रबन्ध संचालक

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर

क्रमांक 244 दिनांक 15.6.92

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 218-23 दिनांक 9/10 जून, 1992 के द्वारा श्री देवेन्द्रसिंह डागुर, सैल्समेन को उनके विरुद्ध उपभोक्ता संघ, जयपुर में आयातीत चीनी के परिवहन में हुए घोटाले के संबंध में जांच लम्बित होने के कारण निलम्बित किया गया था । संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के संबंध में चलाये जा रहे आन्दोलन के मध्य इस निलम्बन के आदेश हो जाने के कारण संघ के अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था कि इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जावे तथा श्री डागुर को निलम्बन से बहाल किया जावे । इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह चाहा गया कि आन्दोलनरत कर्मचारी अपना आन्दोलन तत्काल समाप्त करे एवं संघ में काम के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करे ।

चूंकि संघ के कर्मचारियों द्वारा अध्यक्ष महोदय को दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, अतः अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार श्री देवेन्द्र सिंह डागुर, विक्रेता को उनके विरुद्ध लम्बित जांच को बिना किसी प्रकार से प्रभावित किये, निलम्बन से बहाल किया जाता है ।

श्री डागुर को निलम्बन अवधि के बारे में निर्णय लम्बित जांच पर अन्तिम निर्णय के समय लिया जावेगा ।

श्री डागुर के पदस्थापन के आदेश अलग से जारी किये जा रहे है तब तक वे संघ के मुख्यालय में अपनी उपस्थिति देंगे ।

इन आदेशों की पुष्टि रजिस्ट्रार महोदय से करवा ली गई है ।

हस्ताक्षर
(महेन्द्र सुराणा)
प्रबन्ध संचालक

क्रमांक दिनांक 15.6.92

प्रतिलिपि :–

(1) रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ।
(2) निजी सहायक, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जयपुर ।
(3) (मैनेजर) (ए एण्ड पी) राज. रा. सह. उपभोक्ता संघ, जयपुर ।
(4) मैनेजर (सामान्य आपूर्ति) राज. रा. सह. उपभोक्ता संघ जयपुर ।
(5) श्री देवेन्द्र सिंह डागुर, निलम्बित सैल्समेन, उपभोक्ता संघ, जयपुर को इन निर्देशों के साथ कि वे पदस्थापन होने तक अपनी उपस्थिति संघ के मुख्यालय पर प्रबन्धक (ए एण्ड पी) के पास दे ।
(6) लेखा शाखा ।
(7) गार्ड पत्रावली ।

हस्ताक्षर
प्रबन्ध संचालक

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 1354 का विवरण

परिशिष्ट–1

केशोरायपाटन (   ) की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध गत पांच वर्षों में गबन, दुरुपयोग एव अनियमितास्रो के जो मामलें प्रकाश में आये है, का विवरण :— (राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम दोषी पदाधिकारी कर्मचारी	नाम ग्रामसेवा सहकारी समिति	राशि जिसके लिए दोषी पाया गया	प्रकरण
1	2	3	4	5
(अ) दोषी पदाधिकारियों का विवरण				
1.	श्री भवानी शंकर गोचर	हिगोनिया ग्रामसेवा स. स. लि.	0.07	समिति से अग्रिम राशि प्राप्त कर वापिस जमा नहीं कराना संस्था की राशि को अपने पास रखकर दुरुपयोग किया गया।
2.	श्री जगन्नाथ नागर	जेथल ,, ,,	0.05	
			0.12	
(ब) दोषी कर्मचारियों का विवरण				
1.	श्री राधेश्याम	चितावा ग्रामसेवा स. स. लि.	0.01	फर्जी ऋण नाम लिखकर गबन किया।
2.	श्री हजारीलाल मीणा	,, ,, ,,	0.15	चीनी व खाद की बिक्री राशि को कम जमाकर, गबन किया।
3.	श्री राधेश्याम	,, ,, ,,	0.07	वसूली की राशि रोकड़ में जमा नहीं कर, गबन किया।
4.	श्री राधेश्याम	,, ,, ,,	00.4	रसीदों में हेराफेरी कर, गबन किया।
5.	श्री हजारीलाल मीणा	,, ,, ,,	0.04	डेड स्टाक कम कर, गबन किया।

1	2	3	4	5
6.	श्री राधेश्याम	चितावा ग्रामसेवा स. स. लि.,	0.02	बिक्री राशि जमा नहीं कर, गबन किया।
7.	श्री मदनलाल	,, ,, ,,	0.02	एडवान्स राशि कम जमा कराकर एवं ब्याज जमा नहीं कराकर
8.	श्री राधेश्याम	,, ,, ,,	0.03	फर्जी ऋण नावें लिखकर, गबन किया।
9.	श्री मांगीलाल	,, ,, ,,	0.03	उपभोक्ता सामग्री चार्ज में नहीं सम्भला कर।
10.	श्री मदनलाल	,, ,, ,,	0.03	बिक्री राशि जमा नहीं कर।
11.	श्री राधेश्याम	,, ,, ,,	0.01	उपभोक्ता बिक्री की राशि जमा नहीं कर।
12.	श्री मदनलाल	,, ,, ,,	0.03	बारदाने की बिक्री राशि जमा नहीं कर।
13.	श्री राधेश्याम	,, ,, ,,	0.01	बारदाने की बिक्री राशि जमा नहीं कर।
14.	श्री रामनारायण वर्मा	आजन्दा ,, ,,	0.05	रसीद की राशि जमा नहीं कर, गबन किया।
15.	श्री आत्माराम शर्मा	,, ,, ,,	10.1	रोकड़ बही में जमा खर्च नहीं कर, खाद एवं उपभोक्ता स्टाक का अपहरण।
16.	श्री आत्माराम शर्मा	,, ,, ,,	0.09	,, ,, ,,
17.	श्री सूरजमल बैरागी	खेड़ा वोरदा ,, ,,	0.08	बारदाना स्टाक का गबन।
18.	श्री किशनसिंह हाड़ा	,, ,, ,,	0 43	अमानत राशि का भुगतान दर्शा कर एवं खाद व डेड स्टाक कम कर
19.	श्री मूलचन्द वर्मा	हिंगोनिया ,, ,,	0.22	रोकड़पोते का गबन
20.	श्री महावीर प्रसाद	,, ,, ,,	0.09	खाद बिक्री राशि का अपहरण
21.	श्री छोटूलाल शर्मा	,, ,, ,,	0.38	मोटर साइकिल ऋण नियमों के विपरीत, फर्जी अमानत रोशन कमी।
22.	श्री बाबूलाल जैन	,, ,, ,,	0.05	अधिवेशन हेतु बिना स्वीकृति के चन्दा।

1	2	3	4	5
23	श्री महावीर प्रसाद	हिंगोनिया ग्राम सेवा स. स. लि.,	0.08	एडवान्स राशि जमा नहीं कर, गबन किया ।
24.	श्री मूलचन्द वर्मा	,, ,, ,,	0.02	डेड स्टाक में कमी ।
25.	श्री प्रहलाद मीणा	लवान ,, ,,	0.01	खाद की राशि जमा नहीं कर
26.	श्री प्रहलाद मीणा	,, ,, ,,	0.08	खाद की राशि जमा नहीं कर
27.	श्री शंकरलाल मीणा	कोटाखुर्द ,, ,,	0.01	रोशन नावें लिखकर बिक्री कम जमा
28.	श्री शंकरलाल मीणा	,, ,, ,,	0.09	चीनी बिक्री राशि जमा नहीं कर, स्टाक कमी ।
29.	श्री रामदयाल मीणा	बालापुरा ,, ,,	0.02	शक्कर बिक्री की राशि जमा नहीं कर
30.	श्री रामनारायण मीणा	,, ,, ,,	0.10	गोदाम मरम्मत अनुचित भुगतान व यात्रा-व्यय बिना डायरी ।
31.	श्री रामप्रसाद बैरागी	रडी ,, ,,	0.04	उपभोक्ता सामान की कमी ।
32	श्री देवीलाल पांचाल	रडी ,, ,,	0.26	वसूली राशि जमा नहीं की एवं अनियमित भुगताम
33.	श्री प्रभुलाल मीणा	बल्कामा ,, ,,	0.31	वसूली राशि जमा नहीं की ।
34.	श्री सूरजमल सैनी	मोहनपुरा ,, ,,	0.16	चीनी बिक्री राशि जमा नहीं की ।
35.	श्री देवीलाल पांचाल	रोटेदा ,, ,,	0.07	मीनि बैंक के नावें राशि लिखकर अपहरण ।
36.	श्री रामस्वरूप सुमन	अरनेठा ,, ,,	0.66	खाद स्टाक का अपहरण ।
37.	श्री मोहनलाल मेघवाल	,, ,, ,,	0.22	खाद स्टाक व रोशन अपहरण
38.	श्री मांगीलाल	करवाला ,, ,,	038	रोशन कमी व खाद स्टाक कमी
39.	श्री देवदत्त भारद्वाज	जेथल ,, ,,	0.02	रोशन अन्तर डालकर व खाद स्टाक कमी कर
			5 45	

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1356 का ब्यौरा

परिशिष्ट 'अ'

वर्ष	कर्मचारी का नाम	राशि	गबन अथवा दुरुपयोग	अब तक हुई वसूली	क्या मामला धारा 76 में स्वीकृत है यदि हां तो किस कार्यालय में एवं कब से ।	क्या किसी कर्मचारी के विरुद्ध धन अपहरण के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है यदि हां, तो उसकी नवीनतम स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1987-89 1989-90	श्री सोमनाथ विग	3064=93	भौतिक सत्यापन के उपरान्त पाये गये माल एवं दायित्व	3064=27	266/6-10-93	कोई मामला नहीं
1989-90	श्री अमोलक राज	6384=97	रजिस्टर में अन्तर का है	6384=97	268/6-10-93	कोई मामला नहीं
1989-90	श्री सुभाष तिवाड़ी	2380=90	,, ,,	2380=90	वाद संख्या 302 क्षेत्रीय अंकेक्षक कार्यालय, बीकानेर में दर्ज हुआ तथा 20-1-94 को निर्णय से मामला संचित किया गया ।	कोई मामला नहीं
1989-90	श्री राजेन्द्र जोशी	73=45	,, ,,	73=45	—	—

1	2	3	4	5	6	7
1990-91	श्री गजेन्द्र जोशी	1030=00 506=26	भौतिक सत्यापन के समय माल दायित्व से कम पाया गया ।	—	नहीं	कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।
1990-91	श्री अमोलक राज	13696=99	बिलों में गड़बड़ी के कारण	13696=00	नहीं	इस मामले की जनवरी, 93 में कोतवाली श्रीगंगानगर में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई थी जिस पर एफ. आर. लगाकर न्यायालय द्वारा 25-3-93 को पुष्टि हो चुकी है ।

परिशिष्ट—19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1359 की सूची)

शिक्षा केन्द्रों की सूची सत्रवार निम्नानुसार है :–

सत्र 1988-89

1. अटाला
2. कांजरिया
3. भोपालपुरा
4. कन्या प्रितमपुरी
5. कन्या पीथलपुर
6. कन्या महावा
7. जीलो आर. एस
8. रतनावाली
9. मावण्डाकला
10. मोहल्ला ब्राह्मणों का गुहाला

सत्र 1989–90

1. मूंगावाला
2. ढाणी राजूवाली
3. रायसिंह ढाणी
4. हेमराज ढाणी
5. सामोता की ढाणी
6. स्यालोदडा
7. भगेगा
8. तिवाड़ी का बास
9. मालियों की ढाणी
10. बमढ की ढाणी
11. ब्योर
12. दयाल का नांगल कन्या
13. कोलीवाला
14. भीदाडा
15. ढाणी बल्लभदास
16. जीताला
17. भोपा की ढाणी
18. सोहनपुरा
19. भोलगढ
20. रडियो की ढाणी
21. भगेश्वर
22. बक्सीपुरा
23. सीसवाली
24. नाथा की नांगल
25. मोती सिंहवाला

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1361 की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	बैकलॉग			
		अनु.जाति	अनु जनजाति	विकलांग	योग
1.	अजमेर	—	—	—	—
2.	अलवर	—	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	—	—	—	—
4.	बाड़मेर	46	150	—	196
5.	भरतपुर	51	41	5	97
6.	भीलवाड़ा	41	—	—	41
7.	बीकानेर	—	—	—	—
8.	बूंदी				
9.	बांरा				
10.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—
11	चूरू	—	—	—	—
12.	धौलपुर	—	—	—	—
13	डूंगरपुर	—	—	—	—
14.	दौसा	—	—	—	—
15.	श्री गंगानगर	—	51	—	51
16.	जयपुर	—	—	—	—
17.	जैसलमेर	7	17	3	27
18.	जालोर	13	13	4	30
19.	झालावाड़	41	39	—	80
20.	झुंझुनू	7	22	—	29
21.	जोधपुर	47	38	—	85
22.	कोटा	—	—	—	—
23.	नागौर	—	—	—	—
24.	पाली	—	149	39	188
25.	राजसमन्द	—	—	—	—
26.	सवाई माधोपुर	6	5	—	11
27.	सीकर	—	—	—	—
28.	सिरोही	25	44	3	72
29.	टोंक	—	—	—	—
30.	उदयपुर	—	—	—	—

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 1363 की सूची

गत दस वर्षों में ढह गये निर्माण कार्यों की सूची पंचायत समिति, हिण्डौन

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	निर्मित वर्ष	क्षतिग्रस्त कार्य का विवरण	कार्य किसके द्वारा कराया गया	विशेष विवरण
1.	प्रा. वि. राराशाहपुर	शेरपुर	1985-86	चार चीरी टूट गई	श्री टीकम चन्द जैन पूर्व सरपंच	मरम्मत करा दी गई है।
2.	" शेरपुर	"	1986-87	बरामदा की 3 चीरी टूट गई	" "	उपयोग में नहीं आ रहा है।
3.	" पट्टीनारायणपुर	क्यारदा	"	बरामदा में दरारें आ गई है	स्व. श्री हुकमचन्द्र जैन पूर्व सरपंच	" "
4.	" कल्याणपुर सायटा	करसौली	"	दो चीरी टूट गई हैं।	श्री हरिबीर सिंह पूर्व सरपंच	" "
5.	" जमालपुर	खेडा	1987-88	8 चीरी टूट गई थी।	श्री रघुवीर सिंह पूर्व सरपंच	मरम्मत करा दी गई है।
6.	" कल्हारन का पुरा	"	1986-87	4 चीरी टूट गई है।	" "	उपयोग में नहीं आ रहा है।
7.	" चन्दौला	लहचौडा	1987-88	सम्पूर्ण कमरे की छत टूट गई है	श्री जगराम सिंह पूर्व सरपच	" "
8.	" सलेमपुरियानकापुरा	मण्डावरा	"	सम्पूर्ण बरामदा ढह गया है।	श्री नथोली राम जाट पूर्व सरपंच	" "
				दीवारों में दरारें आ गई है।	श्री रामलाल बैनी. पूर्व सरपंच	" "
9.	" सिकन्दरपुर	"	"	छत की 2 चीरी टूट गई है।	" "	" "

1	2	3	4	5	6	8
10. प्रा.वि.	बनवारी पुरा	दानालपुर	1986-87	दीवारों में दरारें आ गई हैं।	श्री रघुनाथ मीणा पूर्व सरपंच	" "
11. "	अलीपुरा	बरगवा	1987-88	सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त	श्री दरब सिंह	" "
12. "	बमनपुरा	जगर	1986-87	छत की एक चीरी टूट गई है।	श्री जवाहरसिंह पूर्व सरपंच	एक कमरा उपयोग में नहीं आ रहा है।
13. "	नगला ब्राह्मण	सूरौठ	1986-87	छत की 6 चीरी टूट गई थी।	श्री नत्थूसिंह पूर्व सरपंच	मरम्मत करा दी गई है।

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 1368 की सूची

क्रम संख्या	योजना का नाम
1.	सामुदायिक विकास
2.	स्वरोजगार योजना
3.	प्राथमिक शिक्षा
4.	हैण्डपम्प मरम्मत
5.	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
6.	निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन
7.	अनुसूचित जाति-जनजाति अन्य पिछड़ी जाति कल्याण
8.	आवासीय सहायता योजना
9.	विकलांग छात्रवृत्ति
10.	सामाजिक सुरक्षा
11.	देवी विपत्ति एवं प्राकृतिक आपदा
12.	कृषि
13.	पशुपालन
14.	इन्दिरा आवास
15.	जीवन धारा
16.	30 जिला 30 काम
17.	उन्नत चूल्हा
18.	अनटाइडफण्ड
19.	शिल्पशाला एवं दुकान निर्माण
20.	जवाहर रोजगार योजना
21.	टाडा योजनायें
22.	पुलिया योजना निर्माण
23.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.)

क्र. सं.	स्वीकृत पद (प्रत्येक पंचायत समिति में)	संख्या	विशेष विवरण
1.	विकास अधिकारी	1	
2.	लेखाकार	1	
3.	कनिष्ठ लेखाकार	1	
4.	वरिष्ठ लिपिक	1	
5.	कनिष्ठ लिपिक	2	
6.	ग्राम सेवक	प. स. गिर्वा, 19, मीण्डर, 21, खैरवाड़ा, 21, गोगुन्दा, 15, प. स. झाडोल, 17, कोटड़ा, 12, सलुम्बर, 17, सराड़ा, 20, प. स. धरियावद 16, मावली 2?, बड़गाव, 15.	
7.	अध्यापक	प. स. गिर्वा 353, मीण्डर 336, खैरवाड़ा 456, गोगुन्दा, 230 प.स. झाडोल, 395, कोटडा, 314, सलूम्बर, 321, सराड़ा 343. प॰ स. धरियावद, 329, मावली, 298, बड़गांव, 223.	
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4	
9.	प्रगति प्रसार अधिकारी	1	
10.	पंचायत प्रसार अधिकारी	81	
11.	कनिष्ठ अभियन्ता	1	

क्र सं.	नाम पंचायत समिति	समस्त योजनाओं पर स्वीकृत राशि विगत 5 वर्षों का संकलन	समस्त योजनाओं पर व्यय की गई राशि का विवरण विगत 5 वर्षों का	विशेष विवरण
1.	गिर्वा	6,70,46,669	6,85,02,198	
2.	बड़गांव	5,30,65,800	5,15,02,700	
3.	सराडा	9,38,36,000	9,98,36,000	
4.	धारियावाद	9,37,38,890	6,59,19,570	
5.	खैरवाड़ा	5,50,71,000	4,45,87,000	
6.	कोटड़ा	7,19,68,000	5,21,49,000	
7.	मीण्डर	9,37,33,087	7,85,19,325	
8.	गोगून्दा	4,22,40,051	3,14,02,103	
9.	मावली	5,80,22,725	5,67,97,420	
10.	सलुम्बर	4,54 09,948	4,84,85,063	
11.	झाडोल	5,24,34,000	5,18,27,000	

पंचायत समिति

क. सं.	पदों का विवरण	कोटडा	खैरवाडा	गिर्वा	गोगुन्दा	झाडौल	घरियावद	बडगांव	भीण्डर	मावली	सराडा	सलुम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	विकास अधिकारी रिक्त पद दिनांक	....	....	....	....	....	....	1 2/94	....	....	....	1 4/94
2.	शिक्षा प्रसार अधिकारी	2 11/90	3 10/91	1 9/93	--	2 8/90	2 8/91	—	2 9/91	1 9/93	2 10/90	1 4/93
3.	पंचायत प्रसार अधिकारी	....	1 8/93	....	....	1 12/93	1 1/94	....	1 8/93	....	1 3/93	....
4.	सहकारिता प्रसार अधिकारी	....	....	....	1 9/91	1 12/93	....	....	....	1 3/94	1 7/93	1 6/90
5.	प्रगति प्रसार अधिकारी	—	—	—	1 लम्बेसमयसे	1 लम्बेसमयसे	1 7/93	—	—	1 3/93	—	1 लम्बेसमयसे
6.	लेखाकार	—	—	1	1 7/93	—	1 4/92	—	—	—	—	—
7.	क. लेखाकार	—	1 7/91	1 8/93	—	—	—	—	1 1/91	1 लम्बेसमयसे	—	—
8.	कृषि प्रसार अधिकारी	—	—	1 4/93	—	—	—	—	—	—	—	—

Page No.333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	ग्राम सेवक	—	2/10/92	2/3/94	2/3/93	3/9/93	—	—	—	2/1/94	1/12/93	—
10.	वाहन चालक	—	—	—	—	—	—	—	1/8/93	—	—	—
11.	अध्यापक	66/93-94	10/93-94	2/93-94	12/93-94	45/93-94	47/93-94	—	—	—	13/93-94	20/93-94

परिशिष्ट-23
(अतारांकित प्रश्न संख्या 1369 की सूची)

जनसंख्या 100-150	जनसंख्या 150-250	जनसंख्या 250-400	जनसंख्या 500 से उपर	जनसंख्या 100 से कम
1. जाम्बुवा-109	1. गुन्दलो की मागल-151	1. करणगढ़-296	1. नवला-2031	1. पिपला पानी -85
2. पार्डमा डली-130	2. तरुतपुरा-175	2. आम्बा बी-258	—	2. नीमड़ी गुडा-49
3. चरमा तालाब -115	3. आदन्दियों का गुडा-198	3. पांवागुडा-145		3. पाटिया-23
4. मोरचना-148	4. सरगना-171 तलाई	4. महुडी खेडा-289		4. खोखरिया-23
5. नारजी का खेडा 138	5. नाल-170	5. हीरावास-300		5. कालाखेत-22
6. गुजरो का गुडा- -145	6. पाहो नोका खेडा-180	6. उजाडखेडा-328		6. भूतिया-71
7 माछिया-122	7. जेलदा-188	7. डरागांव-313		7. झूरना-61
8. फतह सिह की मागल-122	8. नला-157	8. राठोडा का गुडा-320		8. मागवतो का गुडा-97
9. घार-120	9. चित्तौडया खुर्द -214	9. लिम्बाखेडा-355		9. रीछडी-35
10. चीकलडी-122	10. चुनदा-199	10. साला तलाई-255		10. आम्बा-ए-73
11. उम्मेदपुरा उर्फ देवडा-109	11. खेडी-190			11. थोलिया-97
12. बेडा सोटा-109	12. तलापुर-159			12. चरी-63
13. खेडलिया-134	13. धोली मगरी-195			13. नागलिया खुर्द-52
14. मरु-148	14. नाडा फला-165			14 आम्बारेटी-22
15. दमामी खेडा-	15. तलाई निमडी-152			15. पारागपुरा-87
16. मगा गांव-115	16. मोरजी खेडा-151			16. रनिया-45
17. दोलपुरा-112				17. देवलिया-2
18. दीपपुरा-129				18. बाजो का दीपपुरा-48

1	2	3	4
गोश्वारा			19. चारनी-7
100 से 150 तक	18		20. कपडवास-18
150 से 250 तक	16		21. हाडाखेडा-89
250 से 500 तक	10		22. सायाखेडा-59
500 से ऊपर	1		23. बोरणा-72
100 से कम	27		24. खोखरी खुर्द-65
	72		25. मीमा गांव-12
			26. केलकी कुई-44
			27. लालपुरा-68

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1370 का विवरण)

क्र.सं.	नाम जिला	बैकलॉग			
		अनु.जाति	अनु.जनजाति	विकलांग	योग
1.	अजमेर	—	—	—	—
2.	अलवर	—	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	—	—	—	—
4.	बाड़मेर	46	150	—	196
5.	भरतपुर	51	41	5	97
6.	भीलवाड़ा	41	—	—	41
7.	बीकानेर	—	—	—	—
8.	बूंदी				
9.	बांरा				
10.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—
11.	चूरू	—	—	—	—
12.	धौलपुर	—	—	—	—
13.	डूंगरपुर	—	—	—	—
14.	दौसा	—	—	—	—
15.	श्री गंगानगर	—	51	—	51
16.	जयपुर	—	—	—	—
17.	जैसलमेर	7	17	3	27
18.	जालौर	13	13	4	30
19.	झालावाड़	41	39	—	80
20.	झुंझुनूं	7	22	—	29
21.	जोधपुर	47	38	—	85
22.	कोटा	—	—	—	—
23.	नागौर	—	—	—	—
24.	पाली	—	149	39	188
25.	राजसमन्द	—	—	—	—
26.	सवाई माधोपुर	6	5	—	11
27.	सीकर	—	—	—	—
28.	सिरोही	25	44	3	72
29.	टोंक	—	—	—	—
30.	उदयपुर	—	—	—	—

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक–एफ 17 (ई) ग्राविप/प्र.शा.—1/92/2865 जयपुर, दिनांक 2-12-92.

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2. आचार्य ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर ।

विषय : अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों के आरक्षण अवशेष (बैकलांग) को पूर्ण करने के लिए विशेष भर्ती अभियान ।

प्रसंग : इस विभाग का पृष्ठांकित परिपत्र क्रमांक 2516 दिनांक 26-2-92

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों के आरक्षण अवशेष (बैकलाग) को विशेष अभियान चलाकर पूर्ण करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय कार्मिक (क-5) विभाग द्वारा जारी किये गये परिपत्र क्रमांक प. 9 (20) कार्मिक/क-5) 89-111 दिनांक 14 अगस्त 92 सामान्य प्रशासन ग्रुप-3 के परिपत्र क्रमांक प. 13 (15) स.प्र. 3/83 दिनांक 26 मई, 92 वित्त (आय-व्ययक) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9 (1) वित्त-1/(आय-व्यय) 92 दिनांक 19-6-92 एवं उप शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान, जयपुर के अ. शा. पत्र क्रमांक प. 9(20) (कार्मिक क-5)89/111 दिनांक 19 सितम्बर, 92 की प्रतियां इस विभाग के उक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई गई थी । आप द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराया गया है । राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति की जानकारी चाही जा रही है ।

अतः इस संबंध में आप अपने ज़िले की पंचायत समितियों के सम्बन्ध में सूचना 15-12-92 तक शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें ।

हस्ताक्षर
उप शासन सचिव (प्र. 1)
राज. जयपुर ।

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ 139 (14-20) ग्राविप/शिक्षा/89/1302 जयपुर, दिनांक
समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सचिव जिला परिषद

समस्त विकास अधिकारी
पंचायत समिति

विषय : अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों की सीधी भर्ती में बैकलाग पूरा करने के संबंध में ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक-क (अनुभाग) जयपुर के आदेश संख्या प. 9 (20)/कार्मिक/क-5/89/दिनांक 28-7-89 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि पंचायत समितियों में तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक/अध्यापिकाओं अनुसूचित जाति/जन जाति के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए संस्थापन समितियों द्वारा विशेष भर्ती की आवेगी ।

अतः निवेदन है कि उक्त श्रेणी के अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए आरक्षित पदों को बैकलाग को भरे जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित करें । यह कार्य 15 सितम्बर, 89 तक सम्पन्न कर सूचना इस निदेशालय को दी जावे ।

हस्ताक्षर
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान जयपुर ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. जिला कलक्टर
2. विशिष्ठ शासन सचिव (कार्मिक) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके परिपत्र क्रमांक प. 9 (20) कार्मिक/क-5/89 दिनांक 28-7-89 के क्रम में ।

हस्ताक्षर
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान जयपुर ।

जी. एस. नरवानी,
निदेशक एवं शासन विशिष्ठ सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

अ. शा. पत्र सं. 751 जयपुर, दि. 18 मार्च, 94

विषय—अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों का बैकलाग तुरन्त भरकर पालना हेतु।

प्रिय श्री बंसल

वर्ष 1989-90 से 1992-93 तक अनुसूचित जाति के 44 रिक्त पदों को भरने का बैकलाग जोधपुर जिले में चल रहा है। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम अनुसूचित जाति के लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी देता है, जो भी नियुक्ति हेतु समय-समय पर मांग करते रहते हैं। आपको निर्देश दिये जाते है कि जिला नियोजन अधिकारी जोधपुर से पंजीकृत प्रशिक्षित बेरोजगारों के नाम मंगवाकर एक माह के अन्दर उक्त बैकलाग पूरा कर पालना भिजवाये। नियमानुसार 3 वर्ष तक रिक्त पदों का बैकलाग रहता है। अतः ऐसे सभी रिक्त पद भरने की विशेष कार्यवाही कर पालना भिजावे।

सदभावी
(जी. एस. नरवानी)

श्री जे. के. बंसल,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जोधपुर

परिशिष्ट–25

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1374 का विवरण)

To

The Superintendent,
Associated Group of Hospital,
Jodhpur.

Sir,

With reference to your letter No. Stare/MGH/JU/85/351 regarding the ultrasound Imaging system, We has opted for 12"× 12" monitor as per our tender. The aloka Echo Camera SSL–630 had met all our specifications and the performa–invoice had mentened viewing moniter size of 12". After the order was given, the machine supplied had 9"×9" moniter for which we had asked the Messers Medical Courdinaters Pvt. Ltd; the suppliers of the machine to replace this moniter with 12" moniter as had been order. In reply to this objection we receive a copy of a letter from the Principal supplier Toyo Kosuisan Co. Ltd. Japan, that Alokaa had experienced some problems in 12" monitor and therefore have discontinued the use of the same. The equipments being supplied now have 9" moniter. They have agreed a discount of approx. Rs. 3000/– for this change.

In view of the above realy of the principal suppliers, that 12" moniter which was being previously supplied, but becouse of technicle, Problems it has been discontinued, we may noew accept the 9" moniter. The 9" moniter although a little amaller in size, will also meet our requirement with good resolution of the images and the working of the machine will not be distowhed. So this moniter may be accepted and the deduction of Rs. 3000 /– he made at the time of the payment.

Yours Sincerely
Sh/– Dr. M. R. Mehta
Sh/– Dr. S. C. Lqgha
Sh/–Dr. D. K. Sankhala Sh/– Sanjeev Sanghvi

परिशिष्ट—"क"

परिशिष्ट—26

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1382 का विवरण)

पंचायत समिति/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में सम्वत् 2050 में स्वीकृत राहत कार्यों की सूची :—

क्र. सं.	नाम गांव	नाम कार्य	पं. स.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत श्रमिक राशि
1.	जोगपुर, बितरी, बडगी	सागवाड़ा गलियाकोट सड़क	सागवाड़ा	5.00	100
2.	बिलिया, राजपुर, केसरपुरा, डेचा, बड़गामा	आंतरी ओवरी सड़क	,,	5.00	100
3.	खुमानपुरा, घाटाकाघांव, बांसिया	जोगपुर थंबोला सड़क 19 से 26	सीमलवाड़ा	3.00	60
4.	पिपलीबोर, बाबाकीबार	पीपलीबोर राजावड़ा बाबाकीबार सड़क	,,	5.00	100
5.	सेमलियापंड्या, मिलूड़ा, सरोदा, शिवरामपुर, बूचियाबड़ा	मीलूड़ा सरोदा सड़क वाया सेमलिया पडयां	सागवाड़ा	5.00	100
6.	भेसरा छोटा, लिखतिया, भेसरा-बड़ा	भेसरा चाड़ोली, लिखतियां	,,	5.00	150
7.	उद्वैया, सिलोही	गलियाकोट उद्वैया सिलोही	,,	5.00	150
8.	डूंगरसारण, घंटीगला	पुनावाड़ा से डूंगरसारण	सीमलवाड़ा	5.00	150

1	2	3	4	5	6
9.	चिखली, नौलियावाड़ा, धनगांव	चिखली धनगांव सड़क	सीमलवाड़ा	5.00	150
10.	बाबाकीबार, पंचकुण्डी	पहूंच सड़क बाबाकीबार, अपट्र पंचकुण्डी नई बस्ती तक	सागवाड़ा	5.00	150
11.	लक्ष्मणपुरा, खड़गदा, मडकोला	सागवाड़ा से गलियाकोट कि. 2 से 4	,,	5.00	150
12.	पंचवटी	सागवाड़ा से गलियाकोट कि. 5 से 7	,,	5.00	150
13.	जसेला, रामसोर, ऊबली	जसेला राममोर ऊबली	सीमलवाड़ा	5.00	150
14.	चीतरी, भेमई, जोसावा, दरियाटी	चितरी, दरियाटी 0/17	,,	5.00	150
15.	लिमड़ी, घोटाद	लिमड़ी, घोटाद वा पंचवटी	सागवाड़ा	5.00	150
16.	सेलोता, राजपुर	सेलोता, राजपुर	,,	5.00	150
17.	नांदिया	नांदिया, विजयपुरा	सिमलवाड़ा	5.00	150
18.	बांदखेड़, दीवड़ाबड़ा	बांदरवेड़ नीलकंठ महादेव	सागवाड़ा	5.00	150
19.	सेमलिया घांटा,	सेमलिया घांटा से नईब. ऊबली	,,	5.00	150
20.	ऊबली, ढेबरिया, कसारिया	ऊबली ढेबरिया, कसारिया	,,	5.00	150
21.	डेचा, पावटा	पहूंच सड़क डेचा	,,	5.00	150
22.	भिलूड़ा, लिम्बोड	भिलूड़ा लिम्बोड वा. राजपुर	सागवाड़ा	5.00	150

1	2	3	4	510	6
23.	बरबूदनिया	बरबूदनिया पुलिया पर पीयर नं. 4, 5, 6 का निर्माण	सागवाड़ा	4.95	50
24.	विराट	बरबूदिया साइड पर आर. सी. सी. स्लेप स्पान नं. 1, 2, 3	,,	4.87	50
25.	डामरिया	डामरिया नर्सरी, फैंसिग व भू-संरक्षण	,,	1.00	60
26.	,,	डामरिया 100 है. फैंसिग	,,	2.10	100
27.	कुंआ	कुंआ नर्सरी दीवार रिपेयर कार्य	सीमलवाड़ा	1.00	60
28.	जेठाणा	सरप्लसिग कार्य जेठाणा	सागवाड़ा	3.00	90
29.	जेठाणा	जेठाणा नहर का कार्य	,,	2.00	60
30.	नरसिंगपुर	तेजोर सरप्लसिग कार्य	,,	5.00	100
31.	नरसिंगपुर	तेजोर के डाउन स्ट्रांग फिल्टरों का कार्य	,,	0.50	25
32.	मेहतो का पाडला	मेहतो का पाडला की दांयी नहर का कार्य	,,	1.50	60
33.	चितरी, पारड़ा माताजी	चितरी माननर का कार्य	सीमलवाड़ा	5.00	100
34.	टामटिया, जोगपुर	टामटिया बांध की नहरों की मरम्मत का कार्य	सागवाड़ा	1.00	50

1	2	3	4	5	6
35.	बोरखेड़	बोरखेड़ बांध की दाई/बाई नहरो का कार्य	सागवाड़ा	3.00	90
36.	अखेपुर	अखेपुर बांध की दाई/बाई नहर का कार्य	,,	3.00	90
37.	भिलूड़ा	भीलूड़ा लिफ्ट नहर का कार्य	,,	0.50	25
38.	सागवाड़ा	लोहारिया बांध की नहरों का कार्य	,,	2.00	90
39.	बाबा की बार, बार वेजनिया	बाबा की बार की बांयी नहर का कार्य	सीमलवाड़ा	2.00	90
40.	बाबा की बार, हिण्डोलिया	बाबा की बार की दांयी नहर का कार्य	,,	1.00	50
41.	बाबा की बार, रातड़िया	बाबा की बार रातड़िया माइनर का कार्य	,,	1.00	50
42.	भेंका नाका, कुंआ	भेका नाका दायी नहर का कार्य बांयी नहर का कार्य	सीमलवाड़ा	1.00	50
43.	भेंका नाका	भेका नाका बांध कार्य	,,	1.00	50

1	2	3	4	5	6
44.	गोकलिया	गोकलिया माइनर का शेष कार्य	सीमलवाड़ा	2.25	60
45.	डेचा,	डेचा वाटर कोर्सेज ऑफ मारगिया	,,	3.00	90
46.	बिलिया	बिलिया माइनर का कार्य	,,	1.00	50
47.	जेठाणा	गोम्रइया तालाब का कार्य	,,	0.39	50
48.	जेठाणा	किरण तालाब का कार्य	,,	2.39	50
49.	दिवडा छोटा	एमोला तालाब का कार्य	,,	1.55	50
50.	गडाभूमजी	बनेला तालाब का कार्य	,,	0.61	50
51.	पारडा, सरोदा	जांबिया तालाब	,,	0.40	50
52.	गामडा, बीड	नया तालाब का कार्य	,,	0.72	50
53.	छतरपुरा	माटा तालाब छतरपुरा	,,	0.55	50
54.	कानपुर	वेस्टवियर कानपुर	,,	0.27	50
55.	रामसौर	तालाब रामसौर	सीमलवाड़ा	0.64	50
56.	झरनी	तालाब झरनी	,,	0.67	50
57.	बावड़ी	तालाब बावड़ी	,,	0.44	50
58.	जसेला	तालाब जसेला	,,	0.67	50
59.	राठड़ी	तालाब राठड़ी	,,	0.60	50

1	2	3	4	5	6
60.	अम्बावाला	तालाब अम्बावाला	सीमलवाड़ा	0.60	50
61.	दरियाटी	तालाब दरियाटी	,,	0.60	50
62.	झरनी	तालाब कुडीवाला	,,	0.22	50
63.	दादरोडा	तालाब दादरोडा का कार्य	,,	0.20	50
64.	देवला	तालाब देवला	,,	0.58	50
65.	महुवाडा	तालाब महुवाडा	,,	0.56	50
66.	लिखतिया	तालाब लिखतिया	,,	0.15	50

नोट :—सूची में दिये गये ग्रामों की संख्या 106 है जिनमें से 4 गांव में एक से अधिक राहत कार्य स्वीकृत हैं इस प्रकार रेखांकित (कोमन) गांवों को कम करने के पश्चात् सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के 92 गांवों में राहत कार्य चलाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट–27

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1383 का विवरण)

अकाल राहत कार्यों के तहत वर्ष 1994 में स्वीकृत कार्यों की

सूची–विधान सभा क्षेत्र दूदू, जिला जयपुर

क्रमांक नाम कार्य	अधिक श्रमिकों की संख्या जो नियोजित किये जा सकेंगे	वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या
सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य :		
1. साली से गहलोता सड़क	150	130
2. झाग से सावली सड़क	100	98
3. पुलेरा मोहृ से कोरसीना वाया हवसपुरा सड़क	300	258
4. कोरसीना के साकभरी माता सड़क	80	107
5. कोच्या की ढाणी कोरसीना सड़क	150	91
6. आकोदा से नरायना सड़क	180	131
सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य :–		
7. नया सागर मौजमाबाद	31	31
8. छापरवाड़ा फीडर नहर	90	52
9. छापरवाड़ा फीडर	90	57
10. बाद सोलकीयान बांध	30	28

1	2	3	4
	पंचायत समिति द्वारा कराये जाने वाले कार्य :—		
11.	उ. प्रा. शाला लोरडी	20	10
12.	दुग्ध उत्पादक सह, समिति रेट	4	4
13.	प्रा. शाला दांतड़ा	10	10
14.	प्रा. शाला बागेड	8	6
15.	मरवा से पानवा कलां सड़क	80	80
16.	तालाब खुदाई नया गांव साखून	25	15
17.	सार्वजनिक पाल मरम्मत रहलाना	50	10
18.	सार्वजनिक तालाब चैनपुरा	50	49
19.	सार्वजनिक तालाब दांतरी	20	20
		1467	1187

ह.
जिला कलक्टर
जयपुर

परिशिष्ट 'क'

परिशिष्ट--28

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1384 का विवरण)

सम्वत् 2050 में स्वीकृत कार्य

बीकानेर जिले की अधूरी सड़कों पर केम्प वाइज मजदूरों की संख्या

क्र. सं. 1	केम्प का नाम 2	श्रमिकों की संख्या 3	नाम तहसील 4
1.	जयमलसर से कावनी	40	बीकानेर
2.	उदासर से बम्बलू	65	बीकानेर
3.	आम्बासर से गीगासर	100	बीकानेर
4.	कतरियासर से रानीसर	20	बीकानेर
5.	रायसर से हिमतासर	30	बीकानेर
6.	शोभासर से कुम्हारों	60	बीकानेर
7.	सियाना से घरनोक	100	कोलायत
8.	मण्डाल से बीठनोक	60	कोलायत
9.	गड़ियाला से गांधी	60	कोलायत
10.	मुझासर से सियाना	60	कोलायत
11.	सियाना से झझू	40	कोलायत
12.	कोडमदेसर से गजनेर	40	कोलायत
13.	खिन्दासर से काकड़ा	40	कोलायत
14.	रावला में बरसलपुर	सड़क पूर्ण हो चुकी है	
15.	दियातरा से माणेका गांव	150	कोलायत
16.	गज्जेवाला से रणजीतपुरा	100	कोलायत
17.	किशनासर से ढीगंसरी	60	नोखा
18.	ढीगंसरी से साठीका	40	नोखा
19.	नोखा से जसरासर	30	नोखा
20.	उड़सर से साजनवासी	30	नोखा
21.	मामटसर से जेसलसर	40	लूणकरणसर
22.	जैतपुर से सुई	60	लूणकरणसर
23.	जेतपुर से साबनिया	100	लूणकरणसर

1	2	3	4
24.	सहजरासर से कुजटी	150	लूणकरणसर
25	कालूरोड से लूणकरणसर	100	लूणकरणसर
26.	धीरेरा से खियेरा	20	लूणकरणसर
27.	खियेरा से खोखराना	20	लूणकरणसर

ह.
जिला कलक्टर (सहायक)
बीकानेर

श्री डूंगरगढ़ जिला--चूरू । परिशिष्ट--'ख'

क्र. सं.	सड़क का नाम	कैम्प का नाम	निर्धारित श्रमिक संख्या	कार्यरत श्रमिक संख्या
1	2	3	4	5
तहसील, चूरू				
1.	नाकरासर से धीरासर वाया जासासर 6 किमी	1 धीरासर बीबकान	100	20
		2 धीरसर चारनान		30
		3 धीरासर शेखावतान		38
2.	सातड़ा से नाकरासर वाया रायपुरिया 4 किमी	1 रायपुरिया	70	40
		2 नाकरासर		
3.	बूटिया--भामासी कडवासर 6 कि मी	1 बूटिया	90	60
4.	सम्पर्क सड़क जुहारपुरा 7 किमी	1 जुहारपुरा	110	70
5.	सम्पर्क सड़क लोहसाना बड़ा जो चूरू राजगढ़ सड़क से जोड़ी जायेगी (7 कि मी)	1 लोहसना बड़ा	70	60
6.	सम्पर्क सड़क खीवासर जो चूरू तारानगर सड़क से जोड़ी जायेगी (7 किमी)	1 खीवासर	70	40

1	2	3	4	5
तहसील तारानगर				
7.	भालेरी से साहबा 15 कि मी	1 गिलगिटी	250	60
8.	सम्पर्क सड़क तारानगर साहवा से मिखाला सड़क	1 मिखाला	70	56
9.	8 सम्पर्क सड़क ढाणी कुम्हारान तारानगर हडियाल सड़क 3 किमी	1 ढाणी कुम्हारान	40	30
10.	सम्पर्क सड़क आनन्दसिंह पुरा तारानगर चूरू सड़क से 4 कि मी	1 आनन्दसिंहपुरा	60	40
11.	तारानगर चंगोई सड़क निर्माण कार्य 4 कि मी	1 चंगोई	160	60
तहसील राजगढ़				
12.	कालरी से मोजाण 5 किमी	1 कालरी	75	35
13.	नीमा से जसवन्तपुरा 3 किमी	1 नीमा	40	34
14.	सम्पर्क सड़क चनाना 3 किमी.	1 चनाना	40	40
15.	हमीरवास के रामपुरा 5 किमी	1 हमीरवास से रामपुरा	75	55
16.	सड़क निर्माण गुगलवा से हरियाणा बोर्डर 2 किमी	1 —	80	—
17.	न्यागल बड़ी से दुकी सड़क 3 किमी	1	120	–
18.	सम्पर्क सड़क लीलावटी बैंसरासर मन्ड्रेला सड़क 2 किमी	–	80	–

1	2	3	4	5
19.	नोरगपुरा से गुड़ावास से से ठिमाऊ छोटी 5 किमी (4) किमी) स्वीकृति	–	160	–
तहसील रतनगढ़				
20.	गोगासर से मेलूसर	1 गोगासर मेलूसर	140	90
21.	मोलीसर रेल्वे स्टेशन से मोलीसर छोटा	1 मोलीसर	150	4
22.	रा. उ. मार्ग–11 से बीनादेसर वाया बन्डवा	–	160	–
तहसील डूंगरगढ़				
23.	बाना से उपनी	1 बाना	35	35
24.	सेरूणा से नारसीसर	1 नारसीसर	70	50
25.	एन.एच. 11 से बिग्गा रामसराबास	1 रामसरा बास	50	20
26.	बाडेला से बरजांगसर	1 बाडेला	60	60
		योग :—	2425	1066

ह.
जिला कलक्टर (सहायता)

परिशिष्ट–29

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1387 की सूचना)

छीपाबड़ौद व छबड़ा पंचायत समितियों में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की ग्रामवार सूची

क्र. सं.	औष. का नाम	चिकित्सक का नाम	नर्स/कम्पाउन्डर	परिचारक
छीपाबड़ौद				
1.	छीपाबड़ौद (शहरी)	श्री मधुसूदन शर्मा	श्री रतीराम	श्री भीमसेन मीणा
2.	हरनावदाशाहजी	श्री कृष्ण शर्मा	श्री बनवारी लाल	श्री किशन लाल
3.	बम्बोरी घटा	श्री जगदीश पालीवाल	श्री सुभाषचन्द	श्री मुकुन्दीलाल
4.	सेत कोलू	श्री रघुनन्दन शर्मा	श्री गुलाबचन्द	श्री मनोहरसिंह
5.	अजनावर	श्री दिनेशकुमार	श्री रमेशचन्द	पद रिक्त
6.	कचनारियाकला	श्री ज्वालाप्रसाद	श्री भवानीशंकर वर्मा	श्री छोटूलाल मीणा
7.	गगचाना	श्री सुरेशचन्द शर्मा	श्री जगन्नाथ वर्मा	श्री ओमप्रकाश परीक
8.	कोहनी	श्री मुरलीधर भार्गव	श्री सत्यनारायण	श्री रामप्रसाद
9.	झिनझिनी	श्री मदनमोहन	श्री बृजमोहन शर्मा	श्री मोहनलाल सुमन
छबड़ा				
1.	छबड़ा (शहरी)	श्रीमती रेणु/श्रीवास्तव	श्री ओमप्रकाश	श्री चिमनलाल
2.	कडैयाहाट	श्री राम खिलाड़ी	पद सृजित नहीं	श्री मोहम्मद उस्मान
3.	मोतीपुरा	श्री कर्पूरचन्द जैन	श्री जहीर अहमद	श्री सुखलाल
4.	पचपाडा	श्री रामकृष्ण तिवारी	श्री नन्दलाल	श्री घासीलाल
5.	बटावदापार	श्री भंवरसिंह हाडा	श्री दिलीप भार्गव	श्री कन्हैयालाल
6.	कडैया नोहर	श्री सोमतलाल राय	पद रिक्त	श्री मकसूद खां

परिशिष्ट--30

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1388 का विवरण)

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्सकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	शिकायत कर्ता	शिकायत के बिन्दू	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री धर्म चन्द, औषधालय, भोपुर	ग्रामवासी (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर के माध्यम से)	औषधालय समय पर नहीं खोलना, कभी-कभी उपस्थित होना।	सहायक निदेशक, आयुर्वेद ने अपनी जांच रिपोर्ट 9–2–94 द्वारा शिकायत को निराधार पाया है।
2.	श्री गिर्राज प्रसाद, औषधालय, पदमपुरा	ग्रामवासी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप–4 विभाग, के माध्यम से)	रामकिशोर कामदार की बच्ची को बहला-फुसलाकर क्वार्टर में बन्द करने के सम्बन्ध में।	जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाईमाधोपुर की जांच के आधार पर चिकित्सक का स्थानान्तरण करना विचाराधीन हैं।
3.	श्री कृपा चरण शर्मा औषधालय, कस्वाशहर	ग्राम जनता एवं कांग्रेस कार्यकर्ता (आयुर्वेद मंत्री के माध्यम से)	समाज व हरिजन विरोधी तथा राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना।	जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाईमाधोपुर को प्राथमिक जांच करने हेतु प्रकरण दिया हुआ हैं।
4.	श्री कैलाश चन्द शर्मा. औषधालय, गडमोहरा	अध्यक्ष, कांग्रेस (ई) कमेटी (माध्यम-आयुर्वेद मंत्री)	राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना।	जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाईमाधोपुर को प्राथमिक जांच करने हेतु प्रकरण दिया हुआ हैं।

1	2	3	4	5
5.	श्री ऋषिकेश शर्मा, औषधालय, सालिमपुर	सरपंच-टोडाभीम (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से)	अनियमितता, भ्रष्टाचार करने एवं माह में एक दो बार औषधालय में उपस्थित होने के सम्बन्ध में ।	जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाईमाधोपुर को प्राथमिक जांच करने हेतु प्रकरण दिया हुआ हैं ।
6.	श्री मधुसूदन, औषधालय, शेखपुरा	उप जिलाधीश, हिण्डौन सिटी	8 माह से लगातार अनुपस्थिति	” ”
7.	श्री छीतरमल शर्मा, औषधालय, कुन्जला	श्री कुंजबिहारी शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक	छीतरमल शर्मा द्वारा कार्यमुक्ति आदेश लेने से इन्कार करना ।	उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, कोटा को प्राथमिक जाच करने हेतु प्रकरण दिया हुआ हैं ।
8.	श्री बल्लु लाल औषधालय, महेस्वा	जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाईमाधोपुर	थैला काटकर सरकारी राशि का गबन करने के सम्बन्ध में ।	जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाईमाधोपुर से इस प्रकरण की विस्तृत सूचना मांगी जा रही है । प्राप्त सूचना के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

परिशिष्ट–31

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1389 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं उनकी इकाइयों द्वारा गत तीन वर्षों में (1991–92, 1992–93 व 1993–94) राजस्थान से बाहर भेजे गये दूध की मात्रा एवं मूल्य का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)	मूल्य (रुपये में)
1991–92	3,12,88,330	17,38,02,474 06
1992--93	2,57,30,455	13,31,70,612.56
1993--94	4,40,08,850	25,32,92,139.79

परिशिष्ट–'ख'

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप--4) विभाग

जयपुर, दिनांक 19-6-1989

अधिसूचना

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम, 74) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा दूध के, अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उक्त माल के सम्बन्ध में कारबार के किसी भी ऐसे स्थान से उसके द्वारा किए गए विक्रय को उक्त अधिनियम के अधीन कोई कर संदेय नहीं होगा।

यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

स. प. 4 (27) वित्त/ग्रुप–4/87–89
राज्यपाल के आदेश से,

ह./–
(राकेश वर्मा)
उप शासन संचिव

विषय-सूची

शुक्रवार, 8 अप्रैल, 1994

क. सं.	विषय	स्कम्म संख्या
1.	तारांकित प्रश्नोत्तर	1–46
2.	अल्प सूचना प्रश्न	46–48
3.	अतारांकित प्रश्नोत्तर	49–194
4.	स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था	194–195
5.	स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा	198–232
6.	नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें	195–198
7.	नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
	–गंगागढ़ तहसील हनुमानगढ़ के श्री हरविन्दरसिंह के साथ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं	232–235
	–जायल निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में जलदाय विभाग द्वारा पानी वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति	235–238
	–नीमकाथाना औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों के कच्चे माल पर चुंगी की अधिक दर	238–241
	–बम्बोरीकलां जिला बारां की सरकारी नजूल सम्पत्ति की देखभाल की उचित व्यवस्था	241–242
	–राजस्थान में बारूद का विकास कार्यों में उपयोग करने वालों को पुलिस द्वारा परेशान करना	242–246
	–बूंदी जिले में अवैध खनन से राज्य सरकार को राजस्व हानि	246–248
	–इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सागरमल गोपा शाखा में भ्रष्टाचार	248–249
	–अन्तरराष्ट्रीय वित्त संस्था की मदद से क्रय की गयी सामग्री में राजस्थान विद्युत बोर्ड द्वारा गफलत	249–252
	–अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की काश्त की जमीन पर खनन की अनुमति	252–256

क्र.सं.	विषय	स्कम्भ संख्या
	–झोटवाड़ा व जमुवारामगढ़ पंचायत समिति में खराब हैण्डपम्पों के कारण पेयजल समस्या	257–259
	–कैचमेन्ट एरिया में कर्जा माफी	259–261
	–छात्राओं के जीवन से प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, रायपुर (झालावाड़) द्वारा खिलवाड़	261–263
	–मण्डावा की अलसीसर पंचायत समिति में भयंकर अकाल	263–264
8.	याचिका का उपस्थापन	
	–नागौर जिले के मूण्डवा में तहसील खोलने के सम्बन्ध में	372–374
9.	व्यवस्था	
	–उद्धृत पत्रों का मेज पर रखा जाना	327–336
10.	आधे घण्टे की चर्चा	
	–भीलवाड़ा में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि विषयक तारांकित प्रश्न (प्रश्न संख्या 336) से उत्पन्न मुद्दे	374–387
11.	नियम का निलम्बन	
	–प्रक्रिया नियम 26 का निलम्बन	389–391
12.	ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
	–जोधपुर लिफ्ट कैनाल हेतु भूमि अवाप्ति के कारण लोगों के भूमिहीन होने से उत्पन्न स्थिति	264–270
	–घारिया खुर्द जिला नागौर में अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार	270–302
	–जनजाति विकास परिषद् का गठन	302–327
13.	शासकीय वक्तव्य	
	–राजस्थान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा से हथियारों की तस्करी व घुसपैठ	336–372
14.	अशासकीय संकल्प	
	–केन्द्रीय वन एवं खनन अधिनियमों के कतिपय प्रावधानों से राज्य के विकास में अवरोध	391–392
	–राजस्थानी को राज्य में द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता	392

क्र. सं.	विषय	स्तम्भ संख्या
	–राज्य में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य करना	392--393
	–राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना	393--394
	–अन्य मण्डी क्षेत्रों से आने वाली उपज के अनुपात में मण्डी समिति का व्यय उस क्षेत्र में —	394
	–राज्य में मादक द्रव्यों के विक्रय पर तत्काल पाबन्दी	394–395
15.	अशासकीय संकल्पों पर वाद-विवाद	395--450
16.	विधायी कार्य	
	–पुर:स्थापित विधेयक	
	–राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1994	388--389
	–जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1994	389
17.	सदन की कार्यवाही	
	–विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	387–388 438
18.	परिशिष्ट	451–581